सप्तम माला, खंड 19, अंक 19, गुरुवार, 10 सितम्बर, 1981/19 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(छठा सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपए।

विषय-सूची

अंक 19, गुरुवार, 10 सितम्बर, 1981/19 भाद्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-20
*तारांकित प्रश्न संख्या 369, 371 से 374 और 377.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20–190
*तारांकित प्रश्न संख्या 370, 375, 376, 378 से 380, 482, 383 और 385 से 390.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3601 से 3661, 3663 से 3689, 3691 से 3797, 3799 और 3800.	
लाला जगत नारायण :	
हिन्द समाचार जालन्धर, के प्रबन्ध निदेशक, की हत्या के समाचार के बारे में	190-195,218-219
सभा पटल पर रखे गये पत्र	195–196, 320
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति : आठवें प्रतिवेदन का कार्यवाही-सारांश	19
राज्य सभा से संदेश :	197–198
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	
(एक) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक	
(दो) आयुद्ध (संशोधन) विधेयक	
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति : आठवां प्रतिवेदन	198
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना :	198–217
एशियाई खेल परियोजना के श्रमिकों की हड़ताल की धमकी का समाचार	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	198-205
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	198-199

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
श्री नारायण दत्त तिवारी	205-206	
श्री पी. के. कोडियन	206–208	
श्री कमला मिश्र मधुकर	208–210	
श्री चित्त बसु	210–214	
श्री जैनुल बशर	214–218	
ध्यान आकर्षण के बारे में :		218–219
लाला जगत नारायण की हत्या का समाचार—जारी		
कार्य मंत्रणा समिति :		220–237
बीसवां प्रतिवेदन		
आवश्यक सेवा विधेयक :		238-293
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव		
श्री जैल सिंह	286-290	
श्री रामावतार शास्त्री	241-243	
श्री चित्त बसु	243-246	
श्री सोमनाथ चटर्जी	246-253	
श्री राम विलास पासवान	253.255	
श्री एन. के. शेजवलकर	255	
प्रो. मधु दण्डवते	255-256	
श्री जयपाल सिंह कश्यप	256-257	
श्री त्रिदिव चौधरी	257-258	
श्री ए. के. राय	258-261	
श्री नीरेन घोष	261-262	
श्री जार्ज फर्नान्डीस	262-264	
श्री आर. के. महालगी	264-265	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	265-269	
श्री हरिकेश बहादुर	269-270	
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	270-275	
श्री रशीद मसूद	275-276	
श्री पीयूष तिरकी	277	

विषय		पृष्ठ
	श्रीमती गीता मुखर्जी	277
	श्री सत्यनारायण जटिया	277-278
	श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	279
	श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	279-282
	श्री कमला मिश्र मधुकर	282
	श्री के. ए. राजन	282-283
	श्री अमर राय प्रधान	283
	श्री सुनील मैत्रा	283-284
आवश्यक सेवा अध्यादेश के बारे में विवरण :		293
	श्री जैल सिंह	293
नियम 377 के अधीन मामले :		294-297
(एक)	कानपुर इन्स्टीट्यूट आफ पेपर टेक्नालोजी के सरकारीकरण की मांग ।	
	श्री रशीद मसूद	294
(दो)	रुई का आयात बन्द करने की आवश्यकता	
	श्री दिग्विजय सिंह	294
(तीन)	दिल्ली में अस्पतालों की बिगड़ रही स्थिति	
	श्री राजेश पायलट	294-295
(चार)	पुरानी दिल्ली में, विशेष रूप से नई सड़क क्षेत्र में, पीने के पानी की सप्लाई में वृद्धि की आवश्यकता	
	श्री भीखू राम जैन	295
(पांच)	तमिलनाडु में वेदारण्यम तट पर शवों के पाये जाने की जांच कराने की आवश्यकता	
	श्री ईरा मोहन	295-296
(छः)	बम्बई में कैमिस्टों द्वारा कतिपय प्रमुख औषधि निर्माता कम्पनियों की दवाइयों की बिक्री का प्रस्तावित बहिष्कार	
	श्री आर. के. महालगी	296
(सात)	गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ के कार्यकरण की जांच	
	श्री चन्द्रपाल शैलानी	297

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981-82 :		298-319
श्री गिरधारी लाल व्यास	298-299	
बेगम आबिदा अहमद	299-302	
श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	303-304	
श्री ए. के. राय	304-312	
श्री भीम सिंह	312-313	
श्री आर. वेंकटरामन	313-319	
विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1981—पुर:स्थापित		
विचार करने का प्रस्ताव		319-320
श्री आर. वेंकटरामन	319	
खंड 2, 3 और 1		
पारित करने का प्रस्ताव		
श्री आर. वेंकटरामन	320	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी	320	

लोक सभा

गुरुवार, 10 सितम्बर, 1981/19 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, लाला जगत नारायण की हत्या का मामला बहुत ही गम्भीर है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 388 के अन्तर्गत जो लाला जगत नारायण की निर्मम हत्या हुई है उसके बारे में दिया है ··

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में देख लेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : एक मिनट आप सुन लीजिए । देखिए, हमें भी मरवाना चाहते हैं क्या ? अगर गलत खबर छपेगी तो कल हम भी मारे जाएंगे । ·· (व्यवधान)···हमारी बात आप पूरी सुन लीजिए और फिर उस पर कोई निर्णय दीजिए । कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है सवालों के अन्दर ।

अध्यक्ष महोदय : वक्त से सुन लेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह आप देखिए, लाला जगत नारायण आजादी का जर्नेल, आपकी कांग्रेस का मिनिस्टर रहा, राज्य सभा का मेम्बर रहा और बड़ा भारी नेता 82 साल का आदमी अगर इस तरह गोली से मार दिया जायेगा ···(व्यवधान) ··

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सही है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप एक मिनट सुन तो लीजिए । बड़ा भारी लेखक···

अध्यक्ष महोदय : किसी हिसाब से करेंगे । कानून के हिसाब से करेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : तो आप मुझे बता दीजिए । देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जान से प्यारी होती हैं । अगर आपको गोली से मार देंगे जाते हुए तो क्या करिएगा ? ज्ञानी जैल सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए इस सवाल पर । किसकी जिन्दगी महफूज है ? अगर लाला जगत नारायण जैसे 82 साल के आदमी की जिन्दगी महफूज नहीं है तो किसकी महफूज है ? यह मौत कोई पैसे के बारे में नहीं हुई है, कोई चालचलन के बारे में नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल सही बात है । इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके ऊपर ठीक ढंग से विचार करेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप हमको बताइए किस ढंग से करेंगे ? एक लेखक है, लेख लिखता है, अखबार लेखक हैं (व्यवधान)···

आप कोई रूलिंग देते हैं, हम यहां पर बोलते हैं, हमको ही मार देगा कोई, आपको ही मार देगा कोई, आपको भी रूलिंग पर मार देंगे···(व्यवधान)···

श्री अटल विहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर ने पंजाब सरकार को लिखा कि पंजाब की पुलिस मदद नहीं कर रही है उनको गिरफ्तार करने में जिन्होंने निरंकारी बाबा को मारा था···(व्यवधान)···मैं मानता हूं कि आप कोई चर्चा करने का ढंग निकालिए हम क्वेश्चन अवर को इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह क्वेश्चन अवर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं···(व्यवधान) ··

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जितनी आपको चिंता है उससे अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं मेरे दिल में चिंता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं एक सबाल का जवाव आपसे चाहता हूं । ठीक है, चर्चा नहीं हो सकती लेकिन एक बात आप बताइएगा, जिस तरीके से जिन हालात में आपके करेन्सी नोट छप रहे हैं और लेख लिखने में मारे जा रहे हैं तो कल रूलिंग पर अध्यक्ष भी मारे जा सकते हैं, लोक सभा में हम में से कोई बोलेगा तो हमें भी मार दिया जायेगा । आज घर मंत्री जी यहां पर हैं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : वह वहीं गए हुए हैं, जलन्धर गए हुए हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आ जाएंगे वहां से ? राजी खुशी वापस पहुंच जाएंगे जलन्धर से ?

श्री राम सिंह यादव : उन्हें न बोलने दीजिये । इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं निहालसिंह वाला जी ?

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला : यदि आप मुझे अब या बाद में अनुमति दें, तो मैं इस निर्मम हत्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में देखेंगे । आपकी और उनकी एक ही बात है । हम इसे उचित रूप से देखेंगे । (व्यवधान)···

मैं आपसे सहमत हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : 388 में नहीं एलाऊ कर रहे हैं तो ऐडजर्नमेंट मोशन हमने दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, हरिकेश जी, सब कुछ देखेंगे, कोई तरीका निकालेंगे ।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी

*369. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मात्र कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों का अलग सेट नहीं होता । सभी सामान्य सेवारत माल डिब्बे कोयले के लदान के लिए उपलब्ध रहते हैं और उन्हें कोयला खानों की आवश्यकताओं के अनुसार सप्लाई किया जा रहा है । इस समय, केवल झरिया क्षेत्र में ही माल डिब्बों की सप्लाई कुछ कम हो रही है और उस क्षेत्र में माल यातायात की ढुलाई में सुधार करके इसकी पूर्ति करने के लिए पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री वीरभद्र सिंह : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि केवल झरिया क्षेत्र में ही माल डिब्बों की सप्लाई में कुछ कमी है । क्या मैं जान सकता हूं कि देश में लघु उद्योग क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र को कितना कोयला चाहिये और उनकी मांग को कहां तक पूरा किया जा रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि चूंकि इन क्षेत्रों को निम्न प्राथमिकता दिये जाने के कारण उन्हें कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कोयला खुले बाजार से अत्यधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ रहा है ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक झरिया को माल डिब्बों की सप्लाई में कमी का सम्बन्ध है, लगभग 300 माल डिब्बों की कमी है । जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकने की स्थिति में हैं । जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है यह सच है कि उनको मांग के अनुसार पत्थर का कोयला नहीं मिल रहा है । कागज, रसायन, कांच उद्योग जैसे छोटे उद्योगों तथा रेलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग पत्थर के कोयले के 3500 से 3800 माल डिब्बों की आवश्यकता है । दुर्भाग्य से आज स्थिति यह है कि हम केवल 1800 से 2,000 माल डिब्बे पत्थर का कोयला उठा पा रहे हैं, इसीलिए कमी है । जितना पत्थर का कोयला उपलब्ध होता है उसकी पूरी-पूरी ढुलाई की जा रही है और हमने छोटे दर्जे के उद्योगों को चालू रखने के लिए रेलों द्वारा खपत में स्वत: कमी कर दी है ।

श्री वीरभद्र सिंह : रेल विभाग ने रेकों द्वारा ढुलाई व्यवस्था आरम्भ की है जिससे माल डिब्बों का प्रयोग निस्सन्देह अधिक अच्छी तरह से होने लगा है । किंतु क्या रेल विभाग ने एक समय पर एक रेक से कम कोयला लेने वाले लोगों की कठिनाइयों पर भी विचार किया है ? क्या रेल मंत्रालय को पता है कि छोटे दर्जे के उपभोक्ताओं को, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, इस

कारण बहुत असुविधा होती है ? क्या रेलवे उन छोटे उपभोक्ताओं की, जिनको आवश्यकता एक समय पर एक रेक से कम होती है, आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही साथ माल डिब्बों का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

श्री मल्लिकार्जुन : थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कोयले की ढुलाई करना कुछ कठिन ही होता है। फिर भी रेल विभाग, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों को पत्थर के और अन्य कोयले के परिवहन का सदा पूरा-पूरा ध्यान रखता है।

श्री संतोष देव मोहन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मारगरेटा में कोयला खान प्राधिकरण कछार में चाय उद्योग के लिए कोयले की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है ? उनकी शिकायत दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : कछार में चाय उद्योग को होने वाली कठिनाई के बारे में इस समय मेरे पास सही जानकारी नहीं है।

श्री नीरेन घोष : यह सच है कि रेल विभाग में माल डिब्बों, चलस्टाक, सवारी डिब्बों और अन्य सभी चीजों की सप्लाई के मामले में पूर्ण अव्यवस्था है। पिछले दस वर्षों से माल डिब्बे खरीदने के कोई क्रयादेश नहीं दिये गये हैं। कोयला विभाग ने बार-बार कहा है कि चूंकि उन्हें पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे नहीं मिल पाते हैं इसलिए वे अपेक्षित मात्रा में कोयले का लदान नहीं कर पाते हैं। बिजली के कारखानों की भी यही शिकायत है। कच्चे माल की सप्लाई के अभाव में विनिर्माता अब भी माल डिब्बों का विनिर्माण नहीं कर सकते हैं। क्या यह सच है और क्या आप भी इस मामले की ओर ध्यान देंगे या नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल गलत है। आज भी देश में बिजली घरों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। उदाहरण के लिये इन्द्रप्रस्थ के पास 16 दिन का, बदरपुर के पास 7 दिन का, भटिंडा के पास 4 दिन का और गुजरात में उकाई के पास 14 दिन का स्टाक उपलब्ध है। अतः सभी बिजली घरों के पास 14 से 20 दिन तक का स्टाक उपलब्ध है। जहां तक माल डिब्बे खरीदने का सम्बन्ध है, हम सभा को बता चुके हैं कि हम वर्तमान योजना-अवधि में एक लाख माल डिब्बे खरीदने जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने कोयले के अभाव में कोयले से चलने वाली सारी गाड़ियां बन्द कर रखी हैं। जब तक रेल मंत्रालय इन गाड़ियों के लिये कोयला सप्लाई नहीं कर सकता, वह दूसरों को क्या सप्लाई करेगा ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : माननीय सदस्य का सवाल कि ट्रेन बन्द हैं, हम कहीं-कहीं ट्रेन कैन्सिल करते हैं, उसका कारण यह है कि स्टीम-कोल की कमी हमारे पास है। जितने स्टीम-लोको मोटिव्ज चलते हैं, वे कोयले से चलते हैं, न कि स्लैक कोल से चलते हैं। स्टीम-कोल की जो निक्वायरमेंट है, वह साढ़े तीन हजार वैगन पर-डे है, लेकिन हमको उतना कोयला नहीं मिलता है। साइन्स के पिट-हैड पर काफी कोयला है, लेकिन हमको चाहिए रेल-हैड पर, उसमें हमको स्टीम-कोल दो हजार वैगन से अधिक नहीं मिल पाता है। 3500 वैगन प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट

है, जिसमें इन्डस्ट्रीज भी है और स्टीम लोको-मोटिव्ज भी चलाने हैं। हमारी रेलवे की रिक्वायरमेंट 1750 वैगन पर-डे है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : राजस्थान में आप ट्रेन क्यों कैन्सिल करते हैं ?

श्री केदार पांडे : राजस्थान के बारे में मैं अलग नहीं बताऊंगा। ट्रेन कैन्सिल करनी पड़ती है, ड्यू टू लैक आफ स्टीम कोल।

कसौली (हिमाचल प्रदेश) में रेबीज निरोधक टीके की फैक्टरी में आग

*371. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कसौली छावनी में रेबीज-निरोधक टीके बनाने वाली फैक्टरी में दो वर्ष पहले लगी आग से कितना नुकसान हुआ था और इस संबंध में पाए गए दोषी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) वहां कितनी मात्रा में टीकों का उत्पादन होता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दो वर्ष पहले के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कोई आग नहीं लगी थी। अलबत्ता इस संस्थान के भण्डार वाले भवन में जून, 1980 में आग लगी थी। लगभग 12,28,400 रुपये (बारह लाख, अट्ठाईस हजार और चार सौ रुपये) की हानि हुई बताई गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कहा है कि यह आग अचानक ही लगी प्रतीत होती हैं।

(ख) 1980-81 के दौरान 44.30 लाख मि० लि० रेबीज-रोधी वैक्सीन का उत्पादन हुआ था।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह स्टोर में आग लगी और अनुसंधान संस्थान में नहीं लगी है। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि 12,28,400 रु० की हानि हुई बताई गई है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोई एजेन्सी है, जिसने इसके बारे में इन्क्वायरी की है ? क्या पुलिस ने इन्क्वायरी की है या किसी सैक्टर के अधिकारी ने इसकी इन्क्वायरी की है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : वास्तव में, मैं पहले ही अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूं कि पुलिस ने इस मामले में जांच की है। उन्होंने अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है। उनके अनुसार यह आग अचानक ही लगी प्रतीत होती है। इसके अलावा एक विभागीय जांच भी की गई थी और उन्होंने भी अपने निष्कर्ष दे दिये हैं।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कौन सा पुलिस अधिकारी है ? एस० एच० ओ०, डी० एस० पी० या एस० पी० कौन है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : पुलिस का पूरा प्रतिवेदन मेरे पास है। परन्तु यह बहुत बड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बाद में दे देना।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षा-विदों की तदर्थ नियुक्ति

*372. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षा-विदों की संख्या क्या है, जो शुरू में तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए थे और बाद में विश्वविद्यालय में उन्हें नियमित कर दिया गया;

(ख) क्या लोगों को तदर्थ आधार पर नियुक्त करके उन्हें नियमित करने की सरकार की नीति है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में किसी संसद सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही करनी शुरू की है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्तियों को रोकने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक अस्थाई/तदर्थ आधार पर कुल 87 संकाय नियुक्तियां की गई हैं जिनमें से 46 कार्मियों को बाद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था।

अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तरह जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संगठन है और इसके कार्य, संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं जो निर्धारित पद्धति के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद द्वारा तैयार, संशोधित तथा निरस्त किये जाते हैं, और इसलिये विश्वविद्यालय में लोगों को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने और फिर उन्हें नियमित करने से संबंधित सरकार की किसी नीति का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार, सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में तदर्थ-नियुक्तियों को रोकने का भी प्रश्न नहीं उठता। तथापि यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद ने जुलाई/अगस्त, 1978 में इस संबंध में

एक निर्णय लिया था कि जहां तक संभव हो, तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं जब तक कि संबंधित अध्ययन केन्द्र के विचार में ऐसी नियुक्ति के लिए जरूरी कारण अथवा कार्य की आवश्यकता न हो। सामान्यतया ऐसी तदर्थ नियुक्तियों की अवधि दो सेमेस्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संकल्प के अनुसरण में, शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा अध्यापन कार्यक्रमों में अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से सामान्यतया अधिकतम दो सेमेस्टरों के लिए ही तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं।

विश्वविद्यालय में की गई तदर्थ नियुक्तियों के बारे में एक संसद सदस्य से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण की तीसरी पंक्ति में लिखा हुआ है—"कुल 87 संकाय नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई हैं, जिनमें से 46 कार्मियों को बाद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था" कुल नियुक्तियां विश्वविद्यालय में 300 हैं, 87 तदर्थ आधार पर की गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि 29 प्रतिशत नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की जाती हैं, जबकि विश्वविद्यालय के कार्य-परिषद् का संकल्प है कि जहां तक संभव हो तदर्थ आधार पर नियुक्तियां न की जायें। यहां पर मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 46 कार्मिकों की बाद में नियमित आधार पर नियुक्ति की गई है, जब कि इसी तरह के एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरे सदन में बताया गया है कि केवल तदर्थ नियुक्तियों में 40 नियुक्तियां नियमित की गई हैं। इस सदन में जो सूचना दी गई है और दूसरे सदन में जो सूचना दी गई है, दोनों भिन्न हैं, पता नहीं दोनों सदनों के बाहर क्या सूचना होगी—यह मंत्री महोदया बतलायेंगी ?

इसी सन्दर्भ में, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या सरकार को पता है कि लाइफ-सायंस के डीन की नियुक्ति स्टेचूट के 28वें नियम का दुरुपयोग करके की गई है, जिन्होंने अपनी पत्नि को भी कहीं कुछ प्रकाशित किये बिना एडहाक-फैलो नियुक्त कर लिया है तथा सैन्टर फार एफ्रो-एशियन लैंग्वेज में बिना उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के उजवेक भाषा पढ़ाने के लिए एक विदेशी कर्मशियल पेन्टर को नियुक्त किया गया है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है है ?

श्रीमती शीला कौल : आपके सवाल को मैं जितना समझ पाई हूं—आप किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं। क्या ऐसा ही है ?

श्री अजित कुमार मेहता : मैंने कहा है कि ऐसी नियुक्तियां बहुत हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इन्होंने उदाहरणार्थ दिया है – क्या यह सही है ?

श्रीमती शीला कौल : जहां तक एडाहक एप्वाइन्टमेन्ट्स का ताल्लुक है—इसमें जो 88 बतलाई गयी हैं— ये तब से हैं जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। इस वक्त हमारे पास जो फिगर्स हैं, उनमें हमें बताया गया है कि कुल 6 हैं और इन 6 के लिए भी यह कोशिश की जा रही है कि

इस एकेडेमिक ईयर में जनवरी तक इन सारी एडहाक एप्वाइन्टमेन्ट्स को हटा कर कायदे से नियुक्ति की जाए—जैसा कि उनके यहां रूल है।

आपको यह पता है कि युनीवर्सिटीज आटोनामस बाडीज होती है और सरकार का इनमें दखल नहीं होता है और हम इनमें दखल देना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमने ही इनको आटोनामी दी है। जो कुछ भी वे करते हैं उसमें उन्हीं की जिम्मेदारी होती है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : इसमें मेरे प्रश्न का जवाव नहीं आया। मैंने पूछा था—सैन्टर फार एफ्रो-एशियन लैंग्वेजेज में उजवेक पढ़ाने के लिए बिना शैक्षणिक योग्यता के नियुक्त किया गया है या नहीं, इस वारे में आपका जबाव नहीं आया ?

श्रीमती शीला कौल : इसके बारे में जानकारी लेकर आपको दूंगी।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि—इस विश्वविद्यालय के 10 वर्षों के कार्यकाल का मूल्यांकन करने के लिए झा समिति का गठन हुआ था। उस पर 2 लाख रुपये खर्च करने के वाद उस समिति ने 15 महीनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके उपसंहार में लिखा है :—

"स्थिति को सुधारने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा कठोर निर्णय लेना आवश्यक है।"

मान्यवर, 161 संसद सदस्यों ने विश्वविद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था की जांच के लिए विजिटर से एन्क्वायरी की मांग की थी, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती शीला कौल : आपने सही फरमाया है कि यूनिवर्सिटी ने झा कमेटी एप्वाइन्ट की थी। उसने कुछ कार्यवाही की, कुछ मिटिंग्ज कीं, उसकी रिपोर्ट एक साल में आनी चाहिए थी लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे थे उन्होंने यह महसूस किया कि उस वक्त यूनीवर्सिटी में जो हालत थी उससे यह मुमकिन नहीं हो रहा था कि वह कोई कायदे से मीटिंग वगैरह कर सकें। वह जब मीटिंग के लिए बैठे थे तो बहुत इन्टरफीअरेंस होता था। तो महसूस यह किया गया कि कायदे से जैसा काम होना चाहिए बगैर उसके कमेटी, जो एक फैसला कर सकती थी, वह किसी फैसले पर नहीं आ सकती थी और यह भी कहा कि इसमें 4-5 साल चाहिए। तो 4-5 साल एक बहुत लम्बी अवधि होती है किसी इन्क्वारी के लिए। ··(व्यवधान)···अब यूनिवर्सिटी वालों ने यह महसूस किया, हम क्या करें। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, जरा उसकी रिपीट कर दीजिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 161 संसद सदस्यों ने एक विजिटर इंक्वायरी की मांग की थी, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती शीला कौल : सरकार यह करने जा रही है और सरकार ने यह कर दिया है कि वहां पर वाइस चान्सलर को नियुक्त कर दिया है। नायुडम्मा साहब को नियुक्त कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए ताकि वहां का जो एटमोस्फेयर है, उसको कायदे पर ला सकूं और मैं काम कर सकूं। तो एक बड़ी भारी बात यह हुई है और दूसरी बात यह है कि हमारे रशीद साहब ने एक मांग की थी और उन्होंने अलग से लिख कर दिया था, उसके

बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो कुछ भी उनकी बातें हैं, सरकार उनको एग्जामिन करा रही है और उसके बाद हम बता सकेंगे ।

श्री रशीद मसूद : आटोनामी के नाम पर जो यूनिवर्सिटीज के अन्दर घपलेबाज़ी और धांधलेबाजी है, उसको एलाऊ किया जाता है, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है क्योंकि एक्ट के अन्दर यह प्रोवाइडेड है कि विजिटोरियल इंक्वायरी न कराना एक बड़े ताज्जुब की बात है, जिससे सारा एकेडेमिक माहौल खराब हो रहा है पूरी यूनिवर्सिटी का और पूरे नेशन का नुकसान हो रहा है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि क्या आपको यह इल्म है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी के मिनट्स को चेन्ज कर दिया गया एक रटिस्ट्रार को कन्फर्म करने के लिए और इस सिलसिले में मैंने प्रेसीडेंट साहब को लिखा है और मिनिस्टर साहब को भी लिखा है । क्या इस सिलसिले में आप कोई एक्शन ले रही हैं । यह बड़ा सीरियस मामला है । एक्जीक्यूटिव कमेटी के मिनट्स को चेन्ज कर दिया गया है और दो प्रोफेसरों ने, जो उस कमेटी में मौजूद थे, इस सिलसिले में खत लिखा है कि मिनट्स को चेन्ज किया गया है और उसकी फोटोस्टेट कापी मैंने भेजी है । अगर हर चीज में आप आटोनामी लाएंगीं, तो कैसे काम चलेगा । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा तरीका है जिससे एजूकेशलन इंस्टीट्यूशन्स में इस घपलेबाजी को आप रोक सकती हैं ?

श्रीमती शीला कौल : आनरेबिल मेम्बर से मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर हम इस चीज को मद्देनजर न रखें कि यूनिवर्सिटी में आटोनामी है, तो वहीं के लोग कहते हैं कि सरकार जो है, वह हमारे मामले में दखल दे रही है । अब आप ही फैसला कर दीजिए कि हम क्या करें ।

श्री रशीद मसूद : हर चीज में आप आटोनामी की बात करेंगीं, तो आटोनामस बाडीज तो बहुत सी हैं, फिर कैसे काम चल सकता है । मैंने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया है । एक्जीक्यूटिव कमेटी के मिनट्स को चेन्ज कर दिया और मैंने खत लिखे हैं और फोटोस्टेट कापी भी भेजी है । उस सिलसिले में आप क्या कर रहीं हैं । हर चीज में आटोनामी वाली बात आ जाएगी, तो क्या आप किसी में भी दखल नहीं देंगी ?

श्रीमती शीला कौल : सब चीजों का एग्जामिन कराया जा रहा है । जब हो जायेगा, तो आपको इत्तिला दे दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हुआ है, तो उसकी जांच करवा लीजिए ।

श्री रशीद मसूद : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया जांच कराएंगी, यह एश्योरेंस दे दें ।

श्रीमती शीला कौल : इस बारे में जांच कराई जा रही है । जैसा होगा, वैसा बता देंगे ।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, अभी हाल में मैं भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहा हूं और विश्वविद्यालय में बहुत अधिक गड़बड़ी है । इसका एक कारण तो यह है कि इसमें भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का बोलबाला है और दूसरा कारण है भर्ती नीति । बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनमें प्रोफेसर ही नहीं है । मैं तदर्थ नियुक्तियों का समर्थन करता

हूं । मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि इस बात को देखते हुए कि वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं है और छात्रों की पढ़ाई खराब हो रही है, क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल है और क्या अर्हता प्राप्त शिक्षित व्यक्ति, जो वास्तव में इन नियुक्तियों के योग्य है, इतनी जटिल प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते और इसीलिए तदर्थ आधार पर नियुक्तियां करना जरूरी हो गया है···(व्यवधान) छात्रों को बड़ी हानि हो रही है और शिक्षक नहीं है। यह इसलिए नहीं है, क्योंकि ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क न कीजिए । शांति-शांति । उन्हें उत्तर देने दीजिए ।

श्रीमती शीला कौल : जैसा मैंने पहले कहा कि पहले एडहाक अपोइन्टमेंट होती थी। जब ऐसी राय आयी कि एडहाक अपोइंटमेंट का होना सही बात नहीं है तो यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि अब एडहाक अपोइंटमेंट नहीं की जाएगी । अब केवल तीन अपोइंटमेंट एडहाक हैं। अब एडहाक अपोइंटमेंट तभी होती है जबकि स्टोप गेप अरेंजमेंट करना होता है और उनको भी दो सेमेस्टर के लिए सही समझा जाता है । अब जो एडहाक अपोइंटमेंट की जाएंगी वे दो सेमेस्टर के लिए की जाएंगी ।

हावड़ा स्टेशन पर रेत्रवे वैगनों में से हथगोलों का गायब पाया जाना

+373. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा स्टेशन पर रेलवे वैगन में से रक्षा सेवाओं के 83 हथगोले गायब पाये गए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, देखिये ये मैं पार्लियामेंट की लाएब्रेरी की प्रैस कटिंग लाया हूं और अपने घर से भी लाया हू । इसमें 13-8-81 का पेपर नेशनल हेरल्ड हम पढ़ रहे हैं । टाइम्स आफ इण्डिया 9-8-81 और पायेनियर 11-8-81 का है । नेशनल हेरल्ड के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें कोई दो मत नहीं हैं । अब दो मत हो सकते हैं ।

माल डिब्बों से 83 हथगोले गायब पाये गये थे उसमें दिया है कि -

83 हथगोले जो गायब बताये जाते थे, मिल गये ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछो ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, ये नहीं पढ़े हैं इसलिए मैं इनकी जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी समझता हूं। अगर ये पढ़े होते तो, जबकि इसमें लिखा है कि जांच हो रही है, यह नहीं कहते कि नो सर, क्वेश्चन डज नाट अराइज।

अध्यक्ष महोदय : इसको छोड़ो और सवाल करो।

श्री राम विलास पासवान : सवाल करने से पहले मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस अखबार का हमने उल्लेख किया है, जिस डेट का उल्लेख किया है क्या उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान गया है या नहीं ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, हम भी सुबह न्यूज पेपर पढ़ते हैं जैसे कि माननीय सदस्य पढ़ते हैं। लेकिन सरकार का वास्ता न्यूज पेपर के आधार पर चलाने का नहीं है। 11-8-81 को हावड़ा स्टेशन पर बोगी नं० सी० आर० 54857 में 110 पारसल नागपुर से आये थे। जिसके अन्दर सात वुडन वाक्स भी थे जिसमें से एक वुडन वाक्स टूट गया था। तुरन्त हमारे आर० पी० एफ० के पार्सल स्टाफ और हमारी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने इन्वेन्ट्री की और सेक्शन 461, 379 अण्डर कम्प्लेंट लिखाई। उसके बाद कार्यवाही चली। जब मिनिट्री वालों से पता लगाया गया तो मालूम हुआ, मैं थोड़ा माननीय सदस्य को समझाना चाहता हूं, कि इन लकड़ी के बाक्सिज में 9 कारवोर्ड के कारटंस थे। चार में 20-20 ग्रेनेड्स निकले और एक में से 17 निकले इस तरह से 97 हुए। चार कार्डबोर्ड कार्टन में कुछ था ही नहीं, लेकिन इसका प्रचार कर दिया गया। जब डिफेंस से पता लगाया तो उन्होंने कहा कि 97 ग्रेनेट्स बाक्स में थे, खाली कार्टन इसलिए रखे थे, ताकि पैकिंग इंटेक्ट रहे।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ कुछ समझे आप ?

श्री राम विलास पासवान : कुछ नहीं समझे।

अध्यक्ष महोदय : जो बात आपने कही वह भी ठीक है और जो बात ये कह रहे हैं वह भी ठीक है, इसलिए इस प्रकार की बातों पर ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं होता।

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने जो उत्तर दिया है वह ठीक हो सकता है, लेकिन जवाब में जो बात बताई गई थी वह गलत थी। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। जब रेलवे से फौजी सामान ही गायब हो सकता है, जैसा कि पहले पटना और दानापुर में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो फिर बाकी की सुरक्षा कैसे हो सकती है ? रेलवे से पूरी की पूरी सीमेंट की बोगी गायब हो जाती है, 50 लाख रुपए का गेहूं गायब हो जाता है। ये सब ट्रेन में असुरक्षा से संबंधित मामले हैं और मैं चाहता हूं कि पाण्डे जी इस पर गंभीरता से विचार करें। कोयले की चोरी जो असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है, उसको तो आप छोड़ दीजिए, आपके ही विभाग के कर्मचारी जो रेलवे का कोयला उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ट्रेन एक्सीडेंट की बात तो छोड़ दीजिए, आज लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, रेलों में असुरक्षा की भावना महसूस की जा रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो रोजाना रेलों में लूट मार की घटनाएं हो रही हैं,

इनको रोकने के लिए वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। कहते तो वे हजारों बार रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है।

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : ये सारे प्रश्न इस सवाल से संबंधित नहीं हैं। आपका जो प्रश्न था उसके संबंध में जानकारी दे दी गई है कि एक भी सामान गायब नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है।

श्री राम विलास पासवान : आपने अखबार में छपी खबर का खण्डन क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री केदार पाण्डे : लोकसभा में जब खुलासा हो गया है तो और आप क्या चाहते हैं ?

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला : मैं जानना चाहता हूं कि रेलों में कुप्रशासन और भ्रष्टाचार को देखते हुए क्या उन्होंने पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा है कि यदि पंजाब में कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोयले की रेक लाये तो उन्हें "सूचना दी जाये"।

श्री केदार पाण्डे : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री जी० एस० निहालसिंह वाला : पंजाब सरकार को ऐसा पत्र मिला है और मैं उसकी प्रति प्रस्तुत करता हूं।

जम्बो रेकों में इस्पात की ढुलाई

*374. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिचालन सुविधा के लिए बड़े आकार के जम्बो रेकों में इस्पात की ढुलाई के बारे में रेलवे विभाग के आग्रह से प्राथमिकता मांगने वाले उद्योगों जैसे रक्षा उत्पादन, बिजली परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और भारी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का समाचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग से यह निर्णय बदलने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग यह निर्णय बदलने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। इस्पात की ढुलाई जम्बो रेकों में नहीं की जाती।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : जम्बो रेक इस्तेमाल करने का प्रयोग हमारे देश में छोटे पैमाने पर 1979 में इस बात को ध्यान में रखकर आरम्भ किया गया था कि इस्पात, अनाज, कोयला, सीमेंट आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई तेजी से की जा सके। इस बात को

देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि रेल प्रशासन ने ऐसा करना क्यों बन्द कर दिया है और इसके क्या कारण हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : जब ऐसा किया ही नहीं गया तो इसे बन्द करने की परिस्थितियां कहां से आईं ? इस्पात की ढुलाई समेकित इस्पात संयंत्र से दो प्रकार के डिब्बों में की जाती है— एक खुले डिब्बों में और दूसरे बी० एफ० आर० डिब्बों में । जम्बो रेक बन्द डिब्बे होते हैं अतः इस्पात इस प्रकार के डिब्बों में नहीं भेजा जाता । बड़े डिब्बों के यातायात को तेज करने के फलस्वरूप हम अधिक माल की ढुलाई करने के काबिल हो गये हैं जोकि इस समय 1.8 करोड़ टन प्रति मास तक पहुंच गया है । यह ढुलाई में हुई प्रगति का अच्छा लक्षण है ।

श्री एस० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसाकि आप जानते हैं हमारे देश में लघु उद्योगों को समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण भारी हानि उठानी पड़ रही है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने लघु उद्योगों को बचाने के लिए कच्चे माल की ढुलाई तेज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : लघु उद्योग के उचित कार्यकरण और उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है । किस उद्योग को किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता है यह उस उद्योग विशेष पर निर्भर है और सरकार को इसकी पूरी चिंता है और वह लघु उद्योगों को पूरा प्रोत्साहन और सहायता दे रही है । जिन लघु उद्योगों को कच्चे माल की जावश्यकता होती है अथवा जिनका तैयार माल अन्यत्र पहुंचाना होता है उनके बारे में सरकार को जानकारी है और सरकार इन पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है ।

श्री जमीलुर्रहमान : क्या यह सही है कि 18000 वैगंज सिक वैगंज हैं ? अगर यह सही है तो क्या यह भी सही है कि उनको ठीक करके जम्बू रेक्स में कोल फील्ड्ज से ज्यादा कोयला ढोने के बजाए दूसरी तरफ लगाया जा रहा है ?

श्री मल्लिकार्जुन : 18000 सिक वैगजे हैं यह गलत है । सिक वैगंज चालीस हजार हैं । उनमें से अभी तक तकरीबन बारह हजार सेंग्रेगेट कर दी गई हैं । नूतन प्रणाली यह है कि इन सिक वैगंज को तुरन्त निकाल दें और उसकी जगह हैल्दी वैगंज को कोल तथा दूसरी चीजों की ढुलाई के लिए काम में लाएं ।

श्री सुनील मैत्रा : रेलों द्वारा अच्छे परिणाम दिखाने की जल्दी के कारण और, जैसाकि रेल मंत्री ने कहा, रेलों के 'भाड़ा प्रधान' बन जाने के कारण क्या यह सच है कि क्या हाल ही में रेलों को माल डिब्बों में 5 टन तक क्षमता से अधिक माल भरने की अनुमति दी गई है । जबकि 2 मास के तश्चात यह अनुदेश दिया गया है कि केवल 2 टन माल ही क्षमता से अधिक भरा जाये ? यदि हां, तो पहला अनुदेश देने के क्या कारण हैं और दूसरा अनुदेश देने के क्या कारण हैं ? इस प्रकार अधिक माल की ढुलाई का रेल मार्गों पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह तो सीधी सी बात है और ढुलाई का काम तेज करने के लिए अधिक माल भरने का काम सदैव होता रहा है । जहां तक इसमें कमी करने का संबंध है, यह

बात स्वविवेक पर निर्भर करती है कि ऐसा कब और क्यों किया जाये। जहां तक रेल मार्गों का संबंध है, वह ठीक-ठाक हैं। हमारे सभी संबंधित कर्मचारी रेल-मार्गों की जांच करते रहते हैं और उसमें ठीक-ठाक पाये जाने पर ही अधिक माल लाने-ले-जाने की अनुमति दी जाती है चाहे वह 2 टन अधिक हो, 6 टन अधिक हो, 5 टन अधिक हो या 4 टन अधिक हो। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

भारतीय रेड क्रास सोसायटी में गबन के बारे में पिम्पुटकर समिति की रिपोर्ट

*377. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने 25 जून, 1981 को दुबई में यू० एन० आई० के संवाददाता को बताया कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी में कथित गबन के मामले में श्री पिम्पुटकर द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सोसायटी के प्रबन्धक मंडल द्वारा अस्वीकार कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट को किन आधारों पर अस्वीकार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने, भारतीय रेड क्रास सोसायटी के प्रबन्ध निकाय के अध्यक्ष की हैसियत से, एक संवाददाता को उत्तर देते हुए कहा था कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी के प्रबन्ध निकाय ने, उक्त सोसायटी के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के संबंध में श्री एम० जी० पिम्पुटकर की टिप्पणियों पर विचार किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये आरोप निराधार हैं। चूंकि यह मामला एक सांविधिक स्वायत्त सोसायटी से संबंधित है, अतः सोसायटी का प्रबन्ध निकाय इस मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा है :

"चूंकि यह मामला एक सांविधिक स्यायत्त सोसायटी से सम्बन्धित है, अतः सोसायटी का प्रबन्ध निकाय इस मामले पर विचार करने के लिये सक्षम हैं।"

मैं नहीं समझता कि स्वायत्तता का अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में भी स्वायत्तता हो। अन्यथा, राष्ट्रपति द्वारा कदाचार और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये सतर्कता निकायों की नियुक्ति ही निरर्थक है। क्या यह सच है कि मई, 1978 के शुरू में एक प्रथम दृष्ट्या मामले के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय सकर्कता आयुक्त, श्री पिम्पुटकर से अनुरोध किया था कि वे मामले पर गहराई से विचार करके पता लगायें कि यह कदाचार और भ्रष्टाचार के इस आरोप का क्या कोई आधार था कि बंगला देश के शरणार्थियों की राहत के लिये जुटाया गया सामान काले बाजार में बेचा गया था और यदि हां, तो वर्तमान सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है ?

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य स्वायत्तता और भ्रष्टाचार के किस सम्बन्ध की कल्पना कर रहे हैं ··

अध्यक्ष महोदय : यह मत कहिये कि वे दोनों ही समानार्थक हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : भ्रष्टाचार के बारे में उनके अपने ही विचार होंगे। किंतु उन्हें इसी स्वायत्तता का उल्लेख करना चाहिये था जिसकी परिकल्पना भारतीय रेड क्रास सोसायटी के अधिनियम में की गई है। मैं तो स्वायत्तता की बात इस अधिनियम के उपबन्धों के सन्दर्भ में ही करता हूं और भारतीय रेड क्रास सोसायटी इन्हीं उपबन्धों और अनेक अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार ही काम कर रही है। इन उपबन्धों के अधीन यह सोसायटी अपने कार्य संचालन सम्बन्धी किसी भी मामले पर विचार करने के लिये सक्षम है।

जहां तक तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई के श्री पिम्पुटकर से किये अनुरोध का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि श्री पिम्पुटकर किस हैसियत से इसके मामलों की जांच कर रहे हैं क्योंकि न तो श्री पिम्पुटकर को सतर्कता आयोग का चीफ नियुक्त किया गया और न ही उन्होंने भारतीय रेड क्रास सोसायटी के संकल्प को स्वीकार किया था। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि यदि श्री पिम्पुटकर ने कोई जांच की है तो इसका कोई कानूनी आधार है भी या नहीं ?

प्रो मधु दण्डवते : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि मई, 1978 में जब तत्कालीन प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से इस मामले की जांच कराने के लिये कहा था तो क्या वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि दूसरे देशों से बंगला देश के शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के लिये हमारे देश में सामान भेजा गया था ? मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह सारा सामान जरूरतमन्द शरणार्थियों के देने के बजाय बम्बई में काले बाजार में बेचा गया था। यह खबर 'ब्लिक' नामक एक स्विस समाचार-पत्र में छपी थी। यह खबर भारतीय रेड क्रास के महासचिव के पास भी भेजी गयी थी। जब विश्व भर में किसी बात का प्रचार हो जाता है और जब प्रधान मंत्री मामले की जांच कराना आवश्यक समझते हैं ताकि भारत की छवि न बिगड़े तो क्या ऐसी तकनीकी बात उठाकर आप आयोग की सिफारिशों और निष्कर्षों की अवहेलना कर सकते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : ये लोग भारतीय रेड क्रास सोसायटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस सोसायटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यदि कोई कमियां हैं तो भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने उस पर विचार करके जांच की है और प्रबन्ध निकाय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये आरोप निराधार हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि जहां तक रेड क्रास आंदोलन का सम्बन्ध है, रेड क्रास की एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति है और भारतीय रेड क्रास सोसायटी में एशिया के डेलीगेट-जनरल ने सोसायटी को लिखा है और अब इन रिपोर्टों को ब्लैकमेल के तरीके कहना अत्याधिक आपत्तिजनक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : कोई भी करे, यह तो भारतीय रेड क्रास सोसायटी को ब्लैकमेल करना है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भी उनके विरुद्ध ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता हूं परन्तु ऐसी भाषा एक मंत्री को शोभा नहीं देती । यह बहुत आपत्तिजनक है और दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय निकाय और उसके पदाधिकारियों ने ही यह बातें नहीं बताई हैं बल्कि लोक सभा में भी इस पर बहस हुई है और भारतीय रेड क्रास सोसायटी की एक कार्यकर्त्ता श्रीमती लैला फर्नान्डीस ने भी यह मामला उठाया है । मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने उसे भी ब्लैकमेल का तरीका कहा है । सर्वप्रथम, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

अब मैं दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर आता हूं । दो आरोप लगाये गये थे और मैं माननीय मंत्री का ध्यान उनके बारे में निष्कर्षों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि पिम्पुटकर आयोग के इन निष्कर्षों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है । पहला आरोप तो यह था कि सभी राहत सामग्री का हिसाब नहीं रखा गया जिसकी वजह से बहुत सा सामान खुले बाजार में बेच दिया गया । श्री पिम्पुरकर की राय है :

> "सभी साक्ष्य का कुल प्रभाव यह है कि हिसाब सही ढंग से नहीं रखा गया और इस बारे में शायद जानबूझकर लापरवाही बर्ती गई । इसमें संदेह नजर नहीं आता कि काफी मात्रा में राहत सामग्री को या तो चुरा लिया गया या उसका दुर्विनियोग किया गया या उसे बेच दिया गया । यह विश्वास भंग था ।"

उन्होंने आरोप संख्या 1 के बारे में यह कहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं—यह उसी प्रश्न का भाग है—क्या यह सही नहीं । दूसरा आरोप लीग अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय लीग को वस्तुएं सौंपे जाने के बारे में है । मई, 1972 में किया गया सौदा वास्तविक सौदा नहीं था । यह तो कागजी सौदा था ताकि लेखों में गड़बड़ियों पर पर्दा डाला जा सके । इसके अतिरिक्त बंगलादेश के लिए कुछ सामग्री को भी रोका गया । और निष्कर्ष यह था :—

> "अतः मार्ग दर्शन के लिए सही खाता न होने और उन्हीं कर्मचारियों के नियंत्रणाधीन 'जैसा जहां है' के आधार पर वस्तुओं के अन्तरण को उचित रूप से कागजी सौदा ही कहा जा सकता है । इस आरोप का आधार है ।"

श्री पिम्पुटकर के इन निष्कर्षों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं पुनः कहूंगा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा किसी जांच आयोग की नियुक्ति नहीं की गई थी । श्री पिम्पुटकर ने कभी भी आयोग के रूप में कार्य नहीं किया ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पिम्पुटकर आयोग कहा है ।

श्री बी० शंकरानन्द : आपने जांच आयोग कहा था ।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका पद केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का था । मैंने आपसे पूछा है कि

पिम्पुटकर के इन दो निष्कर्षों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : जांच आयोग के अनुसार विधिवत गठित आयोग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बता सकता हूं । मैं निजी व्यक्तियों द्वारा निजी रूप में की गई जांच के बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने एक व्यक्ति को अरोपों की जांच के लिए नियुक्त किया । सरकारी प्रतिवेदन उपलब्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ?

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार द्वारा उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था । उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं निजी हैसियत से काम कर रहा हूं ।

प्रो मधु दण्डवते : यह प्रतिवेदन है । उन्हें भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने नियुक्त किया था । यह सब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिकार्ड नहीं देखा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मंत्री जी को संरक्षण न दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर रहा । मैं तो बात कह रहा हूं । उन्होंने कहा है कि स्वयं श्री पिम्पुटकर ने कहा है कि मैंने निजी तौर पर ऐसा किया है । यदि यह गलत है तो आप किसी अन्य नियम के अन्तर्गत सूचना दें । उन्होंने कहा है कि प्रतिवेदन निजी हैसियत में दिया है । उन्हें सरकार ने नियुक्त नहीं किया ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने उन्हें मामले की जांच करने के लिये कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उन्होंने खण्डन किया है । आप उसे चुनौती दे रहे हैं । आप नियम 115 के अधीन सूचना दें ।

प्रो मधु दण्डवते : आप अनावश्यक रूप से उन्हें संरक्षण क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं संरक्षण नहीं दे रहा । वह तो आपके समक्ष ही कह रहे थे । ऐसा रिकार्ड में है । मुझे कैसे पता चले ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने प्रतिवेदन का अच्छा अध्ययन किया है । पता नहीं वह भूल गये हैं । सरकार की प्रतिक्रिया बताने की बजाय वह तकनीकी शरण ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया । उन्होंने कहा कि स्वयं श्री पिम्पुटकर ने कहा है कि वह निजी हैसियत में ऐसा कर रहे हैं । मुझे कैसे मालूम हो ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह प्रधान मंत्री का व्यक्तिगत निर्णय है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं पुन: कहता हूं कि श्री पिम्पुटकर ने आयोग के रूप में मामले की जांच नहीं की । उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जांच की थी। उन्होंने कहा कि जांच के लिए इण्डियन रेड क्रास द्वारा पारित संकल्प को भी उन्होंने नहीं माना है। वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सरकार ने कोई अधिकार नहीं दिया था ।

प्रो० मधु दन्डवते : श्री मोरारजी देसाई ने उन्हें नियुक्त किया था···

अध्यक्ष महोदय : उनका कथन और आपका कथन दोनों रिकार्ड में हैं। मैं क्या कर सकता हूं ? आप भी उसी नियम के अधीन आते हैं। मैं पता लगाऊंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : आप मंत्री जी की ताड़ना करें ।

अध्यक्ष महदय : वह तो इस बात से इन्कार कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से मामले की जांच के लिए कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में देखिये । अब श्री हरिकेश बहादुर ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री पिम्पुटकर ने सरकार को प्रतिवेदन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा किस अधिकार से उन्होंने किया है। मैं इसका पता करूंगा। अब श्री हरिकेश बहादुर (व्यवधान) मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह जानते हुए भी कि स्वास्थ्य मंत्री सभा में पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं देते, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि रेड क्रास सोसाइटी पर इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और उन्हें सभा के ध्यान में लाया गया है तो क्या वह उनकी जांच करेंगे अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्हें उत्तर देने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : वे दोबारा उत्तर क्यों देंगे ? उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री के० लकप्पा : महोदय, 1978 में मैं भी लोक सभा का सदस्य था । जब श्री मोरारजी

देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार सत्ता में आई थी तब वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली प्रत्येक संस्थाओं को राजनैतिक रूप से बदनाम करना चाहते थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी निरुत्साहित करना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री के० लकप्पा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मोरारजी की सरकार ने ऐसी संस्था के कार्यकरण को इतना नुकसान पहुंचाया है। यदि हां, तो क्या यह सच है कि अपनी मर्जी के अनुसार एक गैर-जिम्मेदाराना जांच कराने का यह एक ज्वलन्त उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए, आप जवाब देना चाहते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, उन्होंने कतिपय टीका-टिप्पणी की है और क्या सदन में उन्हें दोहराया जाना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या यह सच है कि 1978 में जब भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के कार्यकरण पर गंभीर आरोप लगाए गए थे तब भारत के राष्ट्रपति ने, जो भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के अध्यक्ष थे, इसके विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। क्या प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री पिम्पुटकर से मई, 1978 में आरोपों की जांच करने के लिए कहा था। क्या यह सच नहीं है कि मई, 1978 में भारत के प्रधान मंत्री ने श्री पिम्पुटकर से इन आरोपों की जांच करने के लिये कहा था और क्या यह सच नहीं है कि उस तारीख को श्री पिम्पुटकर भारत के सतर्कता आयुक्त थे। यदि हां, तो क्या उनका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो गया है और उस पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, 1978 में प्रधान मंत्री को अधिनियम के अन्तर्गत ही कतिपय निर्देश दिये जाने चाहिए थे। मेरी जानकारी के अनुसार···

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरा प्रश्न यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं उनसे यह पूछ रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि 1978 में भारत के प्रधान मंत्री ने श्री पिम्पुटकर, जो उस समय केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त थे, से उन आरोपों की जांच करने को कहा था। मेरा सीधा सा यही प्रश्न है। इसमें कोई अधिनियम अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : यह भी कि क्या भारत के राष्ट्रपति ने इस कदाचार के कारण इस्तीफा दिया था। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को रेड क्रास सोसाइटी को निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रधान मंत्री कतिपय मामलों में किन्हीं व्यक्ति से जांच करवाना चाहते थे तो उन्हें कतिपय नियमों के अधीन निदेश जारी करने चाहिए थे और आयोग नियुक्त करना चाहिए था। यह सच है कि श्री मोरारजी ने इसकी जांच हेतु कोई आयोग नियुक्त नहीं किया था।

प्रो० मधु दंडवते : भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया था ? वे भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के कार्यकलापों से सम्बन्धित थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। (व्यवधान) आप उनको बोलने नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा।

श्री बी० शंकरानन्द : एक ऐसे मामले पर जिस पर प्रधान मंत्री ने अपनी ओर से काम किया है, सतर्कता आयुक्त ने भी अपनी ओर से काम किया है, सभा अपना समय बर्बाद कर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : भारत के राष्ट्रपति को भारतीय रेड क्रास सोसाइटी से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था ? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महोदय, उनसे उत्तर प्राप्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत निर्मित विदेशी शराब के एल्डीहाइड और फ्युसल आयल तत्व

*370. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ब्राण्डी व्हिस्की, रम और जिन ब्रांड वाली भारत निर्मित विदेशी शराब के "एल्डीहाइड" और "फ्युसल आयल" तत्वों के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि "एल्डीहाइड" और "फ्युसल आयल" पेय अल्कोहल में अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं तो ये मानव शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) यदि एल्डीहाइड और फ्युसल आयल की मात्रा भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो वे मानव शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का माध्यम

*375. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष अखिल भारतीय आधार पर एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उपरोक्त परीक्षा में प्रवेश के लिये सभी विश्वविद्यालयों के उम्मीदवारों को अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या प्रवेश परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी है और विभिन्न विश्वविद्यालयों से हिन्दी माध्यम के जरिए अर्हक-परीक्षा पास करने वाले ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं है और यदि हां तो क्या एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश देने के मामले में वस्तुतः यह प्रतिबन्ध नहीं हो जाता; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश देने के मामले में, शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखने वाले ऐसे उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी में ली जाती है । तथापि यह उन उम्मीदवारों के मामले में कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिन्होंने अपनी क्वालिफाइंग परीक्षाएं हिन्दी माध्यम से पास की हैं क्योंकि यह परीक्षा वस्तुपरक (आब्जेक्टिव) होती है और परीक्षार्थी को सही उत्तर हां, या नहीं को केवल चिह्नित करना होता है ।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर होने के नाते, इसमें वे उम्मीदवार भी प्रवेश लेने के पात्र हैं जिन्होंने अपनी अर्हक परीक्षाएं न केवल हिन्दी में वरन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी पास की हुई होती हैं ।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में कोरे इंगलिश विषय लेकर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश देना

*376. **श्री भींखा भाई** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें व्यवस्था की गई है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दसवीं पास छात्र कोरे इंगलिश विषय को लेते हुए प्रवेश पाने के हकदार हैं, चाहे उन्होंने दसवीं कक्षा में कोरे इंगलिश विषय पास न किया हो;

(ख) क्या ऐसे छात्रों को दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा स्कूलों सहित सभी स्कूलों में कोरे इंगलिश विषय लेते हुए ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश देने से मना किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्कूलों में उन्हें प्रवेश देने से मना किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल नं० 2, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में आयोग्यता के अनुसार चुने गए छात्रों को दाखिल करने के बाद, किसी एक विषय वर्ग विशिष्ट में स्थानों के उपलब्ध न होने के कारण एक कोर विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ कक्षा XI में दाखिले की मनाही कर दी गई थी ।

कुछ प्रौढ़ शिक्षा स्कूलों में ऐसे कुछ छात्रों को दाखिले की मनाही कर दी गई थी, जिन्होंने कक्षा XI में दाखिले के लिए न्यूनतम आवश्यकता अर्थात् सामाजिक विज्ञानों में 150 में से कम से कम 40 अंक के साथ माध्यमिक परीक्षा पास करने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था ।

नालन्दा में प्राचीन अवशेष

*378. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के नालंदा जिले में महाभारत, बौद्ध और मुगल काल के अवशेष बड़े पैमाने पर भूमि के नीचे छिपे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका पता लगाने के लिए खुदाई कार्य करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) उपलब्ध पुरातत्वीय साक्ष्यों से प्रकट होता है कि बिहार के नालंदा जिले में बुद्ध काल से लेकर उत्तर मुगल काल तक के पुरातत्व-विषयक अवशेष विद्यमान हैं । इस जिले में की गई खुदाइयों से महाभारत काल के वर्णनों की प्रामाणिकता या अन्य बातें सिद्ध नहीं हो पाई हैं ।

(ख) तथा (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस वर्ष नालंदा में प्राचीन बौद्ध प्रतिष्ठान के खनित अवशेषों के नजदीक सराय टीले में उत्खनन करायेगा । इस टीले पर अब तक जो उत्खनन कराये गये हैं उनमें बुद्ध को समर्पित एक भव्य ईंटों के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं । मूर्ति के पादपीठ (पैर के सबसे निचले भाग के पास) पर पेंटिंग के चिह्न हैं । उत्खनन में कुछ छोटे-छोटे ढांचे भी मिले हैं । जिनमें मनौती के स्तूप और बौद्ध तथा हिन्दू मूर्तियां शामिल है । इसके अतिरिक्त इस जिले में उत्खनन कराने की कोई अन्य योजना नहीं है ।

सोवियत संघ के साथ नौवहन करार

*379. **श्रीमती संयोगिता राणे :**

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में सोवियत संघ का दौरा किया था;

(ख) क्या अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने सोवियत पत्तनों में भारतीय नौवहन के लिए सुविधाएं प्राप्त की हैं;

(ग) क्या अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने नौवहन के बारे में सोवियत संघ के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर भी किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत यूनियन फरवरी, 1981 में इस बात पर सहमत हुआ था कि वह काला सागर में अपने पत्तनों पर भारतीय जहाजों के लिए दो बर्थें आरक्षित रखेगा । मई, 1981 में मेरे दौरे में वह सोवियत पत्तनों पर भारतीय जहाजों के शीघ्रतापूर्वक आने-जाने के उद्देश्य से एक और बर्थ देने पर विचार करने के लिए सहमत हुआ । उसने यह भी सहमति व्यक्त की कि वह कुछ माल अपने सुदूर पूर्व स्थित पत्तनों की ओर भेज देगा जिससे काला सागर पत्तनों पर जहाजों के जमाव को कम किया जा सके ।

(ग) दौरे में सरकारी स्तर पर किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

पूर्वोत्तर रेलवे में लखनऊ और गोहाटी के बीच चल रही गोहाटी एक्सप्रैस गाड़ी का नियमित किया जाना

*380. **श्री राम लाल राही :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस लाईन पर रेलगाड़ियों की कमी है तथा अन्य कठिनाइयां हैं, इस समय लखनऊ और गोहाटी के बीच बरास्ता मैलानी और सीतापुर चल रही गोहाटी एक्सप्रैस रेलगाड़ी को नियमित कर दिया जाएगा;

(ख) क्या वर्तमान रूट पर गोहाटी तक चलाई गई इस रेलगाड़ी से इस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस रेलगाड़ी को नियमित आधार पर चलाने के संबंध में शीघ्र घोषणा करेगी ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां, । अप/2 डाउन ए० टी० मेल को 4.9.1981 से नियमित आधार पर मार्ग परिवर्तन करके मैलानी, आनन्दनगर और थावे लूपों के रास्ते बरेली तथा गुवाहाटी के बीच चलाया गया है ।

गहरे समुद्र तल खनिज संसाधनों के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण

*382. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत अगस्त, में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के "ला आफ दी सी कांफ्रेंस सैशन" में अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर गहरे समुद्र तल में खनिज संसाधनों में अपने हिस्से के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को बताने के संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) इस पर विकसित देशों, विशेषकर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० बी० नरसिंह राव): (क), और (ख) राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र के संसाधनों के अन्वेषण और संदोहन के बारे में भारत का दृष्टिकोण समुद्री कानून के अभिसमय के मसौदे में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप ही है, जिसे समुद्री कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समक्ष सरकारी दस्तावेज के तौर पर अगस्त, 1981 में स्वीकार किया गया है।

(ग) भारत और अन्य विकासशील देशों के विचार एक जैसे हैं। अमरीकी सरकार और कुछ अन्य विकसित देशों ने, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल क्षेत्र के संसाधनों के संदोहन संबंधी अभिसमय के मसौदे की कुछ बुनियादी बातों पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त नहीं की है।

यात्री डिब्बों की तुलना में यातायात का भार

*383. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में प्रत्येक जोन में यात्री डिब्बों की वर्तमान संख्या यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सवारी डिब्बों का वर्तमान बेड़ा यातायात के चालू स्तर के लिए लगभग पर्याप्त है। लेकिन, जिन सवारी डिब्बों का बदलाव किया जाना है उनकी संख्या काफी अधिक है। 5,680 सवारी डिब्बों में से, जिनके लिए योजना आयोग ने धन का आवंटन किया है, लगभग 4,000 सवारी डिब्बे बदलाव के काम में प्रयुक्त किये जायेंगे जबकि 7,000 से अधिक डिब्बों का बदलाव किया जाना है।

औषधियों के ब्रांड नामों को समाप्त किया जाना

*385. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा कुछ औषधियों के ब्रांड नामों को एक अगस्त, 1981 से समाप्त किए जाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकनानंद) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 जनवरी, 1981 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि एकल सक्रिय घटक के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी एक तत्व जिसमें होगा वह औषधि केवल जातीय नामों से खरीदी जाएगी न कि ब्राण्ड नामों से ।

1. एनलजिन,
2 एस्प्रिन और इसके लवण,
3. क्लोरप्रोमेजाइन और इसके लवण,
4. फैरस सल्फेट,
5. पाइपरजिन और इसके लवण ।

(1) मैसर्स हैक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बम्बई, (2) साइनामिड इण्डिया लिमिटेड और (3) मैसर्स फाइजर इण्डिया लिमिटेड नामक तीन कम्पनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने सरकारी आदेश और वैधता को चुनौती दी है ।

कोर्ट ने उपर्युक्त तीन फर्मों द्वारा बेची जा रही निर्दिष्ट दवाइयों के आमने-सामने 17.1.1981 की इस अधिसूचना को, जिस पर यह आपत्ति की गई है, लागू करने पर अन्तरिम स्थगन आदेश दे दिये हैं और यह मामला न्यायाधीन है ।

रेल दुर्घनाओं में मारे गए अविवाहित युवा विद्यार्थियों के आश्रितों को मुआवजा

*386. **श्री कुंवर राम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : रेल दुर्घटनाओं में मारे गये अविवाहित युवा विद्यार्थियों के आश्रितों/अभिभावकों को मुआवजे के सम्बन्ध में भूतपूर्व दावाआयुक्त (न्यायमूर्ति श्री पद्म नारायण सिंह) की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की समीक्षा की जा रही है । प्रस्तावित संशोधित भारतीय रेल अधिनियम के मसौदे को अंतिम रूप देते समय अव्यस्क/आश्रितों, जिनमें अविवाहित युवा विद्यार्थी भी शामिल हैं, के मामले में उनके माता-पिता/संरक्षकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के सुझाव को ध्यान में रखा गया है ।

विशेष पोषक आहार योजना

*387. **श्री मनी राम बागड़ी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की विशेष पोषक आहार योजना का 86,390 व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेष पोषक आहार योजना पर प्रति वर्ष कुल कितना रुपया खर्च किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-81 के दौरान 61.81 लाख रुपए का कुल खर्च हुआ। 1981-82 के लिए 65 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित ढंग के अनुसार और विस्तार समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत होगा तथा विशेष पोषाहार कार्यक्रम केन्द्रों को धीरे-धीरे समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के साथ मिलाया जा रहा है।

औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के फार्म 29 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त निरीक्षण

*388. **श्री दलबीर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के फार्म 29 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अनुमति देने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण किया जाये;

(ख) क्या ये प्रतिबन्ध सभी राज्यों पर लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा राज्य में इस प्रकार के निरीक्षणों से आयातित मूल औषधियों के स्थान पर औषधियों का उत्पादन करने के बारे में उद्योग के प्रयत्न में बाधा पड़ी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय

सरकार ने फार्म 29 में कोई लाइसेंस देने से पहले संयुक्त निरीक्षण करने के बारे में राज्य सरकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

*389. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध करने वाले संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्धारित राज्यनीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) भारत में ऐसे गांवों की (राज्य-वार) संख्या क्या है; जहां अभी तक कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1989-90 तक प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने की योजना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न केवल दाखिले में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा बल्कि छात्रों को स्कूलों में बनाए रखने का भी प्रयास किया जाएगा।

छठी योजना की अवधि के दौरान शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अधिक जोर दिया जाएगा और सातवीं योजना के दौरान मिडिल शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र	ऐसे गांव जहां प्राथमिक स्कूल/सैक्शन नहीं हैं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6209
2.	असम	3143
3.	बिहार	25733
4.	गुजरात	2439
5.	हरियाणा	910
6.	हिमाचल प्रदेश	11614

1	2	3
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1899
8.	कर्नाटक	5598
9.	केरल	उपलब्ध नहीं है
10.	मध्य प्रदेश	24324
11.	महाराष्ट्र	5624
12.	मणिपुर	193
13.	मेघालय	1784
14.	नागालैंड	52
15.	उड़ीसा	18364
16.	पंजाब	891
17.	राजस्थान	14369
18.	सिक्किम	20
19.	तमिलनाडु	2268
20.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं है
21.	उत्तर प्रदेश	60179
22.	पश्चिम बंगाल	12046
23.	अंदमान निकोबार द्वीपसमूह	272
24.	अरुणाचल प्रदेश	2105
25.	चंडीगढ़	2
26.	दादरा तथा नागर हवेली	2
27,	दिल्ली	21
28.	गोआ, दमन तथा दीव	43
29.	लक्षद्वीप	...
30.	मिजोरम	31
31.	पांडिचेरी	1
	कुल :	2,00,141

अन्तर्देशीय पोत विकास निधि के लिए एक संस्थान का प्रस्ताव

390. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्तर्देशीय पोत विकास निधि के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए योजनाएं तैयार करने का भी प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसे जलमार्गों की लम्बाई के बारे में कोई अध्ययन किया गया है जिनमें देशी नौकाएं और बड़ी यंत्रीकृत नौकायें चल सकती हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु विश्व बैंक की सहायता लेने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन के उद्यमकर्ताओं के लिए 19.6.80 से ऋण ब्याज सहायता स्कीम शुरू की है जिसके अधीन बैंक/वित्तीय संस्थाएं उन्हें ब्याज की नीची दर पर ऋण दिया करेंगे ।

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल विभिन्न केन्द्रीय व केन्द्र संचालित स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए 45 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में जलमार्गों की कुल लम्बाई लगभग 14778 कि० मी० है । इसमें से लगभग 7705 कि० मी० तक नावें चल सकती हैं और 5161 कि० मी० तक स्टीमर चल सकते हैं ।

(घ) से (ङ) नर्मदा और नर्मदा मैन कैनाल में नौवहन की सम्भावना के बारे में गुजरात सरकार द्वारा एक अध्ययन करवाया जा रहा है । भारत सरकार इस काम के लिये राज्य सरकार को तकनीकी सहायता देगी । अध्ययन का यह काम गुजरात सरकार द्वारा परामर्शकों की एक फर्म को दिया गया है । इस अध्ययन की लागत की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जायेगी ।

यूनाइटिड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमरीका में अकाली नेताओं की सरकार विरोधी गतिविधियां

360. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री के० मालन्ना :

श्री माधवराव सिन्धिया :

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री आचार्य भगवान देव :

श्री आर० एन० राकेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हाल ही में ब्रिटेन तथा अमरीका की यात्रा पर गये कुछ सिख अकाली नेताओं ने वहां पर इन्दिरा सरकार विरोधी प्रचार किया था;

(ख) क्या ऐसे कुछ नेताओं ने सिखों के लिये संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता (एसोसिएट मेम्बरशिप) प्राप्त करने के सम्बन्ध में अमरीकी राष्ट्रपति से मिलकर उनकी मदद प्राप्त करने का प्रयास किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेश जाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अनुमति देने का हैं, जो विदेशों में जाकर सरकार विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार इस बात को जानती है कि इस तरह के कुछ तत्व विदेशों में ऐसा प्रचार करने में सक्रिय हैं जो कि भारत की समग्र नीतियों के अनुकूल नहीं हैं। इन गतिविधियों में संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों से सम्पर्क करना भी शामिल है।

(घ) जो व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

अबनेर मेमोरियल स्कूल, नई दिल्ली में अध्यापकों का भविष्य निधि लेखा

3602. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेमोरियल स्कूल, 26, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली और समर विला स्कूल, दरियागंज, दिल्ली में अध्यापकों की भविष्य निधि लेखा भलीभांति रजिस्टरों में रखा जा रहा है;

(ख) क्या इन स्कूलों के एक-एक भाग पर स्कूल के प्रबन्धक कब्जा किए हुए हैं, जबकि अभिभावक भारी फीस देते हैं और उनके बच्चों को खुले में तथा अत्यधिक संकुल कमरों में बैठना पड़ता है;

(ग) स्कूलो के 21 सदस्यों वाले प्रबन्ध बोर्ड में सदस्यों के प्रतिनिधियों के अनुपात से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि भारत में विदेशी मिशनरियों द्वारा चलाये

जा रहे यह पब्लिक स्कूल अपने प्रतिनिधियों के भारी व्यापार का साधन बन गए हैं और इनसे हमारे बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत में विदेशी मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे प्रत्येक पब्लिक स्कूल में ऐसी ही समस्याओं की जांच करना उपयुक्त रहेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अबनेर मेमोरियल स्कूल, जो एक मान्यता प्राप्त स्कूल है, में नियुक्त अध्यापकों के भविष्यनिधि के लेखे रखे जाते हैं। समरविला स्कुल, दरियागंज, दिल्ली एक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं।

(ख) इन स्कूलों में स्थान की कमी की बात शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के ध्यान में आई है और प्रबन्धकों को इस कमी को शीघ्र दूर करने के लिए कहा गया है।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तैयार की गई दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59 (1) (क) और (ख) में मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्ध की योजना के बारे में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

59 (1) (क) सहायता प्राप्त मान्य स्कूल की प्रबन्ध समिति में अधिक से अधिक पन्द्रह सदस्य होंगे और सहायता प्राप्त गैर मान्य स्कूल की प्रबन्ध समिति में इक्कीस सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे;

59 (1) (ख) खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों की कुल संख्या के अलावा प्रत्येक प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :—

(1) स्कूल का प्रधान;

(2) एक अभिभावक, जो प्रशासक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार गठित स्कूल के अभिभावक अध्यापक संघ का सदस्य हो तथा उस संघ द्वारा चुना गया हो;

(3) उस स्कूल के दो अध्यापक, जो उस स्कूल के अध्यापकों द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे;

(4) दो अन्य व्यक्ति, (जिनमें से एक महिला होगी) जो किसी अन्य स्कूल अथवा किसी कालेज के अध्यापक हैं अथवा रहे हैं। ये सलाहकार बोर्ड द्वारा नामजद किए जायेंगे;

(5) निदेशक द्वारा नामजद किये जाने वाले दो सदस्य, जिनमें से एक शिक्षाविद होगा और दूसरा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली का एक अधिकारी होगा, जिसका पद उच्चतर माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य के पद से कम नहीं होगा;

(6) शेष सदस्य, सोसायटी अथवा न्यास के नियमों और विनियमों के अनुसार जिनके अन्तर्गत यह स्कूल चलाया जाता है, नामजद अथवा चुने जाएंगे, जैसी भी स्थिति हो।

बशर्ते कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के मामले में, प्रबन्ध-समिति के ऐसे सदस्य, जिनका इस नियम के अनुसार चुना जाना आवश्यक होता है, उनको चुनने के बजाय उस सोसायटी अथवा न्यास द्वारा जो इन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल को चलाते हैं, नामजद किया जाए;

इसके अलावा यह भी शर्त है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के मामले में, निदेशक द्वारा नामजद किया जाने वाला शिक्षाविद गैर-सरकारी होगा और वह उस अल्पसंख्यक जाति से सम्बन्धित होंगे जिसके द्वारा स्कूल स्थापित किया गया है और चलाया जा रहा है;

किन्तु प्रबन्ध समिति के गठन के सम्बन्ध में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली 1973 के सम्बन्ध में कुछ उल्लंघन की बात दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आई तथा वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 180 के अन्तर्गत स्कूल द्वारा भेजी गई विवरणिका और दस्तावेजों से यह नहीं पता लगता है कि स्कूल की प्रबन्ध सोसायटी इसको किसी विशिष्ट वर्ग अथवा संघ अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए चला रही है। अतः दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के उपबन्धों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत इस स्कूल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

गर्भ-निरोध के विभिन्न उपाय

3603. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान परिवार-कल्याण योजना के अन्तर्गत विभिन्न गर्भ-निरोध उपायों का प्रयोग किया है;

(ख) क्या ये आंकड़े उक्त छमाही के घोषित लक्ष्य के अनुरूप हैं, यदि नहीं, तो इसमें कमी रह जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन उपायों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त प्रचार हेतु छोटे समाचार पत्रों का नाम मात्र का योगदान लिए जाने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जनवरी से जून, 1981 की अवधि में नसबन्दी आपरेशन कराने वालों तथा अन्तर्गर्भाशय युक्ति, और परंपरागत गर्भ-निरोधक (मुख सेव्य गोलियों सहित) अपनाने वालों की अनन्तिम संख्या इस प्रकार है :—

नसबन्दी आपरेशन	अन्तर्गर्भाशय युक्ति	जून, 1981 तक समीकृत गर्भ निरोधक एवं मुख सेव्य गोलियां अपनाने वाले की संख्या
9,88,000	3,21,000	27,91,000

(ख) उक्त आधे वर्ष की अवधि के लिये कोई लक्ष्य नहीं है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य वित्तीय-वर्षवार निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) छोटे परिवार के सिद्धान्त को बढ़ावा देने और विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिये लोगों को जानकारी देने तथा उन्हें प्रेरित करने के प्रयासों को और अधिक तेज कर दिया गया है। यह कार्य सभी उपलब्ध प्रचार साधनों अर्थात् होडिंग्स भीत्ति चित्रों, पोस्टरों फोल्डरों, पैम्फलैटों, फिल्मो, रेडियों एवं दूरदर्शन कार्यक्रमों के साथ-साथ अखबारों एवं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के वाणिज्यिक कार्यक्रमों में विज्ञापन देकर तथा पारस्परिक संपर्कों के जरिये किया जा रहा है।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये अखबारों में विज्ञापन देने का कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से किया जाता है छोटे अखबारों के साथ कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च की गई राशि

3604. **श्री मनी राम बागड़ी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अगस्त, 1981 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार आल इण्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बहुत ही कम राशि खर्च की जाती है, और उसके अनुसार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही द्वारा खर्च की गई राशि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक पैसे से कुछ ही अधिक बैठती है; और

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग व्यक्ति, कोल्हापुर की मांगें

3605. **श्री आर० के० महालगी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को विकलांग व्यक्तियों की माँगों के बारे में कोल्हापुर जिला अपंग युवक कृति समिति (महाराष्ट्र) से 24 जुलाई, 1981 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा विवरण-1 के विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) सरकार को विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय विकलाँग वर्ष को मनाए जाने के संदर्भ में अनेक संगठनों/संस्थाओं से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की मांगें/सुझाव दिए होते हैं । विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न रियायतें/सुविधाएं देते समय अथवा वर्तमान योजनाओं का संशोधन करते या नई योजनाएं बनाते समय इन सुझावों/मांगों को ध्यान में रखा जाता है । विवरण-2 में दिये गये विवरण में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम दिए गए हैं ।

विवरण–1

कोल्हापुर जिला अपंग युवक कृति समिति (महाराष्ट्र) द्वारा शिक्षा मंत्री को सम्बोधित तारीख 24 जुलाई, 1981 के पत्र में दी गई मुख्य मांगें दर्शाने वाला विवरण

1. भारत की 10% जन संख्या बधिर, गूंगे, मानसिक रूप से अविकसित, अपंग या ऐसी ही बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की है । परन्तु सरकार ने कोई संगठित कार्य नहीं किया है ।
2. विकलांग व्यक्ति हर प्रकार का काम करने योग्य है । परन्तु नियम होते हुए भी सरकारी कार्यालयों में उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है तथा रोजगार अधिकारी उनके मामले प्रेषित नहीं करते हैं यद्यपि नियम यह है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएं ।
3. विकलांग व्यक्तियों को रेलवे स्टाल दिए जाने चाहिएं ।
4. विकलांग छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास में मुफ्त जगह दी जानी चाहिए ।
5. यदि मुफ्त होटल सुविधा उपलब्ध न हो तो शिक्षा और यात्रा की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएं ।

6. विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक राज्य और जिले में राज्य और जिला स्तरीय समितियां होनी चाहिएं, जिनमें विकलांग व्यक्तियो को भी शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु यह देखा गया है कि इन समितियों में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए न तो कुछ किया है और न ही करते हैं।

7. जो विकलांग व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें उनके घरों पर ही काम दिया जाए।

8. सरकार ने प्रत्येक जिले में विकलांग व्यक्तियों की गतिविधियों के लिए भवन बनवाना चाहिए तथा उसका किराया अदा करना चाहिए।

9. सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को "कमजोर वर्ग" समझा जाना चाहिए। क्या हम कमजोर नहीं हैं ? क्या हम ताकतवर हैं ? हमें काम दो हम काम करना चाहते हैं।

विवरण–2

विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के सम्बन्ध में टिप्पणी

1. समेकित शिक्षा की वर्तमान योजना को संशोधित कर दिया गया है तथा मूल्यांकन सुविधाएं, रिसोर्स रूम, स्कूल-पूर्व और माता-पिता परामर्श एकक, उपकरणों की प्रदाय, अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन तथा विकलांग बच्चों को सहायक यन्त्र और पुस्तकें प्रदान करने इत्यादि के लिए व्यवस्था की गई है।

2. "नेत्रहीन, बधिरों और अपग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां" की योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियौं को नवीं कक्षा से और अगली कक्षाओं में शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं, ताकि उन्हें ऐसी शिक्षा तथा किसी दुकान/औद्योगिक संस्थान में तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता मिले, जिससे वे अपनी जीविका कमाने योग्य होकर समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएं।

3. श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 12 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

4. "विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित सहायता" की योजना के अन्तर्गत अनेक स्वयं-सेवी संगठन/संस्थाएं शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए प्रति-वर्ष केन्द्रीय सहायता मांगती हैं। सहायता की योजना की शर्तों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा जहां निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं, वहां आवर्ती और गैर-आवर्ती मदों के लिए अनुमानित खर्च के 90 प्रतिशत तक सहायता

दी जाती है। जहां तक भवनों के निर्माण का सम्बन्ध है अधिकतम 2.50 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।

5. भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए "ग" और "घ" वर्ग के पदों में 3 प्रतिशत रिक्त पद (नेत्रहीनों, बधिरों और अपंगों के लिए एक-एक प्रतिशत) आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए 100 मदों का एक रजिस्टर भी तैयार किया गया है।

6. विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों का पता लगाने तथा उन्हें रोजगार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 18 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। और विशेष रोजगार कार्यालय खोलने तथा अन्य चुने गए रोजगार कार्यालयों में विशेष सेल स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

7. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ वर्गों के विकलांग व्यक्तियों के लिए 10% डीलरशिप/एजेंसियां आरक्षित करने का निर्णय किया है तथा इस प्रयोजन के लिए एक रोस्टर निर्धारित किया है।

8. संचार मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, टेलीफोन बूथ अलाट करने का निर्णय किया है।

9. ब्याज की विभिन्नतापूर्ण दर के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित संस्थाओं को 4% ब्याज की दर पर 1,500 रुपए तक कार्यकारी पूंजी ऋण तथा 5,000 रुपए तक लम्बे अर्से का ऋण देने संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं जो स्वयं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

10. एक नियोक्ता द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतन, जिनकी वार्षिक आय, 20,000 रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के 1⅓ की "वेटिड डिडक्शन" आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय है। ऐसा विकलाँग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

11. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

12. विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त अथवा रियायती मूल्य पर सहायक यन्त्र और उपकरण देने की एक योजना बनाई गई है, जो विकलांग व्यक्ति की आय पर अथवा यदि वह आश्रित है तो उसके मां-बाप/अभिभावक की आय पर निर्भर करती है।

तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

3606. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यास तूतीकोरिन मुख्य पत्तन द्वारा मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 56 के अधीन 1 अप्रैल से आज तक किसी पार्टी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं, और उस "शार्ट लेवी" के मामले में जो गलती से लौटाई गई थी कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है एवं अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मामले का क्या अन्तिम निर्णय हुआ ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) टूटीकोरिन पत्तन अधिकारियों ने "शार्ट-लैवी" प्रभार के बारे में निम्नलिखित पार्टियो को 'कारण-बताओ' नोटिस जारी किए हैं :—

	पार्टी का नाम	अन्तर्ग्रस्त राशि (रुपये)	स्थिति
1		2	3
1.	मैसर्स विन्नी लिमिटेट टूटीकोरिन ।	2,026.20	वसूल कर ली गई ।
2.	साऊथ इण्डिया कारपोरेशन (ए) लि०, टूटीकोरिन ।	13,875.80	,, ,,
3.	न्यू इण्डिया मैरिटाईम एजेंसीज, टूटीकोरिन ।	1,653.00	,, ,,
4.	मैसर्स कम्पमैराईन, टूटीकोरिन ।	90.00	वसूल कर ली गई ।
5.	मैसर्स धनुषकोडी नाडार एंड संज, टूटीकोरिन ।	608.50	अभी वसूल की जानी है ।
6.	मै० कोरेरा शिपिंग कारपोरेशन टूटीकोरिन ।	8,461.45	,, ,,
7.	मै० सुब्रामनी शिपिंग एजेंसीज टूटीकोरिन ।	2,455.40	बसूल कर ली गई है ।
8.	मै० डायमंड शिपिंग एजेंसीज, टूटीकोरिन ।	13,977.65	अभी वसूल की जानी है ।
9.	मै० जे० एम० बख्शी एंड कंपनी, टूटीकोरिन ।	17,675.80	,, ,,
10.	मै० शावैलेस एंड कंपनी, टूटीकोरिन ।	2,479.00	,, ,,
11.	मै० एसपिनवाल एंड कंपनी, टूटीकोरिन ।	1,601.50	,, ,,

1		2	3
12.	मैं० गोकक पटेल बोल्कार्ट एंड कंपनी, टूटीकोरिन ।	4,950.90	अभी वसूल की जानी है ।
13.	मैं० मकाडो ब्रा०, टूटीकोरिन ।	10,340.35	वसूल कर ली गई ।
14.	मैं० इन्टरनैशनल क्लीयरिंग एंड शिपिंग एजेंसी, टूटीकोरिन ।	2,346.65	अभी वसूल की जानी है ।
15.	इंडियन आयल कारपोरेशन, टूटीकोरिन ।	23,516.15	,, ,,
16.	पी० एस० टी० एस० थिबियारत्न नाडार एंड सन्ज, टूटीकोरिन ।	1,794.35	,, ,,
17.	पिरीय एंड रोचे (प्रा०) लिमिटेड, टूटीकोरिन ।	23,029.35	अभी वसूल की जानी है ।
18.	साऊदर्न ट्रेडिंग कंपनी, टूटीकोरिन ।	8,194.55	अभी वसूल की जानी है ।

(ख) (2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 56 (2) के अधीन धनराशि की गलत वापसी का कोई मामला नहीं था ।

स्नातकोत्तर अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची

3607. **श्री कुमबुम एन० नटराजन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री स्नातकोत्तर अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार तथा जारी की गई स्नातकोत्तर अध्यापकों के 550,900 रुपये के वेतनमान की वरिष्ठता सूची में कहीं इस आशय का उल्लेख किया गया था कि यह सूची 550-900 रुपये तथा 775-1000 रुपये के वेतनमानों के लिए संयुक्त रूप से लागू रहेगी; और

(ख) यदि नहीं तो अब इस सूची को संयुक्त रूप से 550-900 रुपये तथा 775-1000 रु० के वेतनमानों के लिये कैसे माना जा रहा है विशेषतया जबकि 775-1000 के वेतनमान वाले स्थायी पदाधिकारियों के 5 सितम्बर, 1971 को ही 550-900 के वेतनमान से अपने 'लियन" को छोड़ दिया था ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापकों (महिला) के संबंध में 1-8-1979 को जारी किए गए वरिष्ठता रोस्टर 775-1000 रुपये के वेतनमान का उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि इसमें इस वेतनमान में नियुक्त अध्यापिकाओं के नाम दिए

गए हैं। तथापि, क्योंकि सिलेक्शन ग्रेड तथा किसी श्रेणी के सामान्य ग्रेड में नियुक्त उन पदों पर कार्य करते हैं जिनका सृजन एक ही प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है और इसलिए ये सामान्य वरिष्ठता रोस्टर में एकल ग्रेड (वरिष्ठता संबंधी नियमावली के अन्तर्गत ग्रेड की परिभाषा के अनुसार) का ही एक अंग है, अतः वरिष्ठता रोस्टर में वेतनमान का उल्लेख किए बिना 'ग्रेड' दर्शाना ही पर्याप्त है।

आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंस खोलना

3608. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिणी क्षेत्र में आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता कर लिया गया है कि यह इन्स्टीट्यूट किन शहरों में खोले जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कुछेक अध्ययन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया भुगतान

3609. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के विभिन्न अधिकारियों को स्वास्थ्य विषयों से संबंधित कुछेक अध्ययन करने के लिए काफी राशि मंजूर करता है;

(ख) पिछले 3 वर्षों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है और क्या नियमानुसार उन्होंने इस प्रकार प्राप्त की राशि केन्द्रीय सरकार राजस्व में जमा करायी है और यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके द्वारा ऐसे कार्य उनकी आम ड्यूटियों के अतिरिक्त लिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे धनप्राप्ति के कार्यों पर अधिक ध्यान देने से और निर्माण भवन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच दौड़ने से उनके सामान्य कार्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है;

(ङ) इन अधिकारियों को सरकारी माध्यमों से भुगतान क्यों नहीं किया जाता है ताकि कुछ प्रतिबन्ध रखा जाए; और

(च) क्या सरकार उनके लिये ऐसे कार्य करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

माधवननर-सांगली लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3610. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रेल मन्त्री** माधवनगर-सांगली लाइन को वड़ी लाइन में बदलने के बारे में 5 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त योजना की अग्रेतर क्रियान्विति के लिए क्या योजना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 7.77 किलोमीटर लम्बी मिरज-सांगली लाइन को पुनः चालू करने तथा पुराने माधवनगर स्टेशन को मुख्य लाइन पर लाने का कार्य एक अनुमोदित कार्य है । इसमें कोई आमान-परिवर्तन शामिल नहीं हैं । कार्य-निष्पादन के लिए इस परियोजना की योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् अनुमानित लागत की जांच की जायेगी तथा मंजूरी दी जायेगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 के दौरान पटरी से उतरी गाड़ियों की संख्या

3611. **श्री अनादिचरन दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 से 31 जूलाई, 1981 तक (तिथिवार) विभिन्न रेलवे स्टेशनो के बीच पटरी से उतरने वाली सवारी, एक्सप्रैस तथा माल गाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गाड़ियों के पटरी से उतरने के क्या कारणहैं;

(ग) गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई तथा कुल कितनी जानें गई; और

(घ) पटरी से उतरने के कारण होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं से बचने तथा इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर तथा विभिन्न स्टेशनों के बीच गाड़ी के पटरी से उतर जाने की 525 घटनाएं हुई थीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पटरी से उतरना

	स्टेशनों पर			स्टेशनों के बीच		
	पैसेंजर, एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ी	माल गाड़ी	जोड़	पैसेंजर, एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ी	माल गाड़ी	जोड़
जनवरी, 1981	11	27	38	6	31	37
फरवरी, 1981	1	19	20	4	34	38
मार्च, 1981	7	18	25	9	28	37
अप्रैल, 1981	10	16	26	10	37	47
मई, 1981	7	25	32	11	34	45
जून, 1981	10	16	26	16	33	49
जुलाई, 1981	10	40	50	8	47	55
	56	161	217	64	244	308

(ख) गाडियों के पटरी से उतर जाने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) रेल कर्मचारियों की गलती	—	176
(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	—	11
(3) उपस्कर की खराबी :		
(क) यांत्रिक	—	132
(ख) रेल पथ	—	44
(4) तोड़-फोड़	—	10
(5) आकस्मिक		40
(6) कारण जो प्रमाणित नहीं किये जा सके		1
(7) कारण जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया आ सका	—	111
जोड़	—	525

(ग) रेल सम्पत्ति को पहुंची क्षति की लागत अनुमानत: लगभग 320 लाख रुपये है। पता चला है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर 6.6.81 को हुई 4.15 डाउन सवारी गाड़ी की दुर्घटना समेत इन दुर्घटनाओं में 326 व्यक्तियों की जानें गयीं।

(घ) मानवीय गलतियों को दूर करने के लिए रेलों के संरक्षा संगठन, गाड़ियों के संचालन से सम्बद्ध कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति अधिक चेतना पैदा करने के उद्देश्य से तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें अथवा ऐसे लाघव तरीके न अपनाएं जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हों, व्यापक अभियान चला रहे हैं। जिस चल स्टाक की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसे शेष चल स्टाक से अलग किया जा रहा है ताकि उस पर शीघ्रता पूर्वक व्यापक ध्यान दिया जा सके। रेल पथ के समुचित रख-रखाव की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस आशय की हिदायतें जारी की गयी हैं कि जो खंड असुरक्षित है अथवा जिन खंडों में निश्चित रूप से तोड़-फोड़ की घटनायें अधिक होती हैं, उनमें गैंगमैनों द्वारा गश्त लगायी जाय।

इस आशय की भी हिदायतें जारी की गयी हैं कि सभी प्रमुख गर्डर पुलों के पहुंच मार्गों का गहन निरीक्षण किया जाये।

क्षेत्र जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक विशेष संरक्षा दल का गठन किया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा दुर्घटनाओं के रुख की बराबर समीक्षा की जा रही है और प्रतिकारी उपाय किये जा रहे हैं।

महाप्रबंधकों ने नवम्बर, 1981 तक सभी ट्रंक मार्गों की संरक्षा का विशेष निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाया हैं।

समेकित वरिष्ठता

3612. **श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में श्रेणी-2 के पद के लिए चयन हेतु प्रतियोगी बनने वाले कर्मचारियों की समेकित वरिष्ठता घोषित करने की कोई प्रक्रिया है और यह वरिष्ठता सूची किस मास से प्रकाशित की जाती है;

(ख) उन कर्मचारियों की समेकित वरिष्ठता क्या बताई गई है जो 7 जून, 1981 तथा 5 जुलाई, 1981 को, पश्चिम रेलवे में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के लिए लिखित परीक्षा में बैठे थे;

(ग) क्या उम्मीदवारों को सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है;

(घ) क्या प्रत्येक उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर होता है है अथवा समेकित वरिष्ठता के आधार पर; और

(ङ) पश्चिम रेलवे में वर्ष 1975 में हुई चयन परीक्षा का क्या परिणाम निकला था और वर्तमान चयन परीक्षा का क्या फल रहा ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उन विभागों में, जहां पर ग्रुप 'बी' में 75 प्रतिशत रिक्तियां चयन के आधार पर भरी जाती हैं, वहां ग्रुप 'सी' के उन कर्मचारियों को, जो उनकी समेकित वरिष्ठता के आधार पर रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में निर्धारित जोन के अन्तर्गत आते हैं, बुलाया जाता है। चयन के प्रवर्तन के समय समेकित वरिष्ठता अधिसूचित की जाती है।

सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के वास्ते चयन के लिए बुलाये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है और उन सभी पात्र कर्मचारियों एवं उन कर्मचारियों को, जो यह चाहते हैं कि उनके बारे में विचार किया जाये, बुलाया जाता है। चयन के समय समेकित वरिष्ठता अधिसूचित नहीं की जाती है क्योंकि सभी पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता का ख्याल किये बगैर चयन हेतु आने की अनुमति है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 1975 में जो चयन किया गया था उसके परिणाम के आधार पर 32 कर्मचारियों के एक पैनल की घोषणा की गयी थी। 1981 में किये गये चयन के संबंध में कार्यवाई जारी है।

मयूर विहार से विभिन्न महत्वपूर्ण टर्मिनल केन्द्रों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

3613. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **नौवसन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक कालोनी मयूर विहार (त्रिलोकपुरी के निकट) में पर्याप्त बस सेवा के अभाव में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सुबह और शाम को छोड़कर मयूर विहार से केन्द्रीय सचिवालय के लिये कोई सीधी बस सेवा नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार मयूर विहार से विभिन्न महत्वपूर्ण टर्मिनल केन्द्रों को और बसें चलाने का है; और

(घ) इन बस मार्गों का नाम विस्तार से बतायें जिन पर मयूर विहार से बसें चलती हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) से (घ) मयूर विहार जमुना पार इलाके में त्रिलोकपुरी नामक पुनर्वास कालोनी के पास में ही स्थित है। मयूर विहार तक रूट नं० 321 की बसें आती-जाती हैं जो शाहदरा और चिल्ला गांव के बीच चलती हैं। केन्द्रीय सचिवालय में और उसके आस-पास काम करने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिये मयूर विहार से सबेरे 8 8.30 और 9 बजे और केन्द्रीय सचिवालय से मयूर विहार तक शाम

को 5.2) और 5.40 बजे बसें चलती हैं। मयूर विहार में रहने वाले लोग त्रिलोकपुरी से बस लेकर भी शहर के विभिन्न भागों तक आ-जा सकते हैं। त्रिलोकपुरी तक रूट नं० 118, 304, 306, 307, 309, 321, 342, 351, 390 और एम-29 (मिनी बस) की बसें चलती हैं। दिल्ली परिवहन निगम की बसें जिन इलाकों में चलती हैं उन इलाकों की यातायात की आवश्यकता के बारे में यह निगम नियमित रूप से जांच करता रहता है और जहां भी आवश्यक होता है अतिरिक्त बसें चलाई जाती हैं लेकिन यह बसों के मिल सकने पर निर्भर करता है।

कानपुर और गया के बीच नीलांचल एक्सप्रेस में आते-जाते अनधिकृत यात्री

3614. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर और गया के बीच 175/176 'नीलांचल एक्सप्रेस' में आते-जाते कुछ बेईमान लोगों के गाड़ी में प्रवेश करने और अनधिकृत रूप से कब्जा करने की जानकारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ड्यूटी पर तैनात संवाहक और रेलवे पुलिस के सिपाही ऐसे तत्वों को गाड़ी में प्रवेश करने से नहीं रोकते हैं;

(ग) यदि हां, तो ड्यूटी पर तैनात ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध, जो इस अवैध कब्जे को नहीं रोक रहे हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) नीलांचल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाली सवारियो की सुरक्षा को बहाल करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि राजधानी एक्सप्रेस सहित लम्बी दूरी की गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्री चढ़ जाते हैं। चल-टिकट परीक्षकों तथा यान परिचरों को अनुदेश दिये गये हैं कि आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की रोकथाम करें। लेकिन, कभी-कभी ऐसे यात्रियों की बड़ी संख्या होने के कारण उनको नियंत्रित करना उनके लिए कठिन हो जाता है। रेलवे दंडाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में चल टिकट परीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को तैनात करके अचानक गहन जांच की जाती है और इन डिब्बों में यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों के साथ नियमानुकुल कार्रवाई की जाती है। कर्मचारियों की ओर से जानबूझकर लापरवाही बरतने के मामले को गम्भीरता से लिया जाता है और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए नीलांचल एक्सप्रेस सहित लम्बी दूरी की सभी महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में सशस्त्र राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है।

गाड़ियों में डकैती, चोरी तथा बलात्कार की घटनाएं

3615. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश भर में 1 जनवरी से 15 जुलाई, 1981 की अल्प अवधि के दौरान गाड़ियों में डकैती, चोरी तथा बलात्कार की

कितनी घटनाएं हुईं और रेलवार ये घटनायें किन स्थानों पर घटित हुईं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) अपेक्षित सूचना राज्य पुलिस प्राधिकारियों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

धनबाद डिवीजन में एवजी कर्मचारियों की नियुक्ति

3616. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से जुलाई, 1981 तक धनबाद डिवीजन के विभिन्न रेलवे विभागों में कुल कितने एवजी कर्मचारी नियुक्त किए गए;

(ख) इन एवजी कर्मचारियों के बच्चों और गैर-रेल कर्मचारियों के बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि में एवजी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किए गए आदिवासी और हरिजन लोगों सहित स्थानीय लोगों के नाम क्या हैं; और

(घ) एवजियों की नियुक्ति के बारे में डिवीजनल रेलवे मैनेजर, धन्यवाद द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3617. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कुछ रेल लाइनों के विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता।

रेलवे समय सारिणी

3618. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भाषाओं में रेलवे समय सारिणी प्रकाशित की जाती है उनके बारे में जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भाषावार तथा जोनवार प्रत्येक संस्करण का औसत आकार क्या होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे कतिपय अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने का है; और

(घ) इस कार्य में रेलवे को गत दो वर्षों के दौरान हुए लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अप्रैल, 1981 संस्करण से, उत्तर रेलवे उर्दू भाषा में भी समय सारिणी प्रकाशित कर रहा है।

विवरण

रेलवे	भाषाएं जिनमें समय सारिणी प्रकाशित होती हैं	औसत आकार	1979 और 1980 के दौरान कुल हानि (रुपयों में)
मध्य	अंग्रेजी, हिन्दी	20.5×15	7, 11, 844
पूर्व	अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली	20.5×15	6,82,432
उत्तर	अंग्रेजी, हिन्दी पंजाबी	15.2×21.5	24,59,815
पूर्वोत्तर	अंग्रेजी, हिन्दी, (हिन्दी फोल्डर)	14.8×21 14×44 (हिन्दी फोल्डर)	3,24,299
पूर्वोत्तर सीमा	अंग्रेजी, हिन्दी बंगाली, असमिया	14.8×21	75,429
दक्षिण	अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, मलयालम, कन्नड़	20×15	6,25,485
दक्षिण मध्य	अंग्रेजी, हिन्दी, तेलगू कन्नड़ मराठी	20×15	32,522
दक्षिण पूर्व	अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, उड़िया, तेलगू अंग्रेजी, बंगाली (पाकेट)	14.8×21 9.2×12	11,08,244
पश्चिम	अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती	14.8×27	14,78,750

उड़ीसा में प्रसूती गृह

3619. श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में अन्य राज्यों की तुलना में प्रसूती गृहों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहयोग की मांग की है; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रसूति सेवायें ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों और उप-केन्द्रों तथा शहरी क्षेत्रों में प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों और नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों और अस्पतालों जैसे विभिन्न संस्थाओं के जरिये प्रदान की जाती हैं। उड़ीसा राज्य में इनकी संख्या अन्य राज्यों में खोले गये केन्द्रों के समान है।

(ख) उड़ीसा सरकार ने और अधिक प्रसूति केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का कोई विशेष अनुरोध नहीं किया है।

(ग) जी, हां। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या भी शामिल है।

कोट्टर-दावनगेरे रेल लाइन

3620. श्री बी० वी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकार को इस बात से अवगत करा दिया है कि होस्पेट में कोट्टूर से दावनगेरे तक रेल लाइन के विस्तार के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि 70 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने में लगभग 12.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो कोट्टूर से दावनगेरे तक रेल लाइन का विस्तार करने के लिए सहमत न होने के अन्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या इससे जनता को भारी हानि होगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोट्टूर से दावनगेरे तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे

और उनका उत्तर भेजा गया था कि इस सुझाव पर कार्रवाई के लिये बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ख) संसाधनों की कठिनाई को देखते हुए फिलहाल इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता के बारे में सिद्धान्त

3621. **श्री सूरज भान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के सिद्धान्तों के बारे में गृह मंत्रालय के 22 दिसम्बर, 1959 का पत्र संख्या 9/11/55-आर० पी० एस० में दिए गए निदेश उनके मंत्रालय द्वारा भी प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस पत्र में जहां दो अथवा दो से अधिक स्रोतों के माध्यम से की गई भर्ती पर काडर में वरिष्ठता निर्धारण का सिद्धान्त भी है वहां यह भी है कि उनकी वरिष्ठता सभी स्रोतों से भर्ती के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर निर्धारित की जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सिद्धान्त रेलवे में इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया गया कि रेलवे जैसे बड़े संगठन के लिए इसे क्रियान्वित करना व्यावहारिक नहीं होगा;

(घ) इस सिद्धान्त को स्वीकार न करने के अन्य कारण क्या हैं;

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं;

(च) क्या गृह मंत्रालय के पत्र में यह कहा गया है कि उन सभी मंत्रालयों को पत्र में दिये गये सिद्धान्तों को लागू न करने के लिए गृह मंत्रालय से विशेष छूट लेनी होगी;

(छ) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय द्वारा उक्त छूट मांगी गई थी; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी, हां

(ख) उन आदेशों में यह व्यवस्था थी कि सीधी भर्ती से आने वाले और पदोन्नति से आने वाले कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण सीधी भर्ती से आने वाले तथा पदोन्नति से आने वाले कर्मचारियों के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम के अनुसार होगा जो भर्ती नियमों में क्रमशः सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगा ।

(ग) से (ङ) जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, ये आदेश नहीं अपनाये गये, जिसका एक मुख्य कारण वे व्यावहारिक कठिनाइयां थीं जो सिद्धान्तों को लागू करने पर उत्पन्न हुई होतीं ।

(च) गृह मंत्रालय के 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध में यह उल्लेख

किया गया था कि जब कभी उसमें उल्लिखित सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्तों को अपनाना आवश्यक समझा जाये, तो गृह मंत्रालय को इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ।

(छ) और (ज) रेल कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को शासित करने वाले नियमों को बनाने के मामले में रेल मंत्रालय को प्रदत्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय को गृह मंत्रालय से इस मामले में छूट मांगने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

राज्यों में संस्कृत कालेजों की स्थापना

3622. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों में संस्कृत कालेज स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पहले ही ऐसे कालेजों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है; और

(ङ) इन कालेजों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अभी तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में संस्कृत कालेजों की स्थापना की जा सके । तथापि, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, देश के विभिन्न भागों में छः केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ चला रहा है । केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है । आदर्श संस्कृत पाठशालाओं को स्थापित करने की शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की एक अन्य योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को यदि वे कुछ स्तरों के अनुरूप पाये जाते हैं तो आदर्श पाठशाला के रूप में मान्यता दे दी जाती है और उनके अनुमोदित व्यय के 95% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार में, जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, ग्रा० तथा पो० आ० लगमा (जिला दरभंगा) को ऐसी मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग), (घ) और (ङ) छः विद्यापीठों तथा आठ आदर्श पाठशालाओं के नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं :--

विद्यापीठ :—

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, कुतुब होटल के पास, नई दिल्ली ।

2. केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) ।

3. श्री रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 256—ए, शास्त्री नगर जम्मू तवी (जम्मू तथा काश्मीर) ।

4. श्री सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, पुरी (उड़ीसा) ।

5. श्री गंगा नाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद (उ० प्र०) ।

6. केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, गुरुवायूर (केरल) ।

आदर्श पाठशाला :—

1. श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उ० प्र०) ।

2. भगवानदास संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार (उ० प्र०) ।

3. श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन (उ० प्र०) ।

4. कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, बालुसेरी कालीकट (केरल) ।

5. मद्रास संस्कृत कालेज तथा एस० एस० वी० पाठशाला, मद्रास (तमिलनाडु) ।

6. सुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई (महाराष्ट्र) ।

7. हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, भगोला (हरियाणा) ।

8. मुगबेरिया संस्कृत महाविद्यालय, मुगबेरिया (पश्चिम बंगाल) ।

छात्रवृत्तियों के रूप में प्रोत्साहनों, अधिक मात्रा में सहायक-अनुदान आदि के परिणाम-स्वरूप ऐसी संस्थाओं में संस्कृत शिक्षा तथा सभी दृष्टिकोणों से अनुसंधान को देश के विभिन्न भागों में लोकप्रियता प्राप्त होती जा रही है ।

बिना पारी के आधार पर वैगनों का आवंटन

3623. **श्री बापू साहिब पारुलेकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर सरकारी ठेकेदारों को बिना पारी के वैगन आबंटित किए गए हैं (कोयले की ढुलाई के लिए);

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ठेकेदारों के ब्यौरे सहित पिछले चार महीनों में (अप्रैल से जुलाई, 1981 तक) बिना पारी के आधार पर आवटित किए गए वैगनों की संख्या क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेलें केवल राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित की गई मांगों के अनुसरण में कोयले के लदान के लिए माल डिब्बे सप्लाई करती हैं, प्राइवेट ठेकेदारों को सीधे सप्लाई नहीं करतीं ।

चिकित्सा शिक्षा और दाखिले के लिए छात्रों से लिए जाने वाले दान के संबंध में आयोग

3624. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिकित्सा शिक्षा के संबंध में किसी आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी चिकित्सा कालेजों में छात्रों से दान लेकर उन्हें दाखिला देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) सरकार ने 7 सितम्बर, 1981 को एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति का गठन किया है ।

(ख) नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार देश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिये प्रति व्यक्ति शुल्क लेने की प्रथा के पक्ष में नहीं है ।

न्हावा-शेवा बन्दरगाह का विकास

3625. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्हावा-शेवा बन्दरगाह (महाराष्ट्र) के विकास की वर्तमान प्रगति क्या है;

(ख) क्या यह प्रगति मूल योजना में परिकल्पित समय-सूची के अनुरूप है;

(ग) क्या योजना एवं समय सूची में कोई परिवर्तन हुआ है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परिवर्तन के कारण एवं परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा (एक) योजना और इसकी समय-सूची में परिवर्तन के कारणों और परिणामों के संबंध में और (दो) परियोजना को तेजी से कार्यान्वित किए जाने और समय-सूची अनुसार कार्य पूरा किए जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) न्हावा शेवा-पत्तन परियोजना अभी मंजूर नहीं की गई है । इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शकों

की नियुक्ति की गयी है । आशा है कि यह रिपोर्ट 1981 के अन्त तक पूरी तैयार हो जायेगी। इस परियोजना पर पूंजी के बारे में निर्णय होने पर ही इसकी आयोजना को तय किया जा सकेगा ।

कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर सेबों का लदान

3626. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन को हिमाचल प्रदेश से आलुओं और सेबों के लदान के लिये उत्तर रेलवे के कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर कुछ सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मांग सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अक्तूबर-नवम्बर में लदान के सीजन को ध्यान में रखकर प्रशासन ने ये सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) जी, हां ।

(ख) मांगी गयी सुविधाओं में प्लेटफार्म की व्यवस्था, छतदार स्थान तथा टेलीफोन शामिल हैं । इस मामले की जांच की जा रही है ।

रेलवे परेषणों को हानि

3627. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे परेषणों के गुम हो जाने की घटनाएं प्रत्येक माह बढ़ रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष के प्रथम चार महीनों में रेलों पर बुक किये गये परेषणों में से 1.96 करोड़ रु० की लागत के परेषण या तो चोरी चले गये या उनमें उठाईगीरी की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई मामला दर्ज किया गया और दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है;

(घ) परेषणों के गुम हो जाने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) रेलवे परेषणों के खोये जाने की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चालू वर्ष में बुक किये गये परेषणों की चोरियों और उठाईगीरी के कारण हानियों के रूप में वृद्धि होना महत्वपूर्ण है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जनवरी-अप्रैल, 1981 के दौरान इस सम्बन्ध में 19332 मामले पंजीकृत किये गये थे और 1721 बाहरी व्यक्तियों तथा 201 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था । उनके मामलों की खोज-बीन की जा रही हैं ।

(ङ) बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगीरी को रोकथाम के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) जहां तक सम्भव होता है कीमती परेषण वाले माल डिब्बों में जब वे गाड़ी भार में चल रहे होते हैं, रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को मार्ग-रक्षी के रूप में तैनात किया जा रहा है ।

(2) सभी महत्वपूर्ण और भेद्य यार्डों, माल गोदामों आदि की रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा रात-दिन निगरानी की जाती है ।

(3) जिन स्थानों पर चोरियों की अत्यधिक घटनाएं होती हैं, ऐसे बदनाम स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(4) भेद्य आउटर सिगनलों, इंजीनियरी प्रतिबन्धी और चढ़ाई वाले स्थानों पर जहां गाड़ियां धीमी पड़ जाती हैं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी फैला दिये जाते हैं ।

(5) जब मार्गवर्ती स्टेशनों पर माल उतारा जाता है, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा उसकी निगरानी की जाती है ।

(6) रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा द्वारा अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति को लेने वाले व्यक्तियों की कार्यवाहियों और गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्रित की जाती है और अपराधियों तथा चुराई गई सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाते हैं ।

(7) रेलों पर चोरी और उठाईगीरी की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

अमेरिका तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को विमान सर्वेक्षण सहायता देने का निर्णय

3628. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान को उन्नत चेतावनी नियंत्रण प्रणाली सहित विशेष विमान (एयर) सर्वेक्षण सहायता की सप्लाई करने के अमरीका और चीन सरकार के कथित निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का इस दृष्टि से मूल्यांकन क्या है कि इससे भारत की सुरक्षा और हवाई रक्षा पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने ऐसी कई रिपोर्टें देखी हैं जिनमें पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हथियारों के लेन-देन की सीमा और सामग्री के बारे में बताया गया है। हमारी सूचना के अनुसार इस लेन-देन पर बातचीत अभी चल रही है। सरकार को इस बात की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका अथवा किसी अन्य देश ने पाकिस्तान को टोह लगाने वाली विशिष्ट विमान-पद्धति अथवा अग्रिम चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली की सप्लाई की है।

(ख) मूल्यांकन करने से पहले सरकार ऊपर (क) में की गयी सप्लाई और उसकी मात्रा के सम्बन्ध में पुष्टि करना चाहेगी।

विकलांग बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्रवेश तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं प्रदान करना

3629. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान विकलांग बच्चों को कुछ सुविधायें प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर प्रवेश तथा छात्रवृत्ति के संदर्भ में इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विकलांग बच्चों को विशेषकर राजधानी में अन्य कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान विकलांग बच्चों के लिए कुछ वर्तमान कार्यक्रमों को मजबूत किया गया है तथा कुछ नए कार्यक्रम बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाएं नीचे दिए गए हैं :—

(1) विभिन्न श्रेणियों के विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस देश में विशेष स्कूल चल रहे हैं। इनमें से कुछ स्कूल भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा शेष स्कूल स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती हैं।

(2) "स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना" के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षा पूर्व प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु

सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत नई परियोजनाओं का 90% खर्च सरकार द्वारा पूरा किया जाता है।

(3) 1 अप्रैल, 1981 से शुरू की गई समेकित शिक्षा को संशोधित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार नियत स्केल पर कुछ मदों पर सामान्य स्कूल पद्धति में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च का 100% पूरा करती है। अन्य मदों के साथ-साथ ये मद हैं :– अध्यापकों का वेतन, पुस्तकों और लेखन सामग्री का खर्च, मूल्यांकन लागत तथा आरम्भिक उपकरणों का खर्च।

(4) भारत सरकार द्वारा नेत्रहीनों, बधिरों और अस्थि विकलांगों के लिए छात्र-वृत्तियों की योजना के अन्तर्गत नवीं कक्षा से और आगे की कक्षाओं में शिक्षा और इन-प्लांट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। आठवीं कक्षा तक छात्रवृत्तियां देने के लिए अधिकतर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की अपनी योजनाएं हैं।

(5) विकलांग व्यक्तियों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को सहायक यन्त्र और उपकरण खरीदने के लिए सहायता देने की एक नई योजना चालू कैलेन्डर वर्ष के दौरान शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपकरण मुफ्त दिए जाते हैं, जिनकी अपनी आय अथवा उनके मां-बाप की आय 750 रुपए प्रति मास तक है तथा यदि आय 751-1500 रुपए प्रति मास है तो उन्हें 50% मूल्य पर उपकरण/सहायक यन्त्र प्रदान किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों/बच्चों को उनके शारीरिक, सामाजिक अथवा आर्थिक पुनर्वास के लिए कृत्रिम अंग, कम नजर के लिए सहायक यन्त्र, श्रवण सहायक यन्त्र तथा अन्य सहायक यन्त्र और उपकरण दिए जा सकते हैं।

(ग) ऊपर बताई गई योजनाएं दिल्ली में भी लागू हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू वर्ष में बनाई गई कुछ विशिष्ट योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) यमुना-पार के इलाकों में बधिरों के लिए नर्सरी/प्राइमरी स्कूल खोला जाना।

(2) मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए एक संस्था खोलना।

(3) आठवीं कक्षा तक विकलांग बच्चों के लिए वृत्तियों की दरों को बढ़ाना।

(4) विकलांग बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायक अनुदान।

(5) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना का विस्तार, जिसके अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री, सहायक यन्त्र और वाहन सुविधा मुफ्त प्रदान की जाएगी।

चलती माल गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी

3630. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती माल गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी करने, बड़ी मात्रा में कोयला बाहर गिराने का, डिब्बों की सील तोड़कर माल गायब करने के बारे में दिनांक 17 जुलाई, 1981 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार सही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले पकड़े गये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। 26-6-1981 को मध्य रेलवे के कटनी-वीना खंड पर असलाना और पथरिया स्टेशनों के बीच कि० मी० 1110/5-6 पर कपलिंगों के टूट जाने के कारण 70 खाली टंकी माल डिब्बों वाली ई-30 अप माल गाड़ी दो भागों में बट गयी थी। लगभग 23.18 बजे जब इस गाड़ी का पहला हिस्सा पथरिया स्टेशन से गुजर रहा था, उस समय स्टेशन मास्टर ने गाड़ी में ब्रेकयान लगा न होने के कारण अपने स्टेशन पर गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी के इन्जन को अलग करके खंड में भेज दिया गया और गाड़ी के टूटे हुए दूसरे हिस्से की, जिसमें 24 खाली पेट्रोल टंकी माल डिब्बे और ब्रेकयान था, पथरिया स्टेशन पर लाया गया, जहां वीना के लिए यह गाड़ी 27-6-1981 को लगभग 3.07 बजे रवाना हुई। पेट्रोल टंकियां खाली थीं। इस गाड़ी में कोयला या अन्य प्रकार परेषणों से लदे हुए खुले या सील बंद माल डिब्बे नहीं लगे थे। अतः, माल डिब्बों की सील से छेड़-छाड़ करने तथा कोयले, पेट्रोल तथा अन्य सामान की खोरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल कुछ वृद्धि हुई पायी गयी है।

(ग) वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 (जुलाई तक) के दौरान सभी रेलों पर चलती गाड़ियों में माल-डिब्बों की सील तोड़कर चोरी के क्रमशः 1708, 3765, 5842 और 5710 मामलों की रिपोर्ट मिली हैं। इनमें से 192, 214, 358 और 219 मामलों का पता लगाया जा सका है और 1978, 1979, 1980 और 1981 (जुलाई तक) क्रमशः 274, 267, 484 और 219 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(घ) पारवहन के दौरान कोयले और पेट्रोल सहित सभी परेषणों की चोरियों की रोक-थाम के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) जहां तक संभव होता है कीमती परेषण वाले माल-डिब्बों में जब से गाड़ी भार में चल रहे होते हैं, रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को मार्ग-रक्षी के रूप में तैनात किया जा रहा है।

(2) सभी महत्वपूर्ण और भेद्य यार्डों, माल गोदामों आदि की रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा रात-दिन निगरानी की जाती है।

(3) जिन स्थानों पर चोरियों की अत्यधिक घटनाएं होती हैं ऐसे बदनाम स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(4) भेद्य आउटर सिगनलों, इन्जीनियरी प्रतिबंधी और घढ़ाई वाले स्थानों पर जहां गाड़ियां धीमी पड़ जाती हैं रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी फैला दिये जाते हैं।

(5) जब मार्गवर्ती स्टेशनों पर माल उतारा जाता है, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा उसकी निगरानी की जाती है।

(6) रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा द्वारा अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति को लेने वाले व्यक्तियों की कार्यवाहियों और गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्रित की जाती है और अपराधियों तथा चुरायी गयी सम्पत्ति रखने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाते हैं।

(7) रेलों पर चोरी और उठाईगीरी की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

राजधानी में रेलवे फाटकों के बारे में शिकायतें

3631. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के निवासियों ने लाजपत नगर स्टेशन, ओखला औद्योगिकी क्षेत्र के निकट और सेवा नगर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के बीच स्थित रेलवे फाटकों के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या फाटकों को हटाने की परियोजना शीघ्र ही शुरू की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। भीष्म पितामह मार्ग पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है। यह पुल सेवानगर लेबल क्रासिंग के स्थान पर काम करेगा।

लाजपत नगर लेबल क्रासिंग डिफेंस कालोनी के ओवर ब्रिज के पास में स्थित है। इस स्थान पर अभी कोई ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली प्रशासन ने ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट के पास रेलवे ओवर ब्रिज के लिए प्रारम्भिक भूमि परीक्षण करने के लिए व्यय के एक अनुमान के बारे में अपनी मंजूरी दी है।

भारतीय जहाज रानी निगम के अन्तर्गत चल रहे जहाजों की संख्या

3632. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाज रानी निगम के कितने जहाज चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन सालों के दौरान भारतीय जहाज रानी निगम ने कितना लाभ कमाया;

(ग) क्या यह सच है कि बंदरगाहों में भारतीय जहाज रानी निगम को घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय नौवहन निगम के अधीन 147 जहाज चल रहे हैं ।

(ख) भारतीय नौवहन निगम को पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित लाभ/हानि हुई :—

वर्ष	लाभ	हानि
	(करोड़ रुपये)	
1978-79	—	37.01
1979-80	—	1.85
1980-81	17.40 (अनुमानित)	—

(ग) और (घ) भारतीय नौवहन निगम को कुछ हानि कुछ पत्तनों पर घाट मिलने में देरी के कारण हुई । इस हानि को पूरा करने/कम करने के लिए भारतीय नौवहन निगम ने कुछ क्षेत्रों में कंटेनर-सेवा शुरू की है जिससे जहाजों को अधिक समय तक नहीं रुकना पड़े और उनके आवागमन की दर में सुधार हो । इसके अलावा कंटेनरों और बोरियों में बिना बंद माल को चढ़ाने की प्रक्रिया में भी भारतीय पत्तनों में उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुधार किया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आई० आई० एम० अहमदाबाद के संख्या-समकक्ष का निर्धारण

3633. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय; अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों को दिये गये असमान ग्रेड स्कैल के संख्या-समकक्ष निकालने के लिए क्या तरीका अपनाता है;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन से प्राधिकारी अन्य संस्थानों के डिप्लोमा डिग्री जिन्हें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अधिनियम 8 (नौ) के अधीन मान्यता दी है, में दिये गये ग्रेड और ग्रेड प्वाइंट औसत का सामान मूल्य संख्या समकक्ष निर्धारित करने में सक्षम है, क्या इस प्राधिकारी ने आई० आई० एम० अहमदाबाद द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा के ग्रेडों का अनुरूप ग्रेड और ग्रेड प्वाइंट औसत निर्धारित किया है; और

(ग) क्या 4 प्वाइन्ट, 7 प्वाइन्ट और 10 प्वाइंट ग्रेड स्केल के बारे में समकक्ष ग्रेड प्वाइन्ट तैयार किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर इसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद/परिषद ने भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा के संबंध में ग्रेड तथा औसत ग्रेड प्वाइन्ट का तदनुरूपी मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया है ।

देश में फाइलेरिया नियन्त्रण एकक खोलना

3634. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में फाइलेरिया नियंत्रण एकक खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने हैं;

(ग) उड़ीसा में ऐसे कितने फाइलेरिया नियंत्रण एकक खोले जा रहे हैं; और

(घ) उक्त एकक कहां-कहां खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी, हां ।

(ख) छठी योजना के दौरान देश में 28 नियंत्रण एकक खोलने का विचार है ।

(ग) 5 एकक उड़ीसा में खोलने का विचार है ।

(घ) छठी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य को अलाट किए गए 5 नियंत्रण एककों में से 3 एकक केन्द्रपारा, पारादीप और जाजीपुर में पहले ही खोले जा चुके हैं । शेष दो एककों के स्थान का निश्चय राज्य सरकार द्वारा दो फाइलेरिया सर्वेक्षण एककों द्वारा उस राज्य में किए जा रहे सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर किया जाएगा ।

मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि

3635. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री एन० डेनिस :

श्री डी० पी० जदेजा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बरसात के मौसम में लगभग सभी राज्यों में मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बरसात के मौसम के दौरान प्रत्येक राज्य में मलेरिया से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस बीमारी पर काबू पाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) पिछले वर्ष और इस वर्ष इस अवधि में मलेरिया की जितनी घटनायें हुईं उनका तुलनात्मक विवरण विवरण में है ।

(ख) इस वर्ष मलेरिया से हुई मौतों के आंकड़े अप्रैल से जुलाई तक ही उपलब्ध हैं । इस अवधि में असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और डी० एन० के परियोजना ने क्रमश: 11,3,1, और 1 मौतों की सूचना दी है ।

(ग) मलेरिया की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) मलेरिया को फैलने से रोकने के उद्देश्य से देश में एक संशोधित कार्य-योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(2) निगरानी कार्यकर्ता हर पखवाड़े में एक बार प्रत्येक गांव का दौरा कर वहां के बुखार के रोगियों का पता लगायेगा, रक्त एकत्र करेगा और रोगियों का इलाज भी करेगा ।

(3) प्रयोगशालाओं के कार्य को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और रक्त आलेपों की त्वरित जांच करने तथा मलेरिया के रोगियों के मेडीकल इलाज के लिये ये प्रयोगशालायें प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में खोल दी गई हैं ।

(4) गांवों में औषधि वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो कार्य कर रहे हैं ताकि बुखार के रोगियों को औषधियां अविलम्ब मिल सकें ।

(5) जिन ग्रामीण इलाकों में प्रति वर्ष एक हजार की आबादी में मलेरिया की दो या इससे अधिक घटनायें होती हैं, उन सब में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया जायेगा ।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980 (इसी अवधि में)			1981 घटनायें			1980 की तुलना में 1981 में यह सूची किस हुई वृद्धि (+)/कमी(—)की अवधि तक की है प्रतिशतता		
		जांचे गये रक्त आलेप	घटनायें	पी. एफ. के मामले	जांचे गये रक्त आलेप		पी.एफ. के मामले	कुल घटनायें	पी. एफ. के मामले	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1834404	7811	1721	2234682	7286	1988	(—) 6.72	(+) 15.51	अप्रैल
2.	असम	347956	10712	6310	399011	9291	5256	(—) 13.27	(—) 16.70	तदैव
3.	विहार	754962	13170	8375	631214	10785	6048	(—) 18.11	(—) 27.79	तदैव
4.	गुजरात	1368848	82351	3735	1364943	105204	3946	(+) 27.75	(+) 5.65	मई
5.	हरियाणा	1011784	71000	283	1045212	18587	4831	(+) 10.69	(+) 1607.07	तदैव
6.	हिमाचल प्रदेश	179366	7422	1	228745	15701	17	(+)111.55	(+) 1600.00	तदैव
7.	जम्मू और काश्मीर	112292	976	—	112396	618	—	(—) 36.68	—	तदैव
8.	कर्नाटक	2020427	112858	2988	2085406	64507	2282	(—) 42.84	(—) 23.63	तदैव
9.	केरल	136045	534	10	132757	534	4	—	(—) 60.00	अप्रैल
10.	मध्य प्रदेश	396998	7567	1219	425175	14212	1168	(+) 87.82	(—) 4.18	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	महाराष्ट्र	2353192	71462	12243	1698802	36021	4022	(—) 49.59	(—) 67.15	मई
12.	मणिपुर	33032	496	199	35645	278	74	(—) 43.95	(—) 62.81	अप्रैल
13.	मेघालय	70716	5548	4884	59493	3439	2687	(—) 38.01	(—) 44.98	मई
14.	नागालैंड	14835	1615	634	9427	666	323	(—) 58.76	(—) 49.05	मार्च
15.	उड़ीसा	838293	73333	55685	638071	63387	50767	(—) 13.56	(—) 8.83	अप्रैल
16.	पंजाब	902850	51797	65	837946	48957	376	(—) 5.48	(+) 478.46	मई
17.	राजस्थान	1044212	8034	742	100215	10518	1496	(+) 30.92	(+) 100.00	अप्रैल
18.	सिक्किम	11012	13	3	10902	18	1	(+) 38.46	(—) 66.67	मई
19.	तमिलनाडु	955268	20091	1677	1031057	16074	801	(—) 19.99	(—) 52.24	अप्रैल
20.	त्रिपुरा	31499	1436	998	23792	811	643	(—) 43.52	(—) 35.57	तदैव
21.	उत्तर प्रदेश	2831136	28710	1770	3089900	42063	3144	(+) 46.51	(+) 77.63	जून
22.	पश्चिम बंगाल	473237	2964	557	476459	3526	324	(+) 18.96	(—) 41.83	अप्रैल
23.	अण्डमान और निकोबार	39814	4710	269	33544	1993	281	(—) 57.69	(+) 4.46	जून
24.	अरुणाचल प्रदेश	35890	5262	983	29292	4502	828	(—) 14.44	(—) 15.77	अप्रैल
25.	चण्डीगढ़	12876	3091	2	11285	2394	5	(—) 22.55	(+) 150.00	मार्च
26.	कोयला खान	23679	1123	95	18743	618	124	(—) 44.97	(+) 30.53	अप्रैल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. डी० एन० के० प्रोजेक्ट		12996	4195	3240	7594	1618	1284	(—) 61.43	(—) 60.37	जनवरी
28. दादर व नागर हवेली		6007	735	102	8464	1602	52	(+)117.96	(—) 49.02	जून
29. दिल्ली		535359	20478	6	543302	19154	26	(—) 6.47	(+) 333.33	जूलाई
30. गोवा		30105	242	3	20907	194	1	(—) 19.83	(—) 66.67	मई
31. लक्षद्वीप		799	2	—	705	—	—	—	—	अप्रैल
32. मिजोरम		35273	3493	1359	41114	4041	1080	(+) 15.69	(—) 20.53	तदैव
33. पांडिचेरी		37085	121	1	30263	85	1	(—) 29.75	—	तदैव
योग:		18492247	623352	110165	18318383	568684	93880	(—) 8.77	(—) 14.78	

नई दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, में दूसरी श्रेणी-शायिका के वातानुकुलित डिब्बे का शुरू किया जाना

3636. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में दूसरी श्रेणी-शायिका के वातानुकुलित डिब्बे लगाया जाना शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में समान सुविधा उपलब्ध कराई जायगी; और

(ग) यदि हां, तो यात्रियों को नई सुविधा का लाभ कब मिलना शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 151/152 बम्बई सेन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेस का डिब्बा भार बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है। विचार कर लिये जाने के बाद एक वातानुकुल 2-टियर डिब्बा लगाये जाने के संबंध में विचार किया जायेगा।

आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3637. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों के आदिवासी जिलों में कुछ केन्द्रीय विद्यालय खोलने का हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के आदिवासी जिलों में ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ये विद्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे;

(घ) क्या उड़ीसा के राउरकेला, सुन्दरगढ़ अथवा राजगंजपुर शहरों में ऐसे केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) (ख), और (ग) केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये शुरू किये गये हैं। ये विद्यालय उन स्थानों में खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी काफी संख्या में हों, अथवा जहां सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/उच्च अध्ययन-संस्थाएं स्थित हों, भले ही यह स्थान जनजातीय जिलों में आते हों अथवा नहीं। इसलिए खास तौर से जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राउरकेला में जहां स्टील औथोरिटी आफ इण्डिया लि० स्थित है, वहां एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है।

उर्दू के बारे में गुजराल समिति

3638. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री उर्दू के बारे में गुजराल समिति के बारे में 23 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति ने अपने विचारों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनके क्रियान्वयन के बारे में सरकार का क्या निर्णय है;

(ग) क्या गुजराल समिति के प्रतिवेदन में राज्यों के बारे में की गई सिफारिशों के लिए, सभी राज्यों के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं, यदि नहीं, तो जिन राज्यों ने अभी अपने विचार प्रस्तुत करने हैं उनके नाम क्या हैं;

(घ) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त विचारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजराल समिति की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्बयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/निभाग सम्बन्धी गुजराल उर्दू तरक्की समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित की गई उप-समिति ने अन्तर-विभागीय बैठकें आयोजित की हैं जिनमें से पिछली बैठक 15-7-81 को बुलाई गई थी, जिसमें रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय (डाक तथा तार बोर्ड) तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि थे। उप-समिति अपनी टिप्पणियों को अन्तिम रूप दे रही है और यह तत्सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी।

2. गुजराल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर टिप्पणियां आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हो गई हैं। नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय राज्य सरकारों तथा दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडिचेरी तथा अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने बताया है कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी हैं। गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिम वंगाल और उत्तर प्रदेश ने बताया है कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद ही उनकी टिप्पणियां उपलब्ध होंगी। उन्हें इस सम्बन्ध में नियमित रूप से स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं। असम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों तथा

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और गोवा, दमन तथा दीव संघ शासित प्रशासनों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है । उन्हें भी नियमित रूप से स्मरण-पत्र भेजे जा रहें हैं ।

3. मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क करके तथा इस कार्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार विशेषाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत दौरों के जरिए इस मामले में शीघ्र कार्यवाई करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

मुजफ्फरनगर में उपरि पुल

3639. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल विभाग से अनुरोध किया है कि मुजफ्फरनगर में पैदल यात्रियों के लिए शहर के क्षेत्र में नई मण्डी को रेलवे रोड से जोड़ने वाला एक उपरि पुल बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपरि पुल के निर्माण के संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, नये ऊपरी पैदल पुलों की लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी है ताकि जनता रेलवे यार्ड के एक ओर से दूसरी ओर जा सके। कार्यकारी इन्जीनियर लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर ने प्रस्तावित ऊपरी पैदल पुल का सर्वेक्षण तथा नक्शे एवं अनुमान तैयार करने संबंधी प्रभार जनवरी, 1981 में जमा कर दिये थे। सर्वेक्षण तथा नक्शे एवं अनुमान तैयार करने का काम प्रगति पर है। सर्वेक्षण और अभिकल्प का कार्य पूरा हो जाने पर लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों को अनुमानित लागत की सूचना दे दी जायेगी । अनुमान स्वीकार कर लिये जाने और राज्य सरकार द्वारा लागत जमा करा दिये जाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

वाराणसी में प्रेमचंद पर राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना

3640. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रेमचन्द शताब्दी समारोह समिति वाराणसी और राजनीति विज्ञान विभाग ने प्रेमचन्द और स्वतन्त्रता संग्राम पर 31 जुलाई से 2 अगस्त, 1981 तक एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) क्या उस विचार गोष्ठी में सरकार से यह मांग की गई थी कि वाराणसी में प्रेमचंद पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की जानी चाहिए तथा यह भी मांग की गई थी कि लमेही स्थित प्रेमचन्द के निवास गृह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। प्रेमचन्द शताब्दी समारोह समिति, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालल के राजनैतिक विज्ञान विभाग के सहयोग से 31 जुलाई से 2 अगस्त, 1981 तक "प्रेमचन्द और स्वतन्त्रता संग्राम" पर एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में निम्नलिखित विषय के पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया :—

1. "स्वराज्य" के सम्बन्ध में प्रेमचन्द की धारणा।

2. प्रेमचन्द की कृतियों में किसान।

3. प्रेमचन्द और सामाजिक वास्तविकता।

4. प्रेमचन्द और राष्ट्रीय एकता का प्रश्न।

5. प्रेमचन्द और इस समय लेखकों का दायित्व।

(ख) जी, हां।

(ग) मुन्शी प्रेमचन्द के पुत्र श्री अमृत राय, प्रेमचन्द के घर को एक व्यक्तिगत संग्रहालय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में पहले ही विचार कर रहे हैं।

रेलवे विश्राम कक्ष

3641. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे विश्राम कक्षों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) उनके आबंटन की पद्धति/प्रक्रिया क्या है और आवास के हिसाब से उनके प्रभार क्या हैं;

(ग) क्या पर्यटन यातायात को बढ़ावा देने के विचार से सरकारी कर्मचारियों को विश्राम गृहों के राज-सहायता प्राप्त दरों पर उनके छुट्टी यात्रा रियायत पर घूमने जाने तथा अन्य अवसरों पर उनके विश्राम गृहों के राज सहायता प्राप्त दरों पर आबंटन में कोई प्राथमिकता दी जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) स्टेशनों पर सरकारी विश्राम गृह वास्तविक यात्रियों के उपयोग के वास्ते 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर थोड़े समय के लिए ठहरने के लिए होते हैं ताकि वे समय-कुसमय मेल लेने वाली गाड़ियां पकड़ सकें। रेलों से विश्राम गृहों के स्थान-वार प्रभार इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य सामग्री में मिलावट करने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

3642. **आचार्य भगवान देव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्य सामग्री में मिलावट करने के लिए दिल्ली में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्रीमती जीन जे० कर्क पेट्रिक की भारत यात्रा

3643. **एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की स्थायी प्रतिनिधि श्रीमती जीन जे० कर्क पेट्रिक के साथ उनकी भारत में हाल की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) श्रीमती जीन जे० कर्क पेट्रिक की यात्रा से संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मसलों पर भारत अमरीकी द्विपक्षीय सम्बन्धों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मसलों पर विचार विमर्श का अवसर प्राप्त हुआ । इस बातचीत से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बातचीत जारी रखने और दोनों पक्षों को एक-दूसरे के हित-चिंता की बातों की जानकारी देने का लाभदायक उद्देश्य पूरा हुआ ।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

3644. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान सरकारी निधि से संचालित एक शैक्षिक संस्थान है और यदि हां, तो इसके मुख्यालय के गठन संबंधी सामान्य नियम क्या हैं; और क्या इसकी स्थापना एक विश्वविद्यालय पद्धति पर हुई है या किसी अन्य पद्धति पर; और

(ख) क्या वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में इस संस्थान की गतिविधियां इसके उद्देश्य के अनुरूप हैं और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत एक शैक्षिक संस्था है । संस्थान के मुख्य कार्यालय में चार प्रमुख खंड हैं, अर्थात शैक्षिक, प्रशासन, वित्त तथा परीक्षा, प्रत्येक खंड निदेशक के समग्र नियंत्रण में एक-एक उप निदेशक के पद के अधिकारी के अधीन हैं ।

संस्थान के दिल्ली, जम्मू, इलाहबाद, पुरी, तिरुपति तथा गुरुवायूर में स्थित छः संघटक विद्यापीठ हैं, इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में इससे सम्बद्ध 22 संस्थाएँ हैं । संस्थान का मुख्य कार्यालय, इसके संघटक विद्यापीठों के संचालन के अलावा संस्कृत में एक पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है तथा एक तिमाही संस्कृत पत्रिका सहित प्रकाशन निकालता है । इस प्रकार इसके कार्य-कलाप एक विश्वविद्यालय के जैसे हैं । हां, संस्थान के मुख्य कार्यालय के अधिकारियों के पदनाम, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीन अन्य ऐसे ही स्वायत्त संगठनों की पद्धति के आधार पर हैं ।

(ख) संस्थान के कार्य-कलाप इसके उन लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप ही हैं, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी ।

दिल्ली में गरीब बच्चों की बेहतरी के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

3645. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या समाज कल्याण विभाग गरीब बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ योजनाएं क्रियान्वित करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी उनमें से दिल्ली में कार्यान्वित की गई योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) ये योजनाएं किन क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं तो क्या इस तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी हां । निर्धन बच्चों की बेहतरी के लिए सारे देश (जिसमें दिल्ली भी शामिल है) में बहुत सी योजनाएं, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं, कार्यान्वित की जा रही है :—

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना ।
2. देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना ।

3. विकलांगों के लिए कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों की सहायता योजना ।
4. अपंगों को सहायक यंत्र खरीदने के लिए सहायता योजना ।
5. बालवाड़ी और दिवस देखभाल केन्द्रों के द्वारा पोषाहार कार्यक्रम ।
6. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना ।
7. विशेष पोषाहार कार्यक्रम ।

(ग) एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

योजना का नाम	क्षेत्रों के नाम
1	2
समेकित बाल विकास सेवा योजना	1. जामा मस्जिद
	2. नांगलोई
	3. नन्द नगरी
	4. त्रिलोकपुरी
	5. जहांगीरपुरी
	6. सीमापुरी
	7. मंगोलपुरी
	8. खानपुर
	9. शकरपुर ।
देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना	1. लाजपतनगर
	2. कीर्तिनगर
	3. नेहरू प्लेस
	4. इंद्रपुरी
	5. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
	6. दक्षिणपुरी
	7. डाक्टर अम्बेडकर मार्ग ।
विकलांगों के लिए कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	1. ओखला
	2. रेड क्रास रोड

1	2
	3. रामकृष्ण मार्ग
	4. पहाड़गंज
	5. लाजपतनगर
	6. जंगपुरा
	7. लाल बहादुर शास्त्री मार्ग ।
अपंगों को सहायक यंत्र खरीदने के लिए सहायता योजना	1. अंसारीनगर
	2. विष्णुनगर मार्ग
बालवाड़ी और दिवस देख भाल केन्द्रों के द्वारा पोषाहार योजना	1. शाहदरा
	2. पटपड़गंज
	3. रघुवीरनगर
	4. कुदसिया बाग
	5. मालवीयनगर
	6. पालम कालोनी
	7. उत्तम नगर
	8. पंचकुइंया रोड
	9. रिठाला गांव
	10. चिराग दिल्ली
	11. सागरपुर
	12. मदनगीर
	13. नारायणा गांव
	14. बलजीतनगर
	15. टोडापुर
	16. घोंडली गांव
	17. पुरानी सब्जी मण्डी
	18. घीरपुर गांव
	19. किंग्जवे कैम्प
	20. अलीपुर
	21. बाकोली

योजना का नाम	क्षेत्रों के नाम
	22. माजरा
	23. ताजपुर
	24. कुलकपुर
	25. तिग्गीपुर
	26. जींदपुर
	27. मुखमेलपुर
	28. बूढ़पुर
	29. हिरन्की
	30. बख्तावरपुर।
6. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना	1. प्रेजीडेंट एस्टेट
	2. रिंग रोड
	3. लुडलो कैसल
	4. भारतनगर
	5. सिविल लाइन्स

इसके अतिरिक्त केन्द्र शासित दिल्ली की गन्दी बस्तियों और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के निर्धन बच्चों के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत चार सौ से अधिक केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

रेल सेवा बोर्ड इलाहाबाद

3646. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवा बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ख) उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से मथुरा के लोगों की संख्या कितनी है और मथुरा जिले में तहसील सदावार के लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उम्मीदवारों के परीक्षा पत्रों की जांच मूल्यांकन कभी मथुरा जिले के सदावार शहर के अध्यापकों से कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी बार कराई गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा नियुक्ति के लिए 6504 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गयी थी।

(ख)	उत्तर प्रदेश	3982
	बिहार	686
	पश्चिम बंगाल	369
	राजस्थान	330
	हरियाणा	340
	पंजाब	245
	मध्य प्रदेश	52
	हिमाचल प्रदेश	9
	जम्मू और काश्मीर	5
	महाराष्ट्र	16
	असम	1
	उड़ीसा	7
	तमिलनाडु	1
	केरल	6
	दिल्ली	455

(ग) 245 उम्मीदवार मथुरा जिले के और 53 उम्मीदवार सदावार तहसील के हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) एक बार एक परीक्षक द्वारा और दूसरी बार दो परीक्षकों द्वारा।

दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों द्वारा लिपिक का कार्य किया जाना

3647. **श्री आर० एस० माने** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षा कार्य के आलावा कुछ अन्य कार्य जैसे वेतन बिल तैयार करना तथा कुछ अन्य लिपिकीय कार्य करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार विद्यार्थियों की उचित शिक्षा के हित में वेतन बिल तैयार करने तथा अन्य लिपिकीय कार्यों के लिये नियमित लिपिक नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वेतन बिल तैयार करने तथा अन्य लिपिकीय कार्यों के लिए नियमित क्लर्कों की नियुक्ति की जा चुकी है। तथापि, कार्य की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए वेतन बिल आदि जल्द तैयार की दृष्टि से महीने में एक अथवा दो बार 2 अथवा 3 घंटों क लिए अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। अध्यापकों को ऐसा कार्य खाली पीरियडों के दौरान स्कूल घंटों के बाद अथवा पहले सौंपा जाता है। इसलिए इससे बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्तमान रैक्टर को अदा किये गये भत्ते

3648. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्तमान रैक्टर को वर्ष 1977 में उनकी नियुक्ति के समय से अब तक कुल कितनी राशि के भत्ते दिये गये;

(ख) इस अवधि में उनकी यात्राओं पर कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) वह कहां-कहां गये, उनकी प्रत्येक यात्रा का प्रयोजन क्या था और प्रत्येक स्थान पर वह कितनी-कितनी अवधि तक रहे; और

(घ) उनकी प्रत्येक यात्रा पर कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्तमान रैक्टर को उनकी नियुक्ति की तारीख से 31.8.1981 तक वेतन तथा भत्ते के रूप में कुल 1,36,206.66 रु० दिए गए हैं।

(ख) 21,275.90 रु०।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

यात्रा के स्थान	प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य	ठहरने की अवधि	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया गया खर्च	कैफियत
1	2	3	4	5
1. स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र इम्फाल	मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव मणिपुर सरकार के साथ मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र इम्फाल में सरकारी कार्य।	एक दिन (23.12.1977)	1687.50	इम्फाल में जाने तथा आने का वायुयान किराया तथा दैनिक भत्ता।
2. वाराणसी तथा इम्फाल	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में फ्रैंच अध्यापकों के सम्मेलन तथा इम्फाल में चयन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए।	एक दिन वाराणसी में तथा एक दिन इम्फाल में (मार्च, 1978 के दौरान)	1632.85	——

1	2	3	4	5
3. लन्दन, न्यु यार्क, शिकागो	कनाडा में 12वें पंचवार्षिक राष्ट्रमंडलीय विश्वविद्यालय कांग्रेस में भाग लेने के लिए उन्हें रास्ते में यू० के०, यू० एस० ए० तथा शिकागो में कुछ महत्वपूर्ण विश्व-विद्यालयों में भ्रमण करने के लिए कुलपति ने अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, उन्हें फ्रैंच पाठ्यक्रम की अनुसंधान सामग्री की फोटोस्टेट प्रतियां प्राप्त हुईं।	दो दिन दो दिन तीन दिन (अगस्त, 1978 के दौरान)।	5,281.63 (क) 727.80 (ख) ——— 6009.43	(क) यह, वायुयान के किराए तथा लन्दन, न्युयार्क, शिकागो में रख-रखाव भत्ते का 25% है। (ख) अनुसंधान सामग्री की फोटोस्टेट प्रतियों की लागत।
4. इम्फाल	स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र इम्फाल में पुनरीक्षण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए।	चार दिन (जून, 1979)	1430.00	वायुयान-किराया।
5. पुणे	पूना में एन० डी० ए० की बैठक में भाग लेने के लिए।	चार दिन (जनवरी, 1981)	1606.50	यात्रा भत्ता (दै० भत्ता) वायुयान से)

1	2	3	4	5
6. बैंगकाक, हांगकांग	राष्ट्रमण्डलीय विश्व-विद्यालय संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए।	सात दिन (मार्च, 1981)	5,220.00 (क) 509.12 (ख) 5729.12	(क) वायुयान का किराया । (ख) बैंगकाक में दैनिक भत्ता। हांगकांग में आवास तथा भोजन की व्यवस्था मेजबान द्वारा की गई थी ।
7. इम्फाल	स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र, इम्फाल को मणिपुर विश्व-विद्यालय को सौंपने के लिए।	दो दिन (मार्च/अप्रैल 1981)	2188.50	इम्फाल से जाने तथा आने तक का वायुयान का किराया और दैनिक भत्ता।
8. गोवा से नई दिल्ली	कुलपति सम्मेलन, जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा भाषण दिया गया था, में भाग लेने के लिए अपने होम टाउन से वापस आ गए।	एक दिन (मई, 1981)	992.00 कुल 21,275.90	वायुयान का केवल वापसी किराया ।

सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के गठन का प्रस्ताव

3649. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पंजाब में जन्म और मृत्यु दर में काफी हद तक कमी हुई है और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में यह अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दी भाषी प्रदेशों और गंगा की घाटी ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है अर्थात् भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, साक्षरता की कमी विशेष रूप से महिलाओं में और प्रसूतिका एवं बच्चों की अधिक मृत्यु होती है;

(घ) क्या सरकार का सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम अविलम्ब चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पंजाब में जन्म और मृत्यु दरों में कमी हुई है लेकिन मृत्यु दरों में यह कमी इतनी उल्लेखनीय नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जन्म और मृत्यु दरें साधारणतया अधिक हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की जन्म-मरण की दरों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राज्यों के दो ग्रुपों के बीच जन्म मरण की दरों में जो अन्तर है, उसका श्रेय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन और परिवार नियोजन के तरीकों के अपनाए जाने को जा सकता है।

(ग) हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र, जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों और गंगा घाटी को कवर करते हैं, बड़ी घनी आबादी वाले और अल्प साक्षरता वाले (पुरुषों और महिलाओं दोनों में) क्षेत्र हैं और उनमें शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :-

	घनत्व (प्रतिवर्ग) कि० मी०	साक्षरता दर (प्रति एक हजार व्यक्ति)		शिशु मृत्यु दर (प्रति एक हजार जीवित बच्चों के जन्म पर)
		कुल	महिलायें	
1	2	3	4	5
(1) हरियाणा, दिल्ली राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल	245	29.9	17.6	155*

1	2	3	4	5
(2) शेष भारत	201**	42.9**	32.5**	110
(3) अखिल भारत	221**	36.2**	24.9**	130*

**असम और जम्मू व काश्मीर को छोड़कर ।

*बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर ।

घनत्व और महिला साक्षरता के आंकड़े 1981 की जनगणना के अनन्तिम अनुमानों पर आधारित हैं जबकि शिशु मृत्यु दर 1977 की है, जो नमूना पंजीयन पद्धति की दरों पर आधारित है । प्रसूति मृत्यु दर की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने "सन् 2000 ईसवी तक सब के लिये स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक भावी योजना तैयार की है । इस योजना को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना से आगे चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने का विचार है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसंधान तथा विकास हेतु अनुदान

3650. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1980-81 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिये अनुदानों की राशि क्या है;

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी; और

(ग) अनुसंधान के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1980-81 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गये कुल अनुदान इस प्रकार हैं :—

(1) अनुरक्षण और छात्रवृत्तियों तथा अधिछात्र वृत्तियों संबंधी योजनाओं के लिये योजनेतर अनुदान — 4290.28 लाख रुपये ।

(2) योजनागत विकास अनुदान — 2659.86 लाख रुपये ।

(ख) आयोग द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों सहित सभी विभागों से संबंधित विकास कार्यक्रमों की संवीक्षा सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए की जाती है और उस योजना के दौरान दिए जाने वाले अनुदान की राशि निर्धारित की जाती है । इसके बाद अनुमोदित योजनाओं पर खर्च की प्रगति के आधार पर विश्वविद्यालयों

द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समय-समय पर अनुदान दिए जाते हैं। अतः विभिन्न विभागों के विकास के लिए किसी वर्ष विशेष में अलग-अलग निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं।

(ग) 1980-81 के दौरान विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों की राशि, जिसके लेखे अलग से रखे जाते हैं, 7.40 करोड़ रुपये थी।

पश्चिमी जोन, दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के बिलों का भुगतान

3651. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने पश्चिम जोन, दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में लिपिक कर्मचारियों के कार्यकरण की जांच करने के लिये उन स्कूलों का कभी अचानक दौरा किया है;

(ख) क्या कुछ स्कूलों में लिपिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है तथा वे उसी स्कूल में 10 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या इन स्कूलों के लिपिक कर्मचारी, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को कुछ बिलों का भुगतान करने में देरी करते हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक स्कूल में भुगतान के लिए पड़े बिलों की संख्या क्या है; और

(ङ) अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को बिलों का शीघ्र भुगतान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) ओर (ड.) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कार्य कर रहे जूनियर और सीनियर रेजीडेंटों द्वारा लिया गया अवकाश

3652. **श्री के० ए० राजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विभिन्न क्लीनिकल प्री और पैराक्लीनिकल विभागों में कार्य कर रहे जूनियर और सीनियर रेजीडेंटों को कितने दिन के लिये ग्रीष्म, शीत और पूजा अवकाश लेने की अनुमति दी गई थी; और

(ख) क्या आयुर्विज्ञान संस्थान में इन रेजीडेंट डाक्टरों को जब वे अपना स्नातकोत्तर अध्ययन करते हैं, यह अवकाश लेने की अनुमति दी गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के जूनियर और सीनियर रेजिडेन्ट ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पूजा की छुट्टियों के अलग से पात्र नहीं हैं। इनके बजाय वे सब मिलाकर प्रथम वर्ष में 24 दिन और दूसरे तथा तीसरे वर्ष में 30-30 दिन की छुट्टी के पात्र हैं। सीनियर रेजिडेन्ट अस्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं और वे वर्ष में 12 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 30 दिन की अर्जित छुट्टी के पात्र होते हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उज्जैन के निकट बस दुर्घटना

3653. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री 27 जून, 1981 को उज्जैन के निकट दिल्ली के अध्यापकों को ले जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस संचालक के पास यात्रियों की सूची क्यों नहीं थी और कि उसने 52 के स्थान पर 58 यात्री क्यों बिठा रखे थे;

(ख) क्या बस संचालकों को सभी मामलों में राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा आयकर अधिकारियों को यात्रियों की सूची तथा दल के नेता के बारे में जानकारी नहीं देनी होती है जिससे कि कर अपवंचन का सही-सही आक्कलन तथा जांच की जा सके; और

(ग) क्या बस संचालक यात्रियों को उचित रसीद देते हैं और क्या उक्त यात्री दल का नेता दिल्ली के अध्यापकों में से एक था, यदि हां, तो उसके बारे में तथा बस संचालक के बारे में ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जो ट्रांसपोर्ट मोटर वेहिक्लिस एक्ट, 1939 की धारा 63 (6) के तहत विशेष टूरिस्ट परमिट के लिए आवेदन पत्र देता है उसे बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की एक सूची देनी होती है। इस परमिट होल्डर ट्रांसपोर्टर ने राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को यात्रियों की एक सूची दी थी। इस सूची में 57 व्यक्ति थे जिसमें 20 अल्पवय के थे । परमिट मंजूर करते समय

ट्रांसपोर्टर को राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली द्वारा यात्रियों की सूची की एक प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई थी। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सूची में अल्पवय के यात्रियों को दृष्टि में रखते हुए बस में आवश्यकता से अधिक यात्री नहीं थे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि दुर्घटना के समय ट्रांसपोर्टर के पास यात्रियों की सूची थी या नहीं और क्या यात्रा शुरू करने के पहले उसने यात्रियों को कोई रसीद दी थी या नहीं। इस टोली के अगुआ एक अध्यापक थे स्व० श्री आर० सिंह। ट्रांसपोर्टर का नाम व पता इस प्रकार है :—श्री एस० के० भसीन, बी-135, कालकाजी, नई दिल्ली।

स्कूटर चालकों के लिए हैल्मेट का अनिवार्य प्रयोग

3654. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो पहियों वाले स्कूटर पर सवारी करते समय हैल्मेट लगाना अनिवार्य है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में यह अनिवार्य नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि हैल्मेट लगाना अनिवार्य बनाने से प्राधिकारियों और हैल्मेट निर्माताओं तथा इन्हें बेचने वालों को बहुत राशि मिली है; और

(घ) क्या यह भी देखा गया है कि दुर्घटना होने पर हैल्मेट से कोई रक्षा नहीं होती हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनिवार्य रूप से हैल्मेट पहनने के बारे में मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 85-क के स्थान पर मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1977 (1977 का 27) प्रस्तावित किया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा यह निश्चित किया जाना था कि यह व्यवस्था किस तारीख से लागू की जाय। इस व्यवस्था को लागू करने का आशय नियमों को भी इसी समय से लागू करना था। हालांकि यह व्यवस्था 1.1.1980 से रद्द कर दी गई जो सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के मसौदे की पुनः जांच किये जाने के कारण हुआ। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनिवार्य रूप से हैल्मेट का पहनना लागू नहीं किया जा सका है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी, नहीं। सामान्य सुझाव की बात तो यह है कि हैलमेट पहनने से सिर की रक्षा होती है।

पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंध में संस्थाओं की स्थापना करना

3655. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंध में उच्च अध्ययन संस्थाओं की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये संस्थायें कहां पर स्थित हैं; और उनके कृत्य क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयो में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। ऐसी संस्थाएं स्थापित करने का, इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी० ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम से विख्यात पुस्तकों को हटाया जाना

3656. **श्री रशीद मसूद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बी० ए० (इतिहास) के नये पाठ्यक्रम से कुछ विख्यात इतिहासकारों की पुस्तकें हटा दी गई हैं जिसके फलस्वरूप अध्यापक समुदाय के एक वर्ग में मतभेद पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विख्यात इतिहासकारों की पुस्तकें हटाये जाने के क्या कारण हैं; और इस मतभेद को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के बी० ए० (इतिहास) पाठ्य विवरण में ऐसी पुस्तकों की एक सूची दी गई है जिन्हें प्रत्येक पाठ्क्रम का अध्ययन करने के सम्बन्ध में सुझाया गया है। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के अनुसार ऐसो पुस्तकें सुझाने के प्रयास किए गए हैं जो मूल स्रोत सामग्री पर आधारित हो अथवा विभिन्न दृष्टिकोणों से उच्च स्तर की हो। तथापि, अध्ययन के लिने सुझाई गई पुस्तकों की एक ऐसी विस्तृत सूची जिसमें सभी पुस्तकें शामिल हों, रखना न तो वांछनीय है और न ही संभव हो। सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न भी नहीं उठता।

अल्जीरिया के साथ आर्थिक तथा तकनीकी समझौता

3657. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अल्जीरिया के बीच आर्थिक तथा तकनीकी विकास के लिए हाल ही में एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरे सहित इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत के आर्थिक तथा तकनीकी विकास प्रगति करने के लिये यह समझौता किस तरह लाभदायक होगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) दोनों देशों के बीच एक वैज्ञानिक एवं सहयोग करार पर 28 फरवरी, 1980 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

(ख) इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : —

दोनों देशों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग, दोनों देशों के पारस्परिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान, अध्ययन तथा विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए परस्पर छात्रवृत्तियां प्रदान करना, दोनों देशों के लाभ के लिए अध्ययन तथा योजनाओं का संयुक्त प्रोत्साहन, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों की समस्याओं पर संयुक्त अनुसन्धान कार्य; वैज्ञानिक तथा तकनीकी गोष्टियों और पाठ्यक्रमों का आयोजन, और वैज्ञानिक तथा तकनीकी समस्याओं का संयुक्त अनुसंधान तथा पहचान ।

(ग) यह करार दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा । प्रत्येक देश को दूसरे देश के पास उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ होगा ।

बम्बई पत्तन न्यास के मझगांव-सेवरी रिक्लेमेशन में कोयला वैगनों की पुनः ढुलाई

3658. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास के मझगांव सेवरी रिक्लेमेशन के कोयला डिपो के प्लाट धारियों को कोयला और कोक वैगनों की सुपुर्दगी, पुनः तुलाई आदि के सम्बन्ध में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या बम्बई पत्तन न्यास, रेलवे अधिकारियों के साथ इन कठिनाइयों व अन्य मुद्दों को दूर करने के लिए हुई संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय नये रेलवे प्रबन्धकों द्वारा बदल दिए गये हैं;

(ग) क्या कोयला वैगनों की चोरी और न पहुंचे गए वैगनों के संबंध में बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कमी/नुकसान के बारे में पारवर्ती दावे काफी समय से लम्बित हैं तथा न्याय संगत दावों के निपटान में असाधारण विलम्ब होता है;

(घ) वैगनों में कोयला कम पाये जाने, चोरी होने, वैगनों के न पहुंचने के लिए नुकसान के कितने दावे वर्ष 1979 से लंबित पड़े हैं तथा कोयला कम पाए जाने, नुकसान के, चोरी के और न पहुंचे गए वैगनों के मदवार, न निपटाये गये मामलों की संख्या क्या है; और

(ङ) सरकार का स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सच नहीं है कि बैठकों में लिए गए निर्णय बाद में बदल दिए जाते हैं। दिसम्बर, 1976 से बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है, केवल दो छोड़कर, जो निम्नलिखित के बारे में हैं :—

(1) रेलवे रसीदों और वैगन दस्तावेजों पर बिना जोर दिए प्लाट होल्डरों को वैगन देना;

(2) नकद धनराशि जमा कराए बगैर ही तीन से अधिक वैगनों की डिलीवरी करना।

ये दो निर्णय (रियायतें) बाद में 18-12-1980 को वापस ले लिए गए जब कोयले की कमी के कारण धांधली शुरू हुई। ये रियायतें भी संबंधित पार्टियों को उचित नोटिस देने के बाद ही वापिस ली गईं।

(ग) और (घ) जहां तक बम्बई पत्तन न्यास रेलवे पर कोयले की चोरी और वैगनों के गुम हो जाने का प्रश्न है, क्रियाविधि इस प्रकार है कि जब ओवरड्यू वैगन प्राप्त नहीं होता या वैगनों के अन्दर कम माल होता है तो भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पार्टियां दावा दायर करती हैं। आमतौर पर मामलों का निपटान छह महीनों के अन्दर बल्कि इससे भी पहले ही कर दिया जाता है। केवल उन्हीं मामलों में रेलवे छह महीने से अधिक समय लेती है, जो पेचीदा होते हैं और जिनके लिये विभिन्न सरकारों से स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है। वैगनों के लापता होने, चोरी हो जाने, क्षति होने और वैगनों की कमी के मामलों की संख्या के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

मामले की किस्म	1979-80			1980-81		
	मामलों की कुल संख्या	जितने मामलों पर समझौता हुआ	अनिर्णीत मामले	मामलों की कुल संख्या	जितने मामलों पर समझौता हुआ	अनिर्णीत मामले
लापता वैगन	174	155	19	139	79	60
कमी और चोरी	77	63	14	80	53	27

(ङ) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया है कि उक्त मामलों के बारे में किसी किस्म की धांधली का पता नहीं चला है इसलिए उपचारात्मक उपाय करने का विचार नहीं है।

सफदरजंग अस्पताल से रेडियोग्राफरों, डार्क रूम सहायकों और नर्सिंग अर्दलियों के तबादले

3659. **श्री एल० एस० तुर :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने सफदरजंग अस्पताल के रेडियोग्राफरों, डार्क रूम सहायकों और नर्सिंग अर्दलियों के तबादले केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन तबादलों के क्या कारण हैं जबकि वे कर्मचारी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के न होकर सफदरजंग अस्पताल के ही हैं; और

(ग) सरकार का विचार उन्हें अपने मूल विभागों में स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर : (क) जी, हां। एक रेडियोग्राफर और एक नर्सिंग आर्डरली का स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में किया गया तथा एक डार्क रूम सहायक का स्थानान्तरण डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में किया गया।

(ख) इन व्यक्तियों के स्थानान्तरण का आदेश इसलिए दिया गया कि अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी से हाथापाई करने में उनका हाथ बताया गया था।

(ग) डार्क रूम सहायक द्वारा दायर की गई एक याचिका पर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार उसे फिर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। रेडियोग्राफर और नर्सिंग आर्डरली सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में पुनः स्थानान्तरण को स्थगित कर दिया गया है।

मैक्सिको शिखर सम्मेलन

3660, **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रांट आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरी मजदूर संघों के दबाव के परिणामस्वरूप गत कुछ महीनों में मैक्सिको में होने वाले उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलन की संभावनाएं उज्ज्वल हुई हैं; और

(ख) क्या सरकार मैक्सिको शिखर सम्मेलन में पूंजी और प्रौद्योगिकी के अन्तरण और बाजारों में पहुंच के बारे में उत्तरी राज्यों से विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की मांग करेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास इस बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि विकसित देशों के मजदूर संघों ने ब्रांट आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डाला है। लेकिन विकसित देशों में सरकार की नीतियों के निर्धारण में मजदूर संघों की भूमिका को देखते हुए, हो सकता है कि इन देशों में राष्ट्रों के बीच अन्योनाश्रय की भावना पैदा करने में उनके विचारों ने योगदान दिया हो। मैक्सिको में 22-23 अक्तूबर, 1981 को होने वाले सीमित उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन के परिणामों के बारे में अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह ध्यान देने की

बात है कि इसमें भाग लेने वाले 22 देशों के विदेश मंत्रियों की एक प्रारम्भिक बैठक 1-2 अगस्त, 1981 को केनकन (मैक्सिको) में हुई थी जो सफल रही थी जिसमें अक्तूबर में मैक्सिको में होने वाले शिखर सम्मेलन में किये जाने वाले विचार-विमर्श के लिए ढांचा तैयार करने तथा अन्य प्रक्रियात्मक मसलों पर सहमति हुई हैं।

सरकार इस समय बैठक में भाग लेने की तैयारियों को अन्तिम रूप देने में लगी हैं। विचारार्थ प्रश्नों में वित्त-प्रवाह, प्रौद्योगिकी का अन्तरण तथा बाजार में पहुंच जैसे प्रश्न भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय महत्व की सड़कें और पुल की 'केन्द्रीय क्षेत्र' योजना को पुनः शुरू करने का अनुरोध

3661. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 'केन्द्रीय क्षेत्र' योजना पुनः शुरू करने का अनुरोध किया है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व की सड़कों और पुलों का काम किया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : राष्ट्रीय महत्व के "विशेष सड़क/पुल" कार्यों की योजना को पुनः शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से सामान्य रूप से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु, उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत नेल्लौर जिले में टाडा से श्री काकुलम जिले में ईचापुरम तक सड़क का विकास करने का अनुरोध किया था। चूंकि राष्ट्रीय महत्व के सड़क/पुल कार्यों की स्कीम छठी योजना में शामिल नहीं की गई है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सका है।

रेलवे का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए स्वदेशी कम्पयूटर प्रौद्योगिकी

3663. **श्री जगदीश टाईटलर** :

श्री वी० वी० देसाई : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार स्वदेशी कम्पयूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या हमारे द्वारा स्वदेशी कम्पयूटर प्रौद्योगिकी के ही प्रयोग पर बल देने के कारण विश्व बैंक ने रेलों का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए व्यापक सहायता देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले कुछ वर्षों से भारतीय रेलों पर माल भाड़ा परिचालन नियंत्रण को संगणकीकृत करने के

प्रश्न पर सरकार विचार करती आ रही है, और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध आधार पर ऐसी प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है । इसके लिए यथा-संभव सीमा तक देशी तकनीक का लाभ उठाया जायेगा ।

(ख) बैंक ने यह लिखा था कि आधुनिकीकरण आदि के लिए ऋण के लिए बातचीत करने से पहले वे भारत सरकार/भारतीय रेलों से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहेगा कि पहले ऋण के लिए माल भाड़ा परिचालन नियंत्रण के लिए वास्तविक समय परिचालन सूचना प्रणाली को शुरू करने के लिए समुचित लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त हो जायेंगे और रेल विद्युतीकरण के लिए दूसरे ऋण के लिए बैंक यह आशा करेगा कि आयात के लिए वर्तमान परखे जा चुके उपकरणों का प्रवरण काफी हद तक कर लिया जायेगा और उसके कार्यान्वयन के कार्यक्रम को स्वीकृत कर लिया जायेगा ।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय रेलों की आवश्यकताओं और विभिन्न प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा । यह भी विनिश्चय किया गया है कि आवश्यक सीमा तक इस योजना के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और साफ्टवेयर भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के परामर्श से आयात किये जायेंगे । यह निर्णय कि क्या सम्पूर्ण परिचालन सूचना प्रणाली का आयात आवश्यक है, केवल तभी लिया जा सकता है जब भारतीय रेलों की आवश्यकताओं तथा भारत में उपलब्ध टेक्नोलाजी को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी रेलों पर प्रचलित प्रणाली का मूल्यांकन कर लिया जाये ।

देश में गलगण्ड रोग से ग्रस्त रोगी

3654. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री जगपाल सिंह :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी योजना के लगभग अन्त में लागू की गई राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण योजना गलगन्ड रोग को नियंत्रित करने में असफल रही है और देश भर में लाखों लोग इसके रोगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना की असफलता के कारणों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम गलगण्ड समस्या को हल करने की एक क्रमिक योजना है जिसके अन्तर्गत इस रोग के स्थानिक मारी वाले इलाकों में लोगों को आयोडीकृत नमक दिया जाता है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की अधिकतर जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। जहाँ भी इस कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से चलाया गया है, वहाँ गलगण्ड की घटनाओं में काफी कमी हुई हैं।

(ख) और (ग) ये कारण इस प्रकार हैं :

(1) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को पर्याप्त महत्व और प्राथमिकता न दिया जाना।

(2) राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये एजेन्टों द्वारा आयोडिकृत नमक के आबंटित कोटे का न उठाया जाना।

(3) अधिसूचित इलाकों में गैर-आयोडिकृत नमक के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्धों का प्रभावकारी ढंग से प्रवर्तन न किया जाना।

(4) इस योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिये सम्बन्धित राज्य मुख्यालयों/प्रभागों में गलगण्ड नियंत्रण एकांशों का न खोला जाना।

(5) आयोडिकृत नमक की ढुलाई के लिये खासकर बरसात के मौसम में रेलवे द्वारा ढके हुए डिब्बों का उपलब्ध न कराया जाना।

(6) आयोडिकृत नमक का उत्पादन कम होना जिसका एक कारण इसका कम मात्रा में खरीदा जाना है।

(घ) राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में प्रभावकारी कदम उठाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक संयंत्र स्थापित करने की एक योजना बनायी है ताकि स्थानिक मारी बाले क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत लोगों को आयोडिकृत नमक सप्लाई किया जा सके।

मानद रेल पास रद्द किये जाने के कारण

3665. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने हाल ही में रेलवे मानद पास देना बन्द कर दिया है और कुछ वर्गों के पास रद्द कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों को दी गयी नि.शुल्क यात्रा सुविधाओं की समीक्षा करने के बाद रेल मंत्रालय ने 13-8-81 से रेलों से संबंधित निम्नलिखित समितियों के सदस्यों को जारी किये गये मानार्थ कार्ड पास के सिवाय सभी व्यक्तियों/संगठनों को जारी किये गये मानार्थ कार्ड पास रद्द कर दिया है : -

1. रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति,
2. हिन्दी शब्दावली समिति.
3. स्थाई स्वैच्छिक सहायता समिति,
4. राष्ट्रीय रेलवे खानपान परामर्श परिषद्,
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति,
6. यात्री सुविधा समिति ।

बम्बई में मैन टाइप ई० एम० यू० यात्री डिब्बों का बदला जाना

3666. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि यात्री डिब्बों का सुधार करने सम्बन्धी समिति ने यह बात स्वीकार की थी कि बम्बई में सभी मैन टाइप ई० एम० यू० यात्री डिब्बों को बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट जनवरी, 1979 में बम्बई क्षेत्र में एम. ए. एन. किस्म के गतायु बिजली सवारी डिब्बों के बदलाव के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए नए उपाय

3667. **श्री चित्त महाटा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए कोई नए उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि यदि कोई कमियां हों तो उनका पता लगाकर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें जिससे कि इस कार्यक्रम की गति बनी रहे। "छोटे परिवार के सिद्धान्त" के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इसके अपनाये जाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों को सुधारा जा रहा है। सेवा और सप्लाई की प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है तथा उसका विस्तार भी किया जा रहा है।

पिछले वर्षों के दौरान खोले गए आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक औषधालय

3668. **श्री राम अवध : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक औषधालय खोले गये; और

(ख) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष उसके लिए क्या सहायता प्रदान कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अपनी जरूरतों के अनुसार औषधालय खोलना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है। यथापि, राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना अनुसार उन्होंने जितने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय खोले हैं, उनकी संख्या के विवरण में दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन खोले गए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों/यूनिटों की संख्या इस प्रकार है :—

	1979-80		1980-81	
	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक
दिल्ली	—	3	6	3
बम्बई	—	—	—	1
पुणे	—	1	1	—

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों को औषधालय खोलने के लिए कोई भी सहायता नहीं देती। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन खोले जाने वाले औषधालयों के लिए धन की व्यवस्था भारत सरकार अपने बजट में करती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य सरकार	आयुर्वेद		होम्योपैथी	
		1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	7	1	3
2.	असम	+	8	—	—
3.	बिहार	+	6	—	—
4.	गुजरात	+	—	+	—
5.	हरियाणा	57	20	—	5
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	7	8	21	1
9.	केरल	3	6	5	4
10.	मध्य प्रदेश	174	150	3	14
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	—
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	2
14.	नागालैण्ड	—	—	—	1
15.	उड़ीसा	40	8	48	6
16.	पंजाब	28	28	7	9
17.	राजस्थान	104	111	5	17
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	—	—	4	5
20.	त्रिपुरा	—	—	7	—
21.	उत्तर प्रदेश	49	52	+	35
22.	पश्चिम बंगाल	+	10	—	—
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	10	2
25.	चण्डीगढ़	—	—		—
26.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—	—
28.	गोवा, दमन व दीव	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—
31.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—
	योग :	532	414	103	106

— = शून्य ।
\+ = अनुपलब्ध ।

के० के० एक्सप्रेस गाड़ी का देरी से चलना

3669. **श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सबसे लम्बे मार्ग पर चलने वाली के० के० एक्सप्रेस गाड़ी पिछले तीन महीनों में कितने दिन अपने गन्तव्य स्टेशन पर ठीक समय पर पहुंची;

(ख) क्या अन्य गाड़ियों को रास्ता देने के लिए इसे रोक दिया जाता है; और

(ग) क्या इसके बार बार लेट हो जाने के कारण यात्रियों को खाना समय पर नहीं मिलता क्योंकि यात्रियों को भूख से बचाने के लिए इस गाड़ी में भोजनालय नहीं जोड़ा जाता ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सप्ताह में दो बार चलने वाली 125/126 के० के० एक्सप्रेस का चालन मुख्यतः खतरे की जंजीर खींचने के कारण विगत में संतोषजनक नहीं था। जुन, जुलाई और अगस्त, 1981 में 125 डाउन के० के० एक्सप्रेस 3, 2 और 1 अवसर पर गंतव्य स्थान में समय से पहुंची और 126 अप के० के० एक्सप्रेस 2, 1 और 3 अवसरों पर समय से गंतव्य स्थान में पहुंची। इन गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए हर सभव प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) के० के० एक्सप्रेस में एक पैंट्री कार की व्यवस्था की गयी है। मार्ग में आधार रसोई घरों से भोजन लिया जाता है। जब गाड़ी असाधारण तौर पर देर से चल रही हो तब भोजन की सप्लाई की समुचित रूप से पुनः व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त, भोजन काल के दौरान यात्रियों की मांग पर अन्य वस्तुओं के साथ साथ उपमा, कटलेट, डबलरोटी आदि जैसी खाद्य वस्तुएं भी उपलब्ध की जाती हैं।

उड़ीसा के तीन मेडिकल कालेजों के लिए धनराशि आवंटन

3670. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा के तीन मेडिकल कालेजों को कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रदान की गई;

(ख) तीन मेडिकल कालेजों के कैम्पस में भवन निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा के तीन कालेजों के लिये 255.90 लाख रुपये का खर्च अनुमोदित किया था।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1974-78 के दौरान तीन मेडिकल कालेजों के भवनों के निर्माण पर 165.00 लाख रुपये खर्च हुए थे। इस खर्च का कालेज-वार ब्यौरा इस प्रकार बताया गया है :—

1. एस० सी० वी० मेडिकल कालेज, कटक 57.31 लाख रुपये।
2. वी० एस० एस० मेडिकल कालेज, बुर्ला, साम्बलपुर 62.17 लाख रुपये।
3. महाराजा के० सी० जी० मेडिकल कालेज, बहरामपुर 45.32 लाख रुपये।

भारत सरकार द्वारा नामजद व्यक्तियों का एम० बी० बी० एस० तथा बी० डी० एस० की सीटों के लिए आरक्षण

3671. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए भारत सरकार द्वारा नामजद व्यक्तियों के लिए एम० बी० बी० एस० तथा बी० डी० एस० की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) इन सीटों के हकदार विद्यार्थियों की श्रेणियां कौन सी हैं;

(ग) क्या इन आरक्षित सीटों के लिए मंत्री का भी कोई अपना कोटा है;

(घ) इन सीटों के आरक्षण के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है;

(ङ) इस वर्ष आवंटित सीटों का विवरण क्या है; और

(च) बची हुई सीटें, यदि कोई हों, की संख्या क्या है तथा अब तक इन सीटों को आवंटित न किये जाने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (च) भारत सरकार ने मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेजों में एम० बी० बी० एस० और बी० डी० एस० सीटों को कोई आरक्षण नहीं किया है। तथापि, राज्य सरकारें उन राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए जिनमें मेडिकल/दन्त चिकित्सा कालेज नहीं हैं, रक्षा कार्मिकों के बच्चों और विदेशी छात्रों आदि के लिए भारत सरकार के अधिकार में कुछ सीटें (जिनकी संख्या हर वर्ष भिन्न-भिन्न होती है) दे देती हैं। ये सीटें कुल मिलाकर उपलब्ध सीटों और पात्र वर्गों तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानदण्डों को पूरा करने वाले अन्य हार्ड केसेस की मांगों के आधार पर अलाट की जाती हैं। सभी उपलब्ध सीटें अलाट की जा रही हैं। विवेक के आधार पर देने के लिए मंत्री के पास कोई कोटा नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन

3672. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ऐसे रेलवे कर्मचारियों को पेंशन का हिसाब लगाने के लिए, जिन्हें बाद में स्थाई सेवा में खपा लिया जाता है, आधी नैमित्तिक सेवा शामिल करने का पेंशनरी लाभपरियोजनाओं में काम करने वाले उन नैमित्तिक श्रमिकों को भी दिया गया है, जो बाद में स्थाई रेलवे सेवा में खपा लिए गए थे, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) परियोजनाओं पर लगे नैमित्तिक श्रमिक अस्थाई पदों के पात्र नहीं होते, जो 120 दिनों की निरन्तर सेवा पूरी करने पर चालू लाइन के नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाती हैं ।

भावनगर-पलिताना गाड़ी का रद्द किया जाना

3673. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के मंडलीय प्रबन्धक को भावनगर-पलिताना गाड़ी को रद्द करने के संबंध में दिनांक 22 जून, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या अधिकारियों को इस गाड़ी से यात्रा करने वाले दूधियों, छात्रों, व्यापारी वर्ग तथा सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को होने वाली भारी कठिनाईयों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल गाड़ी को पुनः चलाने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दो जोड़ी गाड़ियों में से एक जोड़ी गाड़ी अर्थात् 283/284 भावनगर-पलिताना मिश्रित गाड़ी कोयले की भारी कमी के कारण 16-6-81 से 17-7-81 तक और दुबारा 20-8-81 से 24-8-81 तक रद्द की गयी थी, इसे फिर से चला दिया है ।

यात्री डिब्बे निर्माता एककों के लक्ष्य

3674. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के लिए रेलवे के विभिन्न यात्री डिब्बे निर्माता एककों के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक ने कितने यात्री डिब्बों का निर्माण किया;

(ग) रेलवे के इन्जन निर्माता एकक की कितने रेल इन्जन बनाने की क्षमता है; और

(घ) उपयुक्त अवधि में कितने डीजल रेल इन्जनों का निर्माण हुआ ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए उत्पादन यूनिटों द्वारा निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित था : –

1. सवारी डिब्बा कारखाना	720
2. रेल कारखाने	100

(ख) उक्त वर्ष में उत्पादन यूनिटों ने निम्नलिखित संख्या में सवारी डिब्बों का निर्माण किया है :—

1. सवारी डिब्बा कारखाना	720
2. रेल कारखाने	92
जोड़ :	812

(ग)

	क्षमता		उत्पादन	
	बिजली रेल इन्जन	डीजल रेल इन्जन	बिजली रेल इंजन	डीजल रेल इन्जन
चि० रे० इं० का०	66	40	69	37
डी० रे० इं० का०	—	140	—	166

(घ) 1980-81 के दौरान कुल 203 डीजल रेल इन्जनों का निर्माण किया गया था।

बंगला देश को "तीन बीघा" पट्टे पर देना

3675. **श्री चित बसु** : क्या **विदेश मन्त्री** भारत बंगलादेश स्थल सीमा अंकन के बारे में 26-3-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5157 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त करार को इस बीच संसद ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ख) क्या पट्टे संबंधी शर्तें अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या भारत द्वारा बंगलादेश को "तीन बीघा" के निकट एक क्षेत्र चिरस्थायी पट्टे पर दिया जाना वास्तव में एक दूसरे देश को भारतीय क्षेत्र का एक भाग हस्तान्तरित कर देना नहीं है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत और बंगलादेश के बीच 16 मई, 1974 को जिस भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर हुए थे उनका अनुसमर्थन हमारी संसद द्वारा नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) अनन्तकालीन पट्टे की शर्तों पर अभी बंगलादेश सरकार के साथ विचार किया जा रहा है ।

(घ) करार की शर्तों के अनुसार बंगलादेश के पानबारी मौजा थाना पतग्राम को दाहाग्राम के साथ जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तीन बीघा के निकट एक क्षेत्र को अनंतकालीन पट्टे पर देने का अर्थ भारत के एक क्षेत्र को बंगलादेश को हस्तांरित करना नहीं है । पट्टे पर दिए जाने वाले इस क्षेत्र पर भारत की ही प्रभुसत्ता बनी रहेगी । इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पट्टे की शर्तों में इस बात की पर्याप्त सुरक्षा की गई है कि भारत के नागरिकों और उनके सामान को पट्टे पर दिये जाने वाले इस क्षेत्र के आर-पार बेरोक-टोक आने-जाने दिया जाए । इसलिए भारतीय क्षेत्र के किसी भाग को हस्तांरित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

तटवर्ती समुद्री जहाजों द्वारा ले जाए जाने वाले कोयले, नमक और सीमेंट पर अधिभार में वृद्धि

3676. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

श्री वी० वी० देशाई : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटवर्ती समुद्री जहाजों द्वारा ले जाए जाने वाले कोयले, नमक और सीमेंट पर अधिभार में वृद्धि की गई है;

(ख) अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने के कारण क्या हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां

(ख) बंकरों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अधिभार बढ़ा दिया गया है ।

(ग) अनुमान है कि बंकर अधिभार में वृद्धि होने से इन वस्तुओं की कीमतों में कोई खास वृद्धि नहीं होगी ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए रेल लाइनें

3677. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने यह निर्णय किया था कि देश के पिछड़े क्षेत्रों को रेल लाइनों के जरिए जोड़ा जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में पबाम, हजारीबाग बरास्ता शेरघाटी, हिमानगंज और गया जैसे पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रेल लाइन शुरू करने के बारे में पिछले सत्र में आश्वासन दिया गया था; और

(ग) क्या नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य वास्तव में शुरू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हालांकि सरकार, विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त रेलवे लाइनें बिछाना चाहती है किन्तु संसाधनों की कठिनाई के कारण कुछ प्राथमिकताएं निश्चित करना अनिवार्य हो गया है ।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । बहरहाल, इन कुछ पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनें बिछाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । निम्नलिखित नयी लाइनों के लिये सर्वेक्षण अब किया जा रहा है :—

(1) गया से राजगीर तक प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(2) कोडरमा और हजारीबाग के रास्ते गिरिडीह से रांची तक,
(3) बासूकिथ के रास्ते देवगढ़ से दुमका तक, और
(4) मधुपुर से दुमका तक ।

ये सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

इन सभी मामलों में, तकनीकी व्यावहारिकता और योजनाओं की वित्तीय अर्थ सक्षमता तथा संसाधनों की उपलब्धता का यथोचित ख्याल रखते हुए, सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय किया जाएगा ।

'ओपन स्कूल' योजना

3678. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** :

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग 14 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 'ओपन स्कूल' की प्रणाली शुरू करने की योजना के बारे में किस स्तर पर विचार हो रहा है; और

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, 14 वर्ष तथा इससे ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों के लिए अपनी 'खुला स्कूल परियोजना' पहले से ही शुरू कर दी है । छात्रों को एक क्रमबद्ध तरीके से पाठ भेजे जा रहे हैं जिनका भेजना 2 सितम्बर, 1981 से शुरू कर दिया है ।

(ख) परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) अध्यनकर्ता को अपनी पसन्द के विषय चुनने की स्वतंत्रता :

खुले स्कूल का उद्देश्य छात्रों को विषयों की एक दी हुई सूची में से अपनी पसन्द के विषय चुनने का अवसर प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण में यह भाव है कि यह छात्र का अपना हक है कि वह अपनी पसन्द और उपयोगिता के विषय चुन सके।

(2) परीक्षा की लचीली योजना :

परीक्षाएं एक या अनेक विषयों में ली जा सकती हैं बशर्ते कि एक समय में पांच से ज्यादा विषय न हों। जब एक छात्र पांच विषयों में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे केन्द्रीय बोर्ड की माध्यमिक स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने का एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। पांचों विषयों में पास होने का प्रमाण-पत्र एक साथ अथवा भागों में प्राप्त किया जा सकता है। उत्तरवर्ती मामले में विषय-वार प्राप्त होने वाले अंकों को इकट्ठा किया जाएगा जब तक कि छात्र अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अन्दर पांचों विषयों में पास न हो जाए।

(3) खुली प्रवेश प्रणाली :

कोई भी सीखने वाला व्यक्ति जो 14 वर्ष की आयु से अधिक हो तथा जो पढ़ तथा लिख सकता हो वह खुले स्कूल में दाखिले के लिए पात्र होगा।

(4) बहु-विषयक पंजीकरण प्रावधान :

खुले स्कूल की प्रणाली के अन्तर्गत दो तरह से पंजीकरण का प्रावधान है—कोर पंजीकरण और सेतु पंजीकरण। कोर पंजीकरण उन सीखने वालों के लिए है जिन्होंने कक्षा VIII उत्तीर्ण कर ली है, जबकि सेतु पंजीकरण उनके लिए है जिन्होंने कक्षा VIII उत्तीर्ण नहीं की है किंतु केवल पढ़ तथा लिख सकते हैं। ऐसे सीनने वालों की सेतु/प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों में दाखिलकिया जाताहै।

(5) क्षेत्रीय संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्रों के लिए प्रावधान :

खुले स्कुल का प्रस्ताव देश के ऐसे विभिन्न भागों में क्षेत्रीय संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का है जहां खुले स्कूल छात्र बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जिससे कि अध्ययन-कर्ता स्वत: अध्ययन शुरू करने में और इन केन्द्रों में उपलब्ध संसाधन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ऐसे केन्द्रों में छात्रों को व्यक्तिगत मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए एक शिक्षक (अंशकालिक आधार पर) उपलब्ध होगा। ऐसे केन्द्रों से छात्र उच्च अध्ययन सामग्री उधार प्राप्त कर सकते हैं।

(6) बहु-माध्यम शिक्षण सामग्री :

मुद्रित सामग्री के अतिरिक्त खुले स्कूल में निम्नलिखित की भी व्यवस्था होगी :

(1) आमने-सामने सम्पर्क कार्यक्रम,

(2) कैसेट, विशेष चार्ट तथा नक्शे जैसे अन्य दृश्य-श्रव्य साधन,

(3) रेडियो पाठों का उपयोग।
बाद में खुले स्कूल का दूरदर्शन माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(7) न्यूनतम शुल्क :

एक छात्र को एक विषय के लिए शिक्षा शुल्क के रूप में 25/- रु० की धनराशि देनी पड़ेगी किन्तु पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण समयावधि के लिए अधिकतम केवल 125/- रु० देने होंगे। विदेशी छात्रों को केवल 200/- रु० शिक्षा शुल्क के रूप में (40/- रु० प्रति विषय) + डाक खर्च देना पड़ेगा।

(8) छात्रों के अपने निवास स्थान पर तथा अपने समय में ही अध्ययन की सुविधा।

गत छह महीनों के दौरान यात्री गाड़ियों व माल गाड़ियों का ठीक समय पर आना-जाना

3679. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान विभिन्न यात्री गाड़ियों व महत्वपूर्ण माल गाड़ियों का समय पर आने-जाने संबंधी जोनवार मासिक रिकार्ड क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की इसी अवधि के दौरान तुलनात्मक कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) समय की पाबन्दी में यदि कोई चूक हुई है तो उसके जोनवार क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्री गाड़ियों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2809/41)

माल गाड़ियां निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नहीं चलतीं। अतः, उनकी समय पावन्दी के निष्पादन के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) कुछ क्षेत्रीय रेलों में यात्री गाड़ियों का समय-पाबन्दी के निष्पादन पर खतरे की जंजीर खींचने, बदमाशों की गतिविधियों, होस-पाइप अलग कर देने, चल स्टाक की खराबी, दुर्घटनाओं, सिगनल की खराबी/त्रुटि और अन्य विविध कारणों से बुरी तरह प्रभाव पड़ा है।

2 एस. बी. भिल्डी-सम्दारी पैसेंजर गाड़ी का देरी से चलना

3680. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 एस. बी. भिल्डी-सम्दारी पैसेन्जर गाड़ी महीने में 25 दिन सम्दारी स्टेशन पर देरी से पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस असाधारण देरी के कारण 2 जे. बी. बाड़मेर-जोधपुर गाड़ी के यात्रियों को बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि वे 2 एस. बी. गाड़ी को नहीं पकड़ सकते; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या-क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इंजन सम्पर्क की तंगी के कारण।

(ग) जी हां।

(घ) अक्टूबर की समय सारणी में अपेक्षित परिवर्तन किये जा रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एम० फिल/पी० एच० डी० कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र

3681. **श्री जैतुल बशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एम. फिल/पी. एच. डी. कार्यक्रम के लिए कितने छात्र पंजीकृत किए गए;

(ख) वे किस केन्द्र/स्कूल तथा विषय के लिए पंजीकृत किये गये और पर्यवेक्षक का नाम क्या है तथा पंजीकरण किस वर्ष किया गया;

(ग) उन शोध-छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें छात्रवृत्ति दी गई परन्तु उनका अध्ययन कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) उन शोध-छात्रों के नाम जो विश्वविद्यालय छोड़कर जा चुके हैं और पिछले तीन वर्षों में उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में हिन्दी पढ़ाना

3682. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां हिन्दी और भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी भाषाएं भारत में सरकार द्वारा पढ़ाई जा रही हैं और तत्सम्बन्धी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अनेक देशों में विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा किए गए द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में अफगानिस्तान, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, क्युबा, जर्मन जनवादी गणतंत्र, ईरान, इटली, मारिशस, मैक्सिको, पोलैण्ड, रूमानिया, कोरिया गणतंत्र, सोवियत रूस और युगोस्लाविया में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस समय भारतीय भाषाओं के शिक्षक बल्गारिया, क्युबा, जर्मन जनवादी गणतंत्र, गुयाना, मैक्सिको, रूमानिया, सूरीनाम और त्रिनिदाद तथा टोबागो में कार्य कर रहे हैं।

(ख) अनेक भारतीय विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएं अंग्रेजी और फ्रैंच, जर्मन, रूसी, नेपाली, जापानी, तिब्बती, लेटिन, ग्रीक, सीरियक, इतालवी, स्पेनिश, हिब्रु, पुर्तगाली, चीनी, तुर्की, बर्मी, थाई भाषा, इंडोनेशिया, बल्गारियाई, हंगरियाई, पोलिश, रुमानियाई, सेरबोक्रोएटियन, स्वाहिली, पश्तो, उजबेक, कोरियाई, सिंघली, मंगोलियाई, अरबी तथा फारसी सहित एक अथवा अधिक विदेशी भाषाओं के शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा किए गए द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, अफगानिस्तान, बल्गारिया, क्युबा, फ्रांस, हंगरी, जर्मन संघीय गणतंत्र, मंगोलिया, पोलैण्ड, रूमानिया, वियतनाम, सोवियत रूस तथा युगोस्लाविया के विदेशी भाषाओं के शिक्षक 1981-82 के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में नियुक्त किए गए हैं।

बीकानेर तथा सूरतगढ़ जंक्शनों के बीच के स्टेशनों पर शैडों की व्यवस्था

3683. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बीकानेर तथा सूरतगढ़ जंक्शनों के बीच उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां प्लेटफार्मों पर यात्रियों के लिये शैडों की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप उन्हें गर्मियों, सर्दियों तथा वर्षा के मौसम में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां प्लेटफार्मों पर शैडों की व्यवस्था नहीं की गई है वहां यात्रियों की सुविधा के लिये शैडों की व्यवस्था करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है और वहां शैडों की व्यवस्था कब तक कर दिये जाने की संभावना है।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बीकानेर तथा सूरतगढ़ के बीच निम्नलिखित 12 स्टेशनों पर प्लेटफार्म शैड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं :

1. कानासर	7. नथवाना
2. जामसर	8. नलकीसर
3. जगदेववाला	9. महाजन
4. घिरेरा	10. अर्जनसर
5. दालमेरा	11. राजियासर
6. लूनकरणसर	12. बिरधावल

बिरधावल के अतिरिक्त, उपर्युक्त सभी स्टेशनों पर दूसरे दर्जे के विश्रामालय उपलब्ध हैं, जहां गाड़ियों के लिए प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए स्थान उपलब्ध होता है।

इन स्टेशनों पर यातायात की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और परिणामतः ये स्टेशन छोटे होते हैं। यात्री यातायात की वर्तमान मात्रा के लिए विश्रामालयों के रूप में उपलब्ध वर्तमान विश्राम सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

सीधी रेलगाड़ियों में एक छोर से दूसरे छोर तक निरीक्षण किया जाना

3634. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे ने गार्डों, इंजन-ड्राइवरों और टी. टी. कर्मचारियों को ट्रेनों के एक छोर से दूसरे छोर तक जांच करते समय बर्बाद न करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे परिवहन शाखा पालघाट द्वारा जारी किए गए परिपत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिपत्र जारी किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पालघाट मण्डल की परिवहन शाखा द्वारा जारी किये गये परिपत्र का ब्यौरा इस प्रकार है :

"यह जानकारी मिलने पर कि जिन गार्डों को थ्रू यार्डों अथवा छोटे स्टेशनों से वर्क ट्रेनों के लिए राहत और/अथवा नये इंजन के साथ भेजा जाता है, वे गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी संरचना की जाच करने में काफी समय लगा देते हैं। सभी गार्डों का ध्यान वर्तमान प्रचलित अनुदेशों की ओर आकर्षित किया गया है जिनके अनुसार थ्रू गाड़ियों की संरचना की गार्डों द्वारा इस प्रकार की जांच किये जाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार की थ्रू गाड़ियों की संरचना की जांच गाड़ी परीक्षकों द्वारा भी नहीं की जाती है, इसलिए इन गाड़ियों की संरचना की गार्डों द्वारा जांच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।"

सभी गार्डों को अधिसूचना जारी कर दी गयी है कि उनसे विन्यास यार्डों अथवा छोटे स्टेशनों पर थ्रू गाड़ियों का चार्ज लेने के लिए कहा जाये तो उन्हें इस प्रकार की गाड़ियों की संरचना की जांच करनी चाहिए और यथासंभव कम से कम समय में गाड़ी चला देनी चाहिए।

(ग) दक्षिण रेलवे पर वर्तमान अनुदेश इस प्रकार हैं :

"प्रारम्भिक स्थानों पर गाड़ियों की भली भांति तथा व्यापक जांच अवश्य की जाये। लदान के लिए सप्लाई किये जाने से पहले जम्बो रेकों की जांच की जाये और यह सत्यापित कर लिया जाये कि ये लदान के लिए उपयुक्त हैं ताकि लदे माल डिब्बों को असम्बद्ध न करना पड़े। प्रारम्भिक स्थलों पर ही यह सुनिश्चित किया जाये कि जम्बो रेकों को 85 प्रतिशत ब्रेक पावर से कम पर रवाना न किया जाये। बी. ओ. एक्स. रेक भी आगे जांच किये बिना एक छोर से दूसरे छोर तक चलते हैं। ब्रेक यानों के साथ लगाये जाने वाले किसी भी हिस्से की अग्रिम जांच कर लेनी चाहिए ताकि ऐसे किसी भी स्थल पर जहां पर गाड़ी के किसी भाग को हटाने तथा लगाने के कारण गाड़ी की संरचना में बाधा पड़ती है वहां गाड़ी की पुनः जांच करने की आवश्यकता न पड़े।"

उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुदेश उस समय जारी किये गये थे जब यह बात नोटिस में आयी थी कि जब गार्डों को थ्रू यार्डों अथवा छोटे स्टेशनों से वर्क ट्रेनों के लिए राहत और/अथवा नये इन्जन के साथ भेजा गया था तब उन्होंने गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी संरचना की जांच करने में काफी समय लिया था।

आरक्षित पर्यटक डिब्बों पर प्रशुल्क

3685. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने आरक्षित पर्यटक डिब्बों के प्रशुल्क में हाल ही में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें पता है कि प्रशुल्क में इस तरह की वृद्धि से पर्यटन उद्योग को हानि होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षित पर्यटक डिब्बों के लिए सामान्य प्रशुल्क पुनः शुरू करने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1-6-1981 से आरक्षित सवारी डिब्बों और पर्यटकयानों के प्रभारों में संशोधन कर दिया गया है। यह संशोधन रेल दर जांच समिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय रेल किरायों के स्तर, सार्वभौम मुद्रा-स्फीति के प्रभाव रेल कर्षण की लागत और पर्यटक यातायात पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव सहित सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार किया था। बहरहाल इस संशोधन के प्रभावों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी।

नागदा और उज्जैन के बीच रेल सेवा

3686. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उज्जैन-नई खेड़ी तथा नागदा-पिपलोदा बागला रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुर्न) : (क) और (ख) उज्जैन-नई खेड़ी पहले से ही एक दोहरी लाइन खंड है । नागदा से पिपलोद बागला तक के खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है और इस खंड को 3-6-81 से यातायात के लिए खोला भी जा चुका है ।

उड़ीसा में कुछ लाइनों का विद्युतीकरण

3687. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में विद्युतीकरण कार्यक्रम को कोई प्राथमिकता दी है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में कुछ लाइनों के विद्युतीकरण के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुर्न) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजमुन्दरी में दो शयन शायिकाओं का आरक्षण कोटा

3688. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केरल समाज, राजमुन्दरी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राजमुन्दरी से कोचीन तक 131/132 जे० जे० एक्सप्रेस में दो शयन शायिकाओं को कोटा आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुर्न) : (क) और (ख) राजमुन्दरी स्टेशन को 132 अप निजामुद्दीन-एर्णाकुलम जयन्ती जनता एक्सप्रेस में आरक्षित

स्थान का कोटा आवंटित करने के लिए रेल प्रशासन को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस स्टेशन को 1-10-1981 से दूसरे दर्जे की 2 शाखिकाओं का कोटा आवंटित करने का प्रस्ताव है।

अध्ययन पाठ्यक्रमों का सरलीकरण

3689. **श्री ईरा अनबारासू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार शिक्षा प्रणाली में ऐसे नए परिवर्तनों की घोषणा करने का है जिन पर हम प्राय: विचार करते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार अध्ययन पाठ्यक्रमों का सरलीकरण करने और छोटे बच्चों के लिए उनकी कोमल आयु में पढ़ाई का भार कम करने तथा उच्चतर अध्ययनों के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर व्यावहारिक प्रणाली प्रवर्तित करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) पाठ्यचर्या सुधार एक सतत प्रक्रिया है। रा० शै० अनु० तथा प्र० परि०, प्राथमिक स्तर के लिए प्राथमिक शिक्षा पाट्यचर्या, नवीकरण की अपनी परियोजना के माध्यम से नवीन पाठ्यचर्या का विकास कर रही है जिसमें सार्थक अध्ययन के लिए स्थानीय पर्यावरण का उपयोग करने और कार्यकलाप- उन्मुख अध्यापन-अध्ययन को अपनाने पर जोर दिया गया है।

रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० द्वारा दस वर्षीय स्कूल पद्धति के लिए तैयार की गई अध्ययन योजना की, दस वर्षीय स्कूल 1977 के लिए पाठ्यचर्या संबंधी पुनरीक्षण समिति द्वारा पाठ्यचर्या का भार कम करने के उद्देश्य से पहले ही जांच की जा चुकी है। उस समिति की सिफारिशों पर शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन तथा भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्मेलन में विचार किया गया था और इन्हें लागू करने के लिये स्वीकृत किया गया। माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा तैयार की गई पाठ्चर्याओं तथा पाठ्यक्रमों का इस दृष्टि से बोर्डों द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है कि उन्हें अद्यतन और युक्तिसंगत बनाया जा सके और जहां भी आवश्यक हो, सम्बद्ध स्कूलों तथा अन्य एजेंसियों से पृष्ठ-सामग्री के आधार पर कार्यभार को कम किया जा सके।

रा० शै० अनु० तथा प्र० परि०, उन्नत शिक्षण-साधन तथा तकनीकों के विकास द्वारा शिक्षा की कोटि में सुधार करने के भी सतत् प्रयास कर रही है।

पुरानी रेल पटरियों को बदलना

3691. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल की कार्यकाल से अधिक पुरानी पड़ गई पटरी की लम्बाई कितनी है और उसे शीघ्र बदलने की आवश्यकता है;

(ख) ये पटरियां किस-किस "सेक्शन" में स्थित हैं;

(ग) क्या रेलवे ने इन पुरानी पटरियों को बदलने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जिस रेल पथ का हालत के आधार पर तुरन्त बदलाव किया जाना है उनकी कुल लम्बाई इस प्रकार है :—

	प्रारम्भिक नवीकरण		गौण नवीकरण	
	रेलें	स्लीपर	रेल	स्लीपर
बड़ी लाइन	3325 कि. मी.	3720 कि. मी.	730 कि. मी.	721 कि. मी.
मीटर लाइन	1387 कि. मी.	2532 कि. मी.	989 कि. मी.	578 कि. मी.
कुल :	4712 कि. मी.	6252 कि. मी.	1719 कि. मी.	1299 कि. मी.

इन नवीकरणों का रेलवेवार वितरण इस प्रकार है :—

रेलवे	बड़ी लाइन				मीटर लाइन			
	प्रारम्भिक		गौण		प्रारम्भिक		गौण	
	रेल	स्लीपर	रेल	स्लीपर	रेल	स्लीपर	रेल	स्लीपर
मध्य	621	633	37	69	—	42	—	—
पूर्व	561	641	307	265	—	—	—	—
उत्तर	437	606	129	105	68	207	188	90
पूर्वोत्तर	—	—	—	—	263	486	265	253
पूर्वोत्तर सीमा	80	158	—	—	565	755	—	—
दक्षिण	281	413	25	37	260	400	102	102
दक्षिण-मध्य	315	442	97	97	128	237	147	124
दक्षिण-पूर्व	446	384	80	115	—	—	—	—
पश्चिम	584	433	55	33	103	405	287	9
जोड़ :	3325	3720	730	721	1387	2532	989	578

(ग) और (घ) प्रत्याशा की जाती हैं कि ये सभी नवीकरण, जो स्वीकृत हो चुके हैं और रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिए गए हैं, 1984-85 तक पूरे हो जायेंगे।

बेरोजगार स्नातकों के लिए कुछ स्टाल्स

3692. **श्री जगपाल सिंह** । क्या **रेल मन्त्री** बुक स्टाल रखने की अधिकतम सीमा के बारे में 30 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, पांच से ज्यादा बुक स्टाल प्राप्त करने में बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी के अनुरोध पर विचार करने के बारे में रेल मंत्रालय के 12 जुन, 1981 के अनुदेशों का पालन करता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पूर्वापाय हैं कि रेलवे अनुमोदन के लिए रेल मंत्रालय से सम्पर्क करेगा;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि रेलवे ऐसे बेरोजगार स्नातकों को, जो कि पांच और इससे अधिक बुक स्टाल प्राप्त करने के लिए साझेदारी करते हैं निरुत्साहित कर रही है तथा साझेदार बेरोजगार हैं; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि बेरोजगार स्नातकों की समितियां संघ इस समय सफल नहीं हुई हैं और रेल मंत्रालय पांच से अधिक बुक स्टालों में बेरोजगार स्नातकों को साझेदारी दिए जाने में किसी प्रकार की छूट नहीं देना चाहता ।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जिन बेरोजगार स्नातकों के पास बुक स्टाल के ठेके हैं उनमें से अधिकांश के पास बुक-स्टाल का सिर्फ एक-एक ठेका है । सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों/एसोसिएशनों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय रेलों को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सहकारी समितियों/एसोसिएशनों को पांच से अधिक बुक स्टाल ठेके आवंटित करने का प्राधिकार दे दिया गया है । सहकारी समिति की तुलना में साझेदारी के सदस्यों की संख्या बहुत ही सीमित होती है और इसका गठन दो व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है । अतः सहकारी समितियों/एसोसिएशनों को जो छूट दी जा रही हो वही छूट बेरोजगार स्नातकों को साझेदारियों को देने का औचित्य नहीं है । क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को दिये गये स्पष्ट अनुदेशों को देखते हुए क्षेत्रीय रेलें अलग-अलग व्यक्तियों और साझेदारियों को बुक स्टाल के ठेके आवंटित करने के औचित्य की जांच करने के पश्चात् छूट के लिए मंत्रालय से लिखा पढ़ी कर सकती है । किसी भी साझेदारी फर्म का व्यक्ति कभी भी रेलवे के उच्च प्राधिकारी अथवा मंत्रालय को अपने मामले के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दे सकता है ।

केरल को "बाक्स सी० आर० टी०" वैगनों का आबंटन

3693. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान केरल में टाइलों के लदान के लिये कितने "बाक्स सी० आर० टी०" वैगनों का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को "बाक्स" वैगनों के आबंटन के लिए रुचि रखने वाली पार्टियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसे पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बी० सी० एक्स०/बी० ओ० एक्स०/सी० आर० टी० माल डिब्बे पूरे गाड़ी भार में लदान के लिए होते हैं, उनमें फुटकर माल का लदान नहीं किया जाता । चूंकि पार्टियों ने फुटकर माल के लदान का अनुरोध किया था, इसलिए उन्हें केवल बन्द माल डिब्बे ही आबंटित किये गये थे । जनवरी से अगस्त, 1981 तक की अवधि में केरल से टाइलों की निकासी के लिए कुल 337 मालडिब्बों में लदान किया गया था । 31 अगस्त, 1981 को इस यातायात की ढुलाई के लिए कोई मांग बकाया नहीं थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता मैट्रो रेल

3694. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता मैट्रो रेल से सम्बन्धित भूमि खोदने के कार्य के परिणामस्वरूप दक्षिण कलकत्ता स्थित कालेजों, अस्पतालों, सिनेमा के भवनों और आवासीय मकानों में दरारें पड़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी पार्टियों को (प्रभावित पक्षों) सरकार ने क्षतिपूर्ति दी है इस मामले में सरकार का आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) खुदाई करते समय साथ लगी मिट्टी को अनिवार्यत: हटाये जाने के कारण एक कालेज की इमारत, एक सिनेमा घर और कुछ पुराने रिहायशी मकानों में दरारें आ गयी थी ।

(ख) प्रभावित पार्टियों को इस प्रकार की क्षति की मरम्मत के लिए मुआवजे का निर्धारण, मैट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 के अधीन नियुक्त किये गये एक स्वतन्त्र प्राधिकारी "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा किया जाता है और मैट्रो रेलवे द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। अभी तक आठ पार्टियों ने लगभग 20 लाख रुपये की राशि के दावे पेश किये हैं । सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनके बारे में विचार किया जा रहा है ।

जहां कहीं संरक्षा की दृष्टि से तत्काल मरम्मत करना आवश्यक समझा जाता है, वहां मैट्रो रेलवे द्वारा मरम्मत का प्रबन्ध भी किया जाता है ।

देवदासी प्रथा

3695. **श्री पीथूष तिरकी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में 'देवदासी सिस्टम गोल ओन सिक्रेटली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पूर्ण सचाई का पता लगाने के लिए प्रयास किया हैं; और

(ग) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) देवदासी प्रथा बम्बई देवदासो प्रिवेन्शन एक्ट, 1934 तथा मद्रास देवदासी (प्रिवेन्शन आफ डेडीकेशन) एक्ट, 1947 द्वारा निषिद्ध है । स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 में जीविका के संगठित साधन के तौर पर वाणिज्य रूप में वेश्या-वृत्ति का निषेध है । इस अधिनियम में स्त्रियों और लड़कियों को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु शोधन किए जाने से बचाने के लिए पर्याप्त उपबंध हैं । किए जाने वाले और उपायों में शिक्षा, इस समस्या के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देना तथा स्त्रियों को प्रशिक्षण देना और आय कमाने वाली गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना शामिल हैं ।

महेन्द्रनाथ में रेल का हाल्ट

3696. **कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में चेतवन और एकमा स्टेशनों के बीच महेन्द्रनाथ में रेल के हाल्ट की व्यवस्था करने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इस बारे में एक सर्वेक्षण भी किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो वहां पर उपरोक्त हाल्ट कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 1979 में चैनवा तथा एकमा स्टेशनों के बीच कि० मी० 359/8-9 पर इस शर्त पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने का विनिश्चय किया गया था कि मिट्टी डालने का काम स्थानीय जनता द्वारा श्रमदान के माध्यम से किया जायेगा। स्थानीय जनता द्वारा इस आश्वासन

की पूर्ति न किये जाने के कारण इस हाल्ट के निर्माण में देरी हो रही है। बिहार की राज्य सरकार ने प्रस्तावित हाल्ट का नाम भी अभी तक नहीं भेजा है। अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी होते ही इस हाल्ट को खोल दिया जायेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रारूप

3697. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री जेवियर अरानल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप को लागू करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जून 1981 में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषदों के सातवें संयुक्त सम्मेलन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप को कतिपय टिप्पणियों के साथ अपनाने की सिफारिश की है। उपयुक्त सिफारिशों के आधार पर फिर से तैयार किए गए नीति सम्बन्धी दस्तावेज पर अब संसदीय परामर्मदात्री समिति भी विचार कर चुकी है। अब इस दस्तावेज पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री जहाजों की मांग

3698. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मंगलौर के बीच यात्री जहाजों की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई और मंगलौर के बीच पैसेंजर सर्विस शुरू करने के लिए कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) मुगल लाइन लिमिटेड नामक कम्पनी बम्बई और गोवा के बीच रोल-आन रोल-आफ पैसेंजर कारगो सर्विस शुरू करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि आवश्यक हुआ तो यह सर्विस मंगलौर तक आगे बढ़ा दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में पान के पत्तों की बुकिंग

3699. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि रेल द्वारा करोड़ों रुपयों के पान के पत्ते पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं;

(ख) क्या उन्हें ज्ञात है कि पिछले एक वर्ष से रेलवे प्राधिकारी विभिन्न रेलवे स्टेशनों, जैसे अल्बरिया, बाग्नान, मछेडा, पांरुकुरा, मीरमपुर आदि पर विभिन्न मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के रुकने के समय को कम करके इन स्टेशनों से पान के पत्तों की बुकिंग की मनाही कर रहे हैं जिससे पश्चिम बंगाल के लगभग दस लाख परिवारों की आर्थिक दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए इस मामले पर ध्यान दिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम बंगाल के स्टेशनों से बुकिंग के लिए पान के पत्तों का यातायात प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ख) संदर्भाधीन स्टेशनों से बुकिंग के लिए पान के पत्तों के यातायात को स्वीकार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के आणविक कम्प्लैक्स पर इजराइली तरीके का छापा

3700. **श्री सुभाष यादव** :

श्री एम० एम० कृष्ण :

श्री रघुनन्दन भाटिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तानी समाचारपत्रों में प्रकाशित उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के सैनिक सलाहकारों ने पाकिस्तान के आणविक केन्द्रों पर इजरायली तरीके का छापा मारने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट निराधार, पक्षपातपूर्ण एवं शरारतपूर्ण है। यह आश्चर्य और खेद की बात है कि इस खबर को पाकिस्तान में फैलाया गया है। हमने इस रिपोर्ट पर पाकिस्तान से अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है।

ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा समाप्त करने के लिए टी० टी० ई० और कंडक्टरों को अनुदेश

3701. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा किए जाने को पूरी तरह समाप्त करने के लिए टी० टी० ई० और कंडक्टरों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या इस बात के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि प्रत्येक टी० टी० ई० और कंडक्टर को प्रतिदिन बिना टिकिट यात्रा के कम से कम तीन मामले लाने चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अनुदेश जारी किए जाने का क्या औचित्य है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कंडक्टरों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि वे अतिरिक्त किराया टिकिट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है । लेकिन कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य की थाह लेने के वास्ते स्थानीय स्थितियों और यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए रेलों द्वारा टिकट जांच कर्मचारियों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

दक्षिण रेलवे में टी० टी० ई० के हैड क्वार्टर

3702. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिविजन में स्लीपर कोच ट्रैवलिंग टिकट एग्जामीनरों के लिए कितने हैडक्वार्टर हैं;

(ख) क्या कारण है कि मदुराई डिवीजन में मदुराई में केवल एक हैडक्वार्टर है जिसमें 120 टी० टी० ई० और 6 ट्रैवलिंग टिकट इंसपैक्टर हैं;

(ग) क्या स्लीपर कोच के मदुराई हैडक्वार्टर को तीन या चार हैडक्वार्टरों में विभाजित करने से और उन्हें जनरल चैकिंग सेक्शन को सौंपने से बचत होगी; और

(घ) इस बारे में उनके मंत्रालय की प्रक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण रेलवे के मंडलों में शयनयान में चल टिकट परीक्षकों के मुख्यालय (डिपुओं) की संख्या इस प्रकार है : —

मद्रास मण्डल	—	1
मदुराई मण्डल	—	1
बेंगलुरु मण्डल	—	1
मैसूर मण्डल	—	1
त्रिवेन्द्रम मण्डल	—	1
तिरुचिराप्पल्ली मण्डल	—	1
पालघाट मण्डल	—	5

(ख) मदुरै जंक्शन के केन्द्र स्थल पर स्थित होने के कारण परिचालनिक दृष्टि से यह अत्यन्त सुविधाजनक है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) डिपो का विभाजन करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

रेलवे कर्षण श्रमिकों की मांगें

3703. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के कर्षण श्रमिकों ने अपनी मांगों की एक सूची पेश करते हुए एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर यथोचित विचार किया जाता है और गुणावगुण के आधार पर जो कार्रवाई आवश्यक समझी जाती है, वह की जाती है । इसी नीति की परिधि के अन्तर्गत रेलवे कर्षण श्रमिकों की मांगों पर भी कार्यवाई की गयी है ।

उत्तर सीमान्त रेलवे के दोषी अधिकारी

3704. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने उत्तर सीमान्त रेलवे के उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब किया है जिन्हें रेलवे सतर्कता विभाग ने कटिहार स्टेशन पर एम० जी० और बी० जी० के हैन्डलिंग ठेके देने के मामले में कदाचार और भ्रष्टाचार का दोषी पाया था;

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय द्वारा हैन्डलिंग ठेके में कदाचार का मामला मान लिये जाने के विरुद्ध ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सतर्कता विभाग ने कटिहार में इन्जीनियरिंग विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था जो कुमोदपुर में एन० एफ० रेलवे के ब्राड गेज लाइन के सम्बन्ध में मिट्टी का काम कर रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिये जिम्मेदार कौन हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। जांच पूरी हो चुकी है और जांच रिपोर्ट मंत्रालय में विचाराधीन है।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाफल की प्रतिशतता

3705 : **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्ष में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई आल इण्डिया सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट /आल इण्डिया सेकेन्डरी स्कूल। दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट। दिल्ली सेकेण्डरी। स्कुल पराक्षाओं में कितने परीक्षार्थी बैठे थे और उपरोक्त परीक्षाओं में से प्रत्येक में कितने विद्यार्थी पास हुए;

(ख) कितने विद्यार्थियों ने कांपियां पुन: चैक कराने के लिये आवेदन किया और उपरोक्त में से प्रत्येक परीक्षा में कितने मामलों में अंक ठीक किये गये;

(ग) इस वर्ष आल इण्डिया सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट और आल इण्डिया सेकेण्डरी स्कूल परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हुए कितने छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल सका; और

(घ) प्रति वर्ष इस पाठ्यक्रम में पास होने वाले छात्रों की संख्या के अनुपात में डिग्री कोर्स के लिये सीटों की संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) 8,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए हैं और अन्य सभी प्रकार से अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं। 8,000 छात्रों में से 5,000 से अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अवर स्नातक स्तर पर सभी विज्ञान पाठ्यक्रमों में आनर्स तथा पास पाठ्यक्रमों में केवल 4080 स्थान उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय का विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रमों में पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से मामला विचाराधीन है।

विवरण

(क)

क्रम सं०	परीला का नाम	वर्ष	परीक्षा में बैठे छात्रो की संख्या	परिणाम की प्रतिशतता
1.	अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा	1979	31014	87.7
		1980	36817	90.1
		1981	40409	93.9
2.	दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा	1979	63308	57.2
		1980	73736	55.9
		1981	72462	56.4
3.	अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा	1979	11909	83.0
		1980	17900	84.0
		1981	19750	85.4
4.	दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा	1979	24238	63.5
		1980	35242	64.0
		1981	35479	78.7

(ख)

क्रम	क्रम परीक्षा का नाम	वर्ष	उन छात्रों की संख्या जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की पुन: जांच का अनुरोध किया	उन मामलों की संख्या जिनमें अंक ठीक किये गये थे
1.	अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा	1979	286	8
		1980	440	10
		1981	695	17
2.	दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षा	1979	281	2
		1980	176	3
		1981	288	8
3.	अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	1979	626	4
		1980	975	11
		1981	1070	10
4.	दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा	1979	477	2
		1980	660	2
		1981	709	10

हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर अस्थायी चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी

3709. **डा० शरदीस राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशनों पर चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं;

(ख) वे रेलवे में कितने समय से सेवा कर रहे हैं ?

(ग) क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी नियमित प्रक्रिया के की गई थी; और

(घ) उनकी सेवा के कब तक स्थायी हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 289. चूंकि केवल यातायात और वाणिज्य बिभाग के व्यक्तियों को स्टेशनों पर तैनात किया जाता है, 289की संख्या केवल इन्हीं विभागों से सम्बन्धित हैं।

(ख) 2 से 13 वर्ष।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि कर्मचारियों का सेवा में स्थायी किया जाना स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए कोई निश्चित तारीख नहीं बतायी जा सकती।

प्रथमा परीक्षा को हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता दिया जाना

3706. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा ली जाने वाली प्रथमा परीक्षा को स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा को केवल हिन्दी विषय के समक्ष मान्यता दी है;

(ख) प्रथमा को पूर्ण एस० एल० सी०, हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि प्रथमा परीक्षा में अन्य विषयों और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी एक विषय के रूप में शामिल है; और

(ग) क्या सरकार इस परीक्षा को पूरी मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा अयोजित प्रथमा परीक्षा को, विभिन्न शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित एस० एल० सी० परीक्षा के केवल हिन्दी स्तर के समकक्ष ही मान्यता प्रदान की है।

(ख) देश के विभिन्न भागों में अनेक स्वैच्छिक हिन्दी संगठन परीक्षाएं आयोजित करते हैं। क्योंकि भारत के संविधान के अन्तर्गत हिन्दी भाषा की प्रोन्नति और प्रसार की जिम्मेदारी संघ की है, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने हिन्दी शिक्षा समिति की सिफारिशों पर तथा गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को, सरकारी सेवा में रोजगार के प्रयोजनों के लिए, जहां हिन्दी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, एस० एल० सी० इन्टरमीडियेट/बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता केवल समकक्ष हिन्दी परीक्षाओं में निर्धारित हिन्दी स्तर के सम्बन्ध में ही दी गई है और इसे जिस परीक्षा के बराबर माना गया है, उसके पूर्ण प्रमाण पत्र/डिग्री के समकक्ष नहीं समझा जाना चाहिए। अत: हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रथमा परीक्षा के केवल हिन्दी स्तर को ही एस० एल० सी० के हिन्दी स्तर के बराबर माना गया है। विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान करना मुख्य रूप से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा बोर्डों/विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए पूर्ण मान्यता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

वाल्टेयर किरान्दुल सेक्शन का विद्युतीकरण

3707. **श्री केयूर भूषण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में वाल्टेयर-किरान्दुल सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड रेलवे की इच्छानुसार दलमिली तथा अंगूरा और पाँच अन्य स्टेशनों को विद्युत सप्लाई करने को तैयार था परन्तु रेलवे ने दिलमिली तथा अंगूरा के लिये विद्युत सप्लाई स्वीकार नहीं की; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अपने पिछले समझौते का उल्लंघन करते हुए रेलवे दिलमिली और अंगूरा में विद्युत सप्लाई के लिए न्यूनतम प्रभार अदा नहीं कर रहा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। वाल्तेरु-किरन्दुल खंड के जगदलपुर-किरन्दुल खंड का, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, अगस्त, 1980 में विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के 7 सब-स्टेशनों से बिजली सप्लाई करने के संबंध में समझौता किया गया है। यद्यपि, तकनीकी कठिनाइयों के कारण 5 सब-स्टेशनों में बिजली ली गई है, लेकिन अमगुरा और दिलमिली के रेलवे सब-स्टेशनों के समापन में देरी हो गई है और अभी तक इन सब-स्टेशनों में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

(ग) चूंकि, बिजली की सप्लाई नहीं हुई है, अत: कोई उपभोज्य प्रभार बकाया नहीं है। लेकिन, ठेके की शर्तों के अनुसार, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा सेवित 7 सब-स्टेशनों के

लिए वार्षिक न्यूनतम गारंटी-शुदा राजस्व सालाना देय हो जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे यह सुनिश्चित कर रही है कि इन भुगतानों को समय पर कर दिया जाये। अतः करार का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष

3709. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष को सफल बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष को सफल बनाने के लिए समाज कल्याण मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है जो उद्देश्य प्राथमिकताएं और कार्यक्रम बनाने तथा इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने हेतु भारत सरकार के लिए एक सलाहकार समिति के रूप में काम करेगी। इस समिति के अनुमोदन से एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है। कार्य-योजना में दिए गए उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए चालू कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है तथा नए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान शुरू किए गए तथा पहले से विद्यमान महत्वपूर्ण कार्यक्रम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. इसी प्रकार अधिकतर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों को विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने हेतु स्तरीय समितियां गठित की हैं तथा अपनी-अपनी कार्य-योजना बनाई है।

इस वर्ष के महत्व के बारे में जनता को अवगत कराने तथा विकलांग व्यक्तियों पर उनका ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों विभिन्न जन प्रचार साधनो, प्रदर्शनियों, समारोहों, प्रतियोगिताओं इत्यादि द्वारा प्रचार अभियान चलाने के लिए संगठित प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समाज कल्याण मंत्रालय में योजना परिव्यय छठी योजना में बढ़ाकर 24.43 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों की बेहतरी और पुनर्वास हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ वर्तमान कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है तथा नए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान शुरू किए गए तथा पहले से चल रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने के लिए सहायता देने की एक नई योजना कैलेन्डर वर्ष में शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख संगठनों को

उपकरण और सहायक यंत्र खरीदने के लिए 48.39 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। खरीदे गए उपकरण और सहायक यंत्र विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त या 50 प्रतिशत रियायती मूल्य पर दिए जाएंगे। इस योजना को 100 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

2. 1 अप्रेल 1981 से शुरू की गई समेकित शिक्षा की संशोधित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार निश्चित स्केल पर कुछ मदों पर 100 प्रतिशत खर्च को पूरा करती है। अन्य मदों के अतिरिक्त इनमें अध्यापकों का वेतन, अध्यापकों के प्रशिक्षण का खर्च, परिवहन खर्च पुस्तकों और लेखन सामग्री का खर्च मूल्यांकन खर्च तथा आरंभिक उपकरणों का खर्च शामिल है। पिछली योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के आधार पर खर्च बांटा जाता था तथा उस योजना के अन्तर्गत ऊपर बताए गए सभी पहलू भी नहीं आते थे।

3. विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों का पता लगाने तथा उन्हें रोजगार सम्बंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1959 से 1979 तक इस देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए 18 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए थे। चालू वर्ष में बड़ौदा, राजकोट और सूरत में तीन और रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

4. विभिन्न राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 11 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र थे जो विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध कर रहे हैं तथा लाभकारी रोजगार प्रदान करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान एक और केन्द्र सीतामढ़ी (बिहार) में स्थापित किया गया है जिससे केन्द्रों की कुल संख्या 12 हो गई है।

5. इस वर्ष के दौरान 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के साथ संलग्न 11 ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। 1981 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के 15 प्रतिशत डीलरशिप/एजेंसियाँ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों को एजेंसियों का नियतन सुनिश्चित करने के लिए एक रोस्टर भी निर्धारित किया गया है।

6. वर्ष 1981 के दौरान एक उत्कृष्ट नियोजन अधिकारी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले विकलांग कर्मचारियों/अपना रोजगार करने वाले कार्यकर्ताओं तथा विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं को ही राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते थे। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देना है।

7. केन्द्रीय सरकार के अधीन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 'ग' और 'घ' वर्गों के 3 प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए अब 100 मदों का एक रोस्टर निर्धारित किया गया है। उत्पादन में हानि के बिना विकलांग व्यक्तियों द्वारा किए जा सकने वाले उपयुक्त कामों का भी पता लगा लिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए नेतृत्व के अनुसार राज्य सरकारों ने भी विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ प्रतिशत रिक्त पद आरक्षित कर दिए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को समन्वित करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों द्वारा सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ।

8. संचार मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें दृष्टिहीन भी शामिल हैं, टेलीफोन बूथ नियत करने का निर्णय किया गया है ।

चालू कार्यक्रम/योजनाएं :

9. विकलांग छात्रों को शिक्षा जारी रखने के लिए 9वीं कक्षा से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । इन-प्लांट प्रशिक्षण के लिए वृत्तियां भी दी जाती हैं । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 10,000 छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां मिलती हैं ।

10. विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए स्वयं-सेवी संगठनों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है । 1990-81 के दौरान पिछले वर्ष में दिए गए अनुदान की राशि से लगभग 15 लाख रुपए अधिक दिए गए हैं । 114 संगठनों को 1.12 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई थी ।

11. ब्याज की विभिन्नतापूर्ण दर की योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को तथा संस्थाओं को 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर 1,500 रुपए तक कार्यकारी पूंजी ऋण तथा 5,000 रुपए तक लम्बे अर्से का ऋण देने संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं । ऐसा स्वयं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ।

12. एक नियोक्ता द्वारा ऐसे नेत्रहीन या विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतन, जिनकी वार्षिक आय 20 000 रुपए से अधिक नहीं हैं, वेतन के 1½ की वेटिड डिडक्शन करने की आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इजाजत है । ऐसा विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ।

13. सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सहायक यंत्रों के क्षेत्रों में अनुसंधान प्रायोजित करती है ।

14. विकलांग व्यक्तियों को चलना फिरना सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें डीजल/पैट्रोल के मूल्य में रियायत दी जाती है ।

सैप्टिक टैंकों की सफाई

3710. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की गोंडा रेलवे कालोनी के क्वार्टरों के 190 सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए 1980-81 में टेंडर आमंत्रित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सैप्टिक टैंकों की सफाई हुए बिना ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कोई जांच करने और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी और समुचित कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्रीमल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) जी नहीं, भुगतान 160 सेप्टिक टैंकों के बारे में किये गये वास्तविक कार्य के लिए ही किया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि

3711. **डी० पी० जदेजा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रशान्त महासागर, अरब सागर और हिन्द महासागर में कुल कितने विमान-वाहक पोत सक्रिय हैं; और

(ग) अमरीका द्वारा नौसैनिक शक्ति में वृद्धि करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वास किया जाता है कि इस समय अमरीका के विमान वाहक दो कृतिक बल (टास्क फोर्स) हिन्द महासागर क्षेत्र में, जिसमें अरब सागर भी शामिल है, सक्रिय हैं ।

(ग) भारत ने, हिन्द महासागर के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी ताकतों की सैनिक मौजूदगी का हमेशा विरोध किया है । हाल ही में, हिन्द महासागर क्षेत्र में अमरीकी सैनिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई है । हमने संयुक्त राष्ट्र में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है. क्योंकि बाहरी शक्तियों की मौजूदगी से हमारे पड़ोस में तनाव और संघर्ष पैदा होता है तथा शान्ति और स्थायित्व को खतरा बढ़ जाता है । हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के बारे में 1971 के संयुक्त राष्ट्र संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए भारत अन्य गुट-निरपेक्ष तथा तटवर्ती और पश्च राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ।

जूनियर डाक्टरों की समस्याओं का समाधान

3712. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जूनियर डाक्टरों की समस्याओं के किसी समाधान पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी समस्या का समाधान कब तक खोज लेगी;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ जूनियर डाक्टरों ने अपनी समस्या को लेकर आत्महत्या तक कर ली है;

(घ) यदि हां, तो कितने ऐसे डाक्टरों ने आत्महत्या की है, क्या सरकार इनकी समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ताकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हों; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जूनियर डाक्टरों की मांगों के बारे में सरकार और दिल्ली के जूनियर डाक्टर्स फेडरेशन के बीच 1.9.81 को एक समझौता हुआ था। यह समझौता पर्याप्त रूप से लागू किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सिलसिले में सरकार को किसी आत्महत्या के मामले की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विधि और संधि प्रभाग का गठन

3713. **श्री मूल चन्द डागा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि और संधि प्रभाग के गठन का एक उद्देश्य संधियों का प्रकाशन करना था;

(ख) यदि हां, तो अब तक; वर्ष-वार कितनी संधियां प्रकाशित की जा चुकी हैं;

(ग) भविष्य में कितनी संधियां और प्रकाशित करने का विचार है; और

(घ) यदि संधियों का अभी तक कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विदेश मंत्रालय में 1956 में विधि एवं संधि प्रभाग के गठन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा संधि कानून के प्रश्नों पर विचार करना था। 1958 में संधियों के प्रकाशन का कार्य विधि एवं संधि प्रभाग के कार्यों में जोड़ दिया गया।

(ख) और (घ) विधि और संधि प्रभाग भारत द्वारा सम्बन्ध सभी संधियों और करारों की प्रमाणिक प्रतियां एकत्र करता है। इन संधियों और करारों की एक सूची विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट में दी गई है।

इन संधियों और करारों के मूलपाठ निम्नलिखित सरकारी प्रकाशनों में छप चुके हैं :—

(1) **राजपत्र** : संविधि के अन्तर्गत जब भी अपेक्षित होता है जैसे कि दोहरे कराधान के परिहार, समुद्री सीमा आदि से संबंधित करार ।

(2) **फारेन अफेयर्स रिकार्ड** : (विदेशी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) ।

(3) **फारेन पालिसी आफ इण्डिया** : प्रलेखों का मूलपाठ, 1947-1964 (लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) ।

(4) **इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू** : (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित) ।

(5) **अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार करार** : 1 मई 1976 को लागू (वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित)

संधियों के विस्तृत संकलन की योजना बनाई गई है ।

(ग) विदेश मंत्रालय 1980 और 1981 में भारत द्वारा सम्पन्न संधियों को 1982 में प्रकाशित करने का इरादा रखता है ।

"कंजक्टीवाइटीस कार्जिगपेरालिसिट

3714. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 17 अगस्त, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपे इस आशय के समाचार की जानकारी है कि कंजक्टीवाइटिस रोग से अधरंग हो सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई स्थित जे. जे. ग्रुप के अस्पतालों और टोक्यो स्थित नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हेल्थ में विस्तृत रूप से की गई जांच से यह पता लगा है कि कंजक्टीवाइटीस वायरस इनफेक्शन के सीरम सम्बन्धी साक्ष्य और स्नायु रोग में बहुत ही निकट का सम्बन्ध है जिससे इस बात का बड़ा सबूत मिलता है कि कंजक्टीवायटिस वायरस का अधरंग रोग में निदान सम्बन्धी योगदान है; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त रोग की रोकथाम के लिए कोई औषधि तैयार करने या चिकित्सा उपाय खोजने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां। स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए निरोधी उपाय किए गए थे। इसका कोई खास इलाज है, इसकी जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में अशोभनीय घटनाएं

3715. **श्री रेणु पद दास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में प्रतिदिन होने वाली विभिन्न अशोभनीय घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या प्राधिकारियों के अकुशल प्रशासन के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार को कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में प्रतिदिन घटित होने वाली किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कर्मचारियों के दो संघों ने अपने कल्याण से सम्बन्धित मांगों के लिए लंच-समय के दौरान प्रदर्शन किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाईटेड कमेटी आफ रेलवे मैन की मांग

3716. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूनाईटेड कमेटी आफ रेलवे मैन, उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे, पांडु, गोहाटी की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि अनुलग्नक 3-ए (आई० आर० ई० एम०) को, जिसे प्रशासन द्वारा रद्द किया गया था फिर से लागू किया जाये जिससे परीक्षार्थी वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि का लाभ पा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। प्रशासन द्वारा अपेंडिक्स III (आई० आर० ई० एम०) परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था। वास्तव में, अन्य केन्द्रों की भांति, मालीगांव में भी परीक्षा लेने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये गये थे। एक पूरक परीक्षा आयोजित करने के लिए यूनाईटेड कमेटी आफ रेलवे मैन के अनुरोध की जांच की गयी थी, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

गिरिडीह और रांची के बीच रेल सड़क का निर्माण

3717. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सरकार द्वारा मंजूर किये गये कोडरमा और हजारीबाग के रास्ते से होकर गिरिडीह और रांची के बीच रेल सड़क बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस बारे में ब्यौरा सभा पटल पर रखा जा सकता है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

(ख) हजारीबाग टाउन और कोडरमा के रास्ते रांची से गिरिडीह तक बड़े आमान की एक लाइन के निर्माण के लिए मोटे तौर पर एक टोह अध्ययन किया गया था ताकि विस्तृत यातायात सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके और इस क्षेत्र में एक उपयुक्त किफायती रेल लाइन के लिए स्थान का पता लगाया जा सके । सर्वेक्षण दल की सिफारिश के अनुसार, हजारीबाग और कोडरमा के रास्ते रांची से गिरिडीह तक बड़े आमान की एक लाइन के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को चालू बजट में शामिल कर लिया गया है । सर्वेक्षण अनुमान की मंजूरी दी जा रही है । तत्पश्चात् सर्वेक्षण शुरू किया जायेगा जिसके पूरा होने में लगभग 12 महीने लगेंगे ।

राजस्थान को देश के मुख्य शहरों से जोड़ने वाली रेलें चालू करना

3718. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को देश के मुख्य शहरों से जोड़ने वाली रेलों की संख्या काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिन में भी जबलपुर-बंगलौर, जोधपुर-गोहाटी, कोटा-वाराणसी, कोटा-मद्रास, उदयपुर-खण्डवा और उदयपुर-जयपुर रेलों को चालू करने पर विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, राजस्थान को देश के कुछ बड़े शहरों से जोड़ने के लिए गाड़ियां उपलब्ध हैं ।

(ख) फिलहाल, नयी गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है ।

लम्बी दूरी वाले रूटों पर यातायात

3719. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माल के परिवहन के लिए लम्बी दूरी के रूटों पर भारी यातायात का

सामना करने के लिये वैकल्पिक उपायों (अन्तर्देशीय जल मार्ग, आदि) को लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) माल की ढुलाई के लिए लम्बी दूरी के रूटों पर भारी भीड़ को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए विभिन्न विकास कार्य करने के लिए 45.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार -केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० के जहाजी बेड़े के वृद्धि करने/जहाज बदलने के लिए और जहाज खरीदना, जहाजों की मुख्य मरम्मत करना, राजा बगान डाकयार्ड का विकास करना, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करना, सर्वेक्षण का कार्य करना और मुख्य जल मार्गों के लिए माल परिवहन का अध्ययन करना, अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्यमों के लिए ऋण ब्याज सहायता योजना चलाना, गंगा में फेरी सेवाएं चलाना, जुआरी मान्दुकी और मापुसा नदियों में मुख्य निकर्षण करना और उद्योग मंडल नहर का सुधार करना। बेड़े में और जहाज जोड़ने और जहाजों के बदले में जहाज प्राप्त करने से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेल और सड़क परिवहन पर दबाव कम हो जाने की सम्भावना है।

सरकार ने गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों के इलाहाबाद-हल्दिया खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का सिद्धान्त रूप से निर्णय कर लिया है। इस प्रयोजन के लिए कानून सम्बन्धी प्रारूप संसद में लाया जाएगा।

भारत सरकार तटीय नौवहन को बहुत महत्व देती है क्योंकि रेल और सड़क परिवहन के दबाव को कम करने के लिए परिवहन का यह एक पूरक साधन है। आने वाले वर्षों में इसकी बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए सरकार ने 15-9-80 को नौवहन महा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसका काम तटीय नौवहन के बारे में अगले 9-10 वर्षों के लिए योजना बनाना था। समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो चुकी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

वर्ष 1980-81 के दौरान दोहरी बिछाई गई बड़ी लाइनें

3720. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी बड़ी लाइनें दोहरी बिछाई गईं;

(ख) किन मार्गों पर 1981-82 के दौरान दोहरी लाइनें बिछाई जाएंगी; और

(ग) क्या सरकार मद्रास-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 के दौरान 132.11 कि० मी० लम्बी दोहरी लाइनें खोली गयी थीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बड़े आमान के मद्रास-तिरुवनन्तपुरम मार्ग पर, मद्रास के पालघाट जंकशन तक पहले से ही दोहरी लाइन है। पालघाट जंकशन के शेरुवप्णूर तक तथा शेरुवप्णूर से एर्णाकुलम तक कहीं-कहीं, दोहरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। फिलहाल, एर्णाकुलम से तिरुवनन्त-पुरम तक दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1981-82 में शामिल दोहरी लाइन का निर्माण कार्य

1. शाहाबाद-गुलबर्गा	—	26.33 कि. मी.	मध्य रेलवे
2. रोहतक-जाखल-चरण-1	—	76 00 कि. मी.	उत्तर रेलवे
3. पानीपत-अम्बाला खंड पर भैनीखुर्द शाहाबाद मारकंडा	—	48.21 कि. मी.	उत्तर रेलवे
4. शेरुवप्णूर-अलवाय खंड कहीं-कहीं दोहरी लाइन	—	24.33 कि. मी.	दक्षिण रेलवे
5. सिकन्दराबाद-वाड़ी खंड पर हैदराबाद-तेलापुर	—	27.57 कि. मी.	दक्षिण मध्य रेलवे
6. ग्रांड ट्रंक मार्ग पर मानिकगढ़-विरुर तथा सिरपुर टाउन-रेंचरी रोड	—	18.25 कि. मी. 46.20 कि. मी.	दक्षिण मध्य रेलवे
7. सिकन्दराबाद-कीजीपेट खंड पर पेमवारती-पिंडियल	—	45.40 कि. मी.	दक्षिण मध्य रेलवे
8. शाहीबाग-वीरमगाम-छारोडी-वीरम-गाम के बीच शेष लाइन (चरण-II)	—	25.35 कि. मी.	पश्चिम रेलवे
9. नागदा-उज्जैन-पिपलोडा-बागला-नई खेडी के बीच दोहरी लाइन का शेष काम	—	32.82 कि. मी.	पश्चिम रेलवे
जोड़ :	—	370.46 कि. मी.	

पुराने रेल सवारी डिब्बो और माल डिब्बो

3721. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 और दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक के बीच की अवधि में कितने पुराने रेलवे सवारी डिब्बे और माल डिब्बे उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे पुराने वैगनों के जबरदस्ती चलाये जाने के कारण बारम्बार दुर्घटनायें हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को हल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गतायु हो जाने के कारण नाकारा किये गये सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

जनवरी, 1980 से दिसम्बर 1980

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
सवारी डिब्बे	158	108
माल डिब्बे	3399	841

जनवरी, 1981 से जुलाई, 1981

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
सवारी डिब्बे	188	146
माल डिब्बे	6999	888

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यकरण से सम्बन्धित समीक्षा समिति

3722. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रबन्ध सरकार के हाथों में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुस्तकालय के बेहतर कार्यकरण और प्रबन्ध के लिए किसी समीक्षा समिति का गठन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और समीक्षा समिति की सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, संस्कृति विभाग के अधीन भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। वर्ष 1976 के दौरान, संसद के दोनों सदनों ने भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 पारित किया, जिसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के लिये एक स्वायत्त बोर्ड बनाने की परिकल्पना की गई थी, परन्तु वर्ष 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार ने अधिनियम को लागू न करने का निर्णय लिया, इसलिए राष्ट्रीय पुस्तकालय अभी भी संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा करने, इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने एवं इसके और विकास के लिए उपाय सुझाने हेतु सरकार द्वारा मई 1968 में प्रो० वी० एस० झा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि तत्कालीन सलाहकार परिषद के स्थान पर, वास्तविक अधिकार का प्रयोग करने वाली शासी परिषद बनाई जाए, जिसका अर्थ है; राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के शासी परिषद् को पूर्ण स्वायत्तता अर्थ अधिकृत स्वायत्ताता प्रदान करना। सरकार ने झा समिति की अधिकांश सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के अधिक से अधिक स्वायत्ताता देने का निर्णय किया और तदनुसार 8-12-1972 को लोक सभा में राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक पेश किया राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम 1976 बनाया गया और 11 जून, 1976 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम को लागू करने के प्रश्न पर नए सिरे से जांच की जा रही है।

नेपाल में भारतीय श्रमिकों पर गोली चलाया जाना

3723. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में विराटनगर की रघुपति जूट मिल में काम कर रहे अनेक भारतीय श्रमिकों पर दिनांक 4 मई, 1981 को लाठियां बरसाई गई और गोलियां चलाई गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोली से कई श्रमिक मारे गए और उनके शव भारत में रह रहे उनके सम्बन्धियों को नहीं सौंपे गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब कुछ श्रमिकों ने भारत में स्थित जोगबनी थाने के सामने प्रदर्शन किया तो पुर्णिया जिले के पुलिस अधीक्षक ने उन पर लाठियां बरसाने का आदेश दिया और सभी श्रमिकों को नेपाल की सीमा में धकेल दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने विराटनगर (नेपाल) में रघुपति जूट मिल में पुलिस द्वारा 3 मई, 1981 को गोली चलाए जाने के बारे में रिपोर्टें देखी हैं। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि श्रमिक अशान्ति की घटनाओं के कारण यह गोली कांड हुआ। इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि उस दिन जूट मिल परिसर में लाठी चार्ज भी हुआ था।

(ख) नेपाली प्राधिकारियों द्वारा पूर्णिया (बिहार) में जिला प्रशासन को दी गई सूचना के अनुसार पुलिस की गोली से एक मजदूर मारा गया और पांच अन्य घायल हुए। लगता है कि मृतक श्री विश्वनाथ राम का कोई संबंधी जोगबनी में नहीं था हालांकि वह अस्थायी रूप से वहां रह रहा था। नेपाली प्राधिकारियों ने हमें सूचना दी है कि उन्होंने लाश को रघुपति जूट मिल के प्रबन्धकों के हवाले कर दिया था जिन्होंने उसकी मृत्यु की सूचना उसके संबंधियों को दी। चूंकि संबंधियों को वहां पहुंचने में कुछ दिन लग गए और विराटनगर में मृत शरीर के रक्षण की सुविधाएं न होने की वजह से मजबूरन लाश का दाह-संस्कार करना पड़ा। नेपाली प्राधिकारियों के कथनानुसार मृतक के संबंधियों को मुआवजा दिया गया था और उनसे लिखित रसीद प्राप्त की गई थी।

(ग) और (घ) बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार श्री बिश्वनाथ की मृत्यु से जोगबनी में कुछ तनाव पैदा हो गया और इस जूट के बहुत से मजदूर सीमा पार करके जोगबनी में आ गए। यह सूचना मिलने पर पूर्णिया के जिला प्राधिकारी शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए जोगबनी गए। तथापि, पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक ने इस बात से इन्कार किया है कि मजदूरों को वापस नेपाल भेजने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश दिया गया था।

हावड़ा स्टेशन पर अधिक प्लेटफार्म

3724. **श्री नीरेन घोष** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थान (बर्थ) की कमी के कारण अनेकों गाड़ियों को हावड़ा स्टेशन के बाहर रुकना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफार्म की संख्या बढ़ाने के लिये अविलम्ब कार्रवाई करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कभी-कभी, यदि गाड़ियां समय पर न चल रही हों तो प्लेटफार्म खाली न होने के कारण उन्हें हावड़ा स्टेशन के बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ख) और (ग) पद्मपाकुर में एक नया कोचिंग टर्मिनल बनाने की योजना है। यह काम द्वितीय हुगली पुल के निर्माण के साथ-साथ पूरा हो जाएगा। इससे हावड़ा की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

व्यापारिक नौसेना संस्थान द्वारा प्रति वर्ष प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या

3725. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारिक नौसेना अधिकारियों और नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिये कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं;

(ख) इन संस्थानों से प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किए जाते हैं;

(ग) इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने अभी तक बेरोजगार हैं; और

(घ) उनको रोजगार दिए जाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अधिकारियों और रेटिगों के लिए छह मर्चेन्ट नेवी ट्रेनिंग प्रतिष्ठान हैं। इन छह प्रतिष्ठानों में से तीन, मर्चेन्ट नेवी में नौचालन और इंजीनियरी अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए कैडेटों/अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और तीन संस्थान जहाज पर डैक और इन्जिन रूम रेटिगों के रूप में सेवा करने के लिए युवकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ख) मर्चेन्ट नेवी में नैवीगेटिंग और इन्जीनियरिंग अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिये प्रतिवर्ष 470 कैडिट/अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और जहाज पर डैक एंड इन्जिन रूम रेटिगों के पद में काम करने के लिए प्रतिवर्ष 640 युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) जहां तक टी० एस० "राजेन्द्र" और डी० ई० एम० टी० प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षित कैडिटों का प्रश्न है इनमें ऐसा कोई नहीं जिसे नौकरी न मिली हो, बल्कि इस समय जितने युवक प्रतिवर्ष प्रशिक्षण पाकर निकलते हैं वे इस उद्योग की मांग की अपेक्षा कम पड़ते हैं। नौवहन कम्पनियों की डैक और इन्जीनिरिंग एप्रेन्टेसेन का सीधी वार्ता करने की अनुमति है। बम्बई और कलकत्ता में नौकरियों की प्रतीक्षा करने वाले प्रशिक्षार्थी नाविक ट्रेडिंग की संख्या क्रमशः 437 और 168 है।

(घ) प्रशिक्षार्थी नाविकों की नौकरियों के लिये प्रतीक्षा अवधि कम करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उनके लिए नौवहन कम्पनियों से कहा जा रहा है कि वे अपने रोस्ट पर नियमित नाविकों के साथ-साथ इन प्रशिक्षार्थियों को भी अधिकाधिक संख्या में रखें। नाविकों की बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक विशेष समिति भी नियुक्त की है।

मेचीदा और हल्दिया स्टेशनों का विस्तार

3726. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेचीदा और हल्दिया दोनों स्टेशनों में पार्शलिंग यार्ड बनाकर इन स्टेशनों का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हल्दिया तथा मेचीदा स्टेशनों के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोलाघाट स्थित ताप बिजलीघर के लिए निजी साइडिंग तथा एक्सचेंज यार्ड की व्यवस्था करने के कार्य में मेचीदा स्टेशन के वर्तमान पार्सल तथा आरक्षण कार्यालय को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है।

(ग) हल्दिया तथा मेचीदा स्टेशनों का विस्तार करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है क्योंकि वहां की वर्तमान यातायात सुविधाएं पर्याप्त हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा सेवित शहर

3727. **श्री जेवियर अराकल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) ऐसे यूनिटों को धन आवंटित करने का क्या मानदण्ड है; और

(ग) इन केन्द्रों में क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली (इसके आस पास शहर के गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद सहित), बम्बई, कलकत्ता, पटना, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, जयपुर, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ।

(ख) कर्मचारीवृन्द दवाइयों, अस्पताली भर्ती, उपस्कर, सामग्री एवं सप्लाइयां तथा प्रशासनिक कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, हर वर्ष अनुमोदित बजट में यथा निर्दिष्ट, केन्द्रीय सरकार योजना के एककों के लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन दी जा रही चिकित्सा सुविधाएं इस प्रकार हैं—(1) औषधालयों के जरिये रोगियों का इलाज, (2) आवश्यक दवाइयों की सप्लाई, (3) प्रयोगशाला और एक्स-रे अन्वेषण, (4) घर पर जाकर रोगियों को देखना, (5) दिल्ली में

एम्बुलैंस सेवाएं, (6) सभी मेडिकल और सर्जिकल रोगियों, आपरेशन के रोगियों सहित अस्पताल में भर्ती करके इलाज करना, (7) विशेषज्ञों द्वारा देखरेख, (8) महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद की चिकित्सीय देखरेख, (9) इमर्जेन्सी चिकित्सा; (10) परिवार नियोजन की सलाह जिसमें गर्भनिरोधक उपकरणों आदि की मुफ्त सप्लाई तथा (11) कैंसर टी० बी०, पोलियो, मानसिक रोगों जैसी बीमारियों के लिए विशिष्ट अस्पतालों में अस्पताली चिकित्सा ।

दिल्ली रिंग रेलवे सेवा

3728. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में दिल्ली के आसपास रिंग रेलवे सेवा अधिक सुविधाजनक और लोकप्रिय बनाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित विद्युतीकृत रिंग रेलवे 35.3 कि० मी० लम्बी है और बिजली रेल गाड़ियां इस दूरी को 60 मिनट में पूरी कर लेंगी जबकि इस समय परिक्रमा रेलवे द्वारा लगभग 1,10 मिनट का समय लिया जाता है । प्रस्तावित रिंग रेलवे, जिसके 20 स्टेशन होंगे, लाजपत-नगर, सेवानगर, दया बस्ती, दिल्ली किशनगंज, मिंटो ब्रिज, तिलक ब्रिज और पटेलनगर आदि जैसे अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सेवित करेगी तथा सुबह और शाम के समय 15 से 20 मिनट के अन्तराल से दोनों ओर 70 गाड़ियां चलेंगी । रेलवे आशा करती है कि सुबह और शाम के व्यस्त समय में 2.4 लाख यात्री इससे यात्रा करेंगे । इसे अधिक सुविधाजनक और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रगति मैदान और सराय रोहिल्ला में दो अतिरिक्त स्टेशनों की व्यवस्था की जा रही है । इस योजना से दिल्ली परिवहन निगम का बोझ हल्का हो जायेगा । विशेष उन व्यस्त क्षेत्रों में जहां इस समय दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं अत्यधिक समय लेती हैं । दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों का पुनः निर्धारण करने की सिफारिशों के अतिरिक्त समेकित रेल सड़क प्रणाली का सुझाव देने के लिए एक संयुक्त अध्ययन भी किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त नये बुकिंग कार्यालय, परिवहन क्षेत्र आदि का निर्माण करने के अलावा अतिरिक्त पैदल पुलों, टेपों, प्रसाधन सुविधाओं आदि की व्यवस्था भी की जा रही है ।

खराब हालत वाले रेलवे पुलों की संख्या में वृद्धि

3729. **श्री ई० बालानंदन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खराब हालत वाले पुलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1941 (एक हजार नौ सौ इक्तालीस) ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पी० यू० सी० अध्यापकों के सम्बन्ध में डा० अनन्त रमन समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

3730. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों खास तौर पर पी० यू० सी० अध्यापकों की समस्याओं के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पी० यू० सी० अध्यापकों की समस्याओं को हल करने के लिए डा० अनन्त रमन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से उठे विवादों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) डा० अनन्त रमन समिति की सिफारिशों और अन्य संगत अभिलेखों पर भूतपूर्व कुलपति की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद द्वारा और नियुक्त एक समिति द्वारा और आगे विचार किया गया था । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी परिषद ने 22.7.79 को यह निर्णय लिया कि इस समय विद्यमान लेक्चरारों के रिक्त पद तथा इसके बाद सम्बद्ध विभागों में होने वाले रिक्त पद पहले "पी० यू० सी०" अध्यापकों में से ही भरे जाएं बशर्ते कि वे उपयुक्त हों और खुले चयन के लिए पद तभी विज्ञापित किए जाएं जब कोई उपयुक्त अध्यापक उपलब्ध न हो । कार्यकारी परिषद द्वारा 8.3.1180 के इस निर्णय पर पुनः बल दिया गया और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

मद्रास पत्तन न्यास के श्रमिक संघ के अभ्यावेदन

3771. **श्री डी० ए० कलानिधि** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन न्यास, मद्रास के श्रमिक संघ की ओर से मद्रास पत्तन न्यास की सौवीं सालगिरह के वर्ष में कुछ राहत दिए जाने/अनुग्रह-पूर्वक भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) वर्कर्स यूनियनों ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के शताब्दी समारोह के अवसर पर बोनस आदि अनेक रियायतों के लिए प्रतिवेदन दिये हैं। इन भागों पर पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन और यूनियनों के बीच विचार विमर्श हो रहा है ।

(ख) अगर पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण मंत्रालय को ऐसा प्रस्ताव भेजता है जिसके लिए नियम के अधीन सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है तब इस पर उसके प्राप्त होते ही उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

नई माइनागुड़ी सिताई लाइन

3732. **श्री सुबोध सेन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में नई माइनागुड़ी (उत्तर सीमांत रेलवे) और सिताई के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है; और

(ग) किन-किन मुख्य स्थानों से होकर इस प्रस्तावित रेलवे लाइन को बिछाए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सप्तीबाड़ी, रानिरहट, जमालदाहाट, नया हाट, माथाभंगा, रंगामाटी और सीतलकुची के रास्ते नई माइनगुड़ी से सिताई तक (83.75 कि० मी०) बड़े आमान की एक नयी रेल लाइन के निर्माण के लिए यातायात एवं टोह इंजीनियरी सर्वेक्षण 1977 के दौरान कराया गया था। उससे पता चला था कि यह परियोजना अर्थ-सक्षम नहीं होगी (क्योंकि प्रतिफल ऋणात्मक होगा) । वित्तीय कठिनाइयों तथा इस परियोजना के अलाभप्रद तत्व के कारण अभी तक इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करना संभव नहीं हो सका है ।

सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए नई पदोन्नति योजना

3733. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए नई पदोन्नति योजना पर सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कर्मचारी यूनियनों/एसोसिएशनों की समन्वय समिति, खड़गपुर से एक ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन की जांच की जा रही है ।

जोधपुर, बीकानेर और जयपुर डिवीजनों में रेल सेवाओं का पुनः आरम्भ होना

3734. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर, बीकानेर और जयपुर डिवीजनों ने उन रेल सेवाओं को पुनः आरंभ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जो उन्होंने अप्रैल-मई में रद्द कर दी थीं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त डिवीजनों की कितनी ट्रेन सेवाएं पुनः आरम्भ की गई हैं और उन डिवीजनों में कितनी ट्रेन सेवाएं अभी रद्द पड़ी हैं;

(ग) क्या अभी भी रद्द पड़ी ट्रेन सेवाओं को पुनः शुरू करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल और मई 1981 के महीनों में जयपुर, बीकानेर और जोधपुर मण्डलों में कोयले की कमी, लाइन में दरारें पड़ जाने आदि के कारण कुल 52 और 30 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी थीं । जून तथा जुलाई 1981 के दौरान यह संख्या और भी अधिक हो गयी थी । 1-9-81 को इन मण्डलों में 10 जोड़ी गाड़ियां पूर्णतः/अशंतः रद्द थीं ।

(ग) और (घ) ज्योंही लाइन की पूरी तरह से मरम्मत हो जायेगी और कोयले की स्थिति में सुधार हो जायेगा, इन गाड़ियों को फिर से चला दिया जायेगा ।

"पाक बिड टू इन्फल्युएन्स इवेंट्स इन बंगला देश

3735. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जुलाई, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित "पाक बिड टु इन्फल्युएन्स इवेंट्स इन बंगला देश" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार प्रभुत्तासम्पन्न दूसरे दो राज्यों के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वालों के लिये अतिरिक्त विकलांग विशेषज्ञ

3736. **श्री सज्जन कुमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सदन में आश्वासन दिया था कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अतिरिक्त विकलांग विशेषज्ञ उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए अभी तक अतिरिक्त विकलांग विशेषज्ञ उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं, विशेषकर जब कि इसी अस्पताल में ऐसे ही व्यक्तियों को अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारत में जनसंख्या में स्थिरता लाने में सफलता

3737. **श्री जय नारायण रीत :** क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में जनसंख्या में स्थिरता लाने में कोई सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) भारत में जनसंख्या तभी स्थिर होगी जब वृद्धि की दर शून्य हो जायेगी अर्थात जब जन्म-दर मृत्यु-दर के समान हो जायेगी । इस समय जन्म-दर मृत्यु-दर से कहीं अधिक होने के कारण वृद्धि दर अधिक है । राष्ट्रीय लक्ष्य सन् 2000 ईसवी तक जन्म-दर को घटाकर 21 प्रति हजार और मृत्यु-दर 9 प्रति हजार लाना है । यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो आशा है कि लगभग सन् 2050 ईसवी तक देश की जनसंख्या स्थिर हो जायेगी ।

प्रधान मंत्रियों की चिकित्सा के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन

3738. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1981 से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री की चिकित्सा के लिए नियत की गई और खर्च की गई धनराशि तथा विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है, किन-किन तारीखों को कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उसी अवधि के दौरान प्रधान मंत्रियों द्वारा किये गये दौरों, यात्राओं और प्रत्येक यात्रा में मनोरंजन आदि सहित प्रत्येक वस्तु पर औसतन कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और किन-किन तारीखों को कितनी-कितनी; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रधान मंत्रियों से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा के खर्च के सम्बन्ध में प्रासंगिक ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रधान मंत्री को भी मिलता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सदस्यों के बारे में, जिनमें प्रधान मंत्री भी शामिल हैं, अलग-अलग लेखे नहीं रखे जाते। जहां तक हस्पताल में रहने का संबंध है, 30-6-81 से पहले के 10 वर्षों में प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी प्रधान मंत्री से कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है।

इस अवधि में प्रधान मंत्रियों की चिकित्सा पर विदेशी मुद्रा में कोई खर्च नहीं किया गया।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	देश जिसकी यात्रा की	यात्रा की तारीख	प्रधान मंत्री के प्रत्येक दौरे पर यात्रा, सफर, सत्कार इत्यादि (सब मिला कर) विदेशी मुद्रा में किया गया खर्च	विदेशी मुद्रा में हुए खर्च के बारे में अन्य संबंधित ब्यौरे	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	27-9-71 से 29-9-71	रु० 18,914.00		
2.	बेल्जियम आस्ट्रिया यू० के० अमरीका फ्रांस जर्मन संघीय गणराज्य	24-10-71 से 13-11-71	रु० 133,450.41	बेल्जियम = रु० 23,221.93 आस्ट्रिया = रु० 25,622.90 यू० के० = रु० 32,198.76 संयुक्त राज्य अमरीका = रु० 10,187.13 फ्रांस = रु० 14,251.79 जर्मन संघीय गणराज्य = रु० 27,967.90	
3.	बंगला देश	17-3-72 से 19-3-72	रु० 23,510.20	—	
4.	स्वीडन चेकोस्लोवाकिया हंगरी	13-6-72 ने 23-6-72	रु० 100,451.65	स्वीडन = रु० 36,584.90 चेकोस्लोवाकिया = रु० 29,041.61 हंगरी = रु० 34,825.14	

1	2	3	4	5	6
5.	भूटान	27-10-72 से 29-10-72	रु० 39,209.00		—
6.	नेपाल	2-7-73 से 10-2-73	रु० 61,937.32		—
7.	श्रीलंका	24-4-73 से 29-4-73	रु० 33,424.57		—
8.	युगोस्लाविया) कनाडा)	15-6-73 से 26-6-73	रु० 77,362.69	युगोस्लाविया कनाडा	= रु० 10,168.62 = रु० 67,194.07
9.	अल्जीरिया	3-9-73 से 10-9-73	रु० 7,155.65		—
10.	ईरान	28-4-74 से 2-5-74	रु० 17,692.74		—
11.	मालदीव	12-1-75 से 14-1-75	रु० 13,913.67		—
12.	इराक	18-1-75 से 21-1-75	रु० 32,112.96		—
13.	जमैका	27-4-75 से 4-5-75	रु० 151,042.45		—
14.	सोवियत समाज़वादी गणतंत्र संघ	8-6-76 से 13-6.76	रु० 88,360.10		—
15.	जर्मन लोकतांत्रिक) गणराज्य) अफगानिस्तान)	1-7-76 से 7-7-76	रु० 83,732.25	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान	= रु० 37,402.25 = रु० 46,330.00

1	2	3	4	5	6
16.	श्रीलंका	15-8-76 से 19-8-76	रु० 506,985.99		—
17.	मारिशस) तंजानिया) जाम्बिया)	8-10-76 से 17-10-76	रु० 50,970.59	मारिशस तंजानिया जाम्बिया	= रु० 4,039.94 = रु० 32,666.50 = रु० 14,264.13
18.	लंदन	6-6-77 से 16-6-77	रु० 54,511.80		—
19.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	21-10-77 से 27-10-77	रु० 48,386.00		—
20.	नेपाल	9-12-77 से 11-12-77	रु० 28,220.00		—
21.	आस्ट्रेलिया	11-2-78 से 17-2-78	रु० 32,534.06		—
22.	बेल्जियम) यू० के०) संयुक्त राज्य अमरीका)	5-6-78 से 16-6-78	रु० 247,289.74	बेल्जियम यू० के० संयुक्त राज्य अमरीका	= रु० 26,509.36 = रु० 36,422.25 = रु० 184,358.13
23.	कीनिया	10-8-78 से 1-9-78	रु० 1,286.33		—
24.	श्रीलंका	3-2-79 से 6-2-79	रु० 7,166.03		—
25.	बंगला देश	16-4.79 से 18-4-79	रु० 47,126.97		—

1	2	3	4	5	6
26.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ चेकोस्लोवाकिया युगोस्लाविया पोलैंड	10-6-79 से 22-6-79	रु० 171,614.71	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ चेकोस्लोवाकिया युगोस्लावाकिया पोलैंड	= रु० 99,289.68 = रु० 1,156.00 = रु० 32,190.27 = रु० 38,978.76
27.	जिम्बाबवे तंजानिया	16-4-80 से 19-4-80	रु० 143,673.51	जिम्बाबवे तंजानिया	= रु० 132,633.76 = रु० 11,039.75
28.	युगोस्लाविया	7-5-80 से 9-5-80	रु० 38,785.92	—	
29.	स्विटजरलैंड कुवैत आबुधाबी दुबई	5-5-81 से 12-5-81	रु० 450,248.14	स्विटजरलैंड कुवैत आबुधाबी दुबई	= रु० 192,491.94 = रु० 61,577.35 = रु० 101,722.09 = रु० 94,456.76

गुयाना के लिए इन्जीनियरों का चयन

3739. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुयाना सरकार ने इन्जीनियरों के लिए तीन वर्ष की स्थाई सेवा का प्रस्ताव रखा था और तदनुसार चयन किया गया था और उम्मीदवारों को पत्र भी जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे और क्या यह भी सच है कि पांच व्यक्तियों के नाम अन्तिम क्षण में रद्द कर दिये गए थे जबकि उन्होंने पारपत्र सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं; उनके टिकट आ चुके थे और वे जाने के लिए तैयार थे; और

(ग) इन पांच इन्जीनियरों को वहां भेजने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) गुयाना की सरकार ने नई दिल्ली स्थित अपने हाई कमिश्नर की मार्फत 60 इन्जीनियरों के नामों की एक सूची मांगी थी जिन पर गुयाना बिजली निगम में चुने जाने और नियुक्त किए जाने के लिए विचार किया जा सके। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त नामों की सूची गुयाना के हाई कमीशन को भेज दी गई थी। बाद में गुयाना हाई कमीशन के माध्यम से भेजी गई सूची में से गुयाना के प्राधिकारियों ने आठ प्राधिकारियों का चुनाव किया। लेकिन 7 जुलाई, 1981 को इनमें से कुछ व्यक्तियों को, जिन्हें गुयाना के हाई कमीशन के माध्यम से नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गये थे, सूचित किया गया कि उनके ये प्रस्ताव वापस लिए जा रहे हैं। हमने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को जो कि पैनल तैयार करने से मुख्य रूप से संबंधित हैं, इसके संबंध में सूचना दे दी है ताकि वे इस बारे में उचित कार्यवाही कर सकें।

दिल्ली प्रशासन द्वारा महिला प्रधानाचार्यों के नियमित रिक्त पदों को भरा जाना

3740. **श्री कुमकु एन० नटराजन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 को अपने परिपत्र में तदर्थ रिक्त पदों को परिभाषित किया और यह निर्धारित किया है कि एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त नियमित पद नियमित रीति से भरे जाने चाहिएं न कि तदर्थ नियुक्तियों के रूप में;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा महिला प्रधानाचार्यों के रिक्त नियमित पदों पर अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार नियमित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से 3 जनवरी,

1970 को किए गए चयन को 11½ वर्षों की अवधि समाप्त होने पर अभी भी तदर्थ रूप में कैसे माना जा रहा है;

(ग) क्या तदर्थ आधार पर ऐसे चयन की शर्त 'मेनोयट' है विशेषकर उस स्थिति में जब पिछले दशक के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व स्वीकृति ले ली गई हो; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिला अधिकारी ने अगले चार महीनों में अधिकतम वेतनमान पर पहुंच जाएगा, इस कठिनाई को दूर करने में और कितना समय लगेगा ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 30-12-1976 के ज्ञापन पत्र के अनुसार, नियमित नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों का चयन किये जाने तक नियमित रिक्त स्थानों पर, कार्य की आवश्यकता को देखते हुए तदर्थ नियुक्तियां करना अनुमत्य है ।

(ख) से (घ) जनवरी, 1970 में महिला प्रधानाचार्यों के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने के लिए स्नातकोत्तर अध्यापिकों के नामों की सिफारिश करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था, क्योंकि उस समय स्नातकोत्तर अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था । विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और पैनल वाले प्रधानाचार्यों को बाद में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया गया था । उस समय प्रधानाचार्य का पद श्रेणी-II का पद था । तथापि, प्रधानाचार्यों के वेतनमान के संशोधन के परिणामस्वरूप इस पद का 27-5-70 से पूर्व व्याप्ति सहित 1973 में श्रेणी 1 के पद के रूप में वर्गीकृत किया गया था । इसके परिणामस्वरूप, संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर ऐसे प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को नियमित करने के आदेश को रद्द कर देना पड़ा ।

अब तक उप-प्रधानाचार्यों जो प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पूरक (फीडर) ग्रेड है, की वरिष्ठता सूची को दिल्ली उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी विभिन्न समादेश याचिकाओं के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान तदर्थ व्यवस्था को जारी रखना पड़ा और नियमित आधार पर नियुक्तियां करने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब समादेश याचिकाओं पर निर्णय ले लिया जाएगा तथा उप प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

तुर्की राज्य क्षेत्र में पाकिस्तानी अणुपरीक्षण

3741. **श्री राम बिलास पासवान :**

श्री रशीद मसूद : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तुर्की राज्य क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा अपना अणु परीक्षण करने

के प्रस्ताव और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान तुर्की परामर्शदाताओं को अमरीका द्वारा दिए गए प्रोत्साहन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें देखी हैं, जिनमें कहा गया है कि तुर्की, पाकिस्तान के लिए दक्षिण तुर्की में एक सुरंग के रूप में उसके पहले परमाणु परीक्षण के लिए स्थान की व्यवस्था कर रहा है । इन खबरों में यह बताया गया है कि अमरीकी सरकार के गुप्तचर विभाग और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी इस विषय में पकिस्तान-तुर्की के परामर्शदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं । पाकिस्तान और तुर्की सरकारों ने इसका जो खण्डन किया है, उसे भी भारत सरकार ने देखा है । सरकार बराबर इन बातों पर नजर रख रही है ।

ग्रामीण वित्त पोषण तथा कृषि विकास सम्बन्धी अनुभवों को बांटने के प्रति चीन की उत्सुकता

3742. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवादी चीन गणराज्य ने ग्रामीण वित्त पोषण तथा कृषि विकास संबंधी अपने अनुभव भारत के साथ बांटने के प्रति अपनी उत्सुकता प्रकट की है जैसा कि बैंक आफ चीन के कृषि उपनिदेशक ने कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कृषि के क्षेत्र में आदान-प्रदान के लिए हमने चीन की सरकार से बातचीत की है जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा । इन आदान-प्रदानों को जारी रखने का इरादा है ।

ए० बी० एन० ई० आर० मैमोरियल स्कूल, नई दिल्ली

3743. **श्री के० मालन्ना** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० बी० एन० ई० आर० मेमोरियल स्कूल, 26 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली और समर विला स्कूल, दरियागंज, दिल्ली के मैनेजरों की स्कूल चलाने सम्बन्धी शक्तियां उस प्राधिकार के अलावा क्या हैं जो उन्हें विदेशी मिशन द्वारा दी गई हैं;

(ख) 26, फिरोजशाह रोड स्थित भवन के मालिक और ए० बी० एन० ई० आर० मेमोरियल स्कूल के प्रबन्धक के बीच भवन को खरीदते समय हुए सौदे का ब्यौरा क्या है;

(ग) ए० बी० एन० ई० आर० मेमोरियल स्कूल का मैनेजर स्कूल भवन निधि के नाम पर चन्दा किस प्रकार इकट्ठा कर रहा है और उसका हिसाब-किताब क्या है तथा क्या उसकी लेखा परीक्षा की जाती है;

(घ) शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भर्ती करने हेतु सेवा शर्तें क्या हैं; और

(ङ) क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें शिक्षकों को 10 वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा गया है अर्थात् उन्हें 1968 में भर्ती किया गया था और 1976 में उन्हें स्थायी किया गया था।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दो स्कूलों में से केवल ए० बी० एन० ई० आर० मेमोरियल स्कूल, 26 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली एक मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 5 के अनुसार इस स्कूल द्वारा प्रबन्ध के लिए बनाई गई योजना के अनुसार, मैनेजर के पास वित्त, पर्यवेक्षण तथा शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के निरीक्षण, लेखन-सामग्री/सामान की खरीद, भवन के अनुरक्षण आदि के अधिकार हैं।

दरियागंज, दिल्ली में कार्य कर रहा समर विला स्कूल एक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल है। जिनमें पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं तथा कक्षा 1 और 11 हैं। यह स्कूल उक्त अधिनियम की धारा 5 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है जैसाकि दिल्ली प्रशासन को पता चला है, दोनों स्कूलों का समग्र नियंत्रण लोदेट कारें बेपटिस्ट मिशन, सोसायटी, भारत के हाथ में है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय है।

(ख) इस सौदे के सम्बन्ध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के पास उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, स्कूल, स्कूल-भवन निधि के लिए, चन्दा इकट्ठा नहीं कर रहा है। तथापि, यह स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 180 के अनुसार विवरण तथा दस्तावेज भेजता है। वर्ष 1979-80 तक के ऐसे लेखों की जांच की जा चुकी है तथा वर्ष 1980-81 के लेखों की जांच की जा रही है। स्कूल की एक अलग भवन निधि है किन्तु ऐसा पता चलता है इस निधि के सम्बन्ध में लेखे, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 18 (3) के अन्तर्गत निर्धारित विधि के अनुसार नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) सेवा शर्तें वैसे ही हैं जैसी कि सेवा के उस ठेके के नमूने में निर्धारित हैं, जो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 15 के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

(ङ) 30 शिक्षकों से, 13.6.81 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए केवल 7 शिक्षक परिवीक्षा पर हैं, शेष शिक्षकों को स्थायी कर दिया गया है। यह भी पता चला है कि स्कूल को केवल 1976 में मान्यता प्रदान की गई थी तथा समर-विला स्कूल (गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल) में जुलाई, 1968 में नियुक्त एक शिक्षक, श्री एम० जार्ज को मई, 1978 में स्थायी किया गया था।

नांगल राय नई दिल्ली में रेलवे पुल

3744. **श्री राम लाल राही** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल-राय नई दिल्ली में एक रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी चौड़ाई और एक ओर की लम्बाई क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या पुल स्तम्भों (पिलर्स) के ऊपर खड़ा होगा या दीवार के ऊपर उसकी लम्बाई कितनी होगी;

(घ) क्या पुल के निर्माण से वहां के बाजार की वर्तमान स्थिति पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; यदि हां, तो बाजार के दोनों ओर बनी दुकानों का क्या होगा, क्या दुकानों के लिए कोई सड़क या रास्ता दिया जाएगा, यदि हां, तो यह सड़क या रास्ता कितने फुट चौड़ा होगा;

(ङ) क्या इन दुकानों को गिराना पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(च) क्या इन दुकानों के मालिकों को इनके बदले कहीं और जगह दी जायेगी, यदि हां, तो कब तक और इसके लिए क्या पद्धति निर्धारित की गई है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) दिल्ली नगर निगम के अनुसार जो इस मामले से संबंधित है, अक्टूबर, 1982 तक इस पुल के पूरा हो जाने की संभावना है । पहुच मार्ग से सहित पुल की छह लेनें होंगी जिसमें पैदल यात्रियों के लिए भी व्यवस्था होगी । यह पुल लगभग 133 मी० लम्बा होगा । तिहाड़ जेल तथा किर्वी प्लेस की ओर के पहुंच मार्ग क्रमश: लगभग 427 मीटर और 381 मी० लम्बे होंगे । पहुंच मार्ग का कुछ भाग खम्भों को खड़े कर और कुछ भाग मिट्टी का भराव कराकर बनाया गया है । जिस भाग में मिट्टी का भराव किया गया है वह तिहाड़ जेल और किर्वी प्लेस की ओर क्रमश: 122 मी० और 164 मी० लम्बी है । दोनों ओर मौजूदा मकानों के सामने 3 से 4 मी० चौड़ा रास्ता भी होगा । नगर पालिका की भूमि पर कुछ अवैध मकानों को डी. डी. ए. से हटा दिया है । नगर पालिका की भूमि पर अंतिक्रमणों को छोड़कर और मकान गिराने का कोई और प्रस्ताव नहीं है ।

सोवियत रूस से यूरिया का भारी मात्रा में भेजा जाना

3745. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 1981 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "यू० एस० एस० आर० एग्रीज टु बल्क यूरिया शिपमेंट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सोवियत संयुक्त समिति की बैठक का निष्कर्ष क्या रहा और उसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) यूरिया की पहली खेप भारत कब पहुंचेगी और भारत द्वारा भुगतान किस मुद्रा में किया जाएगा अर्थात् रुपये में किया जाएगा या रुबल में ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित समाचार सरकार को भी प्राप्त हुआ है । भारत सोवियत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक जिन खास-खास मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है, उनमें से कुछ इस बारे में थे :

(1) दोनों देशों के पत्तनों पर टनेज शुल्क लगाने के बारे में समझौता ।

(2) माल के कम उतारने पर की जाने वाली कार्रवाई ।

(3) जहाज द्वारा उर्वरक भेजना ।

(4) अन्य देश व्यापार में सहयोग ।

(5) भारत से यू. एस. एस. आर—सुदूर पूर्व तक माल का यातायात ।

(6) भारत सोवियत व्यापार में कंटेनरों का प्रयोग ।

(7) भारतीय और सोवियत पत्तनों पर जहाजों का आना व जाना ।

(8) सोवियत माल के यातायात में भारतीय जहाजी बेड़े का प्रयोग ।

2. उल्लिखित मुद्दों में से कुछ मुद्दों पर हालांकि समझौता हो गया लेकिन कुछ मुद्दों पर विचार करना संयुक्त समिति की अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बात पर भी समझौता हुआ कि जहाजों के टनेज की माप के संबंध में 1969 का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय लागू हो जाने पर टनेज शुल्क लगाने की समस्या अपने आप सुलझ जायेगी । यह भी समझौता हुआ कि सोवियत पक्ष भारत के इस अनुरोध पर विचार करेगा कि पत्तनों पर जमाव को कम करने के लिए माल काला सागर के पत्तनों से सोवियत संघ के पूर्वी पत्तनों की ओर भेज दिया जाया करे। सोवियत पक्ष काला सागर के पत्तनों पर भारतीय जहाजों के लिये दो बर्थ आरक्षित करने के लिए भी सहमत हो गया जिससे कि भारतीय जहाजों को देरी न हुआ करे। सोवियत पक्ष इस बात पर भी सहमत हुआ कि अगर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की दरें नीची रहेंगी तब वह भारतीय जहाजों का प्रयोग करेगा ।

3. यूरिया को बोरियों में बन्द किये बिना जहाजों से भेजने के बारे में यह सहमति हुई कि प्रयोग के तौर पर इस रीति को अपनाया जाये जिससे कि नियमित रूप से यूरिया को यातायात होने पर आवश्यक उपायों पर विचार किया जा सके । इसकी 13,000 मोद्रिक टन की पहली किश्त भारत 28 अगस्त को पहुंच चुकी है ।

स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर लेख लिखने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यात्रा भत्ते, दैनिक भत्तो का भुगतान

3746. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर लेख लिखने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और अन्य संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों समेत इस मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते, मानदेय और एक मुश्त राशि के रूप में भारी राशि का भुगतान किया है;

(ख) क्या ये दरें अत्यन्त लाभप्रद एवं केन्द्र सरकार की दरों से बहुत अधिक हैं और इन अधिकारियों ने इस राशि में से सरकारी खजाने में कुछ भी जमा नहीं कराया जबकि वे केन्द्रीय राजस्व से पूर्ण-कालिक वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं और ये अधिकारी इस प्रकार के कार्य अपने दिन-प्रतिदिन की ड्यूटी के अतिरिक्त करते हैं जिससे यह करमुक्त कार्य करते समय उनके अपने काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ग) सरकार का स्थिति को ठीक करने और सरकारी खजाने के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

कोयले से चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों का चलाया जाना

3747. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विचाराधीन कोयले से चलने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और ये गाड़ियां किन मार्गों पर चलाइ जाएंगी;

(ग) इससे यात्रा समय में कितनी बचत होगी और ऐसी गाड़ी द्वारा अधिक से अधिक कितना वजन ले जाया जा सकेगा; और

(घ) इसकी वापिसी यात्रा पर इंजन डिब्बे आदि का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा और क्या इसकी यातायात क्षमता का अध्ययन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी मूल्यांकन क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेल मंत्रालय,7500 टन तक के भार वाली बात ब्रेक युक्त नये प्रकार के बाक्स 'एन' माल डिब्बों वाली मालगाड़ियों, को डीजल या बिजली रेल इंजनों द्वारा खींचे जाने पर विचार कर रहा है । ये माल डिब्बे निर्माणाधीन हैं । ये गाड़ियां भाप इंजनों द्वारा नही खींची जायेंगी । 7500 टन भार वालीं गाड़ियों में 92 बाक्स 'एन' माल डिब्बे होंगे । खनिज यातायात के लिए अनिवार्य

इन लम्बी दूरी की गाड़ियों में माल लादने-उतारने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों के मार्गों का चयन किया जा रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इतनी ही संख्या में इन गाड़ियों से माल की ढुलाई में सुधार होगा और इस प्रकार खन्डीय क्षमता का बेहतर उपयोग होगा। साथ ही इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि वापसी यात्रा में चल स्टाक का उपयोग किस तरह किया जायेगा।

एफ० ओ० बी० आधार पर वस्तुएं आयात करने के लिए नीति संबंधी निदेश

3748. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी उपक्रमों की इस नीति निदेश का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति के प्रश्न को उच्चत्तम स्तर पर उठाया है कि एफ० ओ० बी० आधार पर वस्तुओं का आयात न किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के क्या गम्भीर परिणाम हैं और क्या वाणिज्य मंत्रालय से इस मामले में विचार विमर्श किया गया था और यदि हां, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हैं;

(ग) उपरोक्त उल्लंघन करने वाले सरकारी उपक्रम कौन से हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सरकार के ये निर्देश हैं कि सामान्य नीति के रूप में सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जो भी आयात किया जाए वह नौतल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर किया जाए। चूंकि नौतल पर्यन्त निःशुल्क आधार पर खरीद करना हमेशा संभव नहीं होता है इसलिए उचित मामलों में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के परामर्श से इस बारे में छूट दे दी जाती है। ये निर्देश वाणिज्य मंत्रालय आदि सभी मंत्रालयों को हाल ही में पुनः जारी किए गए हैं। इस बारे में सामान्य रूप से बार-बार इसी बात पर जोर दिया गया है ताकि कोई भी सरकारी उपक्रम नीति का उल्लंघन नहीं करें। यह भारतीय नौवहन उद्योग को सहायता देने के उद्देश्य से खासतौर से ऐसी मौजूदा परिस्थिति में किया गया है कि जब सारे संसार में माल का यातायात और भाड़े की दरें नीचे गिरती जा रही हैं।

बसों की छतों पर यात्री ले जाने पर रोक लगाने के उपाय

3749. **श्री सनत कुमार मन्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस दुर्घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, जिनमें 17 अगस्त, 1981 को काश्मीर के पहलगांव के निकट हुई बस दुर्घटना भी सम्मिलित है। जिनके परिणामस्वरूप बहुत से लोगों की मत्यु हुई, को ध्यान में रखते हुए सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम और उसके अन्तर्गत

बने नियमों में ऐसा संशोधन शीघ्र करने पर विचार करेगी कि जिसमें लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक यात्री और विशेष रूप से बसों की छतों पर यात्रियों के ले जाने पर रोक लग जाए;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की छतों पर यात्री ले जाने को रोकने और इसे मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत संगेय अपराध बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 82 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति मोटरगाड़ी चला रहा हो या जिसके चार्ज में कोई मोटरगाड़ी हो वह गाड़ी के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो ढोयेगा और न किसी को ढोये जाने की इजाजत देगा। इस धारा की व्यवस्था का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम की धारा 112 के अधीन जुर्माने का विधान है। इसके अलावा, परिवहन प्राधिकरण जो परमिट देता है, वह गाड़ी को परमिट द्वारा प्राधिकृत रीति से न चलाने के मोटर वेहिकल्स एक्ट, 1939 की धारा 60 के तहत परमिट को निलंबित भी कर सकता है । मौजूदा आदेश परमिट द्वारा प्राधिकृत्य रीति से गाड़ी चलाने या चलवाने या चलने की अनुमति देने से रोकने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं ।

अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों/जन जातियां रेल कर्मचारी संगठन मध्य रेलवे से ज्ञापन

3750. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के डिवीजनल मैनेजर की अखिल भारतीय अनुसूचित जातियां/जन जातियां रेल कर्मचारी संगठन, मध्य रेलवे, नागपुर (एम० एस०) से दिनाँक 13 अक्टूबर, 1980 का अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों/सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मांग/सुझाव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यह सही है कि मंडल रेल प्रबन्धक, मध्य रेलवे, नागपुर को आल इण्डिया एस. सी. एंड एस. टी. रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन, नागपुर की ओर से दिनांक 13-10-80 का एक अभ्यावेदन मिला था। उसमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों की स्थिति इस प्रकार है :—

मद सं० 1 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए, विशेषकर चिकित्सा विभाग में, आरक्षण में विसंगतियां।

रेलों के सभी विभागों में पदों की विभिन्न कोटियों में कमी पूरी करने के लिए लगातार उपाय किये जा रहे हैं। भारतीत रेलों में श्रेणी III और श्रेणी II की कोटि के पदों में कमी पूरी करने के लिए 1-4-81 से 6 महीने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जहां तक डा० एम० बी० सखारी, सहायक चिकित्सा अधिकारी (श्रेणी II), नागपुर का सम्बन्ध है, उन्हें केवल छुट्टी-रिक्ति के एवज में मंडल चिकित्सा अधिकारी के रूप में वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत किया गया था और इस व्यवस्था को 23-11-76 को समाप्त कर देना पड़ा था क्योंकि इस पद का पदधारी अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया था। लेकिन पदोन्नति के लिए उसके मामले की आगे जांच की जा रही है।

मद सं० 2 : एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बैठक।

आल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन में दो वर्ग हैं और दोनों वर्ग एसोसिएशन के वास्तविक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। इनमें से एक वर्ग न्यायालय में गया जिसमें दूसरे वर्ग को एसोसिएशन के नाम का प्रयोग न करने की अपील की गयी थी। रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया था कि जब तक इस मामले पर न्यायालय निर्णय नहीं दे देता तब तक किसी भी वर्ग को औपचारिक बैठकों में न बुलाया जाये। इन वर्गों में से एक वर्ग द्वारा न्यायालय के हाल ही के आदेश प्रस्तुत करने पर मामले की आगे जांच की जा रही है।

मद सं० 3 : एसोसिएशन के पदाधिकारियों का उत्पीड़न और स्थानान्तरण।

मान्यता प्राप्त यूनियन के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया गैर मान्यताप्राप्त एसोसिएशन/यूनियन पर लागू नहीं होती। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि स्थानान्तरण के आदेश सामान्यतः पदोन्नति संवर्ग में कमी होने या प्रशासनिक हित में दिये जाते हैं। इस एसोसिएशन के अ. जा./अ. ज. जा. के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं किया जाता।

मद सं० 4 : मंडल क्वार्टर समितियों में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व।

मध्य रेलवे में कार्यरत आवासीय समितियों का ब्यौरा तथा उसमें अ. जा./अ. ज. जा. समुदाय की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	आवासीय समितियां	कुल सं.	अ. जा./अ. ज. जा. के सदस्यों की संख्या	
1.	अजनी	11	2	–
2.	नागपुर	11	–	3
3.	वर्धा	12	2	1
4.	बल्लारशाह	11	2	–
5.	पुलगांव	10	1	–
6.	आमला	12	4	–
7.	जुनारदेव	11	1	1
8.	बरोरा	7	1	–

इस प्रकार, यह मालूम पड़ेगा कि आवासीय समितियों में अ. जा./अ. ज. जा. का प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व है ।

मद सं० 5 : नागपुर मंडल के सेंट्रल कार्यालय में अ. जा./अ. ज. जा. के साथ सौतेला व्यवहार—श्री आर. के. वेद्या के मामले पर मुख्य नियंत्रक के रूप में स्थापन्न के लिए विचार न किया जाना ।

श्री आर. के. वेद्या को 30-4-74 से 9-7-79 तक छुट्टी-रिक्ति के एवज में मुख्य नियंत्रक के रूप में पदोन्नत किया गया था । लेकिन उनका कार्य संतोषजनक नहीं था । यह कहा गया है कि श्री एफ. एम. भामगर, सेक्शन कंट्रोलर, जो श्री वेद्या के कनिष्ट हैं, को मुख्य नियंत्रक के रूप में पदोन्नत किया गया, लेकिन जैसा आरोप लगाया गया है, उन्हें कभी भी मुख्य नियंत्रक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया ।

मद सं० 6 : नागपुर मंडल में तथा कथित अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ की गतिविधियां ।

इस बात को साबित करने के लिए अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई है कि नागपुर मंडल क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगे होंगे । यह आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ की गतिविधियों का समर्थन दे रहे हैं, चूंकि एसोसिएशन ने किसी विशिष्ट घटना का ब्यौरा नहीं दिया है अतः इस मामले पर टिप्पणी करना सम्भव नहीं है । अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ भी एक और मान्यता प्राप्त निकाय है, अतः इस गैर-मान्यताप्राप्त निकाय को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गयी हैं ।

मद सं० 7 : रेलवे बोर्ड द्वारा अ. जा./अ. ज. जा. के लिए पुस्तिका में प्रकाशित अनुदेशों का पालन न किया जाना ।

यह सही है कि 31-8-80 को उप मुख्य नियंत्रक का एक पद खाली था तथा नागपुर मंडल को इस पद पर तैनाती के लिए तदर्थ व्यवस्था करनी पड़ी थी। इस पद पर मुख्यालय का नियंत्रण है और इसे मुख्यालय में बनाये रखा जाता है। अतः नागपुर मंडल के लिए यह आवश्यक हो गया है कि मुख्यालय से तैनाती होने तक मंडल वरीयता के अनुसार तदर्थ व्यवस्था करनी पड़ी। अनुसूचित जन जाति समुदाय के श्री मारकेम को अ. जा. कोटे में 27-12-80 से उप मुख्य नियंत्रक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है।

मद सं० 8 : हलवा समुदाय (अ. ज. जा.) के श्री टी. यू. नन्दनवार, गाड़ी कंडक्टर को सताया जाना।

श्री टी. यू. नन्दनवार, चल टिकट परीक्षक को 31-12-77 से अ. ज. जा. कोटे में गाड़ी कंडक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री एम. एम. रामटेक्कर, चल टिकट परीक्षक, नागपुर मंडल से, जिन्होंने अपने आपको अ. ज. जा. का बताया तथा जो श्री नन्दनवार से वरिष्ठ थे, अभ्यावेदन किये जाने पर श्री नन्दनवार को 17-3-78 को पदावनत कर दिया गया ताकि श्री रामटेक्कर को इस पद पर लगाया जा सके। उसके बाद श्री नन्दनवार ने अभ्यावेदन किया कि श्री रामटेक्कर अ. ज. जा. समुदाय का नहीं था। नागरिक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किये जाने पर श्री नन्दनवार का आरोप सही पाया गया और श्री रामटेक्कर को चल टिकट परीक्षक के रूप में पदावनत कर दिया गया। बाद में, श्री रामटेक्कर ने शिकायत की कि श्री नन्दनवार भी अ. ज. जा. समुदाय का नहीं था, तदनुसार उसे भी कंडक्टर के पद से चल टिकट परीक्षक के रूप में पदावनत कर दिया गया। बाद में श्री नन्दनवार नागपुर उच्च न्यायालय में गये और इस आशय का स्थगन आदेश ले आये कि उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर देने के सम्बन्ध में कलक्टर, नागपुर और छिंदवाड़ा के पत्रों का खंडन करने के लिए उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये। श्री नन्दनवार को तथ्यान्वेषण जांच में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन वह न तो जांच में उपस्थित हुआ और न ही कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत कर सका जिससे नागपुर तथा छिंदवाड़ा के कलक्टरों के पत्रों का खंडन हो सके, फलस्वरूप उसे अन्तिम रूप से पदावनत करने के आदेश जारी किये गये। तब से श्री टी. यू. नन्दनवार सभी प्राधिकारियों को बार-बार अभ्यावेदन दे रहे हैं परन्तु उसने नागपुर और छिंदवाड़ा के कलक्टरों के पत्र रद्द करने के सम्बन्ध में ऐसा कोई पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जिसके अधीन श्री नन्दनवार को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया था। इस प्रकार अ. ज. जा. समुदाय के व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाएं श्री नन्दनवार को नहीं दी जा रही हैं।

मद सं० 9 : नागपुर मंडल में कार्यरत अ. जा./अ. ज. जा. कर्मचारियों का बड़ी संख्या में स्थानान्तरण।

इस मद के अन्तर्गत उल्लिखित कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थिति की जांच की गयी और यह पाया गया कि ऐसा कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है जिससे जानबूझकर अ. जा./अ. ज. जा. के कर्मचारियों को भारी कठिनाइयां उठानी पड़ी हों। यह कहना सही नहीं है कि वे इस एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं/और उन्हें जानबूझकर नागपुर से बाहर स्थानान्तरित किया गया है।

मद सं० 10 : गोपनीय रिपोर्ट खराब करना ।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर गोपनीय रिपोर्टें अधिक विषय-परक लिखी जायें, इस उद्देश्य से नया गोपनीय रिपोर्ट फार्म 1977 से लागू किया गया है । इन फार्मों तथा इन्हें भरने के मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों में यह सुनिश्चित किया गया है कि गोपनीय रिपोर्ट अधिक विषयपरक लिखी जायें और जानबूझकर किसी की गोपनीय रिपोर्ट खराब न की जाये । रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी के अलावा, गोपनीय रिपोर्टों की पुनर्वीक्षा अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाली अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है । फिर भी, इसमें उल्लिखित अलग-अलग मामलों के सम्बन्ध में मध्य रेलवे से ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है ।

जहां तक अ. जा./अ. ज. जा. के उम्मीदवारों के मामले में उनका अगले उच्चतर ग्रेड में श्रेणीकरण करने के सुझाव का सम्बन्ध है, यह वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमेय नहीं है ।

मद सं० 11 : रेलवे भूमि में धार्मिक उत्सव मनाना ।

मौजूदा आदेशों के अनुसार, गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों को रेलवे भूमि में बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

मद सं० 12 : मंडल कार्मिक अधिकारी/सहायक मंडल रेल प्रबन्धक/मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा एसोसिएशन के अधिकारियों को धमकियां देना ।

चूंकि एसोसिएशन ने किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया है, अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती ।

मद सं० 13 : आरक्षित कोटे में चौथी श्रेणी की कोटि में पदोन्नति ।

श्री प्रेमदास मारोती यार्ड खलासी के 22-1-80 के आवेदन पत्र के संदर्भ में उन्हें सूचित किया गया था कि लोको फोरमेन, अजनी के अधीन मेट का कोई पद नहीं है, लेकिन उसकी बारी आने पर मुकद्दम के पद के लिए विचार किया जायेगा जो उसकी पदोन्नति की सरणि है ।

मद सं० 14 : मंडल रेल प्रबन्धक, कार्मिक अनुभाग, नागपुर में नीतियों का निर्धारण ।

श्री श्याम नायडू, वरिष्ठ लिपिक, यातायात अनुभाग, कार्मिक अनुभाग, नागपुर मंडल का काम सम्बन्धित अधिकारियों के आदेशों के लिए कार्यालय टिप्पणी लिखने का था । फिर भी, उनकी टिप्पणियां उस अनुभाग के प्रभारी कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से भेजी जाती थीं । श्री नायडू को अब सामान्य नियमों के अधीन दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

मद सं० 15 : मंडल रेल प्रबन्धक के कार्यालय में कल्याण संगठन के कार्य-कलाप ।

यह देखा गया हैं कि श्री खरबडे, वरिष्ठ श्रमिक कल्याण निरीक्षक अपने अधीन काम कर रहे टाइपिस्ट से काम लेने में समर्थ नहीं हैं । श्री जिनारदे, टाइपिस्ट को श्री खरबड़े के अधीन काम करना है । लेकिन श्री जिनारदे को डब्ल्यू, एस. एस. सी./स्काऊट गाइड और सांस्कृतिक एकेडमी का अतिरिक्त कार्य भी दिया गया हैं क्योंकि वरिष्ठ श्रमिक कल्याण निरीक्षक (सा०),

जो सामान्यत: इस कार्य को देखते थे, इस काम को स्वतंत्र रूप से देखने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें अनेक वार चेतावनियां दी गयीं। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह अ. ज. जा. का कर्मचारी है उसके प्रति पूरी सहानुभूति दिखाने और उसे अधिकतम मार्ग-दर्शन देने के बावजूद भी वह अन्य कल्याण निरीक्षकों के स्तर तक नहीं पहुंच पाया।

मद सं० 16 : श्री राधाकृष्णन, रेलपथ निरीक्षक, पुलगांव का दुर्व्यवहार।

श्री राधाकृष्णन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को निराधार पाया गया है।

मद सं० 17 : विभागीय उम्मीदवार की गार्डों के रूप में तैनाती।

श्री कालीचरण मनिराम, गाड़ी लिपिक को उसकी बारी आने पर गार्ड के पद में पदोन्नत कर दिया जायेगा।

मद सं० 18 : एसोसिएशन को पूरी मान्यता देना।

सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार, जाति, धर्म या मत के आधार पर बनायी गयी सरकारी कर्मचारियों की किसी एसोसिएशन को मान्यता न दी जायेगी।

मद सं० 19 : अ. जा./अ. ज. जा. के कर्मचारियों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था।

इस प्रकार के अनुदेश पहले से हैं कि प्रत्येक मंडल/कारखाने में एक आरक्षण कक्ष खोला जाये और इस कार्य को देखने के लिए सहायक कार्मिक अधिकारियों को नामित किया जाये जिनकी सहायता के लिए कम से कम एक निरीक्षक रहेगा। रेल मंत्रालय ने इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए मध्य रेलवे को निर्देश दिये हैं।

मद सं० 20 : एसोसिएशन को रोस्टर के अनुसार रिक्तियों की स्थिति तथा नियुक्ति/चयन के संबंध में सूचना देना।

वर्तमान आदेशों के अनुसार, एसोसिएशन के सदस्य रोस्टर रजिस्टर का निरीक्षण नहीं कर सकते।

बालारशाह रेलवे स्टेशन पर वैगनों की सप्लाई

3751. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बालारशाह रेलवे स्टेशन पर ई क्लास लदान के लिए वैगनों की अनियमित सप्लाई के बारे में बालारशाह चारकोल फारेस्ट कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन बालारशाह, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के वाइस प्रेजीडेंट का 31 मार्च, 1981 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभ्यावेदन में की गई मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मांगों पर सरकार अन्तिम निर्णय कब करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। अभ्यावेदन निम्नलिखित के बारे में है :—

(1) पूर्वता 'ई' के अधीन बल्हारशाह स्टेशन से लकड़ी के कोयले के संचलन के लिए माल-डिब्बों की अपर्याप्त एवम् अनियमित सप्लाई।

(2) पूर्वता 'ई' के अन्तर्गत मांग पत्रों के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध; और

(3) इस यातायात के संचलन के लिए माल-डिब्बों की नियमित सप्लाई के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करना।

(ग) मांग-पत्रों की पूर्वता और वरिष्ठता के अनुसार माल-डिब्बों की सप्लाई की जा रही है। जनवरी से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान पूर्वता 'ई' के अन्तर्गत बल्हारशाह में कुल मिलाकर 80 माल डिब्बों का लदान किया गया (न कि 25 का जैसा कि एसोसिएशन के अभ्यावेदन में बताया गया है) 1 जनवरी से जुलाई, 1981 की अवधि में इस यातायात के लदान के लिए कुल 368 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे और केवल 15 मांगें बकाया थीं। इस यातायात की नियमित निकासी में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य रेलवे पर न्यूनतम दैनिक लदान सुनिश्चित करते हुए पहले से ही एक पण्य कोटा निर्धारित किया हुआ है। इसके अलावा, पूर्वता 'ई' के अन्तर्गत इस यातायात पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े इस प्रयोजन से यातायात की पूर्वता के बावजूद मांग पत्रों की वरिष्ठता के आधार पर लदान के लिए उस रेलवे पर सप्ताह में दो दिन अर्थात् रविवार और बुधवार अलग से निर्धारित कर दिये गये हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्धा में जयन्ती जनता एक्सप्रेस के रोक स्थलों और बर्थों के आबंटन के बारे में आवेदन

3752. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को वर्धा (महाराष्ट्र) स्टेशन पर जयन्ती जनता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 131 तथा 132) के लिये रोक स्थलों (स्टापेजिस) और बर्थों के आबंटन के बारे में "प्रवासी मण्डल", वारधा एकक की ओर से 1 मई, 1981 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। लेकिन इसी विषय पर सर्व सेवा संघ, वर्धा से 26-3-81 का एक अभ्यावेदन रेल मंत्रालय को मिला था।

(ख) वर्धा में दो रेलवे स्टेशन हैं वर्धा जंक्शन और वर्धा ईस्ट। 50/60 गीताजंलि एक्सप्रेस को छोड़कर बम्बई-नागपुर-हावड़ा मार्ग पर चलने वाली सभी गाड़ियां वर्धा जंक्शन पर ठहरती हैं। इन गाड़ियों में सिर्फ 29 डाउन/30 अप बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस वर्धा ईस्ट पर ठहरती है। जहां तक दक्षिण से आने-जाने वाली गाड़ियों का सम्बन्ध है, 17/18 मद्रास-जम्मू तवी जनता एक्सप्रेस वर्धा जंक्शन पर ठहरती है, 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस और 21/22 हैदराबाद-नयी दिल्ली दक्षिण एक्सप्रेस वर्धा ईस्ट पर ठहरती है। इस तरह वर्धा में पर्याप्त गाड़ियां उपलब्ध हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव

3753. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को इसके कार्य-करण में अधिक स्वायत्तता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अधिक स्वायत्तता देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन बने नियमों और विनियमों का हाल ही में पुनरीक्षण और संशोधन किया गया है।

राजगीर से पटना तक ट्रेन

3754. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उपलब्ध ट्रेन सेवाओं से सरकारी कर्मचारियों के लिए बख्तियार-पुर-राजगीर रेल मार्ग पर स्थित अपने घरों से पटना सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों में समय पर पहुंचना ट्रेनों के अत्यधिक विलम्ब से चलने के कारण असंभव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजगीर से पटना तक एक ट्रेन चलाने का है जिससे कर्मचारी प्रातः 10 बजे तक पटना निश्चित रूप से पहुंच सकें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सुबह के दैनिक यात्रियों को ले जाने वाली 411 अप राजगीर-दानापुर सवारी गाड़ी का चालन बदमाशों की गतिविधि, खतरे की जंजीर खीचने आदि के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) जी नहीं।

पूर्व रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

3755. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल सेवा आयोग, पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से काफी संख्या में चयन किए गए उम्मीदवारों को पूर्व रेलवे में नियुक्त किया गया है और उन्हें पूर्व रेलवे प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो रेल सेवा आयोग पूर्वोत्तर रेलवे की सम्बन्धित रोजगार सूचना का ब्यौरा क्या है, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के लिए उन सफल उम्मीदवारों की सूचियां क्या हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है; और

(ग) इन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पूर्व रेलवे में भेजने के क्या कारण हैं जबकि पूर्व रेलवे का अपना सेवा आयोग है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ग) पूर्व रेलवे के दानापुर तथा धनबाद मंडल के लिए गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों में भर्ती का कार्य पहले रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर को सौंपा गया था। इन मण्डलों के लिए भर्ती का कार्य अब तक दानापुर में स्थापित नये रेल सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लोको रनिंग कर्मचारियों को परेशान किया जाना

3756. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारी डी० एण्ड ए० नियम, 1968 के नियम 14 (11) के अन्तर्गत नौकरी से हटाये जाने मजबूरन सेवा-निवृत्ति, निलम्बन, दंडस्वरूप स्थानांतरण तथा मजबूरी कटौती के रूप में लोको रनिंग कर्मचारियों को परेशान किये जाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन लोको कर्मचारियों का विवरण क्या है जिन्होंने उक्त नियम के अन्तर्गत नौकरी से हटाये जाने, मजबूरन सेवा निवृत्ति तथा दंडस्वरूप स्थानांतरण के विरुद्ध उच्च न्यायालयों से रोकादेश प्राप्त किये हैं, परन्तु उन्हें काम पर लौटने की अनुमति नहीं दी गई हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उन सभी रनिंग कर्मचारियों को, जिनकी मजबूरन सेवानिवृत्ति की गई थी, प्रशासन द्वारा वापिस काम पर ले गया है; और

(घ) यदि हां, तो अन्य लोको कर्मचारियों को, जिन्हें मजबूरन सेवानिवृत्ति किया गया था, वापिस काम पर न लेने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए किसी रेल कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया जाता है। ऐसा केवल

भूख-चूक की विशिष्ट कार्यवाई के सम्बन्ध में किया जाता है और तब भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है। जनवरी-फरवरी, 1980 के दौरान लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा बीमारी की गैर कानूनी सामूहिक छुट्टी लेने के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यवाई की गयी थी :—

नौकरी से बर्खास्त किये गये/हटाये गये/निकाले गये कर्मचारियों की संख्या	588
सेवा की पुनर्वीक्षा करने पर समय से पूर्व सेवा-निवृत्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	603
निलम्बित किये गये कर्मचारियों की संख्या	193

स्थानान्तरण और वेतन में कटौती से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) अनेक कर्नचारी सेवा से हटाये जाने/समय से पूर्व सेवा निवृत्त किये जाने/दंडात्मक स्थानान्तरण के विरुद्ध न्यायालय में गये, रेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाई कर रहा है। ऐसे मामलों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) समय से पूर्व सेवा-निवृत्त 138 रेल कर्मचारियों में से, 122 कर्मचारियों को उनकी अपील पर विचार करने के बाद वापस ड्यूटी पर ले लिया गया है।

(घ) नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद की गयी कार्यवाई के विरुद्ध कर्मचारियों की अपीलों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है जो ऐसे मामलों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेता है।

कर्नाटक में कुष्ठ रोगी

3757. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कुष्ठ रोग होता है; और

(ख) कुष्ठ रोग केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने तथा उनके रख-रखाव हेतु कर्नाटक सरकार को वर्ष 1980-81 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और 1981-82 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कुष्ठ रोग लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कर्नाटक सरकार को कुष्ठ केन्द्रों के उन्नयन और संचालन के लिए 1980-81 और 1981-82 में कुल जितनी राशि आवंटित की गई है वह इस प्रकार है :—

(1) 1980-81=13.60 लाख रुपये (इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा 1980-81 में खर्च की जानी थी)।

(2) 1981-82=29.70 लाख रुपये।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजपथ की घोषणा

3758. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में उन राज्यीय राजपथों की संख्या क्या है जिन्हें 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1981-82 में किसी भी राज्य सड़क को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

कर्षण मोटरें

3759. **श्री के० मलन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रेक के लिए आवश्यक कर्षण मोटरों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि रेयवे अधिकारी एक सामान्य अवधि (नार्मल लाइफ) के पश्चात् इन मोटरों का प्रयोग करते हैं;

(ग) क्या इन मोटरों की सही रूप से मरम्मत की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) 8 डिब्बों वाले उपनगरीय बिजली गाड़ी रेकों मे 8 कर्षण मोटर होते हैं। 9 डिब्बों वाले रेकों में 12 कर्षण मोटर होते हैं। कुछ 9 डिब्बों वाले रेकों में 16 कर्षण मोटर होते हैं।

(ख) जी हां, सामान्य कार्यावधि के बाद भी यदि कुछ मोटर सही स्थिति में होते हैं तो उनका उपयोग जारी रखा जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता हैं।

सचार प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग

3760. **श्री के० मालन्ना :** क्या स्वास्थ्व और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीविजन, फिल्मों और स्लाइडों जैसी संचार प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार के और कितने साज सामान टेलीविजन के चलते फिरते एककों, फिल्मों तथा स्लाइकों की आवश्यकता होगी और इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक खरीदी गई इन प्रौद्योगिकियों का मूल्य कितना है और जन स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और रोधक्षमता के कितने क्षेत्र में इनका प्रयोग हो रहा है; और

(घ) इनमें से कितनी प्रौद्योगिकियों का स्वदेश में विकास हुआ और कितनी आयात की गईं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) फिल्मों, स्लाइडों तथा अन्य श्रव्य-दृश्य कार्यों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों के प्रचार संगठनों के माध्यम से किया जाता है । इन संगठनों का कार्य केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदेश देने तक ही नहीं है बल्कि ये संगठन इन सदेशों को अन्य फिल्मों और स्लाइडों में भी दिखाते हैं । इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इनका अलग से मूल्य नहीं बताया जा सकता । इन प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अधिकांश टेक्नोलाजी देश में ही उपलब्ध है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

3761. **श्री के० प्रधानी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण संबंधी निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें राज्य प्रतिराज्य अन्तर है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण आरंभ किया जाना था; और यदि हां, तो उस कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राज पथों के निर्माण तथा रख-रखाव की समूची लागत वहन करती रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के पेवमेंट की चौड़ाई और मोटाई का निर्णय मुख्यत: इस बात से किया जाता है कि वहां यातायात किस प्रकार का है या कितना है और वहां की मिट्टी कैसी है। पेवमेंट में तीन चीजें होती हैं—सबसे पहले, सब-वेस होता है जिसमें स्टेबिलाइज्ड मिट्टी की परत या कूटी गई पत्थर की रोड़ी होती है, दूसरा वेस होता है जिसमें आमतौर पर पत्थर की रोड़ी की कुटाई होती है और उसके चारों तरफ पानी या बिटुमन की रोक होती है, तीसरे, सतह बनाने का काम होता है जिसमें आमतौर पर एसफाल्ट बिछानी होती है। यातायात और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक कम्पोनैन्ट लेचर की किस्म और मोटाई का निश्चय कर लेने के बाद, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की 'बुक आफ स्पैसिफिकेशन' में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक लेचर के लिए, सामान के लिए विशिष्टियों और निर्माण विधियों का एकसा अनुकरण किया जाता है।

(ख) अलग-अलग कार्यों के निर्माण की विशिष्टियां राज्यों में अलग-अलग नहीं होतीं। परन्तु, पेवमेंट की प्रत्येक कम्पोनैन्ट-लेचर की मोटाई, चौड़ाई और किस्म प्रत्येक राज्य में या एक ही राज्य में अलग-अलग हो सकती है जो कि यातायात परिस्थितियों, पर्यावरण और सामान आदि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(ग) यह माना गया है कि सदस्य महोदय का आशय नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से है। धनाभाव के कारण सरकार का, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यों पर जो एक सतत प्रक्रिया है, ध्यान केन्द्रित करने का विचार है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण पर वर्षवार किया गया खर्च नीचे दिखाया गया है :—

खर्च (लाख रुपये)

वर्ष	जो निर्माण या सुधार कार्य पर किया	जो अनुरक्षण और मरम्मत पर किया
1978-79	392. 01	106. 01
1979-80	370. 31	134. 62
1980-81	374. 13	158. 37

स्वास्थ्य मंत्री की स्वैच्छिक निधि से दिए गए अनुदान

3762. **श्री डी० एस० ए० शिवाप्रकाशम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : स्वास्थ्य मंत्री की स्वैच्छिक निधि से किन कार्यों के लिए तथा किन परिस्थितियों में अनुदान दिया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेकानुदान निधि में से जिन प्रयोजनों के लिए और जिन शर्तों पर अनुदान दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(क) चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य वर्धन के लिए तथा डाक्टरी उपचार और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए व्यक्तियों, स्वैच्छिक संगठनों और निजी अस्पतालों तथा औषद्यालयों को अपेक्षा कृत थोड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ख) गरीबों और लम्बी बीमारी वाले जैसे क्षयरोग, कुष्ठरोग आदि से पीड़ित जरूरतमंद रोगियों तथा दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना; और

(ग) कुष्ठाश्रमों, अपंग बाल गृहों आदि में रहने वालों के लिए सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना किन्तु सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान में से वित्तीय सहायता पाने के पात्र नहीं होंगे;

(घ) सभी अनुदान स्वास्थ्य मंत्री की इच्छानुसार और उनके (व्यक्तिगत) लिखित आदेशों के तहत दिए जाएंगे;

(ङ) किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मामले में साधारणतया अनुदान की राशि 10,000/ रुपये से अधिक नहीं होगी। तथापि, विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक राशि भी खर्च की जा सकती है;

(च) सभी अनुदान अनावर्ती किस्म के होंगे और किसी भी आवर्ती दायित्व को वहन नहीं किया जायेगा;

(छ) अनुदानग्राही को अनुदान की मंजूरी मिलने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर उसका उपयोग करना होगा;

(ज) अनुदानग्राही को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया है;

उपयोग प्रमाण-पत्र की पुष्टि में अनुदानग्राही को यथास्थिति या तो लेखापरीक्षित विवरण (जो किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित हो) या संबंधित रसीदों, वाउचरों आदि सहित खर्च का सारा ब्यौरा देना होगा;

(झ) सामान्यतया उन व्यक्तियों या स्वैच्छिक संगठनों को स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान में से अनुदान या आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी जो इसी प्रयोजन या कार्य के लिए किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से स्वास्थ्य मंत्रालय की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान या आर्थिक सहायता प्राप्य कर चुके हों।

कल्याण के लिए आरक्षित स्थानों का कोटा

3763. **श्री आर. के. महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबन्धक पश्चिम रेलवे को मार्च/अप्रैल के महीने में कल्याण (जिला थाना, महाराष्ट्र) से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें बम्बई सेन्ट्रल से चलने वाली पश्चिम रेलवे की सभी डाउन गाड़ियों पर कल्याण के लिये आरक्षित स्थानों के कुछ कोटे की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अभ्यावेदन में 15 डाउन सौराष्ट्र एक्सप्रैस, 11 डाउन गुजरात एक्सप्रैस, 17 डाउन सौरष्ट्र जनता एक्सप्रैस, 7 डाउन अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस और 27 डाउन बडोदरा एक्सप्रैस गाड़ियों में प्रत्येक में 25 से 30 सीटों के आबंटन की मांग की गयी थी। चूंकि कल्याण स्टेशन बम्बई क्षेत्र का एक उपनगरीय स्टेशन है और यहां के यात्री अन्य यात्रियों के साथ बम्बई सेन्ट्रल और चर्चगेट स्टेशनों पर स्थित आरक्षण कार्यालयों से अपना स्थान आरक्षित करवा सकते हैं, अत: इस स्टेशन के लिए अलग से आरक्षित स्थान का कोटा निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

मैकेनिकल विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारी

3764. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैकेनिकल विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को, जो भारतीय रेलवे आधार पर भर्ती किये गये थे, जूनियर स्केल अधिकारी ग्रेड में उनकी जोनल वरिष्ठता के आधार पर सीनियर स्केल अधिकारियों के पद पर पदोन्नति कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्हें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पदोन्नति करते समय सीनियर स्केल ग्रेड में उनकी सेवा अवधि का मानदण्ड नहीं अपनाया गया है बल्कि उन्हें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में उनकी प्रथम श्रेणी में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया है यानी भारतीय रेलवे आधार पर जूनियर स्केल अधिकारी के रूप में उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से;

(ग) यदि हां, तो यह प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें जूनियर प्रशासनिक अधिकारी के रूप पदोन्नति के लिये सीनियर स्केल अधिकारी के रूप में उनकी सेवा अवधि शामिल करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यांत्रिक इंजीनियर विभाग के कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी-1) अधिकारी सामान्यत: उन रेलों पर वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत किये जाते हैं, जिन पर वे तैनात रहते हैं । उनकी सेवाओं में इन आरम्भिक चरणों पर सभी रेलों की वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों का अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण करना सुविधाजनक नहीं हैं ।

(ख) यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्तियां योग्यता तथा सभी रेलों की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों से चयन द्वारा की जाती हैं और ऐसा करते समय वरिष्ठ वेतनमान में उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) और (घ) श्रेणी-1 के अधिकारियों की समग्र वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख पर निर्भर करता है । अत: पदोन्नति के लिए प्रत्येक अधिकारी की बारी का निर्धारण करने के लिए यह एक प्रधान मानदंड है । वरिष्ठ वेतनमान में की गयी सेवा को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति पाने से पहले उसने इस ग्रेड में अपेक्षित न्यूनतम सेवा पूरी कर ली हैं ।

सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत किए जाने वाले कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

3765. **श्री सूरज भान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन० जी०) 170 सी० एन० 5/31 दिनांक 1 जनवरी, 1971 के साथ पठित उनके एम० संख्यांक पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1970 का अर्थ यह है कि बोर्ड के पत्रों में दी गयी शिकायतों को छोड़कर रेलवे में रेल कर्मचारियों को स्थायी क्रमश: सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किये जाने वाले कर्मचारियों के लिये नियत भर्ती कोटे के अनुसार किया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो किसी निर्धारित कोटे में किसी श्रेणी में भर्ती किये गये सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के नियम क्या हैं; और

(ग) क्या स्थायी करते समय भर्ती कोटे को न अपनाने का नियत भारत सरकार के सभी सिविल सेवा कर्मचारियों के लिये निश्चित स्थायी किये जाने सम्बन्धी नियमों के प्रतिकूल नहीं है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) रेलवे कर्मचारी रेल मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होते हैं न कि सिविल सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों से । रेल कर्मचारी वरिष्ठता के आधार पर स्थायी किये जाते हैं बशर्ते कि स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हों । बोर्ड के 1-1-1971 के आदेशों के साथ पठित 2-12-1970 के आदेश उस समय की विशेष परिस्थिति में व्यवस्था करने के लिये

जारी किये गये थे जब अनेक पदोन्नत कर्मचारी स्थायी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे यद्यपि स्थायी पद उपलब्ध थे ।

मुख्य गाड़ी परीक्षक की वरिष्ठता निर्धारित करना

3766. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्य गाड़ी परीक्षक वेतनमान 550-750 रुपये तक संशोधित वेतनमान के संवर्ग में वरीयता को निर्धारित करने में बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) क्या 550-750 रुपये (संशोधित वेतनमान) के ग्रेड में पदोन्नत किये गये अनेक व्यक्तियों को बाद में इसी ग्रेड में पहले पदोन्नत किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठ दिखाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन को वरीयता सूची के विरोध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो वरीयता सूची को ठीक करने के बारे में प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या 700-900 रुपये के वेतनमान में पिछला चयन इस गलत वरीयता सूची के आधार पर किया गया था जबकि इस सूची के बारे में बहुत सी आपत्तियां उठाई गई थीं; और

(छ) इससे बचने के लिये उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) अभ्यावेदन करने वालों को उत्तर भेज दिया गया है, परन्तु कुछ गाड़ी परीक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी गयी है ।

(च) उच्च न्यायालय का निर्णय होने तक वर्तमान वरिष्ठता सूची के आधार पर, अनन्तिम रूप से प्रवरण किया गया है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर में रेलवे डिवीजन

3767. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा पृथक रेलवे डिवीजन बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा और क्या विद्यमान मैसूर डिवीजन ऐसे ही काम करता रहेगा या इसका पुनर्गठन किया जायेगा;

(ख) मुख्यालय तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास गृह बनाने पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) नये बंगलौर डिवीजन का मुख्यालय कहां स्थित होगा या बनाया जायेगा तथा इस नये डिवीजन द्वारा काम करना कब शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसूर और मद्रास मंडलों का कार्य क्षेत्र पुनर्गठित करके बेंगलूरु मंडल का गठन किया गया है । यह मंडल भी संशोधित सीमाओं के अन्तर्गत काम करना आरम्भ कर देगा ।

(ख) कर्नाटक राज्य द्वारा नि:शुल्क कुछ भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कार्रवाई की गयी है और उसका स्थान निर्धारण किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि के विस्तृत ब्यौरों का पता चल जाने के बाद ही उसकी सम्भावित लागत निर्धारित की जा सकती है । अनुमान है कि मोटे तौर पर इस निर्माण कार्य पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्चे होंगे ।

(ग) 27-7-1981 को औपचारिक रूप से मंडल का उद्घाटन हो जाने के बाद नये मंडल के कुछ विभागों और परिचालनिक नियंत्रण कक्षों में काम होने लगा है । भूमि/संसाधन उपलब्ध होने पर अन्य कार्यकलाप शुरू किये जायेंगे ।

कास्ट आफ सोशल 'ओबलीगेशंस' टू रेलवेज

3768. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 अगस्त, 1981 के 'फाइनेंसियल एक्सप्रेस' में ओबलीगेशंस कास्ट रेलवेज रुपीज 104 क्रोर्स, शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये सामाजिक दायित्व क्या हैं जिनके कारण रेलवे को यह हानि उठानी पड़ी; और

(ग) रेलवे को अपनी तथाकथित 'सामाजिक दायित्व' को कितने समय तक पूरी करनी होती है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इन 'सामाजिक दायित्वों' का ब्यौरा भारतीय रेल वार्षिकी 1979-30 के 'सामाजिक मूल्य' अध्याय में दिया गया है जिसे संसद के पिछले सत्र के दौरान बजट प्रलेखों के साथ संसद सदस्यों को परिपत्रित किया गया था।

(ग) भारतीय रेलों के 'सामाजिक दायित्वों' के प्रश्न की सामाजिक दायित्वों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार समिति और रेल दर जांच समिति द्वारा गहराई से जांच की गयी है, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। इन सिफारिशों का रेल मंत्रालय में अध्ययन किया जा रहा है।

वाणिज्यक पोत यानों का उनके कर्मचारियों सहित सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० को अन्तरण

3769. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा में वाणिज्यक सेवा चलाने के लिए वाणिज्यक पोत यानों को उनके कर्मचारियों सहित सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० को सौंपने का निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या इस अन्तरण से फरक्का से लिए गए वर्कचार्जड स्टाफ तथा स्थाई स्टाफ पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) भाग (क) और (ख) का उत्तर सकरात्मक है तो सरकार का विचार यह निश्चित करने के लिये कि प्रभावित स्टाफ को वेतन एवं पेंशन संबंधी पूरे लाभ प्राप्त हों, क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित वाणिज्यिक सेवाओं को उनके जलयान व संबंधित कर्मचारियों सहित केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० कलकत्ता को सौंप देने का प्रस्ताव है। यह निगम इस मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम है। इस संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) चूंकि प्रस्ताव के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए इस संबंध में निर्णय होने के बाद ही यह पता चलेगा कि किन श्रेणियों के कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जाएगा।

(ग) इससे प्रभावित कर्मचारियों के वेतन और पेंशन आदि के बारे में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

उत्तरी पीतमपुरा को दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा

3770. **श्री भीखा भाई :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित उत्तरी पीतमपुरा आवास कालोनी, जो कि रिंग रोड, वजीरपुर डिपो से 3 किलोमीटर दूरी पर है, के निवासियों और विशेष रूप से छोटे बच्चों की कठिनाइयों और असुविधाओं से परिचित हैं, क्योंकि इस समय उन्हें दिल्ली परिवहन निगम की कोई भी बस सुविधा नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की पीतमपुरा आवास योजना को उत्तरी पीतमपुरा के विभिन्न ब्लाकों को दिल्ली परिवहन बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उनकी दैनिक कठिनाइयां कम हो सकें ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की पीतमपुरा नामक कालोनी तक रूट नं० 114, 141, 921, 933, 938, 163, 170, एम-8 और 901 पर दिल्ली परिवहन निगम की अनेक बसें चलती हैं। हाल में ही 30-8-81 से पीतमपुरा होते हुए श्रमिक सेवा नामक एक नया रूट शुरू किया गया है जिस पर बसें किंग्सवे कैम्प से चल कर वापस किंग्सवे कैंप आती-जाती हैं। इसके अलावा पीतमपुरा कालोनी की यातायात संबंधी आवश्यकता का नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है और जब भी आवश्यक होता है, अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की जाती हैं।

बम्बई और कलकत्ता में भारतीय नौवहन निगम के जहाजों से माल निकासी

3771. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई में नौवहन निगम द्वारा स्वयं ही भारतीय नौवहन निगम के जहाजों से माल निकासी का कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) मद्रास नगर में अपनाई गई प्रक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जहाजों से माल स्टीवीडोरों द्वारा उतारा-चढ़ाया जाता है जो इस काम के लिए मद्रास पोर्ट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

दो बड़े तेलवाहकों पर भारतीय नौवहन निगम को हुई हानि

3772. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री रशीद मसूद : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने प्रस्तावित मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए 1975-76 में दो बड़े तेलवाहक जहाज खरीदे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम को इन जहाजों का उपयोग न किए जाने के कारण अब तक 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है और उसने सरकार से इस हानि की क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन जहाजों का समुचित उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय नौवहन निगम को इन विशाल तेलवाही जहाजों के चलाने से 31 मार्च, 1981 तक 39.00 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, इनके न इस्तेमाल करने से नहीं । भारतीय नौवहन निगम ने इस घाटे के बारे में सरकार को सूचित किया है जिससे इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके ।

(ग) इन जहाजों का यथासंभव अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया ।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों को उढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान

3773. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने नसबन्दी आपरेशन किये गये; और

(ख) क्या बिहार राज्य ने इसके लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1979.80 और 1980-81 के दौरान राज्य सरकारों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये दिये गये अनुदान तथा किये गये नसवन्दी आपरेशनों की संख्या के दो विवरण, विवरण-1 और 2 में दिये गये हैं ।

(ख) इस संबंध में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये बिहार सरकार से कोई अलग और विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण–I

(रुपये लाखों में)

राज्य	नकद सहायता		सामग्री के रूप में दी गई सहायता का मूल्य	
	1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	811.01	1021.44	49.22	44.03
2. असम	152.66	160.46	9.69	12.73
3. बिहार	712 08	788.48	43.87	37.92
4. गुजरात	685.74	743.45	52.51	53.50
5. हरियाणा	187.77	226.20	21.83	28.50
6. हिमाचल प्रदेश	85.78	112.51	5.62	10.41
7. जम्मू और काश्मीर	82.81	94·98	9.11	9.33
8. कर्नाटक	637.21	571.77	51.93	55.78
9. केरल	436.79	449.35	33.65	13.49
10. मध्य प्रदेश	682.80	758.65	40.70	37.45
11. महाराष्ट्र	981.23	1038.36	57.24	81.26
12. मणिपुर	30.05	44.55	2.61	1.09
13. मेघालय	11.99	17.19	1.63	0.73
14. नागालैंड	4.51	4.89	1.92	1.88
15. उड़ीसा	440.98	557.11	28.04	28.00
16. पंजाब	227.36	236.95	29.83	40.52
17. राजस्थान	393.11	545.35	32.35	36.26
18. सिक्किम	8.71	9.47	0.93	0.87
19. तमिलनाडु	725·32	772.67	55.06	39.40
20. त्रिपुरा	16.50	20.96	0.81	1.57
21. उत्तर प्रदेश	1389.68	1442.46	94.68	107.06
22. पश्चिम बंगाल	595.10	734.60	46.25	44.31
योग :	9309.15	10389.14	669.48	699.20

नोट :—1980-81 के दौरान कर्नाटक सरकार को बकाया सहायता के रूप में 286.15 लाख रुपये की राशि भी दी गई थी ।

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य	1979-80 और 1980-81 के दौरान किये गये नसबन्दी आपरेशन ×	
		1979-80	1980-81
1.	आंध्र प्रदेश	182,388	233,448
2.	असम	22,253	23,923
3.	बिहार	87,734	92,481
4.	गुजरात	220,203	200,594
5.	हरियाणा	26,943	32,527
6.	हिमाचल प्रदेश	10,511	14,900
7.	जम्मू और काश्मीर	8,420	10,530
8.	कर्नाटक	117,167	142,775
9.	केरल	99,026	104,584
10.	मध्य प्रदेश	125,760	129,326
11.	महाराष्ट्र	289,173	311,877
12.	मणिपुर	2,475	2,133
13.	मेघालय	197	263
14.	नागालैंड	120	238
15.	उड़ीसा	90,676	90,310
16.	पंजाब	28,011	47,632
17.	राजस्थान	47,316	100,541
18.	सिक्किम	303	300
19.	तमिलनाडु	157,642	131,224
20.	त्रिपुरा	879	467
21.	उत्तर प्रदेश	56,530	76,865
22.	पश्चिम बंगाल	155,204	209,940
	योग :	17,29,537	19,56,878

×आंकड़े अनन्तिम हैं ।

राष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में विदेशों में प्रचार कार्य

3774. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए विदेशों में किए गए प्रचार कार्य की उपयुक्तता की जांच की है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में स्थित विभिन्न मिशनों और अन्य एजेंसियों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। भारत की उपलब्धियों को विदेशों में उजागर करने के सम्बन्ध में प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों को अपर्याप्तता की निरन्तर समीक्षा की जाती है और उसमें सुधार किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

निम्नलिखित विषयों के बारे में मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं :

(1) भारत की प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक उपलब्धियों को प्रकाश में लाना;

(2) भारत की घटनाओं के गलत प्रचार को प्रतिकार करना;

(3) भारत की यात्रा पर आने वाले सभी वर्गों के विदेशी यात्रियों को भारत के इतिहास, सांस्कृतिक परम्पराओं तथा भारत की वर्तमान गतिविधियों से सम्बन्धित मामलों से अवगत कराना;

(4) विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों, विशेषकर राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, कलाकारों, लेखकों, रचनाओं का सत्कार;

(5) भारत के विख्यात लोगों की ऐसी विदेश यात्राओं से लाभ उठाकर भारत की घटनाओं तथा उपलब्धियों को रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना;

(6) प्रचार उपस्करों का आधुनिकीकरण मुद्रित प्रकाशनों तथा श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए उपस्कर की व्यवस्था;

(7) मिशन के पुस्तकालयों को, विशेषकर पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के संदर्भ में आधुनिक बनाना, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों पर विशेषरूप से बल देते हुए भारत की गतिविधियों तथा उपलब्धियों को प्रकाश में लाना;

(8) विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग और भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा निरन्तर तैयार की जाने वाली प्रचार सामग्री का उपयोग तथा वितरण जो उन्हें हमेशा नियमित रूप से भेजी जाती है;

(9) इसके अलावा भारत की नाजुक घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट पक्षसार तथा दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। साम्प्रदायिक घटनाओं, उत्तर-पूर्वी राज्यों में गड़बड़ी, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के कतिपय व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे खालिस्तान आंदोलन के तथाकथित दावे आदि के बारे में पूरी पृष्ठिभूमि सहित जानकारी भेजी गयी है।

(10) भारत की विदेश प्रचार गतिविधियां और उनसे सम्बन्धित दिशानिर्देशों की पर्याप्तता और सुविधा की दो स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है :

(1) विदेश मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत की घटनाओं की समीक्षा करने के लिए और प्रचार अपेक्षाएं पूरी करने के लिए समय-समय पर मिलते रहते हैं;

(2) विदेश सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति की आवश्यकतानुसार दो महीने या तीन महीने की अवधि में एक बार बैठक होती है जिसमें विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका उद्देश्य विदेश प्रचार से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श करना और विदेश प्रचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल पर्याप्त उपाय करना है।

(11) भारत से सम्बन्धित आधारभूत संदर्भ सामग्री को अद्यतन बनाने और उसका उपयोग करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं जिन्हें नियमित और निरन्तर आधार पर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेजा जाता है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त विचाराधीन प्रस्ताव

3775. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित चिकित्सा सुविधा, प्रशिक्षण, सुधार, अन्य मामलों के बारे में अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके कब तक किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अंडमान और निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग में तदर्थ नियुक्तियों को नियमित किया जाना

3776. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग में कितने डी० ई० ओज०, सहायक निदेशक, प्रधानाचार्य तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं और कब से हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की तदर्थ आधार पर नियुक्ति के बारे में कोई भर्ती नियम बनाए गए हैं ताकि इस श्रेणी के पदों में नियमित नियुक्ति की जा सके;

(ग) यदि हां, तो इतने वर्षों से तदर्थ आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए उक्त भर्ती नियमों में कोई प्रावधान जोड़ा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

3777. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन शिक्षा वर्ष 1981-82 से प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर रहा है, यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा के माध्यम से दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जगाधरी-पनोंटा-देहरादून लाईन

3778. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ने के लिए सरकार को जगाधरी-पनोंटा रेलवे लाईन को उत्तर प्रदेश में देहरादून तक बढ़ाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो किस तारीख तक निर्णय लिए जाने तथा सर्वेक्षण किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल इस परियोजना का शुरू करना संभव नहीं होगा ।

सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डी ब्लाक अशोक विहार, दिल्ली

3779. **श्री रामलाल राही** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डी-ब्लाक, अशोक विहार, दिल्ली में, जिसका दर्जा बढ़ाकर माडल स्कूल नाम दिया जाना था, लड़कों और लड़कियों के लिये पृथक पृथक शिफ्टें चालू कर दी गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या लड़कियों की शिफ्ट के लिये महिला प्रिंसिपल एवं महिला अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई हैं और अलग-अलग शिफ्टें शुरू किये जाने के फलस्वरूप नियमित रूप से कक्षाओं में पढ़ाई नहीं हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नये पदाधिकारी कब-तक अपना पद संभाल लेंगे; और

(ग) क्या विद्यालय की प्रयोगशाला में उपकरण की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को प्रयोग आदि करने में भारी कठिनाई पेश आ रही है और यदि हां, तो प्रयोगशाला को उपकरणों से सुसज्जित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, डी-ब्लाक, अशोक विहार को अधिक नामांकन होने के कारण लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग पारियों (शिफ्टों) में बांट दिया गया है । इस स्कूल को माडल स्कूल में स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

(ख) दोनों स्कूलों के लिए प्रिन्सिपलों को नियुक्त कर दिया गया है । अध्यापकों की भी यथोचित व्यवस्था की गई है ।

(ग) विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्करों की कमी थी। स्कूल को उपस्कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए क्लिनिकल-जांच करवाने की सुविधाएं

3780. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली विस्तृत क्लिनिकल जांच की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें एक्सरे, आरथोपेडिक, कार्डियो जांच सुविधाओं के न होने से बहुत कठिनाई होगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अविलम्ब किये जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के रोगियों को क्लिनिकी परोक्षण/अन्वेषण की सुविधाएं नामत: रूटीन रक्त, मल-मूत्र और बायोकेनिकल परीक्षण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/पोलीक्लिनिक की प्रयोगशालाओं में सुलभ कराई जाती हैं। एक्सरे, कार्डियो और आथोपेडिक परीक्षण आदि अनुमोदित अस्पतालों में किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बारात का भोपाल स्टेशन पर लूटा जाना

3781. **श्री निहाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रेल गाड़ी से यात्रा कर रही एक बारात को, 25 मई, 1981 को भोपाल स्टेशन पर दिन दहाड़े लूट लिया गया था तथा रेलवे पुलिस ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा उस समय उनके बचाव के लिए नहीं आए ड्यूटी पर तैनात रेलवे पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) और (ख) जी हां। 25-5-81 को, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जैसे ही भोपाल के प्लेटफार्म से चली, 10/12

यात्री, जो बलूची समुदाय के मालूम पड़ते थे और जिन्होंने पहले बारात के लिए आरक्षित दूसरे दर्जे के 3 टियर यान में प्रवेश किया था, बारात पर हमला किया और उनसे चार घड़ियां, एक सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े छीन लिये और भोपाल यार्ड के 'सी' केबिन के निकट गाड़ी ठहरने पर भाग गये। स्टेशन अधिकारी, रेलवे पुलिस, भोपाल के अनुदेश पर गाड़ी को जांच के लिये भोपाल प्लेटफार्म में वापस लिया गया। स्थानीय राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और उप महानिदेशक पुलिस भोपाल ने घटनास्थल का दौरा किया। उप महानिदेशक पुलिस (रेलवे) भोपाल ने भी घटनास्थल का दौरा किया। राजकीय रेलवे पुलिस, भोपाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला सं० 1048/81 दर्ज किया और वह मामले की छानबीन कर रही है। बाद में पुलिस ने भोपाल के रेलपथ के दोनों ओर रहने वाले बलूची समुदाय के सदस्यों सहित कुछ अवांछनीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। चूंकि रेलवे पुलिस/सिविल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी घटना स्थल पर गये थे और यथा अपेक्षित कार्रवाई की थी। अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में भूमिगत रेलवे

3782. **श्री भीकू राम जैन :**

श्री जगदीश टाईटलर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्यमान सर्कुलरकृत रिंग-रेल-गाड़ियों में बदले जाने के बारे में विचार किया गया है;

(ख) क्या राजधानी में भूमिगत रेलवे शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भूमिगत रेलवे द्वारा यात्रियों का परिवहन करने की क्षमता कितनी है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड के सदस्य

3783. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में इस समय कितने सदस्य हैं, उन्होंने किस-किस तारीख को कार्यभार संभाला था और बोर्ड की सदस्यता से रिटायर होने की उनकी सम्भावित तारीखें क्या हैं; और

(ख) क्या बोर्ड के किसी सदस्य का सेवा-काल बढ़ाया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर बढ़ाया गया है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे बोर्ड के इस समय पांच सदस्य हैं। अध्यक्ष, इंजीनियरी सदस्य, कार्मिक सदस्य और यांत्रिक सदस्य ने 17-11-1980 को तथा वित्त आयुक्त, रेलवे, ने 29-12-1980 को कार्यभार सम्हाला था। उनकी सेवा-निवृत्ति की सम्भावित तारीखें नीचे दी गयी हैं :—

1. अध्यक्ष	30-6-1983
2. वित्त आयुक्त	30-4-1984
3. इंजीनियरी सदस्य	31-10-1981
4. कार्मिक सदस्य	31-12-1982
5. यांत्रिक सदस्य	31-8-1982

(ख) देश की महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था को गतिशील बनाये रखने की दृष्टि से राष्ट्रपति ने, प्रशासनिक हित में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को उस समय तक सेवा में बने रहने की स्वीकृति प्रदान कर दी है जब तक कि उनकी आयु 60 वर्ष की न हो जाये।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ (आल इन्डिया स्टेशन मास्टर्स ऐसोसिएशन) मदुरै डिवीजन की मांगें

3784. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ के मदुरै डिवीजन यूनिट ने डिवीजन मैनेजर मदुरै के विचारार्थ कोई मांगें पेश की हैं; और

(ख) यदि हां, तो मांगें क्या हैं, और प्रत्येक मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,।

(ख) स्टेशन मास्टरों द्वारा की गयी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ स्टेशन मास्टरों के ग्रेडों के संशोधन, पदों के वितरण के प्रतिशत में समानता, पदोन्नति के अवसरों और सेवा शर्तों में समानता, छुट्टी एवजियों की व्यवस्था, वर्दी सप्लाई किया जाना आदि जैसे मामले शामिल थे।

सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और यथा आवश्यक कार्यवाई की जाती है।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की मांगों पर भी सरकार द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक सीमाओं के अन्तर्गत समय-समय पर विचार किया गया है और मांगों के गुणावगुण के आधार पर यथोचित कार्यवाही की गयी है।

मेडीकल स्टोर आर्गेनाईजेशन को सरकारी कम्पनी में बदलना

3785. **श्री डी० एस० शिवप्रकाशम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मेडीकल स्टोर आर्गेनाइजेशन को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है; और

(ग) इस परिवर्तन से जनता को क्या लाभ होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (ग) चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन को बदलकर इसे कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक सरकारी कम्पनी बनाने के प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार किया गया था किंतु सरकार ने इसे नहीं माना।

रेल इन्डिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन

3786. **श्री वीर भद्र सिंह :**

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए रेलवे बोर्ड के अधीन एक रेल इन्डिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन स्थापित करने का है;

(ख) क्या इससे भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ेगा और यह इसके कार्यों में सहायता देगी; और

(ग) इस नई कारपोरेशन के कार्य किस प्रकार के होंगे ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की राजधानियों तथा औद्योगिक केन्द्रों में कन्जेक्टीवाइट्स का रोग

3787. **श्री प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों की राजधानियों अथवा औद्योगिक केन्द्रों में हाल में कन्जेक्टी-वाइट्स नामक आंख का रोग व्यापक रूप से फैला था; और

(ख) इस महामारी को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राउरकेला होते हुए रांची सरसुगडा के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3788. **श्री क्रिस्फोटर एक्का**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राउरकेला होते हुए रांची और सरसुगडा के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब अमल किया जायेगा; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सेन्ट्रल स्कूलों में काम के घन्टे घटाना

3789. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली के सेन्ट्रल स्कूलों में काम के घन्टे घटाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) मामला अभी भी विचाराधीन है ।

विदेशों के अधीन पदासीन विधान मण्डल के सदस्य

3790. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विधान मंडल के ऐसे सदस्यों का ब्यौरा क्या है जो किसी विदेशी सरकार के अधीन पदासीन हैं;

(ख) संसद के ऐसे सदस्यों का ब्यौरा क्या है जो किसी विदेशी सरकार के अधीन पदासीन हैं;

(ग) उनके पदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी सेवा शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) तमिलनाडु विधान सभा का एक सदस्य मद्रास में तुर्की का अवैतनिक प्रधान कोंसल है । सरकार को किसी ऐसे दूसरे विधायक के बारे में जानकारी नहीं है जो किसी विदेशी राज्य के अधीन काय कर रहा हो ।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति

3791. **श्री आर० एस० माने** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में नियमित योग्यता प्राप्त विज्ञान अध्यापक नहीं हैं;

(ख) क्या निगम के अध्यापकों से, अल्पावधि के एक सेमिनार में प्रशिक्षण पाने के पश्चात विज्ञान विषय का अध्यापन कराया जाता है जबकि उन्हें इस विषय में कोई योग्यता प्राप्त नहीं होती अथवा विषय का ज्ञान तक का नहीं होता;

(ग) क्या कुछ मामलों में विज्ञान सेमिनार में प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना उन अध्यापकों से भी विज्ञान पढ़ाने के लिये कहा जाता है जिन्होंने कभी अपने अध्ययन काल में विज्ञान पढ़ा तक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बच्चों के उचित शिक्षा के हित में योग्यता प्राप्त विज्ञान अध्यापक नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीती शीला कौल) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में विषय-अध्यापक नियुक्त करने की कोई प्रणाली नहीं है । अध्यापकों को भाषाएं, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, कला तथा चित्रकला जैसे विषय पढ़ाने आवश्यक हैं । ऐसे कुछेक अध्यापक हैं जिन्होंने हाई स्कूल अथवा सीनियर माध्यमिक स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय लिया था और जो प्राथमिक कक्षाओं को विज्ञान पढ़ाने योग्य हैं । जिन अध्यापकों ने सीनियर माध्यमिक अथवा हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान विषय नहीं लिया था उन्हें प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान-विषय के अनुकूल प्रणाली-विज्ञान और विज्ञान शिक्षण की विषय वस्तु से लैस करने की दृष्टि से विशेष सेमिनार/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं । ये अध्यापक प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को विज्ञान पढ़ाने योग्य हो जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वास्तविक सहकारी समितियों को बेंडिंग लाइसेंस जारी किया जाना

3792. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की यह नीति है कि निजी ठेकेदारों के बजाय वास्तविक वेंडरों की सहकारी समितियों को विक्रय (वेंडिंग) लाइसेंस देने में वरीयता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो निजी ठेकेदारों और वेंडर्स सहकारी समितियों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में चलाई जाने वाली रेलवे कैंटीनों की क्रमशः कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या वेंडिंग एण्ड केंटीन कोआपरेटिव सोसायटी लि०, दरभाया, रेल मंत्री और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को अभ्यावेदनों के माध्यम से दरभाया जंक्शन पर रिफ्रेशमैंट रूम के वास्ते लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपना दावा पेश करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे पर प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा चलाये जा रहे रेलवे जलपान गृहों की संख्या 27 है और वेंडरों की सहकारी समिति एक जलपान गृह चला रही है।

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

आपथैलमिक ग्लास से बने चश्में

3793. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बाजार में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बेचे जा रहे चश्में आपथैलमिक ग्लास से नहीं बने हुए हैं अपितु एल० ओ० पी० (खिड़की के शीशे से बने चश्में) से बने हुए हैं;

(ख) कि ये चश्में मनुष्यों की आंखों के लिये काफी खतरनाक हैं और इन अन्धापन हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बुराई को समाप्त करने के लिए कोई विधान बनाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) इन चश्मों से कुछ हद तक बेचैनी हो सकती है किन्तु इनसे कोई स्थाई क्षति या अंधापन नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कार्य कर रहे कनिष्ठ और वरिष्ठ रेजीडेंट डाक्टरों द्वारा ली गई छुट्टियां

3794. **श्री के० ए० राजन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के विभिन्न क्लीनिक संबंधी, पूर्ण और पैरा क्लीनिकल विभागों में कार्य कर रहे कनिष्ठ और वरिष्ठ रेजीडेंट डाक्टरों को कितने दिन की ग्रीष्म, शीतकालीन और पूजा छुट्टियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इन रेजीडेंट डाक्टरों को उस समय भी ये छुट्टियां लेने की अनुमति दी जाती है जब वे अपना स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहे होते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तीन चलते-फिरते औषधालय की बसें

3795. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1981 के "नवभारत" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने दिसम्बर 1979 में 10 लाख रुपये मूल्य की नवीनतम उपकरण से लैस तीन बसें खरीदी हैं, जिनका प्रयोग चलते-फिरते औषधालयों के रूप में किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए अब तक कर्मचारियों की स्वीकृति नहीं दी है जबकि इस लम्बी अवधि में इन बसों में जंग लग लगा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बसों को कब तक उपयोग में लाया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एक मोबाइल क्लिनिक तो पहले ही इस्तेमाल की जा रही है और शेष दो का उपयोग भी शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ।

उत्तर-दक्षिण के प्रश्न पर अमरीकी दृष्टिकोण

3796. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-दक्षिण के प्रश्न पर अमरीका के रवैये में काफी बदलाव है;

(ख) क्या अक्तूबर शिखर सम्मेलन को सफल बनाने तथा उत्तर-दक्षिण के बीच अधिक संगत आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच अब भी बातचीत चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) रीगन प्रशासन की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए 11 अगस्त, 1981 को अमरीकी विदेश मंत्री, श्री अलेग्जेंडर हेग ने कहा कि उनकी विदेश नीति के चार स्तम्भों में से एक स्तम्भ था, "शान्तिपूर्ण परिवर्तन के माध्यम से विकासशील देशों में प्रगति के प्रति हमारी (अमरीका) वचनबद्धता ।" श्री हेग ने यह भी कहा कि अमरीका विकासशील देशों की सहायता करने और उत्तर-दक्षिण वार्तालाप में हिस्सा लेने के लिए तैयार है । इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "राष्ट्रपति रीगन यह मानते हैं कि विकास का सार तत्व अतिरिक्त सम्पदा का सृजन करना है, विद्यमान सम्पदा को चुन-चुन कर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना नहीं ।"

उत्तर-दक्षिण के विशिष्ट मामलों के बारे में अमरीकी नीति अभी रूप ग्रहण कर रही है इसीलिए यह बताना संभव नहीं है कि उत्तर-दक्षिण की समस्याओं के बारे में उस देश के रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार आगामी सीमित शिखर वार्ता को सफल बनाने के लिए अन्य भागीदार देशों के साथ सम्पर्क बनाये हुए है जिसमें अमरीका भी शामिल है । इस बात पर आम सहमति है कि इस बैठक का स्वरूप राजनैतिक होगा, यह मुक्त और अनौपचारिक वातावरण में होगी, इसकी कोई निश्चित कार्यसूची नहीं होगी और इससे विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के मुख्य प्रश्नों पर मुक्त और निस्संकोच विचार-विमर्श का अवसर मिलेगा । अन्य सहभागियों के साथ परामर्श किया जा रहा है ।

अमेरिका की शस्त्र विक्रय नीति

3797. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका की शस्त्र विक्रय नीतियों में अब तक कोई परिवर्तन देखा है क्योंकि जुलाई, 1981 के दूसरे सप्ताह में श्री रीगन द्वारा हस्ताक्षरित नए नीति निदेशों में, मानव अधिकारों को ध्यान में रखने के विचार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के परिवर्तन की सीमा और उस प्रकार के बारे में सरकार का मूल्यांकन क्या है; और

(ग) विश्व शांति के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि जुलाई, 1981 में घोषित अमरीका की नई शस्त्र विक्रय नीति पिछले अमरीकी प्रशासन द्वारा अपनायी गई नीति से कुछ अलग है और यह भी कि नई शस्त्र विक्रय नीति में मानव अधिकारों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है ।

(ख) अमरीकी प्रशासन का यह कहना है कि अमरीकी हितों की रक्षा करने के लिए उसमें अधिकतम लचीलापन बनाए रखने के विचार से इस क्षेत्र में उनकी नीति को सीमित नहीं किया जाना चाहिए और मित्रों तथा मित्र राष्ट्रों को अमरीकी हथियारों की सप्लाई अमरीका के सुरक्षा सम्बन्धी वचनों का पूरक अंग है और उसकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है ।

(ग) सरकार ने विश्व में शांति और सुरक्षा के संवर्धन के लिए निरस्त्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा स्वीकार किया है । शस्त्र विक्रय की किसी ऐसी नीति से हमारा चिन्तित होना स्वाभाविक ही है जिससे विश्व के विभिन्न भागों में घातक हथियारों की उपलब्धता में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि हो । लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अमरीकी प्रशासन ने अपनी नई शस्त्र विक्रय नीति घोषित करते समय यह संकेत दिया था कि इसे अप्रतिबन्धित सैनिक अन्तरण की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए । अमरीका ने यह भी कहा कि वह हथियारों के अन्तरण के मामले में संयम से काम लेने में दिलचस्पी रखता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन्हीं विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है ।

लम्बी दूरी की चलाई जाने वाली नई गाड़ियां

3799. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **रेल मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1981 से शुरू की जाने वाली लम्बी दूरी की नई गाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन गाड़ियों के क्या नाम हैं जिनकी सेवा की आवृत्ति को इस वर्ष नवम्बर से बढ़ाये जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार पश्चिमी उड़ीसा के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए कलिंग एक्सप्रेस को नवम्बर, 1981 से सप्ताह में तीन दिन चलाएगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1-10-1981 से लागू होने वाली नयी समय सारणी में लम्बी दूरी की कोई गाड़ी चलाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। 59/60 गीतांजली एक्सप्रेस और 173/174 हिमगिरि एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं।

भूतपूर्व विदेश सचिवों की अमरीकी फाउण्डेशन में नियुक्ति

3800. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जगत मेहता और श्री केवल सिंह जो विदेश सचिव के पद से हाल ही में सेवा निवृत्त हुए थे, एक अथवा दूसरी अमरीकी फाउण्डेशंस में सेवा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इसके लिए अनुमति ले ली है;

(घ) क्या यह सच है कि सेवा निवृत्त सिविल कर्मचारी को गैर-सरकारी नौकरी पर जाने से पहले दो साल तक प्रतीक्षा करनी होती है; और

(ङ) यदि हां तो क्या यह सच है कि श्री जगत मेहता ने यह अपेक्षा पूरी नहीं की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार भूतपूर्व विदेश सचिव श्री केवल सिंह, कैन्टकी विश्वविद्यालय, लैक्सिंगटन के कला और विज्ञान महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। भूतपूर्व विदेश सचिव श्री जगत सिंह मेहता को भी इस समय वूडरो विलसन अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, वाशिंगटन डी. सी. में फैलोशिप मिली हुई है।

(ग) जी नहीं, नियमों के अनुसार इसके लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक नहीं है लेकिन उन्होंने मंत्रालय को सूचित रखा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में व्यावसायिक नियोजन लेना चाहता हो उसे इसके लिए सरकार से पहले अनुमति लेनी होती है।

(च) यह फैलोशिप व्यावसायिक नियोजन वर्ग के अन्तर्गत नहीं आती है।

— —

लाला जगत नारायण, हिन्द समाचार के प्रबंध निदेशक, जालंधर, की हत्या के समाचार के बारे में

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 388 के अन्तर्गत आपके पास नोटिस दी है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा बोलने से नहीं, ठीक बोलने से बात सुनी जाती है।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह सारे सदन की बात है, इसमें सरकार और अपोजीशन की कोई बात नहीं है। जनतंत्र में जिन्दगी चाहे इधर की हो, उधर की हो, चाहे किधर की भी हो, समूचे राष्ट्र की जिन्दगी होती है। लाला जगत नारायण 82 साल के थे, आजादी की लड़ाई में जर्नेल थे और अध्यक्ष भी, आपके प्रान्त के थे। वहां पर वे कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे, दोनों वक्त में, और राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक एवं लेखक थे। 82 साल की उम्र में उनकी जिन्दगी का खातमा, किसी पैसे या चरित्र के कारण नहीं, जन-सेवा की लेखनी के कारण हुआ है। भारत में अगर इस प्रकार से अपने विचार प्रकट करने पर किसी को कत्ल किया जायेगा तो फिर न जनतन्त्र रहेगा और न जमहूरियत रहेगी। जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं किसी भी पार्टी के··· (व्यवधान) मैं भी हूं··· (व्यवधान) यह बड़ी गम्भीर चिन्ता की बात है, गांधी जी की हत्या, लाला जगत नारायण की हत्या—इस किस्म की हत्याओं से समूचे राष्ट्र और सभी पार्टियों के नेताओं की जिन्दगी खतरे में है। इसलिए मैं चाहूंगा इसके ऊपर पूरी तरह से विचार हो, यह लोक सभा मुकम्मल तौर पर इस घटना की निन्दा करे और समूचे देश में यह आवाज पहुंचे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई और बात कहनी है ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इसी सम्बन्ध में मैं सुझाव के रूप में जोड़ना चाहता हूं कि इस हाउस की तरफ से निन्दा का प्रस्ताव पास होना चाहिये, जिन्होंने भी ऐसा अपराध किया है उनके खिलाफ।

मैंने एक दूसरी नोटिस भी दी है कि आज से कुछ दिन पहले इस सदन में गंगा के पानी···

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया है सारा का सारा। नहर चलती रहती है, उसमें हाथ अड़ा नहीं सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, लाला जी संसद् के पुराने सदस्य थे। उनकी हत्या करने वालों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में छपा है उससे ऐसा लगता है कि निरंकारी बाबा की हत्या जिन लोगों ने की थी, जो पंजाब में शरण ले रहे थे, वही इसमें शामिल हैं। दिल्ली के ले० गवर्नर ने पंजाब सरकार को लिखा कि जो भाग गए हैं उनको पकड़ने में मदद दें ···(व्यवधान) यह केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है लालाजी की हत्या के लिए · (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर किस तरह से बहस होगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। हम इस बारे में सोचेंगे। (व्यवधान) आप लोग बैठिए, क्या कर रहे हैं ? कृपया शान्त रहिए, एक-एक कर बोलिये।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : उन्हें तथ्य लाने दीजिए। उन्हें अपराधियों को सजा देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक निदेश जारी कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई है। वह एक प्रसिद्ध और जाने माने लेखक और पत्रकार थे तथा एक पुराने स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ऐसा लगता है कि हत्या राजनीति से प्रेरित थी तथा हमें इस बारे में मंत्री महोदय के विचार सुनने के बाद इसकी निन्दा करनी है। अतः मैंने आपके विचारार्थ एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना भेजी है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मुझे श्री अटल विहारी वाजपेयी की इस टिप्पणी पर आपत्ति है कि लाला जगत नारायण की हत्या के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, लाला जगत नारायण जी की हत्या का समाचार बहुत ही दुःखद है। अभी इसके बारे में.....

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और बात कहना चाहते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि गढ़वाल के चुनाव में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। (व्यवधान)* मैं आपकी बात सुनूंगा। आप बैठिए। बात खत्म हो गई, आपने फिर उसको बढ़ा दिया। आप बैठते क्यों नहीं हैं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, आपको तो दूसरे की निस्वत इस बात की अधिक जानकारी है कि लाला जगत नारायण का हमारे देश के लिए बहुत योगदान रहा है। वह स्वतंत्रता सेनानी थे। अतः मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गृह मंत्री को कहें कि वह आज ही अपना वक्तव्य दें ताकि जो भी साक्ष्य उनके पास है और जो भी जानकारी उनके पास है सभा को वह मालूम हो सके।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) अध्यक्ष जी, सम्माननीय लाला जगत नारायण की हत्या के सम्बन्ध में...

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में सारी बात आ गई है।

श्री राम लाल राही : मैंने एडजॉनमेंट मोशन दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। निरन्तर ऐसे सम्मानित पत्रकारों और समाज सेवियों की हत्याएं हो रही हैं। मैं मांग करता हूं कि...

अध्यक्ष महोदय : हो गई आपकी मांग। (व्यवधान)* अनुमति नहीं है। किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है। (व्यवधान)*

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने ध्यान आकर्षण सूचना दी है जो केन्द्रीय सरकार के साथ युद्ध की घोषणा करने वाली दो राज्य सरकारों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं है। आप मेरे पास आइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अविलम्बनीय जरूरी मामले के बारे में एक सूचना दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार समाचार पत्रों में छपी उस खबर के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है कि खालिस्तान के नाम पर करेंसी नोट परिचालित किए जा रहे हैं। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है तथा सरकार इस बारे में क्या कर रही है। यह एक गंभीर विषय है (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध भी इसी से है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे तो सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे अवश्य सम्बन्ध है। यह उसी का भाग है। (व्यवधान)

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला (संगरूर) : अध्यक्ष जी, लाला जी का कत्ल यह जाहिर हो चुका है कि उसमें कौन हैं। इसके अलावा सबको यह पता है कि कौन सी पोलिटिकल पार्टीज पंजाब में हैं, उनकी मदद करती हैं तथा किसके साथ संबंध है। लाला जी का कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं है, एक साजिश है और पोलिटिकल साजिश है।...(व्यवधान)...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप उतावले क्यों हो रहे हैं, शास्त्री जी। सारे ही सज्जन हैं, मैं सब को एक साथ नहीं बुला सकता।

श्री बी० एस० निहालसिंहवाला : मैं आपकी नोटिस में यह वाक्य लाना चाहता हूं—थोड़े दिन हुए पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि फलां-फलां प्रोहिबिटेड-बौर के लाइसेंसेज सब जमा करा दें। तमाम लोगों ने जमा कराये, लेकिन कुछ लोगों ने ऐलानिया कहा कि हम जमा नहीं करायेंगे। उनके पास वे असलाह अभी भी मौजूद हैं और उन्होंने जमा नहीं करवाये हैं।···

एक माननीय सदस्य : वे कौन हैं ?

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : सारी दुनिया को पता है, उनका सम्बन्ध अकाली पार्टी के साथ है, उनका पोलिटिकल सम्बन्ध अकाली पार्टी से है। (व्यवधान)..उनके पास अभी भी असलाह हैं और ये लोग भी उनके साथ ताल्लुक रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस कांस्पीरेसी की पूरी तरह से इन्वेस्टीगेशन होनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : लाला जगत नारायण की हत्या के सम्बन्ध में...

अध्यक्ष महोदय : कोई नई बात बतलाइये, इस पर तो जब डिस्कशन होगा तब बोलियेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आप किसी की सुनते नहीं हैं, मैं बोल रहा हूं मुझे सुनिये तो सही। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। यह पोलिटिकल मर्डर का सिलसिला पूरे हिन्दुस्तान में चालू हो गया है। इस पर बहस होनी चाहिए--यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैं इस विषय में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि लाला जो लगातार...

अध्यक्ष महोदय : इसको बाद में देखेंगे --मैं इससे भी अधिक जानता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आकोला) : राजनीतिक हत्यायें और धमकियां—मैंने अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा है ..

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है क्या कोई बात है। मैं उस पर पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जो धमकी भरे पत्र आये हैं, मैंने उनके बारे में लिखा है...

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे अपना वक्तव्य देने दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मेरा एक प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्न है। मेरा स्थान पीछे है। मैं ऊंचे स्वर से बोल भी नहीं सकता। लोग सूचनाएं देते हैं। मैं नहीं

जानता कि लोगों को यहां बोलने की अनुमति देने के लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है। जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं दी है उन्हें यहां बोलने की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दी है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है कम से कम उन्हें पहले बोलने दिया जाए। आपके पास उन लोगों की सूची तो होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है। आपका नाम उसमें है। श्री शेजवलकर जी, आप स्थिति की गम्भीरता को तो देखिए। जरा देखें तो सही कि यह मामला कितना गम्भीर है।

मुझे निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

श्री टी. एस. नेगी,

श्री आर. एल. राही,

श्री राम विलास पासवान,

श्री सतीश अग्रवाल,

श्री हरिकेश बहादुर,

श्री बापू साहिब परुलेकर,

श्री के. के. गोयल,

श्री जार्ज फर्नान्डीज,

श्री मनी राम बागड़ी,

श्री एन. के. शेजवलकर।

जो हमारे एक अग्रणी पत्रकार, श्री जगत नारायण की लुधियाना-जालन्धर राजमार्ग पर हुई नृशन्स हत्या के बारे में है जो हमारी संसद् के सदस्य रह चुके है तथा हिन्द समाचार, जालन्धर के प्रबन्ध निदेशक थे। जैसाकि समाचार पत्रों में छपा है, यह बड़ी दुःखदायी बात है कि उन्हें उन आक्रमणकारियों के हाथों मौत का शिकार बनना पड़ा जो प्रत्येक धर्म के अनेकानेक हमारे सन्तों-महात्माओं की इस प्राचीन और पवित्र भूमि पर विद्यमान शान्ति, सौहार्दता और एकता को समाप्त करना चाहते हैं। यह देश की परम्परा के विपरीत उग्रवादी विचारों के राष्ट्र-विरोधी लोगों का काम है ऐसा कहा जा सकता है तथा ऐसे कायरता के कामों की निन्दा कठोर से कठोर शब्दों में की जानी चाहिए जो हमारे धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक देश के लिए ही नहीं बल्कि हमारी स्वतंत्रता के लिए भी एक अभिशाप है जिसे प्राप्त करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इतनी अधिक मेहनत की और अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस प्रकार इन्सानों को खोना हमें बहुत महंगा पड़ता है।

मुझे यकीन है कि सभा मेरे साथ इस दुख में शरीक होगी।

मैं गृह मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वह यहां एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैया) : ऐसे कार्य को कायरता भरा कार्य कहकर आपने इसे ठीक ही संज्ञा दी है। इससे ही हमारे देश में राजनीतिक जीवन को खतरा हो गया है। हमारे गृह मंत्री अविलम्ब वहां पर पहुंचे, उन्होंने सम्बन्धित लोगों से बातचीत की और अब वापिस लौट आए हैं। अतः जैसाकि आप निदेश दे चुके हैं मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपना वक्तव्य दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब वक्तव्य होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : स्टेटमेंट पर सवाल करने की इजाजत होगी। तब आप नियम उद्धृत कर देंगे और सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की भी अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में कर लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस पर कालिंग स्टेंशन एडमिट कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा और मैंने आपकी बात मान ली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बाद में कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : रूल्स के हिसाब से चलेंगे। उनसे पूछ लेंगे कि किस तरह से हो सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : बहस करने के लिए मौका दीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इस पर कालिंग एटेंशन ले लीजिए।

मिनिस्टर साहब को भी कहने का मौका रहेगा ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती राम दुलारी सिंहा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा; विश्वभरती, शान्ति निकेतन का वर्ष 1979-80 का वार्षिक लेखा आदि

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2693/81)

(2) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखें और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2794/81)

(3) विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2795/81)

(5) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2796/81)

(7) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर (असम) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2797/81)

(8) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र) भोपाल के वर्ष 1979-80 के परिशोधित वार्षिक लेखे (हिंदी* संस्करण) की एक प्रति ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-2798/81)

---

*वार्षिक लेखे के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण दोनों 23 मार्च, 1981 को सभा पटल पर रखे गये थे । हिन्दी संस्करण में अशुद्धियां होने के कारण हिन्दी में परिशोधित वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखे जा रहे हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

आठवें प्रतिवेदन का कार्यवाही सारांश

श्री शिव कुमार सिंह (खण्डवा) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यबाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

———

राज्य सभा से सन्देश

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(1) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1981 की लिपि संलग्न करने का निदेश मिला है जिसे राज्य सभा ने 3 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में पास किया था ।"

(2) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे आयुद्ध (संशोधन) विधेयक, 1981 की लिपि संलग्न करने का निदेश मिला है जिसे राज्य सभा ने 8 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में पास किया था ।"

(3) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981 को, जिसे लोक सभा ने 3 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में पास किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा था, वापस भेजने तथा यह कहने का निदेश मिला है कि इस सभा ने उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(4) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य सभा, 8 सितम्बर, 1981 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 सितम्बर, 1981 को पास किये गये सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन सहमत हो गई है ।"

(2) श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1981.
(2) आयुद्ध (संशोधन) विधेयक, 1981.

——

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

——

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एशियाई खेल परियोजना के श्रमिकों की हड़ताल की धमकी का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं श्रम मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"एशियाई खेल परियोजना के श्रमिकों द्वारा हड़ताल की धमकी का समाचार और उनकी शिकायतों को दूर करके इस हड़ताल को अविलम्ब रोकने की आवश्यकता।"

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : कुछ समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि एशियाड परियोजनाओं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण श्रमिक अधिक मजदूरी-दरों और बेहतर कार्यदशाओं की अपनी मांगों के समर्थन में वृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 1981 से हड़ताल पर जाएंगे।

सूचनाएं पहले भी छपी हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार (का विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम और बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम जैसे श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है।

यह मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाया गया। उन्होंने सूचित किया है कि निम्नलिखित परियोजना स्थलों का उनके श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया :—

(1) आई० पी० एस्टेट पर फ्लाई ओवर का निर्माण ।

(2) औबराय होटल पर फ्लाई ओवर का निर्माण ।

(3) लोदी होटल पर फ्लाई ओवर का निर्माण ।

(4) मूलचन्द हस्पताल पर फ्लाई ओवर का निर्माण ।

(5) आई० पी० एस्टेट पर इन्डोर स्टेडियम का निर्माण ।

(6) एशियाड-82 के लिए विलेज कम्पलैक्स का निर्माण ।

(7) तालकटोरा पर स्विमिंग पुल का निर्माण ।

इस परियोजना से सम्बद्ध विभिन्न ठेकेदारों के रिकार्डों की जांच की गई और श्रम कानूनों के अधीन श्रमिकों को दी जाने वाली विभिन्न कल्याण सुविधाओं तथा अन्य लाभों के बारे में भी जांच की गई । कुछ ठेकेदारों के संबंध में कुछ विषमताएं पाई गईं और उन्हें दूर कराने के लिए और जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, उन्हें पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । 18 अभियोजन पहले ही चलाए जा चुके हैं तथा और मामलों में कार्यवाही की जा रही है । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का निरीक्षण किया है और कुछ मामलों में सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं ।

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने भी कार्य-स्थलों पर काम करने वाले कुछ श्रमिकों से बात-चीत की थी । तथापि, बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में कोई शिकायत नहीं थी ।

दिल्ली प्रशासन से उन मांगों की जांच करने के लिए कह दिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसाकि माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है, यह मामला कुछ दिनों से कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है । ये समाचार बहुत ही बेचैनी फैलाने वाले हैं । ध्यान आकर्षण सूचना के स्वीकार किये जाने तक न तो सरकार या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने और न ही इस निर्माण कार्य से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित किसी प्राधिकारी ने इस विषय पर अभी तक कुछ कहा है ।

इस समय जो वक्तव्य दिया गया है वह एक सामान्य स्वरूप का है जिसे मंत्रालय में कोई भी अधिकारी तैयार कर सकता था । प्रश्न तो यह है कि हमें इस विषय पर उपलब्ध समाचारों से तथ्यों के आधार पर विचार करना है । मैं नहीं जानता कि क्या सरकार उसकी पुष्टि करेगी । इस एशियाई खेल परियोजना पर 700 से 1,000 करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं । एशियाई खेल परियोजना निःसन्देह प्रतिष्ठा का मामला है । चूंकि अगले वर्ष इन खेलों के लिए भारत को चुना गया है और जब तक कि इन खेलों को किसी कारण रद्द नहीं कर दिया जाता, सभी यह चाहते हैं कि इन खेलों के लिए तैयारी से सम्बन्धित सब काम बिना किसी अपव्यय और भ्रष्ट आचरण के दक्षतापूर्वक पूरा हो जाये । इस पर होने वाले भारी खर्च की पृष्ठ भूमि में इन

परियोजनाओं में नियोजित श्रमिकों के साथ किये जा रहे व्यवहार के बारे में ये समाचार प्रकाशित हुए हैं। मैं मंत्री जी के वक्तव्य से यह समझता हूं कि उन्होंने कुछ हद तक यह स्वीकार कर लिया है कि इस काम में अनियमितताओं और कदाचार के गम्भीर मामले हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

कुछ अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है और कुछ रिपोर्टें भी दी हैं। परन्तु वक्तव्य में इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि आज वृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 1981 से इन श्रमिकों ने हड़ताल आरम्भ करनी है जैसाकि समाचार पत्रों में छपा है। एक रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक आज हड़ताल करने के पश्चात् संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनकी मांगों के अन्तर्गत राशन कार्ड, पानी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की तथा मृत्यु या क्षति की दशा में प्रतिकर और प्रत्येक के लिए दिल्ली परिवहन निगम के यात्रा पास की व्यवस्था भी हैं।

कल के समाचार पत्र में श्री वी० के० मल्होत्रा, जो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन एशियाई खेलों सम्बन्धी भूतपूर्व समिति के कर्णधार थे, जिसे इंडियन ओलिम्पिक एसोसिएशन ने बाद में अमान्य घोषित कर दिया था, का एक वक्तव्य छपा है। अब एक नई विशेष संगठन समिति नियुक्त की गई है। यहां बैठे हुए कई महानुभाव शायद इस समिति के सदस्य हैं। मुझे भी इस समिति का सदस्य बनने के लिए कहा गया था, परन्तु मैंने मना कर दिया था। श्री मल्होत्रा के वक्तव्य को उसे उद्देश्यपूर्ण बताकर या कोई और संज्ञा देकर उसकी कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं। परन्तु सार्वजनिक रूप से लगाए गये आरोपों का कोई न कोई उत्तर तो दिया ही जाना चाहिये क्योंकि इन आरोपों का कार्य कर रहे श्रमिकों की कार्यदशाओं पर प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार विभिन्न स्थलों पर कार्य, जिसके अन्तर्गत निर्माणाधीन स्टेडियम, फ्लाई ओवर और विभिन्न होटल भी हैं, में जो प्रगति हो रही है, वह बहुत धीमी है। एक गैर-सरकारी पंच तारांक होटल का निर्माण करने के लिए रायसीना मार्ग पर श्री स्टीफन का मकान गिरा दिया गया है। विशेष संगठन समिति के अनुसार लोधी रोड पर जो बड़ा स्टेडियम बन रहा है, उसका 55 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। जबकि श्री मल्होत्रा का कहना है कि अभी केवल 35 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। भिन्न-भिन्न लोगों की यह राय है। इस बारे में सरकार की क्या राय है? श्री मल्होत्रा ने ऐसा कुछ कहा है जिसे मैं भी जानता हूं, अभी तक कोई ट्रैक नहीं बनाया गया है जिस पर हमारे खिलाड़ी अभ्यास कर सकें। इसीलिए श्री मल्होत्रा ने सन्देह व्यक्त किया है कि क्या यह कार्य जून, 1982 की निर्धारित सीमा तक पूरा हो सकेगा कि नहीं। जो कुछ भी है, इसी संदर्भ में हजारों श्रमिकों, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, में असंतोष पर विचार करना होगा जो शायद आज से हड़ताल करने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि निर्माण-कार्य में और विलम्ब होगा। यद्यपि समाचार पत्रों में ये समाचार पिछले कुछ सप्ताहों से प्रकाशित हो रहे हैं तथापि सरकार ने इनके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। लोकतन्त्रीय अधिकार संघ ने, जिसकी ईमानदारी के बारे में किसी को कोई सन्देह नहीं है, कार्यदशाओं का सर्वेक्षण किया है और एक रिपोर्ट

प्रकाशित की है। यद्यपि इसे समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित किया गया तथापि सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इन रिपोर्टों में जो मुख्य बात कही गई है वह यह है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, बन्धित श्रम विधि जैसी सभी श्रम विधियों का उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाओं को भी समान कार्य के लिए समान मजदूरी मिलनी चाहिये। मुझे जो समाचार मिला है उसके अनुसार इन अकुशल श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 9.25 रुपए है। परन्तु समाचारों के अनुसार कर्मकारों को वास्तव में केवल 8 रुपए दिये जाते हैं और शेष राशि उन जमादारों को दी जाती है जो एजेंट का काम करते हैं और ठेकेदारों के लिए श्रमिकों की भर्ती करते हैं। ये कर्मकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लाये गये हैं। चूंकि जमादार को ठेकेदार कोई वेतन नहीं देते हैं इसलिए वे कर्मकारों की मजदूरी में से अपना अंश निकाल लेते हैं। महिलाओं को 7 रुपये दिये जाते हैं। यह एक शर्म की बात है कि यहां पर बच्चे भी काम पर लगे हुए हैं जैसाकि फोटो छपा है। उनमें से कुछ बच्चे तो बहुत छोटे हैं जो वहां पर मिट्टी और कीचड़ में खेलते रहते हैं जबकि उनके माता पिता काम करते हैं। कुछ बच्चों को आधी मजदूरी दी जाती है। उन्हें बिल्कुल भी काम पर नहीं लगाया जाना चाहिये। वे खतरनाक स्थानों पर खेलते हैं जहां दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें होती हैं। यद्यपि कानून इसको इजाजत नहीं देता। श्रम मंत्री जी को स्वयं जाकर देखना चाहिये। नई दिल्ली नगर पालिका के एक इंजीनियर ने तो यहां तक कह दिया कि यदि आवश्यकता हुई तो बच्चों को भी काम पर लगाया जायेगा। उसे इस सभा द्वारा बनाये गये कानून की कोई परवाह नहीं है। यह लज्जाजनक स्थिति है। मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने कर्मकारों से बातचीत की और बन्धित श्रम के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। जब दिल्ली प्रशासन के अधिकारी कर्मकारों से ठेकेदारों और जमादारों के सामने पूछेंगे तो क्या कोई भी कर्मकार बन्धित श्रम के बारे में कोई साक्ष्य देगा? छपे समाचारों के अनुसार उन्हें घरों से लाया जाता है और उनसे बांडों पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं जिन्हें वे समझ ही नहीं सकते क्योंकि वे अनपढ़ हैं। कई ऐसे राज्यों से आये हैं जहां उन्हें हिन्दी भी नहीं आती बांड हिन्दी में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन बांडों का पता है। उनमें क्या लिखा हुआ है? जहां तक मैं समझ पाया हूं, एक बार हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् वे काम नहीं छोड़ सकते हैं चाहे कार्य दशायें कुछ भी क्यों न हों। ठेकेदार उन्हें एक स्थल से हटा कर दूसरे स्थल पर भेज देते हैं और उन्हें ठेकेदार की अनुज्ञा के बिना मुक्त नहीं किया जा सकता। यदि यह बन्धित श्रम नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि बंधित श्रम क्या है? यह सब कुछ देश की राजधानी में सरकार के सामने हो रहा है। कल प्रश्नकाल के दौरान यह बताया गया था कि बन्धित श्रम का पता लगाकर उन्हें कैसे मुक्त किया जा रहा है। यहां भी तो देखिये कि यहां क्या हो रहा है?

सरकार को इस बारे में केवल इसलिए आंखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे एशियाई खेलों सम्बन्धी महत्वपूर्ण परियोजना सम्बद्ध है तथा इस समूचे मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वे बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनके लिए आवास की

व्यवस्था नहीं की गई है । वे फटे हाल तम्बुओं, झुग्गियों और झौंपड़ियों में रह रहे हैं । पानी की सप्लाई की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । मुझे बताया गया है कि एक जगह दो हैंड-पम्पों की व्यवस्था की गई है और इन्हें नजदीक के एक नाले से, जिसमें गन्दा पानी है, मिला दिया गया है । पानी की सब जरूरतें इन हैण्ड-पम्पों से ही पूरी की जाती हैं । इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं । कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है । कुछ बच्चे मर गये हैं । खूनी पेचिस की बीमारी फैली हुई है । वहां सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है । यह आशा की जाती है कि उन्हें कुछ चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायें, परन्तु किसी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं है । हमें इन बातों से अवगत कराने की बजाय श्रम मन्त्री ने वक्तव्य दिया है, जिसमें उल्लेख है :—

> "कुछ ठेकेदारों के मामलों में कुछ त्रुटियां पायी गई हैं और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।"

इसका क्या अर्थ है ? हम जानना चाहते हैं कि वे ठेकेदार कौन हैं ? उन्हें बताना चाहिए कि उनके नाम क्या हैं, कितने ठेकेदारों की त्रुटियों का पता चला है तथा उन्हें क्या दण्ड दिया गया है । हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । कुछ ठेकेदारों को कुछ मामलों में कानूनी तौर पर देय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने पर कारण बताओ नोटिस दिया मया है । इसका अर्थ यह है कि वे न्यूनतम सांविधिक मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं । यह कोई नई बात नहीं है । हमारे देश में सर्वत्र यह हो रहा है । हम यहां बहुत से अच्छे कानून पास करते हैं, परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है । हम समाज के कमजोर वर्गों जैसा कि निर्माण कर्मकारों आदि के लिए कानूनी तौर पर जिन लाभों की व्यवस्था करते हैं, वे उन तक नहीं पहुंचते । यह बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है, जहां एक परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, परन्तु किसके लाभ के लिए, मैं यह जानना चाहता हूं ।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भर्ती करने वाले जमादारों द्वारा कर्मकारों की दैनिक मजदूरी में से जबरन कटौती करने की वर्तमान पद्धति को समाप्त किया जा रहा है या नहीं और क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम से कम इन कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अवश्य मिले, कोई पग उठाया जा रहा है और क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी दी जा रही है, जबकि वे पुरुषों के बराबर काम करती हैं ।

श्री राम दुलारी सिन्हा : अवश्य ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आपका 'अवश्य' से क्या अभिप्राय है । उन्हें समान मजदूरी नहीं दी जाती है । उन्हें 9.26 रुपये की बजाय 7 रुपये दिये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन खतरनाक निर्माण स्थलों पर बालकों को क्यों काम करने दिया जाता है । किसी भी सभ्य देश में बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाता । जल, चिकित्सा सुविधा, आवास जैसी अति आवश्यक सेवाओं के बारे में क्या किया जा रहा है ? ये कर्मकार भी आखिर इंसान हैं । ये पशु नहीं हैं जिन्हें यहां गुलामों की तरह से पंचतारक होटल बनाने, पुल और स्टेडियम आदि के लिए लाया गया

है । ये समूचे निर्माण कार्य एक विशेष समिति की देख रेख में हो रहे हैं । मुझे खुशी है कि मैं उस समिति का सदस्य नहीं बना, क्योंकि अब अनेक विचित्र बातें सामने आ रही हैं । इंडियन ओलम्पिक एशोसियेशन, जिसने पहली समिति की मान्यता वापस ले ली थी, ने इस समिति को मान्यता प्रदान कर दी है । मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता विशेष आयोजक समिति में आई० ओ० ए० का प्रतिनिधित्व नहीं है । इस तरह एक ओर तो सरकार चुप है और दूसरी ओर आई० ओ० ए० ने हर बात विशेष आयोजक समिति पर छोड़ दी है ।

हालांकि यह मेरा सिर दर्द नहीं है, फिर भी यदि हम अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाये और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा पाये तो एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होगा, क्योंकि हम एशियाई खेलों के आयोजक हैं । इसलिए सब काम समय पर पूरे करने होंगे । समय पर काम का अर्थ यह नहीं है कि हम विदेशों से आने वाले अपने मेहमानों की व्यवस्था मात्र कर दें, अपितु हमें अपने खिलाड़ियों को भी इन स्टेडियमों में प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर देना चाहिए । ये स्टेडियम आदि कब पूरे होंगे ? अतः यदि इन स्टेडियमों आदि के निर्माण में काम करने वालों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है और इन्हें पशुओं से भी बदतर समझा जाता रहा, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी भद्र देशवासी इन कार्यों की सराहना नहीं करेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे क्या ठोस कार्यवाही करना चाहते हैं अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है ।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूं और उनकी कद्र करता हूं तथा उनकी चिन्ता युक्तिसंगत है । हम सब निर्माण कर्मकारों के कल्याण के बारे में चिन्तित हैं । हम केवल एशियाई खेलों के निर्माण सम्बन्धी निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रति ही नहीं अपितु हर निर्माण कार्य के निर्माण कर्मकारों के कल्याण के प्रति सजग हैं और मेरे सहयोगी ने सभा में जो वक्तव्य दिया है, वह बिलकुल सही है एवं तथ्यों पर आधारित है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तथ्य क्या हैं ? कोई तथ्य नहीं है—'कुछ ठेकेदार, कुछ त्रुटियां' क्या यही तथ्य हैं ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : तथ्यों को छिपाया गया है । (व्यवधान)···

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आप सरकार को उनके नाम क्यों नहीं बताते ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप स्वयं पता क्यों नहीं लगाते ? इसका पता लगाने के लिए आपके पास तंत्र है। मेरे पास कोई तंत्र नहीं है । (व्यवधान) मुझे खुशी है कि आपके सहयोगी उत्तेजित दिखाई देते हैं (व्यवधान) वहां हजारों महिलायें काम कर रहीं हैं (व्यवधान) ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : दो या तीन मामले हैं । हड़ताल के नोटिस का उल्लेख किया गया है । माननीय सदस्य का कहना है कि इस समय हड़ताल है । वक्तव्य में पीपल्स यूनियन फोर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा 17 अगस्त को दिये गये प्रेस वक्तव्य का उल्लेख है । माननीय सदस्य ने सामान्यतया एशियाई खेलों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का वर्णन किया है । ऐसा प्रतीत होता है

कि वह इस प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। आप मुझसे सहमत होंगे कि ध्यान आकर्षण के अन्तर्गत यह मामला नहीं आता है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, प्रगति संतोषजनक है और लगभग सभी परियोजनायें समय पर पूरी हो जायेंगी।

जहां तक खर्च का सम्बन्ध है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि इस सभा में कई वक्तव्य दिये जा चुके हैं। ऐशियाड पर कुल लगभग 306 करोड़ रुपये योजना-बाह्य खर्च होने का अनुमान है और 54.83 करोड़ रुपये की एशियाई खेलों के लिए व्यवस्था की गई है। इस तरह कुल खर्च 361.20 करोड़ रुपये के आसपास होगा, नाकि 1000 करोड़ रुपये। इस प्रक्रिया में जो आधारभूत ढांचा बन जायेगा, वह न केवल देश की राजधानी दिल्ली को उपलब्ध होगा, परन्तु उन्हें भी उपलब्ध होगा जो राजधानी आते हैं। यह स्थायी आधारभूत ढांचा होगा।

जहां तक कर्मकारों की स्थिति का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने कुछ बातों का उल्लेख किया है। मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, जब दिल्ली प्रशासन का श्रम अधिकारी निर्माण स्थल पर गया, तो कुछ त्रुटियों का पता चला। इसलिए विभिन्न पक्षों के विरुद्ध 18 मुकदमे चलाये गये हैं। उदाहरण के तौर पर तारापोट द्वारा बनाये जा रहे इन्डोर स्टेडियम में मजदूरी स्लिपों में खामियां पायी गयीं। ओबराय के मामले में इन्डोर स्टेडियम में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मुकदमे चलाये गये। लोदी होटल फ्लाई ओवर के मामले में नोटिस ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया गया था और एक शौचालय के लिए नोटिस प्रदर्शित ही नहीं किया गया था। 18 मुकदमे चलाये गये।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि श्रमिक विधियों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। मैं केवल यह कहता हूं कि जहां कहीं त्रुटियां पायी जाती हैं समुचित कार्यवाही की जाती है। इस मामले में दिल्ली प्रशासन सम्बन्धित प्राधिकरण है। मैंने दिल्ली के उप-राज्यपाल और दिल्ली प्रशासन के श्रम अधिकारियों से विचार विमर्श किया है। हमारी दो या तीन मुलाकातें हुई हैं और मैंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।

मैं पूर्णतया सहमत हूं कि जमादार प्रणाली नहीं होनी चाहिए। हमने कहा है कि जमादार नहीं होने चाहियें, जोकि मजदूरी का एक भाग रख लेते हैं। दिल्ली प्रशासन के निरीक्षण कार्यालय को एक मामले का पता चला है। हमने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मजदूरी के एक भाग को काटने की कुप्रभा न पनपने पाये। इसलिए हम जमादार प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं।

जहां तक समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है, हमने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि इस पर अमल किया जाये। हमने कहा है कि विधि में व्यवस्थित सभी सुविधायें, जैसा कि कैन्टीन, शुद्ध पेय जल आदि प्रदान की जानी चाहियें।

हमने दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह भी कहा है कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर जाने के लिए चलते-फिरते अस्पताल होने चाहियें, ताकि उन कर्मकारों की मदद की जा सके, जिन्हें चिकित्सीय सहायता की जरूरत है।

हमने यह भी सुझाव दिया है कि किस कर्मकार के दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और क्षति अधिनियम के अन्तर्गत पूरा प्रतिकर दिया जाना चाहिए। हमने यह भी सुझाव दिया है कि दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि ठेकेदार या उप-ठेकेदार या जो कोई भी हो हमेशा सतर्क रहें और समझें कि प्रशासन सतर्क है।

जहां तक बन्धुवा श्रमिकों की सप्लाई से सम्बन्धित अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र ने उन्हें बन्धुवा मजदूर कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल बांड भरने से बन्धुवा मजदूर नहीं हो जाते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस बांड की शर्तें क्या हैं ? क्या आपने जांच की है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे माननीय मित्र बहुत विद्वान हैं और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं तथा वह इस बात को जानते हैं कि एक फार्म मात्र भरने से कोई बन्धुवा मजदूर नहीं हो जाता। ठेका श्रमिक और बन्धुवा श्रमिक में संविधिक अन्तर है। प्रवर्जन श्रमिक अधिनियम विद्यमान है और मैं समझता हूं इसे लागू किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन को पूछताछ पर कुछ ठेकेदारों ने करार दिखाये हैं और उनका कहना है कि उन्होंने वे करार सम्बन्धित राज्य सरकार से विधिवत पंजीकृत कराये हैं। परन्तु मैंने दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वे प्रत्येक निर्माण स्थल का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि ये करार सम्बन्धित राज्य सरकारों से विधिवत पंजीकृत कराये गये हैं और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो विधि के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाये। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि एशियाड एक महत्वपूर्ण परियोजना है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने में रुकावट पैदा हो। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को समझता हूं और उनकी भावनाओं से सहमत हूं तथा उन्हें और आपके माध्यम से सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार एशियाड परियोजना के निर्माण श्रमिक की सहायता के लिए हर सम्भव व्यवहारिक और कानूनी कार्यवाही करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, ध्यान आकर्षण में हड़ताल की धमकी और शिकायतें दूर करके हड़ताल न होने देने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। शिकायतें दूर करने और मांगें पूरी किये जाने के बारे में क्या किया जा रहा है ? उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। क्या उन्हें राशन कार्ड दिये जायेंगे अथवा उनसे आशा की जाती है कि दिल्ली में उन्हें गेहूं और चावल की जरूरत नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि या तो कैन्टीन हो सकती हैं जो उन्हें राज-सहायता आधार पर भोजन दें अथवा उन्हें राशन कार्ड दिये जा सकते हैं। जब उन्हें राशन कार्ड दिये जायेंगे तो उन्हें अपना भोजन स्वयं पकाना होगा, परन्तु जब राज-सहायता आधार पर भोजन देने के लिए कैन्टीन है, तो हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर किस कर्मकार के लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक कैन्टीन में कितने श्रमिकों को भोजन कराया जा सकता है ? एशियाड परियोजना में कितने कर्मकार लगाये गये हैं ? क्या वह आंकड़े दे सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस परियोजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में 5000, नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में 1500 और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन 2000 कर्मकार लगाये गये हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह कुल संख्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी हां ।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण श्रमिकों की समस्याएं जो अधिकांशत: एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, कोई नई नहीं हैं । राजधानी में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य गत कई वर्षों से चालू हैं । यह सही है कि एशियाई खेल परियोजना का कार्य काफी महत्वपूर्ण है और इसमें लगे श्रमिकों की संख्या भी बहुत अधिक है परन्तु दिल्ली के ऐसे श्रमिकों की समस्याएं भी देश भर में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं जैसी ही हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान छपे समाचारों की ओर दिलाता चाहता हूं जिनके अनुसार बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भर्ती किए गए कृषि श्रमिकों का उल्लेख है, वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी भर्ती किए गए हैं और उनका अमानवीय शोषण किया गया है । समाचारों के अनुसार उनके साथ "बन्धक श्रमिकों जैसा व्यवहार किया जाता है और काम के बाद उन्हें पहरे में रखा जाता है ताकि वे भाग न पाए" यह पहली बात है जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह समस्या कोई नई नहीं है । प्रवासी श्रमिकों की समस्या संसार के अनेक भागों में है । मैं तो उनसे यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी 'एशियाई' परियोजना में लगे हजारों श्रमिकों, जिनमें पुरुष-स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल हैं, के कार्य की दशा देखने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने निर्माण स्थलों पर जाकर मुआयना क्यों नहीं किया ? मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि श्रम विभाग ने हाल ही में इस दिशा में कार्यवाही करनी आरंभ की है । इसीलिए तो वक्तव्य के अनुसार :"

> "कुछ ठेकेदारों के मामले में कतिपय त्रुटियां पाई गईं, जिन्हें दूर करने के लिए और जहां आवश्यक हुआ, वहां कानूनी कार्यवाही करने के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।
>
> "एशियाड" निर्माण कई मास पहले से चालू है, फिर दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग ने वहां जाकर मुआयना करना पहले क्यों आवश्यक नहीं समझा ? क्या न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन मुख्य नियोजक के लिए क्या सभी श्रमिकों के बारे में कोई रिकार्ड या रजिस्टर या उपस्थिति तालिका रखना अनिवार्य नहीं है ? क्या ठेकेदारों ने ऐसा किया है ? वक्तव्य के अनुसार "तथापि बंधक मजदूरी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली"

पी० यू० डी० आर० की रिपोर्ट के अनुसार "मूलचन्द अस्पताल फ्लाई ओर निर्माण स्थल पर ठेकेदार द्वारा उड़ीसा से लाए गए 100 श्रमिकों के साथ बन्धक मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है क्योंकि उन्हें थोड़े से चावल और 75 पैसे मात्र प्रतिदिन दिए जाते हैं।" ठेकेदार ने उनको इराक में अच्छा काम दिलाने का प्रलोभन दिया है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि

श्रमिकों की वास्तविक दशा और उनके बन्धक होने का पता लगाने के लिए क्या कोई व्यापक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ श्रमिकों से बातचीत द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि श्रमिक भर्ती करने वाले ये एजेंट बिना संबंधित राज्य सरकार की जानकारी के किसी भी राज्य से श्रमिक भर्ती करने के लिए स्वतंत्र हैं ? क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे राज्यों में कोई ऐसा तंत्र अथवा नियोजन कार्यालय बनाए जाएं जहां प्रवासी श्रमिक अपने नाम दर्ज कराएं और ऐसे एजेंट या ठेकेदार केवल इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से ही श्रमिक भर्ती करें ?

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वयं अथवा दिल्ली प्रशासन से विशेष अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात करेगी कि सभी संगत श्रम विधियों का कठोरता से पालन किया जाय क्योंकि एशियाई परियोजना में काफी बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं और नियोजकों के विरुद्ध अनेक गंभीर आरोप हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि यह समस्या नई नहीं है। संसद ने इसीलिए अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम बनाया है। यह अधिनियम इसी समस्या से निपटने के लिए ही बनाया गया है। देश भर में सभी राज्य इसके उपबन्धों का क्रियान्वयन और अनुपालन कर रहे हैं।

जहां तक मुझे ज्ञात है, दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग द्वारा निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। हड़ताल की सूचना का इन समाचारों के कारण ही निरीक्षण नहीं किया गया। इससे पहले भी ऐसा किया जाता रहा है।

जहां तक सदस्य महोदय द्वारा उड़ीसा से लाए गए श्रमिकों के उल्लेख का संबंध है, मुखिया रिपोर्ट में उल्लिखित स्थल देखने गए निरीक्षण दल के अनुसार संबंधित ठेकेदार ने उन्हें बताया कि उड़ीसा से श्रमिक प्रत्येक के साथ लिखित करार के बाद ही लाए गए हैं और ये करार उड़ीसा गोदी श्रमिक नियंत्रण तथा विनिययन अधिनिमम, 1975 के उपबन्धों के अधीन किए गए हैं और इनकी प्रतियां श्रम उपायुक्त, भुवनेश्वर को भी प्रेषित की गई हैं। इस करार में अग्रिम राशियों रेल किराये, अनाज और कम से कम 120 रुपये मासिक वेतन के भुगतान तथा साप्ताहिक छुट्टी, समयोपरि भुगतान, पेय जल की सप्लाई और अस्थायी रिहायश आदि के स्पष्ट उपबन्ध है। ठेकेदार ने कुछ श्रमिकों द्वारा उड़ीसा में अपने संबंधियों को भेजी गई राशियों की मनीआर्डर रसीदें भी दिखाई हैं। यह भी बताया गया है कि श्रमिकों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं है वे जब भी चाहे अपने-अपने घर जा सकते हैं। उसके अनुसार कई श्रमिक यहां काम आरंभ होने से अब तक लौट गए हैं। 21 श्रमिकों की अन्तिम टुकड़ी 18 अगस्त, 1981 को वापस गई थी, श्रमिकों के साथ निजी बातचीत से भी ठेकेदार के इस कथन की पुष्टि हो गई है।

सदस्य महोदय द्वारा उठाए गए विशेष मुद्दे के बारे में मैं दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई इस सूचना का उल्लेख करूंगा।

मैं सदस्य महोदय को पुनः आश्वासन देता हूं कि एशियाई परियोजना में काम कर रहे निर्माण श्रमिकों को विधान के अनुसार हर संभव सहायता दी जाएगी चाहे वे ठेका श्रमिक हों या प्रवासी श्रमिक हों, हम नियम और विधियां लागू करने का भरसक प्रयास करेंगे ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, सही मायने में सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर गया ही नहीं है, यदि गया होता तो उनके वक्तव्य में जो विषमतायें पाई गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती । "कुछ, कुछ, कुछ" को मिलाकर पूरा तथ्य बन जाता है और यह दौड़ा दौड़ी में अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है । यानी, पहले से कार्यवाही की गई होती तो रिपोर्ट में तथ्य होते । इसलिए मैं आरोप लगाऊंगा कि आप लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है और लेबर-कानून की अवेहलना की जा रही है या उसका पालन किया जा रहा है । श्रमिकों की क्या स्थिति है ? श्रमिकों को रहने के लिए घर नहीं है, शेड भी नहीं है और सड़कों पर पेड़ के नीचे सोते हैं । जब ऐसी स्थिति है, आप श्रमिक काननू को लागू कर रहे हैं - इसमें हमें सन्देह हैं । आपकी रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र ने भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का निरीक्षण किया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस अधिकारी ने किया है और उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या आप बता सकते हैं ? क्योंकि जैसा हमको मालूम हुआ है, ठेकेदारों से नोट लेकर अधिकारियों ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वे अधिकारी किस पद के हैं, किस नाम के हैं और किस तारीख को उन अधिकारियों ने जांच की ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने कितने ठेकेदारों पर श्रम-कानून की अवेहलना का मुकदमा चलाया है ? यदि चलाया है ? तो क्या वे मुकदमे अन्तकाल तक चलते रहेंगे या उन को सजा भी मिली है ? यदि सजा मिली है तो कितनों को सजा मिली हैं और कितनों को नहीं मिली है ?

अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा है तथा क्या इसके लिये कोई काल निर्धारित है या कंस्ट्रक्शन समाप्त होने के बाद उन पर मुकदमे चलाये जायेंगे ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा—उनकी झोंपड़ियों में रोशनी की व्यवस्था नहीं है । नई दिल्ली की जो स्थिति है वह उनके लिये उपलब्ध नहीं है तो उनके लिये रोशनी, पानी और स्वास्थ्य के लिये आप क्या व्यदस्था करने जा रहे हैं ? हमारे एक माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में अभी कहा था कि उनके लिये ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, इस सम्बन्ध में आपने जो जवाब दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन सुविधाओं की पूर्ति के लिये आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ? उनके रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है—मैं चाहता हूं कि उनके लिये झोपड़ी या टेन्ट बनाये जा सकते हैं ।

अन्तिम प्रश्न अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर न करते हुए क्या आप संसद सदस्यों की कोई कमेटी बनाने जा रहे हैं जो 15 दिनों के अन्दर श्रमिकों की समस्याओं की जांच करके आप को रिपोर्ट दे ? इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्य ने, जो वक्तव्य शासन की ओर से प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में यह आलोचना की कि उसमें तथ्यों का स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य से विनम्रतापूर्वक यह आग्रह करूंगा कि वह इस पहलू पर भी विचार करें कि क्या यह सम्भव है। कि इतने कम समय में सारे तथ्यों को एक लम्बे वक्तव्य के रूप में प्रारंभ में ही प्रस्तुत कर दिया जाय। क्या सारा समय लम्बे वक्तव्य को पढ़ने में लगा दिया जाय या पूरक प्रश्नों के उत्तर के रूप में उन तथ्यों को और अधिक प्रकाशित करने का अवसर दिया जाय ? मूल प्रश्न जिस प्रकार का होता है, वक्तव्य भी उसी के आधार पर दिये जाते हैं। मैंने भी विनम्रतापूर्वक यही प्रयास किया है कि विद्वान सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर मेरे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिया जाय। मैं सम्मानित सदस्य से यह भी कहना चाहता हूं कि हमें जो भी सूचना मिलती है, वह हमारे प्रशासन से, जो हमारी अपनी इकाई है, तथा हमारे अधिकारी वर्ग से प्राप्त होती है। अगर उसमें कोई तथ्य सत्य से परे मालूम हो तो उसकी जांच हो सकती है। लेकिन यदि हम प्रारम्भ से ही जो तथ्य दिये गये हैं उनको असत्य या त्रुटिपूर्ण मान कर चलें, तो कार्य चलाना कठिन हो जायेगा।

माननीय सदस्य ने बतलाया है कि उनके पास कोई सूचना है कि कुछ अधिकारियों ने सत्य से परे रिपोर्ट दी है। यदि उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो मैं अनुगृहीत होऊंगा, माननीय सदस्य कृपया अपनी जानकारी हमें दे दें और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं—हम पूरी जांच करेंगे कि वे अधिकारी कौन हैं और उनकी रिपोर्ट क्यों दोषपूर्ण है। लेकिन बिना सूचना के, वे इस बात से सहमत होंगे, मेरे लिये कोई जानकारी देना कठिन होगा, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वह कहां की बात है।

जहां तक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात है—इन्टरस्टेट इम्मिग्रेन्ट वर्कमेन एम्प्लायमेंट एक्ट की धारा 7 और 3 में रजिस्ट्री-आफिसर और लाइसेंसिंग-आफिसर की नियुक्ति का प्रावधान है। दिल्ली प्रशासन ने इस एक्ट के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्री-आफिसर तथा लाइसेंसिंग-आफिसर के रूप में डिप्टी-लेबर-कमिश्नर को नियुक्त किया है। इस एक्ट के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही करनी चाहिये, उसके लिये वही उत्तरदायी अधिकारी हैं, क्योंकि जितने भी इस प्रकार के ठेकेदार हैं वे ही उनको लाइसेंस भी देते हैं और रजिस्ट्री भी करते हैं। और वही एक विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करता है लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार के विशेष अधिकारी की आवश्यकता होगी, तो दिल्ली प्रशासन से कहेंगे कि वह अवश्य ऐसा करे क्योंकि बहुत सारी साइट्स पर काम चल रहा है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आपने यह नहीं बताया कि कितनों पर मुकदमे चले और क्या सजा मिली ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं वही निवेदन कर रहा हूं । मैं अभी खड़ा हूं और आपकी अनुज्ञा होगी, आपकी कृपा होगी, तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा । मैं यह कह रहा था कि अगर किसी और अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता होगी, माननीय सदस्य ने तो एक अधिकारी की बात कही, एक से भी अधिक अधिकारी को इसमें लगाना उचित होगा, तो दिल्ली प्रशासन को लगाना चाहिए, यह हमारा विचार है ।

माननीय सदस्य ने जो मुकदमे चलाने की बात पूछी है, जो मामले अदालत में इस समय हैं वे 18 हैं । वे अभी अदालत में चल रहे हैं और उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है । यह अदालत के ऊपर है कि वह इस सम्बन्ध में कब तक फैसला करे । हमारा प्रयास यह है कि यथाशीघ्र निर्णय हो ताकि प्रभावी कार्यवाही हो सके ।

श्री चित्त बसु : मैंने राज्य मन्त्री महोदय का वक्तव्य तथा मंत्री महोदय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर सुने हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न तो नए होंगे ?

श्री चित्त बसु : मैं इसका आश्वासन देता हूं ।

पहली बात तो यह कि वक्तव्य विश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि उन विवादों और मांगों को निपटाने के लिए प्रयासों का उसमें कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें लेकर इतनी अधिक संख्या में श्रमिक शायद आज ही हड़ताल करने जा रहे हैं ? दूसरे, वक्तव्य में इस परियोजना में बंधक मजदूरी प्रथा के विद्यमान होने को स्वीकार नहीं किया गया है । तीसरे, वक्तव्य न केवल बेमन से दिया गया लगता है अपितु तथ्य छिपाने का निश्चित प्रयास है । इसमें कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । कुछ बातों पर प्रकाश डालते हुए भी अनेक छिपा लिए गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक महिला मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य एक अविवाहित कैसे सराह सकता है ?

श्री चित्त बसु : यह दूसरी प्रकार का वक्तव्य है और इसकी इच्छा मैंने कभी नहीं की थी ।

सरकार के विरुद्ध मेरा पहला आरोप यह है कि वक्तव्य में जबकि केवल दो विधियों के उल्लंघन को स्वीकार किया गया है, वास्तव में कम से कम छः का उल्लंघन है। अब मैं इनका ब्यौरेवार उल्लेख करता हूं :

(1) बंधित श्रम उत्पादन अधिनियम, 1976, जो दुर्बल वर्ग के आर्थिक और शारीरिक शोषण रोकने के लिए बताया गया है ।

(2) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, जिसका उद्देश्य श्रमिकों का शोषण रोकने की दृष्टि से न्यूनतम वेतन निर्धारित करना है ।

(3) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, जिसका उद्देश्य पुरुष तथा स्त्री श्रमिकों को समान वेतन दिलाना और लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना है।

(4) वैयक्तिकं क्षति (प्रतिकर) अधिनियम, 1963।

(5) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और अन्तिम

(6) बालक नियोजन अधिनियम, 1938।

एशियाड परियोजना में इतने अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं संक्षेप में दूसरा ब्यौरा देता हूं। न्यूनतम वेतन अधिनियम और बंधक श्रमिक अधिनियम में मुझे पता चला है कि श्रमिकों को इससे भी कम वेतन दिया जा रहा है और कुछ मामलों में वे दासों का जीवन जी रहे हैं – अर्थात वे जमादार से बंधे हुए हैं और उन्हें यह काम छोड़कर कोई और काम करने का अधिकार नहीं है। उन्हें शायद 7 रुपये दैनिक मिल रहे हैं जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है। दूसरा उल्लंघन अन्तर-राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन और सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के बारे में है। इसके अनुसार श्रमिकों को स्थानान्तरण भत्ता उपयुक्त आवास, न्यूनतम वेतन का नियमित भुगतान, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलनी चाहियें जो यहां काम करने वालों को नहीं दी जा रही हैं। उन्हें 75/- रुपये अथवा वेतन का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, स्थानान्तरण भत्ता नहीं दिया जा रहा है। यह भत्ता ठेकेदार को उन्हें काम पर रखने पर दिया जाना चाहिये था।

उनके लिये न्यूनतम आवास सुविधाएं और चिकित्सा सुबिधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अतः इस अधिनियम का सभी मामलों में उल्लंघन किया गया है।

श्रीमन्, वहां काम कर रही स्त्रियों और बच्चों की दशा और भी खराब है। मिन्टो रोड के निकट फ्लाइ ओर पर काम करने वाली स्त्रियों को 7 रुपये दैनिक मजदूरी दी जा रही है और शेष राशि जमादार द्वारा हड़प ली जाती है। यह समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की करार (संख्या 100) का घोर उल्लंघन है जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर रखा है।

यद्यपि बालकों को श्रमिक बनाना निषद्ध है, फिर भी लालकटोरा स्थल पर 10-14 बर्ष के बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं। मैं ब्यौरा भी दे सकता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त के कथनानुसार कुछ सी० एम० बी० अधिकारी ऐसे हैं जो पानी की कमी होने पर वास्तव में बच्चों को काम पर रखते हैं अतः यह बालक नियोजन अधिनियम का खुला उल्लंघन है। बच्चों वाली महिला श्रमिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि काम के साथ-साथ उन्हें अपने बच्चों की भी देख-भाल करनी पड़ती है।

श्रीमन्, इसके लिये कोई उपलब्ध नहीं है। ये उल्लंघन हैं। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ हृदय-विदारक घटनाएं हुई हैं। उड़ीसा के भवानीपत्र से 55 मजदूरों का एक जत्था आया था और वे मजदूर अमरनाथ राउत नामक एक जमादार के

अधीन कार्य कर रहे थे। उन्हें 7 किलो चावल और सब्जी वगैरह के लिये 2.85 रुपये प्रति सप्ताह तथा 110 रुपये का मासिक वेतन मिलता था। यदि वह किसी मजदूर के काम से संतुष्ट नहीं होता है तो वह पूरे दिन का वेतन काट लेता है। तालकटोरा पर मजदूरों को कम से कम आधे घंटे का ओवरटाइम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता।

जैसाकि श्री कोडियन ने कहा है, कि एक ठेकेदार ने यह स्वीकार किया है कि वह उड़ीसा दादान अधिनियम के अन्तर्गत कुछ लोगों को उड़ीसा से लाया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक को मजदूर को कुछ अग्रिम धनराशि देनी पड़ती है जिसके बदले में वह उनसे मनमाने ढंग से काम लेता है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदार कुछ लोगों को इस आश्वासन पर दिल्ली ले आते हैं कि उन्हें एक साल के बाद ईरान और ईराक भेज दिया जायेगा और इस एक वर्ष के दौरान यहां पर काम करना होगा जिसके लिये उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जायेगी। श्रीमन्, यह निर्दयता है। इसलिये सभा को एशियाई खेलो के लिये बुलाये गये मजदूरों पर की जा रही निर्दयता का पता होना चाहिए। इन मजदूरों ने शिकायत की है कि उन्हें जब काम होता है तभी काम पर रखा जाता है। जब काम नहीं होता तो उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता। 24 परगना से आये एक मजदूर श्री अधीर विश्वास का कहना है कि जब निर्माण कार्य कराने वाली फर्म के पास कच्चा माल नहीं होता या वर्षा होती है या कोई काम नहीं होता तो उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। उसने एक बात यह भी बतायी कि उन्हें कोई यूनियन बनाने की इजाजत नहीं दी जाती जो उनकी शिकायतों को दूर करा सके। यह बात उन मजदूरों ने कही है।

कुछ मजदूरों ने यह भी बताया है कि उन्हें कांग्रेस (आई०) द्वारा आयोजित किसान रेली के साथ दिल्ली लाया गया था परन्तु रेली के आयोजक उन्हें यहां छोड़ गये और क्योंकि उनके पास कोई धन नहीं था इसलिये वे अपने-अपने गांव वापस नहीं जा सके और इस प्रकार उन्हें यहां पर कार्य करने के लिपे मजबूर किया गया है।

एक और उदाहरण भवानी मिस्त्री का है जिन्हें 1964 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत लाया गया था और उन्हें मध्य प्रदेश के माणा और होशंगाबाद में एक शरणार्थी शिविर से दूसरे शरणार्थी शिविर में ले जाया गया और बाद में आन्ध्र प्रदेश के कागजनगर में लाया गया। जब वह बीमार पड़ गया और शरणार्थी शिविर से बाहर चला गया तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। वह अपना मामला पुनर्वास कार्यालय के लोगों के समक्ष रखने के लिये दिल्ली आया। उस कार्यालय के लोगों ने उसे बस्तर शिविर में भेज दिया जहां से उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। अन्ततः श्रीमन् पूर्वी पाकिस्तान से आये इस अभागे विस्थापित व्यक्ति को एशियाई खेलों के स्थल पर एक मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ रहा है। श्रीमन् यह निःसंदेह बहुत निर्दयतापूर्ण वारदातें हैं। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक ही सामान्य प्रश्न पूछिये।

श्री चित्त बसु : क्या माननीय मंत्री सभा की एक समिति का गठन करेंगे जो इन मजदूरों की शिकायतों पर समुचित रूप से विचार करे और सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। दूसरे,

जहां तक क्रियान्वयन का प्रश्न है, सात कानूनों का उल्लंघन किया गया है। क्या भारत सरकार अपने अधिकारियों का एक सेल बनायेगी जो यह सुनिश्चित करे कि इन कानूनों का एशियाई खेलों के स्थल पर उचित पालन हो सके ? क्या वह इन अधिनियमों का एशियाई खेलों के स्थलों पर पालन कराने के लिये एक विशेष सेल बनायेंगे ? क्या सरकार एशियाई खेलों संबंधी निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद इन लोगों को दूसरी नौकरियां दिलाने की कोई योजना बनायेगी ? मुझे डर है कि ऐसे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। क्या सरकार इस कार्य के बाद उन्हें दूसरी नौकरियां देने पर विचार करेगी क्योंकि यह कार्य तो केवल 11 महीने या 12 महीने ही चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे इस कार्य के पूरा होने तक रहेंगे या उन्हें जाना होगा। आपने अपने प्रश्न में कई सुझाव दिये हैं।

श्री चित्त बसु : उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस (आई) की किसान रेली के आयोजक उन्हें यहां छोड़ गये थे। उन्हें वापस ले जाने के लिये अब कोई भी नहीं है। उन्हें मजबूरन यहां ठहरना पड़ रहा है। उन्हें एशियाई खेलों के कार्य पूरा हो जाने के बाद नौकरियां दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि वे इस देश के नागरिकों के रूप में गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ रह सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमने अभी एक वरिष्ठ सांसद का भाषण सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक वरिष्ठ मजदूर संघ नेता भी हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उनके साथ तर्क करना मेरे लिये शोभनीय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे कथन पर विश्वास नहीं होता और तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि वह रान्डोल्फ चर्चिल की इस बात पर अमल कर रहे हैं कि विपक्ष का कर्त्तव्य तो सरकार का सदैव विरोध करना होता है। इसलिये मैं कुछ भी कहूं उन्हें विश्वास नहीं होगा। माननीय सदस्य ने तो पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रेसीडेन्ट श्री गोविन्द मुखोरी के 7 अगस्त के वक्तव्य का सार पढ़कर सुनाया है। उन्होंने श्री मुखोरी द्वारा लगाये गये मुख्य आरोपों को पढ़कर सुनाया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इन बातों का उल्लेख किया है। उन्हें श्री गुप्त द्वारा कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहिए था।

श्री चित्त बसु : उन्होंने यह बात नहीं कही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इन बातों का संक्षेप में मैं उत्तर दे चुका हूं। जिन अधिनियमों का पालन हो रहा है उन्हें हमने स्वीकार कर लिया है। निरीक्षण हुए हैं। उन्होंने कुछ अनियमितायें पाई हैं। मुकदमे चलाये गये हैं। मेरे विचार में श्री चित्त बसु यह आरोप नहीं लगा सकते कि हमने इन कानूनों को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने श्री अमरनाथ राउंत का नाम लिया। मैंने इस सम्बन्ध में निरीक्षण प्रतिवेदन को पढ़कर सुना दिया है।

उडीसा से आये लोग बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। वे ठेके पर काम करने वाले मजदूर हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन मौजूद है और जो विवरण दिया गया है उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। हमने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और नियमों और विनियमों के अन्तर्गत जो कार्यवाही हो सकती है वह की जाये। ऐसे मामलों के लिये सभा की समिति का गठन करने की हमारी परम्परा नहीं रही है। यदि प्रत्येक शिकायत के लिये हम सभा की समिति गठित करेंगे तो इस सभा के लिये काम करना असम्भव हो जायेगा। हमारे वरिष्ठ संसद श्री चित्त बसु ने आरोप लगाया है कि उन लोगों को यूनियन बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यदि ऐसा है तो फिर आज हड़ताल कैसे हो रही है। उनकी यूनियन है जिसने हड़ताल का नोटिस दिया है। ध्यान आकर्षण में ही यूनियन द्वारा हड़ताल का नोटिस दिये जाने का जिक्र है। यह मुझे मालूम नहीं कि इस यूनियन में कितने आदमी हैं। ध्यान आकर्षण में, जिस पर श्री चित्त बसु ने भी हस्ताक्षर किये हैं, भारत मजदूर यूनियन द्वारा हड़ताल का नोटिस दिये जाने का जिक्र है।

एक जाने माने राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्हें "किसान रेली" का उल्लेख करके इस मामले को एक राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिये था। मुझे पता नहीं है कि ये पर्चे किसान रैली के हैं या किसी मजदूर रैली के। किसान रैली, मजदूर रैली, ट्रेड यूनियन रैली जैसी बहुत सी रैलियां हैं।

श्री चित्त बसु : यह वक्तव्य आ गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे पास भी कई वक्तव्य हैं। उनमें कोई नाम का पता नहीं दिया गया है। माननीय सदस्य को नाम बताने चाहियें। उन्हें सभा में इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये। यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे किसान पूरे वर्ष काम नहीं करते। उनमें से कुछ यहां आ गये होंगे।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि उनको कुछ यूनियन्स की तरफ से स्ट्राइक का नोटिस मिला है। जहां तक हमारे माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने एशियन गेम्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों को सुविधा और राहत दिये जाने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं, जो सुझाव दिये हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि यूनियन्स का जो नोटिस दिया गया है और उसके साथ साथ इस माननीय सदन में जो चर्चा उठाई गई है, उसका मतलब यह है कि बाहर के काम करने वालों को भड़काया जाये, उनको काम करने से रोका जाये और एशियन गेम्ज की तैयारी के लिये जो काम तेजी से हो रहा है, उसमें रुकावट डाली जाये।

यह हमारे देश का गौरव है कि आज 30 साल के बाद हमारे देश में एशियन गेम्स होने जा रहे हैं। 1953 में पहले एशियन गेम्स हमारे देश में हुए थे और हमारा देश एशियन गेम्स का फाउन्डर मेम्बर है। एक छोटा सा देश थाइलैंड है वहां 3 बार एशियन गेम्स हो चुके

और हमारे जैसे बड़े देश में पहले एशियन गेम्स के बाद यह दूसरे एशियन गेम्स 30 साल की लम्बी अवधि के बाद हो रहे हैं। पिछली सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन न जाने क्यों पिछड़े डेढ़ वर्षों से पूरे देश में यह प्रोपेगैन्डा और हवा फैलाई जा रही है कि एशियन गेम्स राष्ट्र-हित के विरुद्ध जाते हैं। कोई कहता है कि उसमें 700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और कोई कहता है कि 1000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है जो कि दूसरे अच्छे कामों पर खर्च हो सकता है।

लेकिन जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया और हम सबको मालूम है लगभग 400 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है और एशियन गेम्स के मद में केवल 56, 57 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। बाकी जो रुपया खर्च हो रहा है. इससे दिल्ली जो कि राजधानी है, उसका विकास हो रहा है और हमारे देश की राजधानी दुनिया की बड़ी-बड़ी राजधानियों के मुकाबले पर बन जायेगी। यह एक परमानैन्ट एस्सेट है, स्थायी चीज बनने जा रही है, लेकिन हमारे विरोध करने वाले लोग हमारे अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं। अच्छा काम हो, दिल्ली के अच्छे बनने की बात हो, दिल्ली को शक्ल देने की बात हो, दिल्ली के विकास की बात हो, उसके भी वे विरोधी हैं। कौन नहीं जानता कि खेल-कूद प्राचीन काल से आज तक हमेशा एक दूसरे को करीब लाते रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावनाएं बढ़ाते रहे हैं ?

मैं तारीफ करना चाहता हूं अपने इंजीनियरों और मजदूरों की और काम करने वालों की और विशेषकर अपने वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री और डी० डी० ए० की, जिन्होंने चेलेन्जिग जाब को, थोड़े दिनों में इतने बड़े काम को कर दिखाने की हिम्मत की है। मुझे मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने यह राय दी थी कि इतने कम समय में एशियन गेम्स का काम पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने और हमारे मजदूरों ने यह कहा कि भारत के पास क्षमता है, इतने कम दिन में भी हम इतना बड़ा काम पूरा कर लेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं अपनी मिनिस्ट्री आफ वर्क्स हाउसिंग को, डी० डी० ए० को और अपने काबिल इंजीनियरों, मजदूरों और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दुनिया के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा काम कर दिखाया है। दुनिया के इतिहास में ऐसी मिशाल नहीं मिलेगी।

यह तो सिर्फ सरकार को बदनाम करने की इनकी चाल है। अच्छे काम को भी ये पसन्द नहीं कर सकते। उससे प्रेरित होकर भी जब कोई मामला इन्हें नहीं मिला तो यह एक मजदूरों का मामला लेकर चले आये। बाहर कुछ लोगों के एजेन्ट हैं जो ट्रेड-यूनियन के काम करते हैं, कहीं-कहीं उड़ीसा से, वैस्ट बंगाल, यू० पी० और बिहार से दिल्ली में लाये हैं और उन एजेन्टों का काम ही यही है कि मजदूरों को भड़काएं, उन्हें काम न करने दें, उन्हें काम करने से रोकें, ताकि एशियन गेम्ज प्राजेक्ट समय पर पूरी न हो और सरकार तथा देश की बदनामी हो। यही उनकी मंशा है और इसी मंशा के तहत वे काम कर रहे हैं। आज हाउस में यह बात लाकर यहां से उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपोजीशन पर यह खुला चार्ज है कि वे एशियन गेम्ज के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

मैं माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुन रहा था। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वह बड़े गम्भीर आदमी हैं, अच्छी बात कहते हैं। उनकी चिन्ता के साथ मैं अपने को सम्मिलित कर रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि राजनैतिक सवाल उठाया जा रहा है, राजनैतिक बातें कही जा रही हैं, तो मुझे स्वाभाविक तौर से यह कहना पड़ा है।

जहां तक मजदूरों को सुविधा और सहूलियत देने की बात है, हमारी सरकार इस मामले में सजग है। सी० पी० डबल्यू० डी० हमेशा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से मजदूरों को मांगता है। वह कभी कंट्रेक्टर या एजेन्ट से मजदूर नही लेता है। वह अपने मजदूर, इंजीनियर, ओवरसियर और अन्य कार्यकर्ता हमेशा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा लेता है। अगर सी० पी० डबल्यू डी० और डी० डी० ए० देखते हैं कि ठेकेदार मजदूरों को पैसा नहीं दे रहा है, तो वे ठेकेदार के बिल में से पैसे काट लेते हैं और उसमें से मजदूरों को पेमेंट करते हैं और उनके रहने आदि की व्यवस्था करते हैं। वे यह भी देखते हैं कि क्या मजदूरों को ठीक तरह से रखा है या नहीं और ठेकेदार उनके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। जैसाकि माननीय श्रम मंत्री ने बताया है, श्रम विभाग के लोग भी घूमते हैं और देखते हैं। तब भी इस बात की संभावना है कि जहां इतनी बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, वहां कहीं कहीं ज्यादती हो सकती है, कहीं कहीं कानून का उल्लंघन भी हो सकता है और कहीं कहीं बुरे और खराब आदमी गलत नीयत से काम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय उस पर और भी सख्त निगाह रखें।

कल कुछ लोग मेरे पास आए थे। उससे मुझे जानकारी मिली है कि इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में यू० पी० ब्रिज कार्पोरेशन फ्लाई-आवर बना रहा है, वहां उसका रिजनल मैनेजर मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर, पटक पटक कर, मारता है। मंत्री महोदय यू० पी० ब्रिज कार्पोरेशन को अच्छी तरह से जानते हैं। कल वहां के कुछ जिम्मेदार लोग मेरे पास आए थे, जो काम करने में इन्ट्रेस्टिज हैं, हड़ताल करने में नहीं। उन्होंने मुझे यह सूचना दी है। मैं मंत्री महोदय को यह स्पेसिफिक सूचना दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदत इस बारे में जानकारी दें।

जहां जहां मजदूर बस्तियां हैं, वहां उनके रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जगह कम है, कम जगह में अधिक लोगों को रखा जा रहा है। इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन लोगों को अच्छी जगह पर रखा जाए, जहां उनके बैठने, उठने और रहने का स्थान काफी हो। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री खुद जाकर साइट्स को देखें, मनावीय आधार पर देखें। वहां इन्सपैक्टर या आफिसर को भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी राज्य मंत्री चली जाएं, तो अच्छा है। वह औरत हैं, उनका नरम दिल है। वह देखें कि क्या उनके रहने की व्यवस्था ठीक है; अगर वह ठीक नहीं है, तो वह उनके किसी उचित जगह पर रहने की व्यवस्था करें।

एक सवाल और है। जो मजदूर देश के कोने कोने से आए हैं और यहां काम कर रहे हैं तो एशियन गेम्स के बाद यह जो परमानेन्ट स्ट्रक्चर बन रहा है या जो परमानेन्ट ऐक्टिविटीज वहां शुरू होंगे उसमें क्या उन मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर जो उसके लिए योग्य पाए जाएंगे, उनको रखा जाएगा ? मेरा यह कहना है कि उनको रखा जाना चाहिए। इसके लिए कोई कायदा कानून बने तो बनाया जाना चाहिए। जैसे कि होटल खुल रहे हैं, होटलों में चौकीदार की जरूरत है, बेयरों की जरूरत है, और दूसरे काम करने वालों की जरूरत है या और बहुत

से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से बाजार हैं, दुकानें हैं, ये सारी चीजें जो खुल रही हैं उनमें काम बढ़ेगा या सरकारी काम भी जो बढ़ जायेगा, एशियन गेम्स में भी बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी. बहुत से कामों के लिए तो उनमें भी जो इनमें से योग्य पाए जाएं उनको परमानेन्ट नेचर का काम दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इसके लिए भी वह कोई व्यवस्था करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : हमारी बात न सुनें तो उनकी तो बात सुन लीजिए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आपकी तो बहुत सुन लिया, अब इनकी सुनिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब इनका क्या जवाब देंगे ? ···(व्यवधान)···हम लोग तो भड़का रहे हैं, वह तो नहीं भड़का रहे हैं ? लेकिन उन्होंने भी वही बात कही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को पीटा जा रहा है ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : कोई एक डिस्प्यूट तो मेरे सामने लाइए कि हम सेटिलमेंट करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्य ने अपनी ओजस्वी वाणी में जो तथ्यों का प्रकाशन किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । ···(व्यवधान)···

चित्त बसु जी जो हैं वह चित्त को मोह लेते हैं, चित्त प्रसन्न कर लेते हैं ।

आचार्य भगवान देव : नहीं, इनका चित्त बस में नहीं है । ···(व्यवधान)···

श्री नारायण दत्त तिवारी : चित्त बस में नहीं है ? तो चित्त बस में करने की कुछ प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं ।

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य, गाजीपुर ने जो बात कही, एक तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुल निगम के एक तथ्य का उल्लेख किया जहां कुछ मारपीट की घटनाएं हुईं, उसकी जानकारी उन्होंने दी है, उसकी अवश्य जांच करायी जायगी और मैं दिल्ली प्रशासन के लोगों से जांच करने के लिए कहूंगा । माननीय सदस्य अगर लिखकर तथ्य दे दें तो उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जांच हो सकती है ।

एक उन्होंने यह कहा कि कम जगह पर लोगों के लिए तम्बू का इंतजाम करने में और झुग्गी इत्यादि का इन्तजाम करने में कठिनाई हो रही है, यह बात सही है । कई जगहों पर इतनी घनी आबादी है जहां फ्लाई ओवर बन रहे हैं दो चार, वहां आसपास कहीं तम्बू वगैरह लगाने की जगह नहीं है । हमने और राज्य मंत्री ने जो बैठक की थी उसमें भी यह तथ्य सामने आए हैं । लेकिन इसमें दिल्ली प्रशासन में स्वयं भी इसके लिए चेष्टा कर रहा है कि उस स्थान के आसपास कहां उनको जगह दी जा सकती है और वह जगह दी गई हैं । और भी जहां आवश्यक है उनके लिए तम्बू लगाने की या रहने का स्थान बनाने की उसके लिए वह चेष्टा कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए कि आबादी पर भी उसका कुप्रभाव न पड़े । क्योंकि इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि इतनी तंग जगह में अगर जगह देंगे तो जो तमाम आसपास रहने वाले लोग हैं, घनी आबादी वैसे ही है, तो पहले के जो वहां के बाशिन्दे हैं उनको भी असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए उनके आवास का प्रबन्ध किया जाय ।

जहां तक वहां जाने का सवाल है, हमारे जो एशियाड प्रोजेक्ट्स की देखरेख करने वाले मंत्री हैं वह स्वयं इसको देखते होंगे लेकिन राज्य मंत्री जी के लिए उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है तो मैं समझता हूं कि इस सुझाव को मानना उचित ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह श्री जैनल बशर को भी ले जायें। श्री इन्द्रजीत गुप्त, यदि आप भी चाहें तो मंत्री जी के साथ जाकर व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। चूंकि यह एक बड़ा राष्ट्रीय मामला है इसलिए विपक्ष के कुछ लोगों को भी ले जा सकते हैं। देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमें एशियाई खेलों का सुचारु संचालन करना चाहिये। प्रत्येक को सहयोग अवश्य करना चाहिये। आपके अनुसार तो श्रमिक भी त्याग कर रहे हैं। आप क्यों सहयोग नहीं कर सकते ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जहां तक इसका प्रश्न है, यह हो सकता है कि चन्द तत्व ऐसे हों लेकिन यह मेरे लिए कहना कठिन है जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया उनके मस्तिष्क में कोई ऐसी बात रही होगी कि एशियाड खेलकूद में कोई रुकावट पड़े। क्योंकि सभी लोग उत्तरदायी नेता हैं। विरोधी दल के नेताओं का भी इस सम्बन्ध में पूरा दायित्व है क्योंकि एशियाड राष्ट्र की एक शोभा है। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। हम आशा करते हैं कि विरोधी दल के जो नेतागण हैं वे ऐसा जनमत तैयार करने की चेष्टा करेंगे जिससे कि यह एशियाड का काम समय से पूरा हो सके। इस सम्बन्ध में उनका पूरा सहयोग है और आगे भी रहेगा ऐसा हमारा विश्वास और आशा है। हो सकता है कि कुछ तत्व जो इन नेताओं (जो हमारे सामने बैठे हैं) के प्रभाव में न हों उनको भी प्रभावित करने की चेष्टा की जायेगी—इसकी मुझे आशा है।

माननीय सदस्य ने जो इंजीनियर्स, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और सी० सी० डब्लू० डी० की प्रशंसा की है वह बहुत उचित है। हमारे इंजीनियर्स किसी पार्टी के नहीं हैं। उन्होंने मजदूरों की सबसे अधिक प्रशंसा की है—इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं माननीय सदस्य तथा इस माननीय सदन की भावनाओं को उन मजदूरों, इंजीनियरों एवं अन्य काम करने वालों तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करूंगा। मैं दिल्ली प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस सदन की भावनाओं को वहां काम करने वालों तक पहुंचा दिया जाए।

—

ध्यान आकर्षण के बारे में

लाला जगत नारायण की हत्या का समाचार—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि काफी सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त होने और आज सुबह सदस्यों द्वारा टिप्पणियों के कारण अध्यक्ष ने लाला जगत नारायण की हत्या के बारे में एक ध्यान आकर्षण कल के लिए स्वीकृत किया है।

इसलिए कल ध्यान आकर्षण के उत्तर में गृह मंत्री एक वक्तव्य देंगे ।

श्री वेंकटसुब्बैया आप कुछ कहना चाहते थे ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : मैं माननीय सदस्यों से केवल अपील करना चाहता हूं । अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा चल रही है । दो घंटे का समय दिया गया है कि माननीय सदस्य इस मद को पूरा करने के लिए सहयोग दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि अनुपूरक मांगें पूरी हो जायें । तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : सहयोग का तो मतलब यही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बात कहिए ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : जब तक सभा द्वारा मांगों का अनुमोदन न हो जाये माननीय सदस्य सहयोग करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मांगें पूरी करने और 6 बजे के बाद बैठक जारी रखने से सहमत है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा किया जा सकता है लेकिन उसके लिए कार्य सूची में से एक मद को निकालना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी मद ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन मांगों से पहले एक मद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि इसमें समय लगेगा इसलिए यह अनुरोध किया गया है । सरकार इस मद को पूरा करना चाहती है ।

श्री चित्त बसु : आप इसे निकालना क्यों चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं इसे नहीं निकाला जा सकता । मैं सभा को 2.55 बजे म. प. तक के लिए स्थगित करता हूं ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.55 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.55 बजे म. प. पर पुनः समवेत हुई ।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कार्य मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से जो 9 सितम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से जो 9 सितम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

तीन सदस्यों ने संशोधनों की सूचनाएं दी हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

अन्त में यह जोड़ा जाये—

रूपभेद के अध्यधीन—

कि प्रतिवेदन को वापस कार्य मंत्रणा समिति को सौंपा जाये ताकि केन्द्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के अनुदेशों का उल्लंघन करके महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा धन इकट्ठा करने के लिए विभिन्न राज्यों को 63 लाख लिटर अल्कोहल 5 रुपये प्रति लिटर अधिक मूल्य पर बेचने के मामले पर चर्चा की जा सके ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निरेन घोष ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, वह आ रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

अन्त में यह जोड़ा जाये—

"रूपभेद के अध्यधीन—

कि प्रतिवेदन निम्नलिखित सिफारिशों के साथ कार्य मंत्रणा समिति को वापस भेजा जाये :

कि समिति इन मामलों पर चर्चा के लिए समय निकाले :

(1) कि भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 5,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने संबंधी निर्णय ।

(2) सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने में सरकार की असफलता ।

(3) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले के इस वक्तव्य पर कि उन्हें मुख्य मंत्री के पद से हटाने में सी० आई० ए० का हाथ है ।''

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं पहले ही अपना संशोधन पेश कर चुका हूं । मैं इस संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता हूं । 5 सितम्बर, 1981 के समाचार पत्रों से यह सूचना मिली है कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यद्यपि केन्द्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को विभिन्न राज्यों को 65 लाख लीटर अल्कोहल बेचने के लिए कहा था लेकिन मुख्य मंत्री ने···

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : क्या हम सारे मामले के गुण दोष पर विचार कर रहे हैं ? वह केवल कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन तक सीमित रहें ।

प्रो० मधु दंडवते : नियम 290 के अधीन प्रस्ताव पर आधे घंटे तक चर्चा हो सकती है और प्रत्येक सदस्य 5 मिनट से अधिक नहीं ले सकता । मैं बिल्कुल अपने अधिकार के अन्तर्गत हूं । पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि केन्द्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को 65 लाख लिटर अल्कोहल विभिन्न राज्यों को बेचने का अनुदेश दिया था जबकि मुख्य मंत्री ने यह किया एक लाख लिटर कर्नाटक को और एक लाख लिटर गुजरात को बेचने के बाद पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए 5 रुपये प्रति लिटर अधिक वसूल किए । यह किस लिए किया गया मुख्य मंत्री ही जानते हैं, इस कारण पश्चिम बंगाल को काफी परेशानी हुई । हाल ही में मुख्य मंत्री ने पुष्टि की है कि बंगाल को अपेक्षित कोटा नहीं दिया गया क्योंकि वित्त मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था । यह अत्यन्त आपत्तिजनक है । मैं चाहता हूं कि इस मामले पर सभा में चर्चा की जाये । इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रतिवेदन को वापस कार्य मंत्रणा समिति को भेज दिया जाये ।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में—

अन्त में यह जोड़ा जाए—

''रूपभेद के अध्यधीन—

कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को निम्नलिखित मदों पर विचार तथा उन्हें शामिल करने के लिए इस समिति को पुनः वापस भेज दिया जाए :—

1. राज्यपालों की भूमिका तथा कार्य ।
2. गढ़वाल उप-चुनाव में गृह मंत्रालय की भूमिका ।''

राज्यपालों की भूमिका तथा कार्य पूरे वर्ष तीव्र विवादास्पद विषय बना रहा क्योंकि उनका दर्जा घटकर अब सिर्फ खुशामदी टट्टू तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से षडयंत्रकारी का रह गया है। इससे विभिन्न मत रखने वाले राज्यपालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। श्री रघुकुल तिलक को बर्खास्त कर दिया गया। जिस तरीके से श्री टी० एन० सिंह को जो निर्दलीय व्यक्ति के रूप में तथा ईमानदार निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने के लिए विख्यात हैं, हटाने की चाल चली गई। उससे पता चलता है कि वामपंथी सरकार को गिराने तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने की गहरी चाल है ताकि चुनाव में रिगिंग किया जा सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने बार-बार कहा है कि अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की शर्तें अभी प्रकट करना उनके लिए संभव नहीं है। और यदि मुझे पूरी तरह याद है तो उन्होंने कहा था कि जिन शर्तों पर ऋण लिया जा रहा है उन्हें अभी प्रकट करना लोक हित में नहीं है। तथापि पिछले कुछ सप्ताहों से हमने इस बारे में अनेक रिपोर्टें देखी हैं। उनमें से कुछ रिपोर्टों का स्रोत वाशिंगटन से है। तो कुछ रिपोर्टें उन व्यक्तियों द्वारा भेजी गई हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ संबंध है अथवा वहां सेवा की है। अब हम पाते हैं कि न्यूयार्क टाइम्स का उपयोग बिक्री की उन शर्तों के बारे भारत के लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है जिन शर्तों पर भारत सरकार ऋण ले रही है। आज सुबह के इस समाचार पत्र में 'न्यूयार्क टाइम्स' की रिपोर्ट से कतिपय उद्धरण दिए गए हैं। मैं उन उद्धरणों में से सिर्फ एक वाक्य पढ़ता हूं।

> "टाइम्स ने कहा है कि भारत अगले तीन वर्षों में घरेलू क्रेडिट के विस्तार, सरकारी निक्षेपों के आकार, मुद्रा विस्तार की दर तथा भुगतान संतुलन के लिए लक्ष्यों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहमत हो गई है। लक्ष्य गुप्त हैं परन्तु वे उतने कठोर नहीं हैं जितने कि अन्य उन देशों के लिए हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहे हैं।"

दूसरे शब्दों में हमें अन्तरराष्ट्रीय प्रेस माध्यम से धीरे-धीरे यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार किन शर्तों पर ऋण लेने जा रही है अथवा बिकने जा रही है जैसाकि मैंने इसे कहा है— कतिपय ऐसी चीजें हैं जो देश में भी हो रही हैं। डालर की तुलना में रुपये का मूल्य 15 प्रतिशत कम हो गया है। यह विश्वास करने के लिए अब पर्याप्त पारिस्थितिक प्रमाण हैं कि आवश्यक सेवा अध्यादेश जारी करने संबंधी गृह मंत्री की कार्यवाई का कारण देश के अन्दर तात्कालिक आवश्यकता न होकर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भारत सरकार से अपेक्षा थी कि देश में मजदूरों के साथ सख्ती से निपटा जाए।

अतः, मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि वित्त मंत्री को न सिर्फ वक्तव्य देना चाहिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए जाने वाले ऋण पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अगले सप्ताह के अन्त में संसद स्थगित होने वाली है। इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते से संबंधित है। आपने देखा होगा कि श्रमजीवी वर्ग के लिए जीवन निर्वाह अंक बढ़कर 447 पाइन्ट हो गया है जो अपने आप में रिकार्ड है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई

भत्ते के तीन किस्त, एक अप्रैल से, देय हो गए हैं। जब मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तब मंहगाई भत्ते का किस्त देय हो जाता है। मैं भली भांति जानता हूं कि जो व्यक्ति सरकार में आसीन हैं जो इस बात से बिलकुल अनभिज्ञ हैं कि किन परिस्थितियों में मंहगाई भत्ता दिया जाता है, वे इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि यदि मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा तो मूल्यों में अवश्य वृद्धि होगी। मंहगाई भत्ते के भुगतान से मूल्यों में वृद्धि नहीं होती, वस्तुतः मंहगाई भत्ता तो मूल्यों में वृद्धि होने पर दिया जाता है। अब मंहगाई भत्ते के तीन किस्त देय हो गए हैं, पहला किस्त अप्रैल से देय है, दूसरा किस्त जून से और अब जुलाई से भी एक और किस्त देय हो गया है। इसलिए, हम इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, विशेषरूप से इसलिए कि पिछले कुछ सप्ताहों से सरकार कर्मचारियों को भयभीत कर रही है। आवश्यक सेवा विधेयक से भय है। इस पर विचार हम तब करेंगे जब सदन में इस पर चर्चा होगी। संयुक्त परामर्शदातृ (जे० सी० एम०) की बैठक होनी थी, सदस्यों को आमंत्रण पत्र भेज दिए गए। जब वे बैठक में शामिल होने के लिए आए तब उन्हें सूचित किया गया कि बैठक नहीं हो रही है। अनौपचारिक चर्चा तब हुई जब जे० सी० एम० के कतिपय सदस्य इस पर सहमत हुए कि मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान न किया जाए। मंहगाई भत्ते को कुछ सीमा तक अवरुद्ध करने पर सहमत होने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। इसलिए, हम मंहगाई भत्ते पर चर्चा पर जोर दे रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों, जो मंहगाई भत्ते की सरकारी घोषणा पर निर्भर करते हैं, तो उनके पैसे से वंचित न किया जा सके।

तीसरा मुद्दा श्री अंतुले से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस पर चर्चा कर ली है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैं श्री अंतुले की चर्चा कर रहा हूं। मैं सिर्फ श्री अंतुले पर चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने एक मनोरंजक वक्तिव्य दिया है—मैं नहीं जानता हूं कि इसे क्या कहा जाए, अतः इसे मैं सिर्फ एक मनोरंजक वक्तव्य कह रहा हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि उनके विरुद्ध किया गया पूरा प्रचार के पीछे एक विदेशी हाथ है। हमें मालूम है कि उस पक्ष में जो लोग बैठे हैं वे हर मामले में किसी न किसी का हाथ होने की बात करने के अभ्यस्त हो गए हैं क्योंकि यही वह हाथ है जिसने उन्हें सत्ता में बिठाया है। चूंकि इस हाथ ने पहली बार में ही उन्हें यहां लाया है, इसलिए देश में कहीं कुछ भी होता है उसमें वे हाथ देखते हैं। उन्होंने अपने विरुद्ध किए प्रचार में सी० आई० ए० का हाथ ढूंढ़ निकाला है। हमें समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि श्री अंतुले ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। यह प्रधान मंत्री को भेजा गया है। यद्यपि इस्तीफा स्वीकार करने वाले व्यक्ति महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यदि इस्तीफा प्रधान मंत्री के पास है तो उनका हाथ कौन रोक रहा है। इस्तीफा स्वीकार करने से उन्हें कौन मना कर रहा है? क्या इसमें विदेशी हाथ है जो श्री अंतुले के इस्तीफे को स्वीकार करने से रोक रहा है, जो इस समय प्रधान मंत्री के हाथ में है। इस प्रश्न पर निश्चित रूप से हम पूर्ण चर्चा चाहूंगा ताकि अंतुले प्रकरण इस सभा में बार-बार न उठे। मुझे मालूम है कि 5 बजे राज्य सभा में इस पर चर्चा है। इस सभा के पास और अधिक मनोरंजक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य हैं,

लेकिन हम श्री अंतुले संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि जब तक प्रधान मंत्री तुरन्त इस्तीफा स्वीकार नहीं करते और उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो इस पर चर्चा की जाए।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : माननीय प्रो० मधु दण्डवते ने निर्वाचन सुधार संबंधी प्रश्न उठाया है। इस मामले पर यहां प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। मूल्य वृद्धि और अन्य मामले भी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्ताव के जरिये इस सभा में लाए जा चुके हैं और इन पर चर्चा हो चुकी है।

श्री नीरेन घोष ने राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न उठाया है। सरकार संविधान के किसी अनुच्छेद का कभी भी उल्लंघन नहीं करती। राज्यपालों की भूमिका तथा कार्य के संबंध में उपबंध तथा परम्परायें पहले से मौजूद हैं, जिनका पालन किया जा रहा है। अतः, इस पर मैं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता।

गढ़वाल पर एक प्रस्ताव के जरिये चर्चा हो चुकी है। हरिकेश बहादुर अब थक गए हैं। इसलिए, यह मामला अब श्री नीरेन घोष को सौंपा गया है।

श्री नीरेन घोष : इस पर यहां चर्चा नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदया : शायद, आप उस समय सभा में नहीं थे। निर्वाचन सुधार के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : निर्वाचन सुधारों पर चर्चा यहां हो चुकी है।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण तथा मंहगाई भत्ते के बारे में भी अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर इस समय सभा में चर्चा हो रही है और श्री जार्ज फर्नान्डीस जो एक प्रख्यात संसदविद हैं, इसे सभा की नोटिस में ला सकते हैं और चर्चा में प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकते हैं।

श्री अन्तुले के बारे में उन्होंने प्रेस पर भरोसा किया है। जो कुछ कहा गया है वह अब चर्चा हेतु संगत नहीं है। यद्यपि उस तरीके से इस समस्या को उठाना चाहते हैं जिस तरह से प्रेस अथवा महाराष्ट्र विधान मंडल में उठाई गई हैं।

अतः, मैं संशोधनों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं और मैं सम्मानीय सभा से अनुरोध करता हूं कि उक्त प्रतिनेदन को बिना संशोधनों सहित स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते क्या आप अपने संशोधनों पर जोर नहीं दे रहे हैं?

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, महोदय। मैं जोर दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : लॉबी से निकलकर कृपया सभी अन्दर आ जाएं, लॉबी में से सभी अन्दर आ गए हैं।

अब मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किए संशोधन को रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में —

अन्त में यह जोड़ा जाए—

"रूपभेद के अध्यधीन—

कि उक्त प्रतिवेदन को कार्य मंत्रणा समिति को वापस भेज दिया जाए ताकि कोष इकट्ठा करने हेतु प्रति लिटर 5 रुपये अतिरिक्त मूल्य पर विभिन्न राज्यों को 63 लाख लिटर अल्कोहल बेचने में केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुदेश का महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा उल्लंघन किए जाने संबंधी प्रश्न को चर्चा के लिए मदों में शामिल किया जा सके ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

पक्ष में

मत–विभाजन संख्या : 2

15.17 बजे

आचार्य, श्री बसुदेव
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दास, श्री रेणुपद
दिगम्बर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जाटिया, श्री सत्यनारायण
*झा, श्री कमल नाथ
झारखण्डे राय, श्री
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सन्त कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
राही, श्री रामलाल
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन. श्री के० ए०
राजदा, श्री रतन सिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिंह, श्री बी० डी०
सूर्य नारायण सिंह, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत–विभाजन संख्या : 2

अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अराकल, श्री जेवियर
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपा सिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
डागा, श्री मूलचन्द
दास, श्री अनादि चरण
डैनिस, श्री एन०

देव, श्री संतोष मोहन
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
ईरा अनबारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जय नारायण रौत, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
कामाक्षैया, श्री डी०
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
किदवई, श्रीमती मोहसिना
*कोडियन, श्री पी० के०
कोसलराम, श्री के० टी०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री वाई० एस०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मायातेवर, श्री के०
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नहाटा, श्री बी० आर०
नायक, श्री जी० देवराय
नामग्याल, श्री पी०
नारायण, श्री के० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी० डी०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
रामुलु, श्री एच० जी०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राठौर, श्री उत्तम
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
संखवार, श्री आशकरण
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सोलंकी, श्री बाबू लाल
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दरसिंह, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में 65
विपक्ष में 111

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नीरेन घोष द्वारा पेश किया गया दूसरा संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में—
अन्त में यह जोड़ा जाए—
"रूपभेद के अध्यधीन—

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में—सर्वश्री रशीद मसूद, अजीत बाघ और पी० के० कोडियान
विपक्ष में—सर्वश्री जैल सिंह, बीरबल और कमल नाथ झा ।

कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को निम्नलिखित मदों पर विचार करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए समिति को वापस भेज दिया जाए :—

1. राज्यपालों की भूमिका तथा कार्य ।
2. गढ़वाल उप-चुनाव में गृह मंत्रालय की भूमिका ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में

मत-विभान संख्या : 3 15.28 बजे

आचार्य, श्री बसुदेव
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
दिगम्बर सिंह, श्री
फिर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झारखण्डे राय, श्री
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
निहाल सिंह, श्री
पाल०, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
राही, श्री रामलाल
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह

राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप
सेन, श्री सुबोध
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिंह, श्री बी० डी०
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 3

अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
डागा, श्री मूलचन्द
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जय नारायण रौत, श्री

जैन, श्री भीकू रान
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामाक्षैया, श्री डी०
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री वाई० एस०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मायातेवर, श्री के०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायक, श्री जी० देवराय
नामग्याल, श्री पी०
नारायण, श्री के० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पाटिल, श्री सी० डी०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभि रामा राव, श्री एस० वी० पी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शांताराम
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राठौर, श्री उत्तम
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सोलंकी, श्री बाबू लाल
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सुन्दरसिंह, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह
थोरट, श्री भाऊ साहिब
त्रिपाठी, श्री राम नारायण
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, श्री डा० प्रताप
वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
जैल सिंह, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में 66
विपक्ष में 126

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस, मैं समझता हूं कि आप भी जोर दे रहे हैं ।

जार्ज फर्नान्डीस : हां । अब वित्त मन्त्री आ गये हैं । आप उनसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण तथा मंहगाई भत्ते के बारे में वक्तव्य देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकट रामन ने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया : —

पक्ष में—सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, मसुदल हुसैन, सत्यगोपाल मिश्र तथा अजीत बाघ ।

विपक्ष में—सर्वश्री एच० जी० रामुलु, आशकरन शंखवार, बी० आर० नाहटा और के० ऐ० स्वामी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अब उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा शर्तों को स्वीकार की आपकी बारी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में—

अन्त में यह जोड़ा जाए—

"रूपभेद के अध्याधीन—

कि कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को उक्त समिति को निम्नलिखित सिफारिशों के साथ वापस भेज दिया जाए।

कि समिति निम्नलिखित पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5,000 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने का भारत सरकार का निर्णय;

(2) सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को देने का आदेश जारी करने में सरकार की असफलता;

(3) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले का यह वक्तव्य कि मुख्य मन्त्री के रूप में उनके निष्कासन की मांग के तहत में सी० आई० ए० का हाथ है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 4 [15.35

आचार्य, श्री बसुदेब
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री त्रिदिव
दाभी, श्री अजीत सिंह
दण्डवते, प्रो० मधु
दण्डवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
दिगम्बर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झारखण्डे राय, श्री
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहित

पासवान, श्री राम विलास
राही, श्री रामलाल
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री के० ए०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप
सेन, श्री सुबोध
शाक्य, श्री दयाराम
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिंह, श्री बी० डी०
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 4

अब्बासी, श्री काजी जलील
अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपासिन्धु
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
डागा, श्री मूलचन्द
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
गांधी, श्री राजीव
गिरिराज सिंह, श्री
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जयनारायण रौत, श्री
जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमालुरंहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामाक्षैया, श्री डी०
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
किदवई, श्रीमतो मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लक्कप्पा, श्री के०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महाजन, श्री वाई० एस०

मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मायातेवर, श्री के०
मिरू, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री उमाकांत
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नहाटा, श्री बी० आर०
नायक, श्री जी० देवराय
नामग्याल श्री, पी०
नारायण, श्री के० एस०
नेताम, श्री अरविन्द
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी० डी०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पटनायक, श्रीमती अयन्ति
पट्टाभि रामा राव, श्री एस० वी० पी०
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
कादरी, श्री एस० डी०
रहीम, श्री ए० ए०
रामुलु, श्री एच० जी०
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राठौर, श्री उत्तम
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
संखवार, श्री आशकरण
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री मुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु

शास्त्री, श्री धर्मदास	थोरट, श्री भाऊसाहिब
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण	त्रिपाठी, श्री राम नारायण
सिदनाल, श्री एस० बी०	वर्मा, श्री जय राम
सिंह, डा० बी० एन०	वेंकटरामन, श्री आर०
सोलंकी, श्री बाबू लाल	वेंकटसुब्बया, श्री पी०
सोरन, श्री हरिहर	वर्मा, श्रीमती उषा
स्पैरो, श्री आर० एस०	वीरभद्र सिंह, श्री
सुलतानपुरी, कृष्ण दत्त	व्यास, श्री गिरधारी लाल
सुन्दरसिंह, श्री	वाघ, डा० प्रताप
स्वामी, श्री के० ए०	वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
तैयब हुसैन, श्री	यादव, श्री राम सिंह
तिवारी, प्रो० के० के०	यूसुफ, श्री मोहम्मद
ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह	जैल सिंह, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : – शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में	70
विपक्ष में	140

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से, जो 9 सितम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया : —

पक्ष में—सर्वश्री लहना सिंह तुर और अजीत बाघ ।

विपक्ष में—सर्वश्री नगीना राय, गुफरान आजम और अमरीन्द्र सिंह ।

आवश्यक सेवा विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधान कार्य लेते हैं।

विधेयक पुरःस्थापित किया जाए। श्री जैल सिंह··· (व्यवधान)·· विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के बाद हम नियम 377 के अधीन सूचनाओं को लेंगे।

श्री फर्नान्डीस, आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : श्रीमन् मैं अध्यक्ष के निदेश संख्या 19-क के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। निदेश 19-क में कहा गया है :—

"विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने का इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा।

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दें।"

19-क के अन्तर्गत अध्यक्ष को 7 दिन की सूचना की शर्त को समाप्त करने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : तब भी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?···अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस सम्बन्ध में जानते हैं। मेरे कथन का सम्बन्ध इस बात से है कि गृह मन्त्री के वक्तव्य को इस 19-क के अन्तर्गत 7 दिन की सूचना के नियम को समाप्त करने के अधिकार के औचित्य में परिचालित किया गया है।

श्रीमन्, सभी यह जानते हैं कि सरकार द्वारा इस सत्र में लाया जाने वाला यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विधेयक के गुण दोषों की चर्चा में नहीं जाना चाहता। प्रस्ताव के पेश किये जाने के समय, हमें जिन्होंने इस विधेयक के पेश किए जाने का विरोध किया है, अपने विचार व्यक्त करने हैं।

प्रश्य यह है : आप ज्ञापन को देखें···

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? नियमों के किस उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 19-क।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आप तो भाषण देने लगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे भाषण देना होगा···(व्यवधान)

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : श्रीमन, एक समय सीमा होनी

चाहिए। वे कितनी देर तक सभा का समय नष्ट करना चाहते हैं? आप 19-क को पढ़ें। दूसरा उपबन्ध बहुत स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : निदेश 19-क (2) में कहा गया है :—

"इस निदेश के अधीन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि 7 दिन होगी। जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दें।"

आप इस समय क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष को अधिकार है और उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अनियमित करार देता हूं···। नहीं, नहीं, आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं देता। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। मैं आपको अनुतति नहीं देता···

श्री जैल सिंह।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय आवश्यक सेवाओं और समुदाय के सामान्य जीवन को रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह संविधान के विरुद्ध है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री और श्री चित्त बसु ने पहले ही नोटिस (सुचना) दे दिया है कि इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति न दी जाए। (व्यवधान) आप इन्तजार क्यों नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं सदन मेरा मार्गदर्शन करे। क्या मैं सभा से मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कह सकता? ये दो माननीय सदस्य ··

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने नोटिस दिया है, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। जो बात उचित है वह मैं चाहता हूं। मैंने कहा कि दो माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री व श्री चित्त बसु ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के विरोध में यथासमय नोटिस दिये। उसके बाद (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। उनके नामों का बैलट किया गया। श्री रामावतार शास्त्री और श्री चित्त बसु तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के 44 अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिये हैं। मैं सभा से मार्गदर्शन चाहता हूं कि क्या हम इस सम्बन्ध में राजनैतिक दलों की संस्था को सीमित कर सकते हैं अथवा नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन की सहमति हो तो केवल तभी ·· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक विधेयक पुर:स्थापित

करने के सम्बन्ध में विरोध करने का सवाल है, दल की ओर से कोई व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। इस अधिकार का प्रयोग हर एक दल का सदस्य अपनी ओर से करता है, अतः आपने उन सभी सदस्यों को अवसर देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। आप चाहते हैं सभी चौवालीस सदस्यों को अवसर दिया जाए। श्री रामावतार शास्त्री पहले सस्य हैं। वह बोलें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? किस नियम के अधीन है ?

श्री के० लकप्पा : नियम 174 के अधीन है। वे सभा में वाधा डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्थित नहीं है। कोई भी सदस्य वाधा नहीं डाल रहा है। आप बैठ जाइए।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : नियम 72 में कहा गया है :

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

इस सम्बन्ध में, जैसा कि आपने बताया है, 44 सदस्य बोलना चाहते हैं। चर्चा की गुंजाइश भी अधिक नहीं है, इस प्रक्रम पर विधेयक के गुणावगुण की कोई चर्चा नहीं कर सकता। इस समय केवल क्षमता के बारे में विचार-विमर्श किया जा सकता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप अपना विनिश्चय दे चुके हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे अनुमति दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिश्चय दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक विधायिनी क्षमता का सम्बन्ध है, इस अध्यादेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार-विमर्श किया गया है और उसने कहा है कि यह अध्यादेश विधिमान्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : उससे हमारा कोई मतलब नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक अनुच्छेद 14, 19, 21 और 143 का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार-विमर्श किया है और उच्चतम न्यायालय ने सभी चुनौतियों का

समाधान कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब चर्चा चल रही है तो सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और उन्हें इन बातों को दुहराना नहीं चाहिए। उन्हें विधेयक के गुणावगुणों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्हें क्षमता का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। उनका भाषण क्षेत्र बहुत सीमित है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, नियम बहुत स्पष्ट है और आप विधेयक के पेश करने का विरोध कर सकते हैं किन्तु मैं आपका ध्यान नियम 72 की ओर दिलाता हूं :

> "यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा दिये जाने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

इसलिए मैं यही चाहूंगा कि ये सभी 45 सदस्य केवल संक्षेप में बोलें जो तीन मिनट से अधिक न हो। मैं लम्बे भाषणों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा इसे आज समाप्त करने के लिए रात के बारह बजे तक भी बैठ सकेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री···

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, आज 10 सितम्बर का दिन है और हिन्दुस्तान के इतिहास में यह काला दिन साबित होगा इसलिए कि सरकार ने इस काले विधेयक को इस सदन में आज 10 सितम्बर को पेश किया है। इस अर्थ में इसे काला दिन के अलावा और कोई दिन नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 26 अगस्त को···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे शोर-गुल तथा गड़बड़ी मचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई शोर-गुल तथा गड़बड़ी नहीं होगी, शांति-शांति। सभा का सभापति यह अनुरोध कर रहा है—चटर्जी साहब।

श्री रामावतार शास्त्री : 26 अगस्त को राष्ट्रपति जी ने इस काले विधेयक को अध्यादेश के रूप में हिन्दुस्तान के सामने पेश किया और यह साबित कर दिया कि जो सरकार अभी हुकूमत में है, उसे जनतंत्र से कोई भी प्रेम नहीं है। वह तानाशाही हुकूमत के रूप में काम करना चाहती है। (व्यवधान) इसीलिए लोक सभा का सत्र जब 17 अगस्त से प्रारम्भ होने वाला था तो इस बात को जानते हुए भी राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश न जारी करने के लिए इन्हें कई बार सलाह दी जा चुकी थी लेकिन इसके बावजूद इनकी बुद्धि में वह बात नहीं आयी। इन्होंने फिर भी अध्यादेश का सहारा लेकर जनता के ऊपर चोट करने की बात की है।

उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक के जरिये हिन्दुस्तान के श्रमजीवी वर्ग पर सबसे बड़ी चोट की गयी है। इस बिल को पेश करके सरकार ने संविधान की धारा 19 का हनन किया है। संविधान की धारा 19 यह बता रही है कि यहां के नागरिकों को एसोसियेशन और भाषण की स्वतंत्रता है। (व्यवधान) इस धारा के तहत संगठन बनाने की आजादी है। इस धारा के तहत एसोसियेशन और यूनियन बनाने की आजादी है। यूनियन क्यों बनायी जाती है ? उपाध्यक्ष जी, अपने हकों की हिफाजत के लिए बनायी जाती है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने अपने विचार व्यक्त किए तो मुझे उम्मीद थी कि माननीय सदस्य सभा के नियमों तथा प्रक्रिया तक सीमित रहेंगे। किन्तु अब वह मामले के गुणा-'ब गुणों के बारे में बोलने लग गये हैं, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करूंगा कि आप उनसे केवल नियम तक ही सीमित रहने के लिए कहें। जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो हम उसमें कभी बाधा नहीं डालना चाहते। किन्तु, यदि वह नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं तो आपने एक निश्चित विनिश्चय देना है और सदस्य को रोकना है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संविधान उद्धृत कर रहा हूं। इसलिए, यह नियमों के अन्तर्गत है।

इसमें श्रमजीवी वर्ग को अधिकार दिया गया है, आप उस अधिकार को छीन रहे हैं।

आचार्य भगवान देव : ट्रेड यूनियन बनायें, यह कहां है ?

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी बुद्धि में यह बात नहीं आयेगी।

आचार्य भगवान देव : आपकी बुद्धि तो ब्रह्मचारी हो गयी है तभी सिर पर काला लगाया हुआ है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपकी दुद्धि को बदलना होगा।

मैं यह कह रहा था कि आपने हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास पर चोट की है। यूनियन और एसोसियेशन बनाने की आजादी उनको मिली हुई है और यूनियन और एसोसियेशन कुछ मांगों के आधार पर बनायी जाती है ताकि उनके जीवन के स्तर में सुधार हो सके। यूनियन जब कोई बनाता है तो उसमें समय-समय पर हड़ताल करने की जरूरत होती है और यह अधिकार हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग ने अनेकों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और जिसे आपकी सरकार ने माना। यदि कोई उपाय नहीं रहेगा तो मजदूर वर्ग को हड़ताल करने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में कहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन अगर आप हड़ताल के इस हक को छीनना चाहते हैं तो यूनियन बनाने का क्या मतलब रह जाता है ? यूनियन इसीलिए बनती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर उनकी मांगें न मानी जाएं तो उन्हें हड़ताल करने का अधिकार हो ताकि हड़ताल

करके वह मालिकों पर दवाव डाल सकें, सरकार पर दबाव डाल सकें और आम जनता को वता सकें कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि इसको लाकर संविधान पर करारी चोट की जा रही है। इस संविधान में वर्किंग क्लास को जो अधिकार दिए गए हैं, श्रमजीवी जनता को जो अधिकार दिए गए हैं, उन पर चोट की जा रही है।

इस बिल को लाने का वैसे भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि आपका उत्पादन बढ़ा है, हड़तालें कम हुई हैं, मैन-डेज का नुकसान कम हुआ है, जब आप खुद इस तरह की बातें कहते हैं तो फिर इस तरह का काला-कानून इस संबंध में पेश करने की क्या जरूरत है, क्या औचित्य है? अगर हम देखते कि देश में अव्यवस्था फैल रही है, उत्पादन नहीं हो रहा है, कामों में रुकावटें आ रही हैं तो आपकी दलील को हम सुन सकते थे, लेकिन अभी, तो आपके सामने कोई दलील नहीं है और न ही संविधान के अनुसार आपका तर्क सही है और न ही इसका कोई औचित्य है। इन्हीं दो बातों को लेकर हम इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए।

आखिर में उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन हम समझते हैं, पूरा हिंदुस्तान समझता है, हिन्दुस्तान का मजदूर-वर्ग समझता है, हिन्दुस्तान का मेहनतकश अवाम समझता है कि यह संविधान को तोड़ने वाला है और यह सरकार रक्षक नहीं भक्षक बन रही है। जनता को और वर्किंग-क्लास को पूरा अधिकार है कि ···(व्यवधान)···।

इन भक्षकों का मुकाबला करें। जो भक्षक बन गए हैं; जनतंत्र को मिटा रहे हैं, दिशाहीन कर रहे हैं, इनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। आने दीजिए अगला सत्र, आपको मालूम हो जाएगा। लाखों मजदूर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अभी भी वित्त-मंत्री जी के घर पर हजारों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस बिल के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर और मंहगाई-भत्ते की किस्तों को देने के लिए शानदार धरना चला रहे हैं।

हवा का रुख पहचानिए ज्ञानी जी। वर्किंग-क्लास आपके इस काले कानून को नहीं मानेगी और आपकी तानाशाही का विरोध करेगी।

मैं आपके सामने इस बिल को फाड़ता हूं और इसी तरह से हिन्दुस्तान की जनता इस पूरे बिल को फाड़ करके जला देगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस काले-कानून का फिर से जोरदार तरीके से विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आखिर में भी आपकी अक्ल दुरुस्त हो और आप इस बिल को वापिस ले लीजिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं मुख्यतः इस आधार पर कि उसमें इस सभा की विधायिनी क्षमता का प्रश्न है। मैं सत्तादल के माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए

था, यदि उनके पास कोई है तो । उन्होंने हमारे देश के संविधान की भावना को और इन वर्षों में हमने लोकतंत्र की रक्षा तथा विस्तार करने के लिए जो परम्पराएं स्थापित की हैं, उन्हें भी समझना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित है, उधर बैठे बहुत से नेता पहले भी नेता रहे हैं जब वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा लोगों के लोकतंत्रात्मक अधिकारों के हनन का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्प रहे थे । आपको याद होगा अंग्रेजों के जमाने में भी जब रालेट एक्ट रखा गया था, प्रतिपक्ष में बैठे बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने उसका विरोध किया था क्योंकि ब्रिटिश हकूमत का इरादा हमारे देश के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का था । मैं आपसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि आप उन पुराने दिनों को याद करें और अपने नेताओं के मार्ग का अनुसरण करें जो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा तथा विस्तार के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए सबसे आगे खड़े थे । इसलिए आपसे मेरी अर्ज है कि आप इस पर अच्छी तरह विचार करें और देखें कि इससे हमारे लोकतंत्र को किस तरह खतरा पैदा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 हमें संगम या संघ बनाने का मूल अधिकार प्रदान करता है । मैं समझता हूं मजदूर संघ-कार्यकर्ता होने के नाते आप मुझसे सहमत होंगे कि संयुक्त सौदेबाजी का अधिकार संगम या संघ बनाने के अधिकार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है । संयुक्त सौदेबाजी का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि संयुक्त सौदेबाजी कुछ व्युत्पन्न अधिकार देता है हड़ताल करने का अधिकार भी है। श्रीमान, आप सदन तथा मुझसे सहमत होगा कि संयुक्त सौदेबाजी का अधिकार पुनः पूर्णतः तथा अभिन्न रूप से हड़ताल करने के अधिकार से जुड़ा है । सभा को यह बात स्पष्ट करने के तिए बहुत अधिक तर्क देने की जरूरत नहीं है कि यदि संगमों तथा संघों के पास हड़ताल करने का कोई अधिकार न हो तो संयुक्त सौदेबाजी का उनका अधिकार खत्म हो जाता है और उसका किसी तरह कोई महत्व ही नहीं रह जाता । हड़ताल करने का अधिकार संगमों को बनाने और संघों को बनाने के अधिकार का व्युत्पन्न अधिकार है जिसकी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन गारन्टी दी गई है । इसलिए यदि हड़ताल करने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो उसका मतलब है संयुक्त सौदेबाजी के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है । यदि संयुक्त सौदेबाजी के अधिकार से वंचित किया जाता है तो संगमों तथा संघों को बनाने के अधिकार से भी वंचित किया जाता है, इसलिए, यह विधेयक जिसमें हड़ताल के अधिकार से वंचित करने की व्यवस्था है, हमें उस अधिकार से वंचित करता है जिसकी हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 19 (ग) के अधीन गारन्टी दी गई है, इसलिए इस सभा को इस विषय पर जिसमें हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है, कानून बनाने की कोई विधायिनी क्षमता प्राप्त नहीं है । इसलिए, इसे पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए । यह मेरा पहला तर्क है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधायिनी क्षमता के बारे में बोले हैं । अब आप संवैधानिक पहलू को लेकर बोलिये ।

श्री चित्त बसु : यह विधेयक हमारे देश में विद्यमान कुछ कानूनों से जिन्हें इस संसद् ने पारित किया है, बिलकुल ही असंगत है। इस विधेयक के कुछ उपबन्ध विद्यमान विधि अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे इस सभा ने पारित किया है, के विशिष्ट उपबन्धों से बिलकुल ही असंगत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 (थ) में हड़ताल की परिभाषा इस प्रकार है; मैं उसे पढ़ रहा हूं :

> " 'हड़ताल' से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य करते हुए काम बन्द कर देना या किसी संस्था में ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो नियोजित हैं या ऐसे नियोजन में लगे रहे हैं, काम करते रहने से या नियोजन प्रतिग्रहीत करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य करार के अधीन इन्कार करना अभिप्रेत है;"

हड़ताल की औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह परिभाषा है। प्रस्तावित विधेयक में जो असंगति है उसे क्या मैं बता सकता हूं ? नये विधेयक में हड़ताल की परिभाषा इस प्रकार की गई है :

> " 'हड़ताल' से किसी आवश्यक सेवा में नियोजित रहने के दौरान व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर कार्य बन्द कर दिया जाना..."

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आप विधेयक पर व्यापक रूप से बोल रहे हैं। इस समय उसकी जरूरत नहीं है।

श्री चित्त बसु : यह विधायिनी क्षमता शीर्षक के अन्तर्गत आता है, आप सुनिये और तब अपना विनिश्चिय दीजिये। नये विधेयक में कहा गया है :

> "हड़ताल" से, किसी आवश्यक सेवा में नियोजित रहने के दौरान व्यक्तियों के निकायद्वारा मिलकर कार्य बन्द कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का, जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं, कार्य करते रहने से या सौंपे गये कार्य प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इंकार करना या सामान्य मति से इन्कार करना, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, —
>
> (i) जहां अतिकालिक कार्य किसी आवश्यक सेवा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वहां अतिकालिक कार्य करने से इंकार करना;
>
> (ii) ऐसा कोई अन्य आचरण, जिसके परिणामस्वरूप किसी आवश्यक सेवा में काम का बन्द हो जाना या उसकी गति पर्याप्त रूप में मंद हो जाना संभाव्य है या हो जाती है;

क्या आपने अपना दिमाग लगाया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके भाषण में पहले ही अपना दिमाग लगा चुका हूं।

श्री चित्त बसु : इसमें जो पूर्ण असंगति है, क्या उस पर आपने विचार किया है ? केवल असंगति ही नहीं है, उसमें परस्पर विरोधी उपबन्ध हैं । इस विधेयक में हड़ताल की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जो संसद का अधिनियम है, में दी गई परिभाषा से बिल्कुल भिन्न तथा पूर्णतः परस्पर विरोधी है । मैं समझता हूं इस सभा को इस विधेयक पर विचार करने के लिए कोई विधायिनी प्राप्त नहीं है । (व्यवधान) मैं विधेयक के गुणावगुणों के बारे में नहीं बोल रहा हूं । आप औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 देखिए । उसमें भी हड़ताल पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था है । विधेयक का मुख्य उद्देश्य हड़ताल का प्रतिषेध या वर्जन करना है । हड़ताल का प्रतिषेध करने के लिए संसद् के अधिनियम में एक दूसरा उपबन्ध है । आपने उसे पढ़ना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए । गृह मंत्री को इस ओर कुछ ध्यान देना चाहिए । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा में यह कहा गया है :

"लोकोपयोगी सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति हड़ताल संविदा की भग्नता न करेगा ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या विधि मंत्रालय ने इस विधेयक की जांच की थी ? अन्यथा इतने अधिक असंवैधानिक उपबन्ध उसमें कैसे हैं ?

श्री चित्त बसु : किसी हड़ताल को गैर-कानूनी कब घोषित किया जा सकता है ? विधेयक में कहा गया है :

"(क) नियोजक को हड़ताल करने से छः सप्ताह पूर्व के अन्दर हड़ताल की सूचनाएं एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित रूप में दिये बिना, या

(ख) ऐसी सूचना दिये जाने के चौदह दिनों के अन्दर, या

(ग) यथा उपर्युक्त किसी सूचना में उल्लिखित हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व, या

(घ) समझौता पदाधिकारी के समक्ष किन्हीं समझौता कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान में और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद सात दिन तक ।"

किसी हड़ताल का प्रतिषेध करने के लिए या उसे गैर-कानूनी घोषित करने के लिए विशिष्ट उपबन्ध हैं । यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उद्धृत कर सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी हड़ताल में भाग ले जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन गैर-कानूनी घोषित किया गया है, तो उसे क्या दण्ड दिया जा सकेगा । किन्तु इसमें किसी हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने की प्रक्रिया अथवा औपचारिकता बहुत ही असाधारण है । इसमें किसी हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का पूर्ण अधिकार है । सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार इसकी परिधि में विभिन्न उद्योगों के अधिक से अधिक श्रमजीवी वर्गों को भी लाना चाहती है ।

आवश्यक सेवाओं तथा लोकोपयोगी सेवाओं की परिभाषा तथा उनका अर्थ लगभग एक ही है । क्या आप इस पर गौर करेंगे ?

आप औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ढ) के अधीन लोकोपयोगी सेवा की परिभाषा देखिए । औद्योगिक विवाद अधिनियम में यथा परिभाषित लोकोपयोगी सेवाओं की तुलना में

"आवश्यक सेवाओं" की परिभाषा का क्षेत्र तथा विस्तार कहीं अधिक है। सरकार का विचार इस विधेयक द्वारा केवल आवश्यक सेवाओं को ही नहीं अपितु सारे उद्योगों के उसके अन्दर लाने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त करने का है। इसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 3 के (घ) और (ङ) के अन्तर्गत आने वाले उद्योग सम्मिलित हैं। सरकार इसका क्षेत्र काफी दूर तक बढ़ाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री चित्त बसु : इससे असम विधान मंडल के अधिकारों का भी हनन होता है। यह संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 में उल्लिखित राज्य के अधिकारों का हनन है। इन परिस्थितियों में आप कैसे कह सकते हैं कि इस सदन को विधायिनी शक्ति प्राप्त है? यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 19 (ग) के अन्तर्गत जिन मूल अधिकारों की गारन्टी दी गई है उनमें से एक अधिकार को यह समाप्त करता है। इसमें किसी हड़ताल का प्रतिरोध करने की व्यापक शक्ति का उपबन्ध है जिसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में उल्लिखित उद्योग भी शामिल हैं। तीसरी यह कि इससे राज्यों के अधिकारों का जिनका उल्लेख सप्तम अनुसूची की सूची 2 में है, हनन होता है। इसलिए कानून बनाने के लिए इस प्रकार के विधेयक पर विचार करने की इस सभा को कोई विधायिनी क्षमता प्राप्त नहीं है। यह विधेयक दुर्भावनापूर्ण है, अति कठोर है, श्रमजीवी वर्ग विरोधी है और लोकतंत्र के विरुद्ध है। यह विधेयक हमें अंग्रेजी हकूमत की याद दिलाता है। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई सदस्य किसी विधेयक का विरोध करता है तो वह संक्षेप में बोले और लम्बा भाषण न दे। प्रतिपक्ष के मामले में भी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ((व्यवधान) माननीय सदस्य को लम्बा भाषण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने संक्षेप में बोलना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 72 और उसका परन्तुक देखिए जिसमें कहा गया है :—

> "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा"

किन्तु मैं उनसे और अधिक समय न लेने की अपील करूंगा। (व्यवधान) मैं उनसे नियम 72 का पालन करने की अपील भी करूंगा। मैं अपील करूंगा कि वे और अधिक समय न लें। श्री चित्त बसु जी, अब आप समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : मैं अब समाप्त कर रहा हूं। मैं समझता हूं सदन मुझसे सहमत होगा कि यह विधेयक दुर्भावनापूर्ण है, अति कठोर है, श्रमजीवी वर्ग-विरोधी है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। यह इस देश के श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों को समाप्त करता है। यह समूचे देश के लोकतंत्रात्मक अधिकारों तथा नागरिक (सिविल) अधिकारों पर आक्रमण है। यह आपात स्थिति का अग्रदूत

है । इसका उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग की आवाज को दबाना है । यह हमारे देश में तानाशाही शासन लाने का प्रयास है । यह हमारे देश के श्रमजीवी वर्ग के आंदोलन को नष्ट करने तथा समाप्त करने और निष्क्रिय करने का प्रयास है । इस देश का श्रमजीवी वर्ग इन निकृष्ट चीजों को स्वीकार नहीं करेगा । वे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे । वे अपनी खून की अन्तिम बूंद बहाकर अपनी नागरिक (सिविल) स्वतंत्रता की अनुरक्षा के लिए लड़ेंगे । इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह आग से न खेले । आग के साथ खेलना बुद्धिमत्ता नहीं होगी । हमारे देश के श्रमजीवी वर्ग की संगठित शक्ति पर गौर करना जरूरी है । हम जानते हैं सरकार इस विधेयक को यहां पारित करवा लेगी क्योंकि उसका यहां काफी बहुमत है । लेकिन इस सदन का बहुमत बाहर के बहुमत के बराबर नहीं है, देश के अधिकांश लोग लोकतंत्र चाहते हैं । वे अपनी नागरिक स्वतंत्रता का परिरक्षण चाहते हैं जिसे उन्होंने कई वर्षों के संघर्ष के बाद प्राप्त की है । इसलिए, वे अपने लोकतंत्रात्मक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता का परित्याग नहीं करेंगे । इसलिए मुझे उम्मीद है कि उनमें अब भी देरी के बाद सद्बुद्धि जागृत होगी और वे इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर बैठे हुए अपने माननीय मित्रों से मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब हम इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं, तो वे ध्यान देकर सुनेंगे, उधर से कोई शोर-शराबा अथवा बाधा नहीं डाली जायेगी, इस प्रक्रम पर हम इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं ? हम ऐसा महसूस करते हैं यह उन समेकित उपायों में से एक है जिन्हें इस देश को बेचने के लिए अध्यादेश के पश्चात् पुरःस्थापित किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय धन-निधि से कुछ धन प्राप्त करने के लिए देश को बेचने की योजना का यह एक अंग है । यह पहली बात है । दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह समझ लिया है कि सरकार का मतलब ही यही है कि वह निष्ठुर बने तथा दमनचक्र का सहारा ले । हमारा अनुभव ऐसा है कि हम यही विश्वास कर सकते हैं कि यह विधेयक इस देश में लोगों के अल्पतम अधिकारों को छीनने के लिए किये जाने वाले उपायों में से एक है । प्रधान मंत्री लोगों के और किसी समुदाय से इतनी भयभीत नहीं हैं जितनी इस देश के श्रमजीवी वर्ग से । इसीलिए हमने देखा कि रेलवे की हड़ताल को किस तरह कुचला गया और उसके लिए क्या तरीके अपनाये गये । हमने देखा है इस देश के श्रमजीवी लोगों के विरुद्ध 'मीसा' का कैसे प्रयोग किया गया था । हमने देखा है कि मजदूर संघों के नेताओं को किस प्रकार गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किये बिना तथा दोषारोपण-पत्र के बिना उन्हें कैसे जेलों में रखा गया । हमने यह भी देखा कि रेल इन्जन चालकों का आंदोलन किस तरह निपटा गया । इसी तरह बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ किया गया व्यवहार भी हमने देखा, हाल में हमने यह भी देखा कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कैसे उल्लंघन किया गया था । और मंत्रियों का यहां यह कहने का साहस था कि "हम उच्चतम न्यायालय से सहमत नहीं हैं ।"

अतः हमारा कहना है कि यह केवल इस देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को बेचने का भाग ही नहीं है अपितु यह उस अनुमानित प्रयास का भाग भी है जो हमारी वर्तमान

सरकार इस देश के कर्मकारों को दबाने के लिए कर रही है, जैसा कि हमने 1977 से पूर्व देखा, क्योंकि उसे कार्मिक लोगों और संगठित क्षेत्र का भय है।

मैं जानता हूं कि मैं माननीय अध्यक्ष के निर्णय पर एतराज नहीं कर सकता। किन्तु क्या आपने उस ज्ञापन को देखा है जो इस बात को उचित ठहराने के लिए जारी किया गया है कि विधेयक को इतनी कम अवधि में क्यों परिचालित किया गया। इसमें कहा गया है :

> "यह महसूस किया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन सेवाओं को समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक समझा जाए उन्हें आवश्यक सेवा के अन्तर्गत लाया जाए, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से परामर्श करना जरूरी समझा गया था।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यादेश बिना चर्चा किए, बिना सोचे विचारे तथा मंत्रालयों की सलाह के बिना जारी कर दिया गया था ? समाचार पत्र देखने से हमें पता चलता है कि श्रम मंत्रालय को इसका कोई ज्ञान नहीं था। हमने यह भी देखा है कि उन मंत्री महोदय को छोड़ कर जिन्होंने इस विधेयक को प्रवर्तित किया था गृह मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमें समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि शादी विवाह में शरीक होने के लिए रवाना होने से पूर्व राष्ट्रपति जी से आधी रात गुजरे अध्यादेश पर हस्ताक्षर करा लिये गए थे क्योंकि ऐसे काम प्रायः आधी रात गुजरे कराना हमारे देश में एक आम बात हो गई है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि देश को बेचा जा रहा है। ऐसा कहना न केवल इस सदन के सदस्यों के लिए अपितु समूचे देश के लिए मानहानिकारक है। अतः जो शब्द समूचे देश के लिए मानहानिकारक हैं उन्हें नियम 380 के अन्तर्गत निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूगा। यदि कोई चीज मानहानिकारक हुई तो मैं उसे निकाल दूंगा।

श्री राम सिंह यादव : नियम 380 इस प्रकार है :

> "यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिए जाएं।"

ये शब्द न केवल इस सदन के सदस्यों के लिए बल्कि समूचे देश के लिए मानहानिकारक हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : बात यह है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो उसे राज्याध्यक्ष पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब श्री चटर्जी भाषण दे रहे थे तो

वह राज्याध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, का व्यंग्यमय उल्लेख कर रहे थे । उसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : जब श्री बसु बोल रहे थे तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था । परन्तु मेरे मित्र, जो एक विख्यात वकील होने का दावा करते हैं—मैं उनसे अंशत: न कि पूर्णत: सहमत हूं—मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि इस अवस्था में चर्चा केवल इस बात पर ही होनी चाहिए कि क्या विधेयक संसद् की विधायी क्षमता के बाहर है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उस पर आ रहा हूं ।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इस पर मुख्य रूप से संघ सूची की प्रविष्टि 70 लागू होती है । उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है कि यह विधेयक विधायी क्षमता के भीतर है । अत: क्या कारण है कि इस पर इस अवस्था में तर्क दिए जाएं ? उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए । वे इस प्रकार भाषण नहीं दे सकते । वह इस अवस्था में विभिन्न मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते । जो नियम 72 की परिधि में नहीं आते । वे ये सब मामले तब उठा सकते हैं जब इस विधेयक पर विचार किया जाएगा । यदि यह विधेयक विधायिनी क्षमता के भीतर है तो नियम 72 इस पर लागू नहीं होता तथा मामला वहीं समाप्त होता है । अत: वे ऐसे लम्बे चौड़े भाषण क्यों दे रहे हैं? वह ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई वक्ता किसी मंच पर बोल रहा हो । (व्यवधान) बात यह है कि क्या यह विधायिनी क्षमता के परे है (व्यवधान) यही कारण है कि मैं यह कह रहा हूं कि संघ सूची की प्रविष्टि 70 तथा अन्य प्रविष्टियों के अन्तर्गत संसद् को यह कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है । संसद् संघ सूची की प्रविष्टि 70 तथा अन्य प्रविष्टियों के अन्तर्गत कानून बना रही है । एक बार यदि हम इस बात को मान लेते हैं तो विधायिनी क्षमता के न होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए इसके बाद अब कौन सा तर्क बाकी रह जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधायिनी क्षमता तथा संवैधानिक औचित्य । आप इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करें । जब विधेयक पर चर्चा हो तो आप दूसरे पहलुओं पर बोल सकते हैं । अब ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं जैसाकि विधेयक पुर:स्थापित हो चुका है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विधि मंत्री का भाषण सुनने के बाद···

श्री पी० शिव शंकर : कोई भाषण नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय विधि मंत्री, जो सिकन्दराबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, का भाषण सुनने तथा आपसे अपना ज्ञानवर्धन करने के पश्चात्, क्या मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्थिति इस प्रकार है। मैं आपका ध्यान इस विधेयक के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग की ओर आकर्षित कर रहा था जो विधेयक पुर:स्थापित किया जाने वाला है। वह महत्वपूर्ण भाग ज्ञापन है जिसे परिचालित किया गया है तथा जिसकी ओर मैंने आप का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इससे पूर्व कोई सलाह मश्विरा नहीं किया गया है। ज्ञापन में यह भी लिखा है :

> "यह और कि कर्मकारों की न्यायोचित शिकायतें दूर करने के प्रश्न पर सरकार के विचार घोषित करने के नीति वक्तव्य को भी अन्तिम रूप से तैयार करना था।"

सरकार ने इतने महत्वपूर्ण विधेयक को इतनी हैमियत दी है। यह सरकार इस देश में निदेशक तत्वों की श्रेष्ठता के बारे में तो लम्बे चौड़े भाषण देती है, वह कहती है कि मूलभूत अधिकारों को देश की राज्य नीति के निदेशक तत्वों की पूर्ति करने में सहायता करनी चाहिये तथा संविधान का भाग उसे प्रबल होना चाहिए।

भाग 4 इस प्रकार है :—

> "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

आप मजदूरों के आन्दोलन, प्रदर्शन और हड़ताल के अधिकार को, जो उन्होंने कई वर्षों के संघर्ष के बाद अपने खून, पसीने और मेहनत के बाद प्राप्त किया है, छीन रहे हैं। क्या सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने और उसे संरक्षित करने का यह तरीका है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुरक्षित रहेगा ?

अनुच्छेद 38 (2) में लिखा है :

> "राज्य, विशेष रूप से, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी असमानता समाप्त करने का प्रयत्न करेगा।"

आज हो यह रहा है कि वे आय में असमानता और दर्जे में असमानता को दूर करना चाहते हैं। जब देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जब देश में रुपये की क्रय शक्ति कम हो रही है तथा लोगों को मुसीबतों में इर रोज अजाफा हो रहा है, जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिकाधिक हो रहा है, जब अमीर लोग धन बटोर रहे हैं तब वे आय में असमानता और दर्जे में असमानता को दूर करने जा रहे हैं··· (व्यवधान)

कृपा करके आप संविधान का अनुच्छेद 43–क पढ़िए जिसे आपातकाल में ब्यालिसवें संशोधन द्वारा पुर:स्थापित किया गया था। वह इस प्रकार है :

"राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबन्ध में, कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।"

जब राज्य सभा की नीति के निदेशक तत्वों में तो यह मांग की गई है कि कर्मकारों को प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार देने के लिए विधेयक पुर:स्थापित किए जाएं किन्तु इस विधेयक द्वारा आप उन्हें अमीर लोगों के गुलाम बना रहे हैं, आप उन्हें इस देश की इन बड़ी मछलियों, एकाधिकपतियों और कालाधन्धा करने वाले लोगों के बन्धित श्रमिक बना रहे हैं।

यह राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का खुलमखुल्ला उल्लंघन है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री कहेंगे कि न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकते। यही आपका बचाव है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 14 को न्यायालय लागू कर सकते हैं तथा इस देश में वही समानता का खंड है।

कृपया विधेयक के खंड 3 को पढ़िये। इसमें केन्द्रीय सरकार को किसी हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो विस्तार में जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया प्रस्तावना को ही देखिये। यह एक बहुत ही आवश्यक मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आप तो विधेयक के ब्यौरे में जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्तावना को पढ़ देता हूं। कृपया विधेयक की प्रस्तावना को देखिये, जिसमें कहा गया है :—

"कुछ आवश्यक सेवाओं और समाज के सामान्य जीवन को बनाए रखने का उपबन्ध करने के लिए।"

इसके मार्गदर्शी सिद्धांत कहां हैं। इस कानून का उद्देश्य क्या है ? न्यायालय लोक हित का कैसे निर्णय करेंगे ? न तो कोई कारण अभिलिखित ही किया जाना है और न ही कोई कारण प्रकट किया जाना है। अत: यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

कृपया "हड़ताल" की परिभाषा को ही देखिये और मुझे आशा है कि आप अब भी देश में कार्मिक संघ आन्दोलन में हैं। क्या आपको अप्रसन्नता नहीं होती है कि कर्मकारों के न्यूनतम अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है और "हड़ताल" की परिभाषा में हर क्रियाकलाप को ले लिया गया है। कृपया "हड़ताल" की परिभाषा को देखिये। इसमें अतिकालिक कार्य से इन्कार को भी शामिल कर लिया गया है। यह कौन फैसला करेगा कि कौनसा काम कौन करेगा ? यह नहीं बताया गया है। इस बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं। इस बारे में कुछ भी नहीं

बताया गया है। मुझे अतिकालिक कार्य करना है, पर इसका निश्चय कौन करेगा? मैं नहीं जानता, कि क्या इस बारे में कोई सीमा निश्चित की गई है। कुछ भी तो नहीं कहा गया।

कृपया खंड 2 (ख) (ii) देखिये जिसमें कहा गया है :

"ऐसा कोई अन्य आचरण, जिसके परिणामस्वरूप किसी आवश्यक सेवा में काम का बन्द हो जाना या उसकी गति पर्याप्त रूप में मन्द हो जाना संभाव्य है या हो जाती है।"

"कार्य की गति पर्याप्त रूप में मन्द हो जाना" का क्या अर्थ है? इन मामलों के बारे में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है।

हम विधेयक के गुणदोषों के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, गुणदोषों के बारे में तो हमने बहुत कुछ कहना है जो हम तब कहेंगे जब इसे अन्ततः पुरःस्थापित कर लिया जायेगा।

श्री पी० शिवशंकर : उनके बारे में कोई नई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक मतदान का सम्बन्ध है, मेरे विचार में माननीय संसदीय कार्य मंत्री की इस सभा में कोई आवाज नहीं है। हम उन्हें अन्यथा मान्यता नहीं दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः आप आश्वस्त हैं कि इस विधेयक पर इस सभा में विचार होने जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिये तो मैंने कहा है, यदि इसे अन्ततः पुरःस्थापित कर लिया जायेगा। जिस पर हमारे माननीय मंत्री ने केवल हंस दिया है।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में मनमानी वाले उपबन्ध हैं और इसे लागू करने के आधार का पता लगाने के लिए इस विधेयक में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं सुझाये गये हैं। यह न केवल काला और कठोर विधेयक ही है अपितु यह देश में श्रमिक वर्ग पर सीधा प्रहार है जिसे कई समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारे संविधान के विरुद्ध है और इस सभा को इस विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहिये। इस विधेयक के पुरःस्थापन पर मुझे आपत्ति है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं सरकार के जो आँकड़े हैं वे आपको सुनाना चाहूंगा। इन आंकड़ों में बताया गया है कि टोटल मेनडेज का लोस, हड़ताल और लोक-आऊट्स में कितना-कितना किस-किस साल में हुआ—

1977 में 25.32 मीलियन,
1978 में 28.34 मीलियन,
1979 में 43.86 मीलियन,
1980 में 12.91 मीलियन और
1981 में जनवरी-मार्च में 3.45 मीलियन।

इसका मतलब यह है कि सरकार ने यह दिखलाया है कि इन्डस्ट्रियल और औद्योगिक क्षेत्र में उसने प्रगति की है। जब आप औद्योगिक क्षेत्र में एक तरफ प्रगति की बात कहते हैं और यह कहते हैं कि सम्बन्ध अच्छे हो रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आप इस बिल को लाने और आर्डिनेंस जारी करने की बात करते हैं। उसके पहले ही आर्डिनेंस के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यवाही की गई, ये दोनों चीजें हिन्दुस्तान की जनता की समझ में नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो आपके संबंध सुधर रहे हैं, मजदूर और मालिक के बीच में संबंध सुधर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप यह कदम भी उठा रहे हैं जो कदम मजदूर के विरोध में है। यह कदम प्री-इमरजेंसी के रूप में है, जैसा कि 1975 के पहले 1974 में उठाया गया था उसी तरह से 1982 से पहले यह 1981 में उसकी रिहर्सल चल रही है।

इस तरह से ये दोनों बातें एक दूसरे के प्रति विरोधाभास प्रकट करती हैं। या तो सरकार के आंकड़े गलत हैं या सरकार की नीयत साफ नहीं है जो कि यह बिल रखने जा रही है।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि मजदूर हड़ताल पर क्यों और कब जाता है। कोई मजदूर हड़ताल से खुश नहीं होता। कोई मजदूर अपने बच्चों को भूखों मारना नहीं चाहता। जब मजदूर सब तरफ से बेबस हो जाता है, जब उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाता, तभी मजदूर हड़ताल पर जाता है और इस कानून के द्वारा मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार की साजिश है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार प्रत्येक क्षेत्र में फेल हो चुकी है। कानून-व्यवस्था की बात तो आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में सरकार फेल हो चुकी है। आज इसका नतीजा यह है कि इस तरह से कानून ज्ञानी जी आपके माध्यम से लाए जा रहे हैं। आपके प्रति हमारे मन में सम्मान है। हम जानते हैं कि अन्दर से आप भी इसे लाना नहीं चाहते, लेकिन आप इसको लाएंगे, क्योंकि ऐसा आपको आदेश दिया गया है, इसलिए आप इसे सभा पटल पर रखेंगे। लेकिन आप इस बिल को लौटा लें, आप अमर हो जायेंगे। हालांकि ऐसा करने से आपको मंत्रीमंडल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप देश में सबसे अधिक जनप्रिय हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह कानून ना सिर्फ मजदूर विरोधी है, बल्कि यह इमरजेंसी के पहले की रिहर्सल करने वाला तानाशाही कदम है।

इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र में फेल हो चुकी है। मूल्य-वृद्धि आज आसमान छू रही है और इसकी वजह से जब कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहेगा तो आप इस तरह का कानून बना रहे हैं।

आप कहते हैं कि जनतांत्रिक कानून है। लेकिन जब कोई भी आपके विरोध में भाषण करेगा या जिस पर आपको शक-शुबहा होगा कि यह कर्मचारियों को भड़काएगा तो आप उसको बिना वारंट जारी किए जेल में बन्द कर सकते हैं। आपकी सीधी-सीधी नीयत है कि आप हम लोगों को जेलों में बन्द करना चाहते हैं। मैं ज्ञानी जैल सिंह जी से कहूंगा कि वे जेल सिंह न बनें। हम लोगों को फिर से जेलों में न डालें।

इस कानून के संबंध में जो सदस्य कानून के ज्ञाता हैं वे तो ज्यादा प्रकाश डालेंगे, मैं जो मोटे तौर पर समझा हूं और जो कुछ समझा हूं उसके आधार पर कह रहा हूं कि ऐसे कानूनों का प्रयोग सिर्फ अपोजीशन के खिलाफ ही नहीं होता, बल्कि पक्ष के लोगों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह जो संविधान विरोधी, मजदूरी विरोधी मौलिख अधिकारों को छीनने वाला और इमरजेंसी लाने वाला काला विधेयक ज्ञानी जी आप ला रहे हैं, इसको आप वापिस कर लीजिये और अमर हो जाइए। इसको आप रद्दी की टोकरी में फैंक दीजिए।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मैं पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। यह सच है कि गुंजाइश बहुत कम है और मैं ऐसा विधायी सक्षमता के आधार पर ही कर सकता हू। इसके साथ-साथ किये जा रहे कठोर उपायों पर मुझे अपनी राय व्यक्त अवश्य करनी चाहिये। बुनियादी तौर पर हड़ताल करने का अधिकार श्रमिकों तथा श्रमिक संगठनों को संविधान के अधीन दिया गया है। बताया तो यहां तक गया था कि वे प्रबन्ध में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। अब यह निष्कर्ष कैसे निकला कि यदि श्रमिकों को और अधिकार दिये गये तो इससे देश में उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हड़ताल करने का तथा अन्य अधिकार वापस ले लेने चाहिये।

बुनियादी तौर पर यह एक तर्कविरुद्ध रवैया है। इसे पहले भी अपनाया गया था और उसका कोई फल नहीं निकला था। दमन करके या इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त करके और श्रमिकों को मजबूर करके सरकार कर्मकारों के मनोविज्ञान को नहीं समझता चाहती है। इससे मिल मालिकों को लाभ होने जा रहा है या नहीं, वह तो एक भिन्न प्रश्न है। विचारणीय प्रश्न यह है कि इस उपाय से उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल आपका ध्यान मूल अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

> "राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनती या न्यूनन करती हो और इस खण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।"

मेरे विचार में अनुच्छेद 13(2) का अनुच्छेद पर नियंत्रण है और अनुच्छेद 19(1) में यह स्पष्ट कहा गया है कि मूल अधिकारों में से एक अधिकार संस्था या संघ बनाने का है। यह कोई सामान्य अधिकार नहीं है। कोई संस्था या संघ इसलिये बनाता है जिससे सौदाकारी हो सके। ये संघ सौदाकारी एजेंट हैं और उन्हें श्रमिक वर्ग के संघर्ष को जारी रखना ही चाहिये। यदि श्रमिक वर्ग के संघर्ष को चलाने का अधिकारी ही उनसे छीन लिया गया, तो संघ बनाने का अधिकार अर्थहीन हो जायेगा। यह मूल अधिकार का उप-सिद्धांत ही है। जब संविधान ने मूल अधिकार की गारंटी दे रखी है तब संघ के युक्ति-युक्त क्रियाकलापों को चलाना एक मूल सिद्धांत के रूप में मूल अधिकार ही है। अत: जब इस अधिकार को वापस लिया जाता है तब मूल

अधिकार का अतिक्रमण होता है और इस पर अनुच्छेद 13(2) आकर्षित होता है और उस मात्रा तक, मेरे विचार में, यह विधेयक विशेष विधायी शक्ति के अन्तर्गत नहीं आता है और इसलिए मैं इस आधार पर विधेयक को चुनौती देता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस आवश्यक बिल को लाकर मैं तो यह कहूंगा कि नए रूप में इस देश के मेहनत करने वाले और काम करने वाले लोगों पर एमरजेंसी थोपी जा रही है। इस तरह के तानाशाही कानूनों का सहारा लेकर यहां के लोगों के उचित और न्यायसंगत अधिकारों का दमन करने की यह एक कोशिश है। मैं इसका घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारतीय संविधान का जो प्रोएम्बल है उसमें बड़े साफ और खुले शब्दों में यह कहा गया है :—

> "भारत के लोग भारत की एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए....."

जिस भारतीय संविधान के आधार पर हम आज अपने देश की व्यवस्था को चला रहे हैं उसमें जहां एक ओर डैमोक्रेसी की बात कही गई है वहीं दूसरी ओर सोशलिस्टिक के पैटर्न की बात भी कही गई है। उस सबके विरोध में जाकर इस बिल को लाया गया है। तानाशाही की तरफ ले जाने वाला यह बिल है। डैमोक्रेसी को खत्म करने वाला यह बिल है। इसके अलावा समाजवाद की जो गरिमा है उसको नष्ट करके पूंजीपतियों के हाथ में सारी शक्तियां देने वाला यह बिल है। मेहनत करने वाले श्रमिकों, सेवा करने वाले लोगों का सारे का सारा जीवन इस बिल में आपने उनके हाथ में दे दिया है।

संविधान के निदेश सिद्धान्तों को आप देखें।

दुर्भाग्य से हमारी संसद की लाइब्रेरी में अब तक का संशोधित संविधान हिन्दी में हमें नहीं मिला इसलिये मैं अंग्रेजी में ही उसको पढ़ूंगा। आर्टिकल 43 और 43 (ए) इस प्रकार है :—

> "43. उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह मजूरी, शिष्ट-जीवन स्तर तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"
>
> "43 क. राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों तथा अन्य संगठनों के प्रबन्ध में, कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा।"

अगर श्रमिकों को मालूम होता, वह पढ़े होते कि तुम्हें मैनेजमेंट में अधिकार दे रहे हैं, प्रोफिट में हिस्सा दे रहे हैं तो हम निर्देशक सिद्धान्तों की तरफ बढ़े होते। लेकिन उधर न बढ़ कर हम उसको वायलेट कर रहे हैं।

इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 120 में यह दिया हुआ है कि जो भी बिल 15 साल के बाद पेश किया जायगा वह हिन्दी में होगा, और हमें सदन में भी विश्वास दिलाया गया। लेकिन अब तक अंग्रेजी का अनुवाद करके ही बिल हमारे सामने रखे जाते हैं। इसलिये आर्टिकल 120 का सीधा उल्लंघन है और उसके अनुसार इस बिल को पेश नहीं किया जा सकता। जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है इसको देख लें लिखा गया है आवश्यक सेवा विधेयक। यह इमरजेंसी सर्विसेज मैंनटेनेंस बिल, 1981 का हिन्दी अनुवाद करके हमको दे रहे हैं। इससे बड़ी संविधान की क्या अवहेलना होगी, इससे बड़ा क्या अपमान होगा ? और ऐसा बिल हमको ट्रांसलेट करके समय में दे भी नहीं पायेंगे। इसलिए संविधान के सारे अनुच्छेदों के विरोध में यह बिल है। भारत में प्रजातंत्र है और आज बोट क्लब पर दसियों हजार मजदूर माननीय राजनारायण के नेतृत्व में इस काले बिल का विरोध करने के लिये आये हुए हैं। अगर आपने इस मजदूर विरोधी काले बिल को वापस नहीं लिया तो सारे देश के काम करने वाले मजदूर आपसे टक्कर लेने के लिये मजबूर होंगे। अगर आप उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश करेंगे तो उसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से आप बिल लाये हैं उसको आप वापस लें वरना देश में अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष होगा। बड़ी मुश्किल से हमने अधिकार लिये हैं। आपकी देन नहीं है, बल्कि संघर्ष करके मजदूरों ने अधिकार लिये हैं। और अगर उन अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई तो मजदूर लड़ेंगे और उन अधिकारों को लेकर रहेंगे भले ही उसके लिये काम करने वाले मजदूरों को खून बहाना पड़े। यह बात कहकर मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : महोदय, मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं इस पर कोई लम्बा भाषण दूं। इस देश का श्रमिक वर्ग और भारत भर में व्यापार संघ के संगठित वर्ग इस काले विधेयक का विरोध कर रहे हैं जिसे माननीय मंत्री पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इस तथ्य के बारे में तो कोई सन्देह नहीं है कि यह एक घोर और मनमाना विधेयक है जो सरकार को श्रम सम्बन्धों विशेषकर जब भी चाहें हड़ताल करने के उनके अधिकार के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करता है। सबसे अधिक बेचैनी इस बात को है कि यह सरकार जब से आई है अर्थात गत 21 महीनों से औद्योगिक श्रम सम्बन्धों के बारे में कोई उद्देश्यपूर्ण नीति निर्धारित करने में पूर्णयता असफल रही है। संघ श्रम मंत्री ने कई सम्मेलन बुलाये जिनमें राज्यों के श्रम मंत्री भी उपस्थित थे। उनमें औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन करने, श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने के बारे में अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण करने और उन्हें आधुनिक बनाने आदि के लिए बार-बार कहा गया, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पिछले एक या एक से अधिक वर्षों से बढ़ती हुई कीमतों और मुद्रास्फीति से लोगों की वास्तविक आय में बहुत तेजी से कमी हुई है और उनको

कोई राहत देने में सरकार की असफलता और इस डर के कारण कि श्रमिक वर्ग तेजी से गिरते हुए अपने जीवन स्तर को लेकर कोई विरोध, जो स्वाभाविक ही है, प्रकट न कर सकें, सरकार यह विधेयक ले आई है। अतः इस तथ्य के बारे में कोई सन्देह नहीं है कि यह विधेयक श्रमिक वर्ग का एक महत्वपूर्ण अधिकार वापस लेना चाहता है और इस तरह यह एक अलोकतंत्रात्मक तथा काला विधान है। इसलिये मैं इस विधेयक के पुनःस्थापन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन्, वह उपस्थित नहीं है। श्री ए० के० राय।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, नियम विशेषकर नियम 72 बनाते समय किसी को यह पूर्वाभास नहीं हुआ कि भविष्य में सरकार एक ऐसा घोर विधेयक ले आयेगी। इसीलिए विधायी क्षमता जैसे नर्म पदों का प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में यह विधेयक तो कर्मकारों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से युद्ध ही है।

संवैधानिक औचित्य के बारे में मैं यह और कह देना चाहता हूं कि यह सभा केवल न्यायालय ही नहीं है। यहां हमें न्यायिता और वैधता दोनों को देखना है और इसके साथ-साथ हमें कुछ अच्छी मिसालें भी कायम करनी हैं।

इस विधेयक की शक्ति का स्रोत उच्चतम न्यायालय का 1962 का विनिर्णय है जो कुछ बैंक कर्मचारियों के संघ के मामले में दिया गया था कि संस्था बनाने का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के अन्तर्गत एक मूल अधिकार है। परन्तु इसका विस्तार स्वतः सौदेबाजी और हड़ताल करने के मामले तक नहीं हो जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत को मानकर ठीक ही किया है कि हड़ताल करने का मूल अधिकार नहीं है किन्तु यह निःसन्देह ही एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार आप तर्क दे सकते हैं और सरकार तर्क दे सकती है कि मतदान करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है और वह विधेयक लाकर इस तर्क के आधार पर मताधिकार को वापस ले सकती है कि यह संसद मताधिकार को समाप्त कर सकती है क्योंकि यह अधिकार मूल अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आता है। यदि इस प्रकार तर्क देने लगें, तो यह तो विचार करने का एक कानूनी ढंग है, परन्तु वास्तव में तथ्य क्या है? स्थिति क्या है? नैतिकता क्या है? यह विधेयक लाने में सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व क्या है? एक ओर तो कह रहे हैं कि औद्योगिक असुरक्षा का प्रश्न ही नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यही नहीं, श्रम-दिनों की हानि में भी कमी हुई है और दूसरी ओर वे यह विधेयक ला रहे हैं और वह भी अध्यादेश द्वारा। यह तो राष्ट्रपति के उच्च पद का ही दुरुपयोग है। 26 जुलाई की आधी रात को अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? क्या ऐसा करने का कोई औचित्य था?

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 352 कहता है कि कोई सदस्य सभा की कार्यवाही को रोकने के लिए वाक्-अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। यह भी कहता है कि वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिए सदस्य राष्ट्रपति का नाम बीच में नहीं लायेगा। नियम बिल्कुल स्पष्ट है। वह राष्ट्रपति का हवाला नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अभिलेखों की जांच करूंगा। जब यही बात एक अन्य सदस्य ने उठाई थी तब मैंने कहा था कि मैं अभिलेखों की जांच करूंगा।

श्री ए० के० राय : मैं कहता हूं कि यह प्रभु-सत्ता सम्पन्न सभा कार्यपालिका की हर कार्यवाही की छानबीन कर सकती है।

यही नहीं, हम एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। यह एक बुरी विधि है। विधेयक का मसौदा अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है, यहां तक कि इस अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के बीच अधिकारिता अस्पष्ट हो गई है। इससे औद्योगिक विवाद अधिनियम शून्य तो नहीं हो रहा है परन्तु इससे अधिकारिता अस्पष्ट सी हो गई है। इन दोनों में कहीं न कहीं टकराव जरूर है। आपने दंड सहिता के उपबन्ध देखे होंगे। मैं उन उपबन्धों का हवाला दे दूं। आप खण्ड 4, 5, 6, 7, 8 और 9 देखिये। एक खण्ड में यह उपबन्ध है कि यदि कोई अवैध हड़ताल या तालाबन्दी करेगा या इसके लिए उत्प्रेदित करेगा तो वह फलां फलां दण्ड का भोगी होगा। यही उपबन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम में है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 16 और 27 में कहा गया है कि यदि ऐसा पाया जाता है और साबित हो जाता है कि किसी ने अवैध हड़ताल या तालाबन्दी में भाग लिया है या उसके लिए उत्प्रेरित किया है तो उसे दण्ड दिया जायेगा। कुछ मामलों में निर्णय कौन करेगा ? हड़ताल वैध है या अवैध है, इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की अधिकारिता तथा केन्द्रीय अधिनियम की अधिकारिता के बीच टकराव है और दोनों के बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है। अनुच्छेद 20 (1) और (2) के अनुसार दो स्वतंत्र प्राधिकारी किसी व्यक्ति पर एक ही मामले में अभियोग नहीं चला सकते। यहां दो प्राधिकारियों की व्यवस्था की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार व्यवहार रूप में इसका क्या समाधान करेगी। आप औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर सकते थे। आखिरकार आपने किया क्या है ? आपने केवल आवश्यक सेवा की परिभाषा ही तो दी है जो एक लम्बी सूची है।

वे इसे आसानी से लोक उपयोगी सेवा में शामिल कर सकते थे तथा आप अनुच्छेद 26 और 27 के उपबन्धों का संशोधन करके दण्ड की अवधि एक मास से एक वर्ष और छः मास से दो वर्ष यहां तक कि दस वर्ष बढ़ा सकते थे।

अन्ततः श्रमजीवी वर्ग आपकी दया पर जीवित नहीं है। वे हड़ताल करने के अपने अधिकार या जीवित रहने के अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं है। आप औद्योगिक विवाद अधिनियम को निष्प्रभावी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नये परिवर्तन युग में हैं और आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 हमारे सामने लाये हैं। औद्योगिक विवादों का 1947 का युग बीत चुका है। इससे न केवल श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात होता है अपितु मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है और श्रम विभाग पंगु बन गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, आप कृपया बैठ जाइए। उनका एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे उनकी बात अवश्य सुननी है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं नियम 356 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। नियम 356 इस प्रकार है :—

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकेगा।"

यहां बार-बार मूलभूत अधिकारों की दुहाई दी जा रही है। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा इनका उल्लेख किया जा चुका है। मेरा निवेदन है कि आप इनका बार-बार उल्लेख करना बन्द कर सकते हैं। किन्हीं बातों को बार-बार दोहराने से रोकने में क्या हानि है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे ही निवेदन क्यों नहीं करते ? मेरा कहना है कि सत्ता-धारी दल के पास इस बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। वे इसका विरोध नहीं कर सकते।

श्री ए० के० राय : मुझे खेद है। मैं समय नहीं लूगा। मैं आपको और माननीय सदस्य को भी जो अभी बोले हैं, याद दिलाना चाहता हूं उनके समझने में ही कुछ फर्क है। मैंने कहा था कि इससे न केवल श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात होता है, अपितु श्रम संबंधी विधेयक लाने के श्रम मंत्रालय के अधिकारों का भी हनन होता है। यह विधेयक श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों का हनन करता है। यह विधेयक श्रम मंत्रालय के अधिकारों का भी हनन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्रम मंत्री विधेयक पुर:स्थापित करते हैं, तो आप उनका विरोध नहीं करेंगे।

श्री ए० के० राय : जी नहीं। श्रमजीवी वर्ग, श्रम विभाग और श्रम मंत्री पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि श्रीमती राम दुलारी सिंह भी श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें सहयोग देंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: आप इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध करते हैं।

श्री ए० के० राय : मैं इसीलिए इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए० के० राय : महोदय, वह दिन निकट आ रहा है, जब श्रम मंत्रालय गृह मंत्रालय का अंग होगा। यह एक भयंकर बात होगी। समझौता कराने का कार्यभार भी पुलिस कर्मियों पर होगा। फिर कोई समझौता ही नहीं होगा। पुलिस कर्मी जिन्हें यह काम सौंपा जायेगा कहेगा कि कोई उन्हें उकसा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप विधेयक के विस्तार में जा रहे हैं।

श्री ए० के० राय : मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं, क्योंकि यह श्रमजीवी वर्ग के महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन करता है। केवल यही नहीं, इसका उद्देश्य श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री को गृह मंत्रालय का अंग बनाना है। यह एक खतरा है और विधेयक श्रमजीवी वर्ग को भयभीत करने के लिए लाया गया है। सरकार जन-विरोधी और श्रमजीवी वर्ग विरोधी नीति अपना रही है। श्रमजीवी वर्ग इसका विरोध करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपको पहले ही मालूम है कि इस विषय पर बोलने के लिए 43 सदस्यों के नाम हैं। मैंने कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया था। विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने पर आप लम्बे भाषण दे सकते हैं। पहले ही हम डेढ़ दो घण्टे ले चुके हैं। मैं सब दलों के नेताओं, जिनके नाम दिये गये थे, को बुला चुका हूं। इसलिए मैं आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं। मैं बहुमत और अल्पमत का प्रश्न नहीं उठाना चाहता। इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य को पुकारूंगा और आप खड़ा होकर कहेंगे कि मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करने का विरोध करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, आप प्रत्येक सदस्य को तीन मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवश्य मेरी सहायता करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कितने बाकी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : तीस। मैं आशा करता हूं कि आप एक ही दल में से दो-दो के लिए सहमत हो जायेंगे। (व्यवधान) आपको अवश्य मेरी सहायता करनी चाहिए। श्री निरेन घोष, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के दूसरे सदस्य।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य आपात की घोषणा किये बिना आपात की शक्तियां प्राप्त करना है। यह विधेयक, जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है विदेशों के विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निदेश पर लाया गया है। यह विधेयक केवल श्रमजीवी वर्ग-विरोधी तथा लोकतंत्र विरोधी ही नहीं है अपितु यह भारत की समूची जनता के विरुद्ध है। यह विधेयक भारत-विरोधी है। ऐसे विधेयकों से वे जनता में अपना समर्थन खो रहे हैं। गहरे संकट में फंसे हुए हैं और गोलियों, काले कानूनों तथा हत्यायें कराने के सिवाय जनता को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जनता के देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन एकाधिकारियों के लिए उनके पास सब कुछ है। यह कैसे हुआ कि आठ वर्ष की अवधि में टाटा और बिड़ला की आस्तियां पांच-पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : 1200 करोड़ रुपये।

श्री नीरेन घोष : मैंने प्रत्येक के मामले में पांच सौ करोड़ रुपये कहा है। क्या सरकार यह धन ले लेगी ? कभी नहीं। पैट्रोलियम मूल्यों और उर्वरक मूल्यों में वृद्धि करके एकाधिकारियों को अपनी तिजोरियां भरने का अवसर दिया गया है। आप उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि आप

उन पर आश्रित हैं । सरकार श्रमजीवी वर्ग को दबाना चाहती है, क्योंकि वह केवल संगठित श्रमिकों से ही डरती है । इस विधेयक के विरुद्ध विद्रोह करना श्रमजीवी वर्ग और देश की जनता का पावन कर्तव्य है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पहले ही आम हड़ताल हो चुकी हैं और कल बंगाल में हड़ताल होगी । फिर महाराष्ट्र में होगी और फिर अन्य राज्यों में । एक अखिल भारतीय आम हड़ताल भी होगी । यह विधेयक श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध है । अब समय आ गया है कि श्रमजीवी वर्ग को इसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त होने तक संघर्ष जारी रखना चाहिए । श्रमजीवी वर्ग तब तक संघर्ष जारी रखेगा, जब तक कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, वर्तमान स्थिति को पूर्णतया बदल नहीं देता और वर्तमान सरकार को अपदस्थ नहीं कर देता ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई संवैधानिक बातों के बारे में कुछ न कहते हुए मैं तीन मुद्दों का उल्लेख करूंगा । पहला मुद्दा यह है कि यह विधेयक लाने में सरकार का मंशा क्या है । छः सप्ताह पहले अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था । मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस छः सप्ताह की अवधि में कोई ऐसा अवसर आया जब इस अध्यादेश का प्रयोग किया गया या इस अध्यादेश द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया । महोदय, गत छः सप्ताहों में इस अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । इससे सिद्ध होता है कि यह अध्यादेश अनुचित्त था । (व्यवधान) आसाम में आपने अलग कानून अपना रखा है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मेरी बात में रुकावट डालने से पहले, वे मेरी बात समझ लें । अध्यादेश 26 जुलाई को प्रख्यापित किया गया । अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां बहुत असाधारण परिस्थितियों में असाधारण हालात का मुकाबला करने के लिए दी गई हैं । 17 अगस्त को संसद की बैठक होने वाली थी, हालांकि आपने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की थी । जब आप राष्ट्रपति के पास इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का अनुरोध करने गये तो आप को सोचना चाहिए था कि वस्तुतः असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिएं जिनमें इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग अनिवार्य हो । यदि आपने इस कानून का प्रयोग नहीं किया है, तो इससे सिद्ध होता है कि इसकी जरूरत नहीं थी । यह कानून उन परिस्थितियों के लिए जरूरी नहीं था, जो देश में विद्यमान थीं और विद्यमान हैं । महोदय मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, तथा विस्तार पूर्वक अपनी बात उस समय कहूंगा, जब विधेयक पर चर्चा होगी । इस समय विधेयक पुरःस्थापित किया जाना है तथा सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार का इरादा सही प्रतीत नहीं होता । हमें उसके इरादे पर सन्देह है । जब अध्यादेश का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो उसे प्रख्यापित क्यों किया गया था । इससे सिद्ध होता है कि देश में ऐसी स्थिति नहीं है । जिससे बाध्य होकर ऐसा कानून लाया जाये ।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक बड़े विचित्र ढंग से प्रख्यापित किया गया है और अब यह विधेयक भी ऐसे ही लाया गया है । महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । आपने मेरी बात सुने बिना ही उसे अस्वीकार कर दिया । अब नियम 19 (क), (ख) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष अनुमति दे सकते थे । कृपया आप वह वक्तव्य देखिये जो गृह मंत्री ने अध्यक्ष

महोदय को दिया है । क्या इस सभा को इतने अनमने ढंग से लिया जाना चाहिए ? क्या हमसे आशा की जाती है कि हम गृह मंत्री के वक्तव्य को जोकि इस कागज में उल्लिखित है. चुपचाप स्वीकार कर लें । यह सब इस अध्यादेश के प्रख्यापित करने के दिन से आरम्भ हुआ । इस अध्यादेश के स्वागत में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन हुआ । मुझे यही बताया गया है । प्रधान मंत्री ने क्या कहा ? अब चूंकि किसने यह बात कही कि यह विधेयक श्रमिकों के लिए तो उपबन्ध करता है परन्तु नियोजकों के लिए इसमें कोई उपबन्ध नहीं है और यदि कोई नियोजक तालाबन्दी या जबरी छुटट्री कर देता है, तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, तो अगले दिन के समाचार पत्रों में मोटे अक्षरों में प्रकाशित हुआ कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि तालाबन्दी और जबरी छुटट्री भी इसके अन्तर्गत आ जाती हैं । मैंने समूचा अध्यादेश बार बार पढ़ा है । हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि प्रधान मंत्री तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और बुद्धि का भण्डार हैं तथा भारत सरकार का समूचा तंत्र उन्हें उपलब्ध है । इसलिए मैंने उनकी बात मान ली कि तालालन्दी और जबरी छुटट्री इसमें शामिल हैं और इस अध्यादेश को पुन: पढ़ा । परन्तु अध्यादेश में तालाबन्दी और जबरी छुटट्री के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिला । प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दे दिया, जिसे समूचे देश में प्रसारित किया गया । इससे ज्ञात होता है कि इस अध्यादेश को कितने अनमने ढंग से लिया गया है । अब गृह मंत्री के वक्तव्य की भी वही स्थिति है । यह नियम 19 (ख) से छूट प्राप्त करने के बारे में है, परन्तु विषय से बिल्कुल असंगत है । गृह मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है :

> "कर्मकारों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों पर आधारित नीति वक्तव्य को अन्तिम रूप देना है ।"

क्या उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है ? दूसरे शब्दों में क्या आप हमें बताना चाहते हैं कि 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी कर्मकारों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए आपके पास तंत्र नहीं है ?

क्या नियम 19 (क) से छूट प्राप्त करने के लिए जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें आप हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं ? आपका कहना है कि आवश्यक सेवा अधिनियम में तालाबन्दी और जबरी छुटट्री के बारे में कई महत्वपूर्ण उपबन्ध शामिल किये गये हैं । ये महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं ? धारा 8 और 9 को देखिये । इनमें तालाबन्दी और जबरी छुटट्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इन धाराओं में महत्वपूर्ण बात क्या है ? गृह मंत्रालय का कोई भी कनिष्ठ लिपिक दस मिनट में इन पंक्तियों को लिख सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गृह मंत्रालय नहीं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बहुत अच्छा, गृह मंत्रालय में एक वरिष्ठ लिपिक और श्रम मंत्रालय का एक कनिष्ठ लिपिक 5 या 10 मिनट में वाक्य लिख सकते हैं और आप इस वक्तव्य के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपबन्ध किये गये हैं । आपके प्रधान मंत्री ने पहले ही कैसे कह दिया था कि तालाबन्दी और जबरी छुट्टी शामिल हैं । आप यह क्यों समझते हैं कि आप जो कुछ कहेंगे संसद उसे स्वीकार कर लेगी ।

महोदय, मेरी तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है । गृह मंत्री महोदय, आप एक विधेयक ला रहे हैं । मुझे खेद है कि गृह मंत्री मौजूद नहीं हैं । उनके उप मन्त्री भी हाजिर नहीं हैं । फिर शेष व्यक्तियों का यहां हाजिर होने का क्या फायदा है । गृह मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आ रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसा विधेयक लाने का क्या फायदा जिसे आप क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं ? क्या आपको विश्वास है कि आप इस कानून को क्रियान्वित कर पायेंगे ? महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मेरे माननीय मित्र श्री बसन्त दादा पाटिल यहां विद्यमान हैं । महाराष्ट्र में कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार का एक कानून लाया गया था । उन्होंने ऐसा ही कानून बनाया था और कहा था कि जो कोई हड़ताल करेगा उसे गिरफ्तार किया जायेगा तथा जो हड़ताल का समर्थन करेगा उसे जेल भेज दिया जायेगा । वह विधेयक इतना कठोर नहीं था । उसमें संक्षिप्त विचारण का उपबन्ध नहीं था, फिर भी वह कुछ इसी तरह का कानून था । वह विधेयक राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो हड़ताल करने वाले थे, से निपटने के लिए लाया गया था । राज्य सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी । हमने समूचे महाराष्ट्र में हड़ताल कर दी थी । हजारों कर्मचारियों ने, जिन्होंने हड़ताल के समर्थन में प्रति कर्मचारी एक रुपया अंशदान दिया था, अपने-अपने कमीज पर बिल्ले लगाये कि मैंने राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में एक रुपया अंशदान दिया है । वह एक आदमी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाये । मैं माननीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि वह औद्योगिक सम्बन्धों को श्रम मंत्रालय की बजाय पुलिस कर्मचारियों को तो सौंप सकते हैं, जैसा कि वह प्रयास कर रहे हैं, परन्तु जहां तक इस कानून को क्रियान्वित करने का सम्बन्ध है, उनका समूचा पुलिस दल भी इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है । महोदय, इसलिए ऐसा कानून लाने का कोई फायदा नहीं है, जिसे क्रियान्वित ही न किया जा सके, क्योंकि इससे न केवल कानून की बदनामी होगी, अपितु उनकी भी बदनामी हों, जो बहुमत के आधार पर इस विधेजक को ला रहे हैं और पारित कर रहे हैं ।

***श्री आर० के० महालगी** (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक सेवा विधेयक पुरःस्थापित किये जाने का कड़ा विरोध करता हूं; मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1.5 लाख औद्योगिक श्रमिक हैं और मैं तथा वे सभी इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि :

श्रमिकों को अपने अधिकार अनेक संघर्षों के बाद मिले हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार इस विधेयक के खण्ड 12 द्वारा छीन लिए गए हैं । कोई श्रमिक अपने उचित अधिकार खोने को तैयार नहीं है । मैं इसका श्रम-विरोधी विधेयक होने के कारण विरोध करता हूं ।

"आवश्यक सेवा" और समयोपरि की विधेयक में दी गई परिभाषाएं अटपटी हैं और वे संविधान से बाहर हैं । संसद को उसके विधायी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली किसी सेवा

*मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

को आवश्यक घोषित करने और वहां हड़तालों पर रोक लगाने का अधिकार है। संविधान की सप्तम अनुसूची में दर्ज 210 विषयों में से जो संघ और समवर्ती तथा राज्य सूचियों में हैं, संसद 144 विषयों पर विधान बना सकती है। सरकार अनेक सेवाओं को आवश्यक घोषित करके हड़तालों पर रोक लगा सकती है। इससे तो लगता है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का अधिक उपयोग किया गया है न कि 'औपचारिक' अथवा 'सामान्य' शक्तियों का जैसा कि प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन में उल्लेख किया गया।

विधेयक के अनुसार यदि कोई श्रमिक घरेलू कठिनाई अथवा अस्वस्थ होने के कारण समयोपरि कार्य करने से मना करे तो उसे हड़ताल पर माना जायेगा। अतः इन बातों से देश में संपूर्ण श्रमिक आन्दोलन समाप्त हो जाएगा और उन्हें मूल अधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा।

गृह मंत्री यह दावा नहीं कर सकते कि औद्योगिक अशान्ति के कारण चूंकि इस कार्यवाही की अविलम्ब आवश्यकता थी अतः यह अध्यादेश जारी करना पड़ा। गृह मंत्रालय द्वारा विख्यापित विवरण से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में हड़तालों की संख्या कम हुई है और औद्योगिक संबंध सुधरे हैं। संगत आंकड़े ये हैं :

वर्ष	हड़तालें	काम ठप्प	
1978	2117	1980 (जनवरी से मार्च)	840
1979	1336	1981 (तदेव)	340
1980	881	—	—

दूरदर्शन पर गृह मंत्री ने हाल ही में पुष्टि की है कि औद्योगिक संबंध बेहतर हो रहे हैं। यह कैसी परस्पर विरोधी स्थिति है कि एक ओर यह कहा जा रहा है और दूसरी ओर ऐसा कठोर विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक पास करके सरकार वेतन-जाम और बोनस संबंधी कदम उठाने के लिए शक्तियां प्राप्त कर रही है। अतः मैं अपनी पूरी शक्ति से यह विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपका ध्यान करके मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा जो पहले ही उठाए जा चुके हैं।

पहली बात तो यह कि यह विधेयक या कोई भी ऐसा विधेयक, जो अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया जाये, उससे भिन्न नहीं होना चाहिये, विशेषकर मूल रूप से दोनों परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिएं। यह विधेयक 27 जुलाई को प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। दोनों में दो मूल भिन्नताएं हैं। ऐसा यहां मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है कि हम समझते हैं कि अध्यादेश जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाने से पूर्व सरकार ने उस पर गंभीरता से विचार किया होगा। जैसा कि सभी जानते हैं उसमें हड़तालों के अलावा और किसी बात का कोई उल्लेख नहीं था परन्तु प्रधान मंत्री ने शायद इसे देखा या पढ़ा नहीं था या उनके किसी अथवा किन्हीं साथियों ने गलत ब्यानी करके अंधेरे में रखा, भण्डाफोड़ कर दिया और यह वक्तव्य

दिया कि नहीं उक्त अध्यादेश तो हड़तालों के साथ-साथ ताला बन्दियों और जबरी छुट्टी के बारे में भी है जबकि उसमें इनके बारे में एक भी शब्द नहीं था। यह बड़ी असाधारण स्थिति है।

यह विधेयक बाद की सोच का परिणाम है।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाये जो 30, 40 या 60 दिन तक चले तो उसका क्या परिणाम होगा ? तालाबन्दी ही तो होगी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने चर्चा में कुछ जान डाल दी है। वह इसका भी उत्तर देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें केवल यही चिन्ता थी कि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं बनी रहें और अध्यादेश जारी करते समय उन्हें शायद यही चिन्ता थी कि हड़तालों से ही इसमें व्यवधान आ सकता है। वे देश में उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न करने वालों और इसके लिए षड्यंत्र रचने वालों को भूल गए थे, जो इन्हीं के मित्रगण हैं और बाद में इसी कारण उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। पूरा देश यही कह रहा था कि श्रमिकों पर यह इकतरफा प्रहार क्यों ?

अब जो विधेयक पेश किया गया है उसमे तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के बारे में भी एक और खण्ड जोड़ दिया गया है। उन्हें इतना समय भी नहीं मिला कि विधेयक में इन्हें परिगणित कर सकते। वे तो यही कहेंगे कि परिभाषा तो वही है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी हुई है। फिर हड़ताल की परिभाषा क्यों दी गई है ? न ही बन्दी का कोई उल्लेख है। परन्तु इन सब बातों को श्री जैल सिंह जी से कहने से क्या होगा क्योंकि यह उनका क्षेत्र नहीं है। अब चूंकि उन्होंने इसे श्रम के साथ पुलिस विधेयक भी बनाना चाहा है अतः वह इसे पास कराने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं श्री मल्लिकार्जुन से पूछता हूं कि जब कोई उद्योग 30, 60, 365 या 720 दिन तक बन्द कर दिया जाये तब क्या होगा ? क्या इससे वस्तुओं की सप्लाई और सेवाओं में व्यवधान नहीं पड़ेगा ?

गत सप्ताह आपने एक विधेयक पास करके दादरी (हरियाणा) स्थित डालमियां सीमेंट कारखाने को अपने हाथ में ले लिया है। मालिकों के साथ आप वही दुरव्यवहार नहीं कर सकते, जो श्रमिकों के साथ किया जाता है। अतः उसने अपना कारखाना मार्च, 1980 में बन्द कर दिया। यह तालाबन्दी नहीं थी क्योंकि लगाई गई सूचना के अनुसार कारखाना बन्द कर दिया गया है और यह अब नहीं चलेगा यह घोषणा कर दी गई थी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में सीमेंट आवश्यक वस्तु मानी जाती है। मार्च, 1980 से अब अगस्त, 1981 तक डालमियां ने अपना कारखाना बन्द रखा और श्रमिकों तथा उनके परिवारों को सड़कों पर भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर तक किसी ने उनकी चिन्ता नहीं की। फिर भी मुझे खुशी है कि सरकार ने अब उसे अपने हाथ में ले लिया है। परन्तु डालमिया को क्या दण्ड दिया गया उसे क्या हानि हुई ?

इस विधेयक के अनुसार कोई भी पुलिस कर्मी यहां तक कि एक कांस्टेबल बिना सबूत और गवाही के केवल सन्देह पर ही गिरफ्तार कर सकता है और सभी जानते हैं कि हमारे देश में उसकी समझ और बुद्धि कितनी है ? मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं परन्तु सभी जानते है कि वे कैसा व्यवहार करते हैं। जब भी वह यह समझे कि मैंने विधिविरुद्ध कोई कार्य किया है तो वह मुझे बन्दी बना लेगा और तुरन्त संक्षिप्त न्यायालय स्थापित करके मुझे दण्डित किया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। निश्चय ही यह पुलिस विधान है न कि श्रम विधान। मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि—

"कुछ ऐसी अशांत प्रवृत्तियां रही हैं जिनके कारण अर्थ व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तु सेवाओं को बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है..."

ये क्या है जिसने सरकार को इतना विचलित किया कि आधी राय को उन्हें यह अध्यादेश जारी करना पड़ा ? वे संसद के सत्र की प्रतीक्षा भी नहीं कर सके और जैसा श्री फर्नांडीस ने कहा है, इसका प्रयोग वे एक बार भी नहीं कर पाये। वे कौन सी गतिविधियां हैं जो इतनी आवश्यक और अनिवार्य थीं ? यह विधेयक पूर्व नियोजित कार्यवाही के रूप में देश को दिया गया है परन्तु इस पर ठीक ढंग से विचार नहीं किया गया।

यह 'घरेलू' विधान है क्योंकि इसे यहां संसद में तैयार रूप में विचार के लिए लाया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह संसद की गरिमा के अनुरूप है कि यहां ऐसा विधान लाया जाये जो पुरुस्कार स्वरूप उन ऋण दाताओं को दिया जा रहा है जिनसे सरकार ने 5000 रुपये ऋण ले रखे हैं। उन्हें यह विश्वास भी दिलाना था कि उनकी राशियां सरकार के पास सुरक्षित हैं और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां कोई श्रमिक गड़बड़ी न हो और वे नियंत्रण में रहें और इसके लिए श्रम मंत्रालय पर भी विश्वास न करके यह कार्य पुलिस मंत्रालय को सौंपा गया है।

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह विधेयक लाये जाने का कोई कारण नहीं है। बाद में होने वाली चर्चा में हम देखेंगे कि हड़तालों, तालाबन्दियों और नष्ट होने वाले कार्य-दिवसों के बारे में क्या कहा जाएगा। यह विधेयक लाने का इसके अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है कि वे किसी पर यह जताना चाहते हैं कि देखो हमारे हाथ में लाठी है जो श्रमिक पर चलाई जा सकती है। तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के बारे में बाद में जोड़े गए उपबन्धों से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। यहां कितनी ही तालाबन्दियां और बंदियां हो चुकी हैं परन्तु क्या किसी मालिक के विरुद्ध आज तक कोई भी कार्यवाही की गई है ? क्यों ? इसीलिए क्योंकि वे सब बड़े लोग हैं। बिड़ला, टाटा, गोइनका, डालमियां और सिन्धिया के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए— उनका तो बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। हमें मालूम हैं कि इस विधेयक का प्रत्येक शब्द श्रमिक विरोधी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पास

जाती है । ज्ञानी जी, आपको मालूम है कि आई० एल० ओ० एक चीज है, जिसकी कांफ्रेंस हर साल जिनेवा में होती है, हर साल गवर्नमेंट का डेलीगेशन वहां जाता है ? इसमें सरकार, नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं । जहां तक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का संबंध है, उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि केवल इंटक से ही लिए जाते हैं । आप तो जानते ही हैं कि उक्त संगठन के अनेक देश सदस्य हैं जहां अनेक श्रमिक संघ होते हैं और वे देश यह सुनिश्चित करते हैं उनके प्रतिनिधि मंडलों में विभिन्न संघों को शामिल किया जाये—किन्तु भारत ऐसा नहीं करता । हमारी सरकार ने उक्त संगठन की अनेक सिफारिशों और करारों पर हस्ताक्षर करके उन्हें स्वीकार कर रखा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही सरकार ऐसे विधान संसद में अपने बहुमत के बल पर बना सकती है जो उन सिफारिशों और करारों के सर्वथा विपरीत है क्योंकि उनमें संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार स्पष्ट रूप से शामिल हैं और इस सौदेबाजी का प्रयोग हड़तालें न करके विवादों को निपटाने के लिए किया जाता है । उसके विफल होने पर ही श्रमिकों द्वारा हड़ताल के अधिकार का प्रयोग किया जाता है । जिनेवा में इन सभी पर हस्ताक्षर करने के बाद यहां आकर वे इस पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं । आप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी हड़ताल विशेष पर तो विचार कर सकते हैं कि क्या उसे अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं ?

मैं यह बात समझ सकता हूं । परन्तु आप एक सामान्य कानून ला रहे हैं और आप सभी प्रकार की हड़तालों पर पूरी रोक लगाना चाहते हैं । यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना मजदूर वर्ग को आपात स्थिति के दौरान भी नहीं करना पड़ा था । इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि इस सभा में आप इस कानून को ला सकते हैं परन्तु बाहर लोग इस कानून की धौंस में नहीं आयेंगे । लोग केवल तमाशे के लिए ही हड़ताल नहीं करते । आप इसका मजाक उड़ाने की कोशिश मत कीजिये । मैं नहीं जानता कि आपने कितनी हड़तालों का नेतृत्व किया है, परन्तु अपने समय में मैंने बहुत सी हड़तालों का नेतृत्व किया है । यदि उन मजदूरों की हालत को देखें जिन्हें कभी कभी तीन, चार या पांच महीने तक हड़ताल करनी पड़ती है और उन दिनों उनके परिवार और उनके बच्चों की हालत को देखें जब उन्हें अपने घर का सामान, अपनी पत्नियों के जेवर और घर के बर्तन बेचने पड़ते हैं तथा खाने और जीने के लिए धन उधार लेना पड़ता है तो आपको पता चलेगा । आप क्या समझते हैं कि लोग केवल तमाशे के लिए ही हड़ताल करते हैं ? (व्यवधान) मेरे विचार में आप पर किसी हड़ताल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती । इसलिए यह विधेयक अनुत्पादक है ।

आचार्य भगवान देव : हड़ताल करो ही क्यों फिर ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विधेयक से आपका यह प्रयोजन कि सभी हड़तालों पर रोक लग जायेगी, पूरा नहीं होगा । श्रमिक वर्ग इस चुनौती का डट कर मुकाबला करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो वे लोग हड़ताल भी करेंगे । यदि इसका अर्थ दमन का सामना करना है तो वे लोग दमन का सामना करेंगे । हम भी दमन का सामना करने के लिए तैयार हैं ।

यह मेरी अन्तिम अपील है। थोड़े दिन पहले जब मैं प्रधान मंत्री से मिला था तो मैंने उनसे इसका जिक्र किया था। आये दिन हमें सीमाओं पर बने खतरे की याद दिलायी जाती है? और सभी को इसकी चिन्ता है। मेरे मित्र, रक्षा मंत्री, यहां मौजूद हैं। हमारे शत्रु हथियार जमा कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि युद्ध होगा परन्तु कोई यह भी नहीं कह सकता कि युद्ध नहीं होगा। यह खतरा हमारे देश के सामने मौजूद है। ऐसे समय में जब हमारे कुछ शत्रु हमारे साथ लड़ाई करने पर आमादा हैं तो हमें अपने देश के अन्दर श्रमिक वर्ग के साथ इस समय लड़ाई नहीं करनी चाहिये। आप श्रमिक वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के बजाय उनके विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर रहे हैं। मेरी मित्र महिला जो वहां बैठती हैं प्रत्येक सप्ताह यह कहती हैं "हम एक नया कानून ला रहे है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करेगा और औद्योगिक संबंधों को एक नई दिशा देगा।" वह विधेयक नहीं लाया जा रहा है। उसके स्थान पर यह लाठी विधेयक, पुलिस विधेयक लाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि नीति संबंधी वह वक्तव्य कहां है जिसका गृह मंत्री द्वारा परिचालित पत्रों में उल्लेख किया गया है कि 7 सितम्बर तक वे विधेयक और नीति संबंधी वक्तव्य को अन्तिम रूप देने में व्यस्त थे। वह हमारे समक्ष नहीं लाया गया है। क्या वह वक्तव्य भी गृह मंत्रालय तैयार कर रहा है? यदि वह वक्तव्य मजदूरों की शिकायतों और विवादों के शीघ्र निपटारे के संबंध में है तो यह काम श्रम मंत्रालय का होना चाहिये। मुझे पता नहीं कि क्या अब यह काम गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है। हमने उस वक्तव्य को अभी तक नहीं देखा है। वह तो केवल एक वक्तव्य है, कोई विधान नहीं।

मेरे विचार में उनके इस कार्य के देश, सरकार और देश में औद्योगिक शांति के लिए गम्भीर परिणाम होंगे। मैं आशा करता हूं कि वे इस पर पुनः विचार करेंगे और इसे अपने बहुमत के बल पर जल्दबाजी में पास करने की कोशिश नहीं करेंगे। वे इसे पास कर सकते हैं परन्तु इसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं उन्हें यह चेतावनी देना चाहता हूं। इसलिये हम इस विधेयक के पुनःस्थापन का विरोध करते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं इस विधेयक के पुनःस्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि यह अलोकतंत्री और असंवैधानिक विधेयक है।

इस सरकार को श्रमिकों को धोखा देने तथा उन्हें सताने की आदत है। हम लम्बे अर्से से इसे देखते आ रहे हैं। उन्होंने एक बार बोनस दिया था। परन्तु आपात स्थिति के दौरान इसे वापस छीन लिया गया।

आचार्य भगवान देव : आप यह बताईये कि आपने पार्टी को धोखा दिया था या नहीं? हमारी पार्टी को धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया।

श्री हरिकेश बहादुर : कृपया आचार्य भगवान देव से कहिये कि बीच में टोकाटाकी न करें। वे आचार्य हैं, भगवान हैं और देव हैं। वे इन तीनों को मिलाकर एक हैं। वे एक साधारण आदमी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिमूर्ति ।

श्री हरिकेश बहादुर : अनुच्छेद 19 (ग) में कहा गया है :

"सभी नागरिकों को संस्था या संघ बनाने का अधिकार होगा ।"

यदि यूनियन बनाई जाती हैं तो इन यूनियनों को कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं । यदि यह विधेयक पास कर दिया गया तो यूनियनों की गतिविधियों पर रोक लग जायेगी । इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी यूनियन बनाना पसंद नहीं करेगा । यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो इससे संविधान के अनुच्छेद 13 (2) का उल्लंघन होगा जिसमें कहा गया है :

> "राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस मार्ग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।"

यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो कोई भी यूनियन नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि यूनियन की गतिविधियों पर रोक लग जायेगी । अतः अन्ततः यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 (ग) का उल्लंघन करता है जोकि एक मूल अधिकार है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यूनियन की गतिविधियां क्या हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : यदि सामूहिक सौदेबाजी के जरिये उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया जाता तो वे आन्दोलन करेंगे जिस पर रोक लगा रहे हैं । इसका मतलब यह हुआ कि आप नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । क्या इस सभा के पास ऐसी शक्ति है ? यदि यह विधेयक पास कर दिया गया तो यह कार्य मूल अधिकारों के प्रतिकूल होगा । इसका मतलब यह हुआ कि यह इस सभा की विधायी क्षमता से बाहर है । जब यह मामला इस सभा की विधायी क्षमता से परे है तो सरकार इस विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए इसे सभा के समक्ष कैसे ला सकती है । इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह एक असंवैधानिक विधेयक है । इसलिए इसका पूर्णतया विरोध किया जाना चाहिये अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बंडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे अच्छे मित्र, सरदार साहिब, को यह कार्य क्यों सौंपा गया है क्योंकि जो लोग इस विधान के वास्तविक निर्माता हैं वे तो आज सभा में उपस्थित नहीं हैं । ये लोग प्रधान मंत्री को और सभा को श्रमिकों के प्रति इस तथाकथित नये दृष्टिकोण के सम्बन्ध में सलाह दे रहे थे और अब वे इस विधेयक को सरदार साहिब को सौंप कर गैर-हाजिर हो गये हैं ।

सरदार साहिब एक बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं । परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इससे सरकार के श्रमिक वर्ग के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है । मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि यह एक पुलिस विधेयक है, श्रमिक विधेयक नहीं ।

मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं, क्योंकि यह संविधान में वर्णित मूल अधिकारों पर आक्रमण है और यह उन सभी मूल्यों पर आक्रमण है जिन पर हमारा स्वतंत्रता संग्राम आधारित था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम दरिद्र नारायण के लिए लड़ाई लड़े थे। हम किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। नागपुर में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "इस देश की आजादी का अर्थ बिड़ला और टाटा की आजादी नहीं होगी। इस देश की आजादी का अर्थ आपके अधिकारों को अर्थपूर्ण ढंग से समझना होगा और इन अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार आपको प्राप्त होगा।" हमारी स्वतंत्रता की यह कल्पना की गई थी। परन्तु आज हम कहां हैं ?

जब यह सरकार अपने भारी बहुमत के बल पर सत्ता में आयी थी तो उसने पिछली सरकार की आलोचना की और कहा कि वे लोग श्रमिक विरोधी नीति अपना रहे थे। परन्तु सत्ता में आने के बाद यह सरकार अब क्या कर रही है ? यह सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकारियों और इस देश में श्रमिक वर्ग का खून चूसने वाले लोगों के इशारे पर चल रही है।

इस विधान की पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है। एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था। इस वर्ष उस सम्मेलन को भी समाप्त कर दिया गया और सरकार ने श्रमिक वर्ग को यह विधान उपहारस्वरूप दिया है। यह विधेयक विचारों के दिवालियेपन और हमारी अर्थव्यवस्था को समझने में पूर्ण असमर्थता का परिचायक है।

अतः मैं कहूंगा कि इसे सरदार साहिब को ठीक ही सौंपा गया है क्योंकि वे अपने मंत्रालय की जरूरतों से अधिक कोई बात नहीं समझते।

सरकार के वक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है तो मानव-दिवस की हानि रोकनी चाहिये। अन्य व्यक्तियों की तरह मैं भी गैर-जिम्मेदार कामिक संघवाद के विरुद्ध हूं। पर मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कार्य-दिवस हानि के नवीनतम अध्ययन के अनुसार 1968-75 की अवधि में कार्य-दिवस हानि के बावजूद भी औद्योगिक उत्पादन और मुनाफे में वृद्धि हुई है।

दूसरे, यह कि संगठित श्रमिक वर्ग की वास्तविक आय में 1968 से 1975 के दौरान 28 प्रतिशत की कमी हुई है। निगमित लाभ में तो वृद्धि हुई है लेकिन श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है। क्या विधेयक के लक्ष्य में इन्हीं चिन्ताजनक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। इस वर्ष भी सभा में उत्तर देते हुए माननीय श्रम मंत्री ने बताया है कि 1979 में 43.85 मिलियन कार्य दिवस की हानि हुई, जबकि 1980 में यह कम होकर 21.93 मिलियन रह गई। क्या सरकार के ध्यान में यही चिन्ताजनक प्रवृत्तियां आई हैं जिनके कारण यह क्रूर विधान लाया गया है। कार्य दिवस की हानि में 49.9 प्रतिशत की कमी होने के बाद उन्होंने इस विधान का सहारा लिया है। लेकिन जैसाकि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी कहा कि देश में कुछ चिन्ताजनक प्रवृत्तियां हैं। आपको उनका पता ही है। एक प्रवृत्ति तो यह है कि 1975 तक जिन

नीतियों का पालन किया जाता था उन्हें शीघ्रता से उलटा जा रहा है। ये नीतियां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और विश्व बैंक के बारे में अर्थात बहुराष्ट्रीय निगमों और देश में एकाधिकारियों के संबंध में हैं।

मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन बन्द कमरों में कुछ बातचीत चल रही हैं। दुर्भाग्य से वित्त मंत्री यहां नहीं हैं। उन्हें हमें इस बात-चीत के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने जोर-जोर से कहा है कि कोई शर्त नहीं रखी गई है। लेकिन हमें पता है पिछले 30 वर्षों से, जहां तक इन संस्थानों का संबंध है, क्या-क्या शर्तें लगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह है कि उद्योग मंत्रालय भारी मात्रा में गैर-सरकारी विदेशी निवेश के लिए तैयारी कर रहा है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, 6 वज चुके हैं, अब हम कल चर्चा जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि आप सुबह उपस्थित थे। पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि 6 बजे के बाद चर्चा जारी रहेगी। सभा इस बात से सहमत है (व्यवधान) आप उन्हें बोलने दीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सभा निर्णय ले सकती है कि समय बढ़ाया जाये अथवा नहीं। सभा ने समय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं। गृह मंत्रालय संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री वेंकटसुब्बैया द्वारा अनुरोध करने पर सभा में यह घोषित किया गया था कि चूंकि इस विधेयक पर अधिक समय लगेगा अत: सभा इस प्रस्ताव को निपटाने के लिए 6 बजे के बाद भी जारी रहेगी।

एक माननीय सदस्य : कब ऐसा किया गया ? (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : इससे यह साबित होता है कि ये लोग सीरियस नहीं हैं और अखबारों के जरिये सस्ती पब्लिसिटी चाहते हैं। इन सबको बैठना पड़ेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मध्याह्न भोजन से पहले निर्णय लिया गया। श्री उन्नीकृष्णन आप जारी रखें (व्यवधान) आप कार्यवाही को पढ़ सकते हैं। मध्याह्न भोजन से पूर्व निर्णय लिया गया था कि सभा 6 बजे के बाद जारी रहेगी। श्री उन्नीकृष्णन, आप जारी रखें। (व्यवधान) एक ओर तो सभी सदस्य बोलना चाहते हैं, दूसरी ओर वे इतने तकनीकी मुद्दे उठा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हम कल चर्चा जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, सभा चलती रहेगी। (व्यवधान) कृपया बैठिए, हमने सभा जारी रखने का निर्णय लिया है। (व्यवधान) यह सम्भव नहीं।

श्री पी० के० कोडियन : किसने निर्णय लिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लिया गया था कि सभा को 6 बजे के बाद जारी रखा जाए । (व्यवधान) मैं आपको गलत बात नहीं बता सकता । मैं गलत वक्तव्य नहीं दे सकता । सभा 6 बजे के बाद भी बैठेगी । (व्यवधान) एक बार मैं एक व्यक्ति बोले विपक्ष में कोई तालमेल नहीं ।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस चर्चा को आगे चलवाइये, इनको हाउस में बैठना पड़ेगा । ये मजदूरों के हितैषी बनते हैं, लेकिन यहां बैठना नहीं चाहते हैं···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब मैं बोला था तो आपने देखा होगा कि मैंने तकनीकी बातें उठाई थीं । आपको आत्म नियंत्रण रखना चाहिए । यदि तकनकी बातें महत्वपूर्ण और सभा की कार्यवाही को प्रभावित करती हैं तो उन्हें उठाते हुए मैं नियमों का पालन कर रहा हूं । क्या आप पीठासीन अधिकारी होने के नाते मुझे इन तकनीकी मामलों को उठाने से रोकेंगे ।

प्रश्न यह है कि यह न केवल तकनीकी किन्तु सार्थक बात है कि क्या सभा का समय बढ़ाया गया है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हू कि यह निर्णय पहले ही ले लिया गया है । सभा की बैठक चलती रहेगी (व्यवधान) मैं सभा की भावना जानना चाहता हूं कि क्या सभा 6 बजे के बाद भी चलती रहेगी । (व्यवधान) सभा की बैठक तो जारी रहेगी (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब आपने सभा की भावना की बात कही है तो उसकी जानकारी लेनी चाहिए थी । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक चलती रहेगी । सभा की भावना का पता चल गया है । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : केवल सत्ताधारी दल ही सभा की बैठक जारी रखना चाहता है इसका अर्थ सभा की भावना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज मध्याह्न भोजन के लिए उठने से पहले मैंने सभा से पूछा था और सभा सहमत हुई थी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे खेद है महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा में अधिक समय लगेगा । सभा की बैठक चलेगी । (व्यवधान) श्री उन्नीकृष्णन, मुझे सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए । विपक्ष के 43 सदस्यों में से सभी बोलना चाहते हैं लेकिन आप 6 बजे के बाद बैठने को तैयार नहीं । ऐसा कैसे चल सकता है । श्री उन्नीकृष्णन अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कृपया सभा का समय न खराब करें । मैंने श्री उन्नीकृष्णन् से कहा है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सभा में यह सामान्य प्रथा है । पर जब आपने सभा की भावना का पता लगाकर कहा है कि बैठक 6 बजे के बाद भी जारी रहेगी तो आपने यह नहीं बताया कि कब तक जारी रहेगी । आपने समय का निर्णय नहीं लिया । यह अनिश्चित काल के लिये नहीं चल सकती (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक का समय बढ़ा दिया गया है; सभा जारी रहेगी । श्री उन्नीकृष्णन, आप अपना भाषण जारी रखिए । सभा जारी रहेगी । (व्यवधान) कोई भी बात रिकार्ड मत कीजिए । (व्यवधान)* मैं आपको अधिक समय देना चाहता हूं । मैं उन सभी सदस्यों को बुला रहा हूं जो बोलना चाहते हैं । यदि आप सहयोग नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान) पहले आप सभी अपनी सीट पर जाइए । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । हमने भोजन काल से पूर्व ही एक निर्णय ले लिया है । आप सभा में नहीं थे । यह कार्यवाही में रिकार्ड किया गया है । आप अपने साथियों से पूछिए । श्री उन्नीकृष्णन भाषण जारी रखेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने यह काफी स्पष्ट कर दिया है कि हम इस सम्बन्ध में सहयोग नहीं दे सकते क्योंकि वे पूरे कामगार समूह के अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं । हम सहयोग करने से इन्कार करते हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर है । मैं आपसे सहयोग का अनुरोध करता हूं । हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । मुझे मिलाकर हम सभी स्कूली बच्चे नहीं हैं । भारत के कामगार समूह को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं । हम उस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय कामगारों के समूह के भविष्य को प्रभावित करेगा । आप सभा का समय नहीं बढ़ाना चाहते । मैं इसके विषय में आपकी गम्भीरता को समझ सकता हूं । श्री उन्नीकृष्णन अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री एन० के० शेजवलकर : हम किस समय तक बैठेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : भोजन काल से पूर्व निर्णय ले लिया गया है और अब सभा की इच्छा है कि सभा जारी रहेगी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सभा की नहीं, सत्ताधारी दल की इच्छा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही पढ़िए । मध्याह्न भोजन से पहले निर्णय लिया गया था उस समय आप सभा में नहीं थे । (व्यवधान) विपक्ष में तालमेल नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने यह नहीं बताया कि समय कब तक बढ़ाया गया है ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक चलती रहेगी ।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या यह अनिश्चित काल के लिए चलेगी ? क्या यह आपका निर्णय है । मैं स्पष्टीकरण के लिए पूछता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ समय बाद यह पूछिए ।

श्री एन. के. शेजवलकर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सभा ने क्या निर्णय लिया है । हम निसन्देह 6 बजे के बाद बैठेंगे लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि कब तक बैठेंगे । क्या यह 12 बजे तक बैठेगी या सवेरे 4 बजे तक । जो भी निर्णय हो आप स्पष्ट कर दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । मध्याह्न भोजन से पहले सवेरे—यह कार्यवाही सारांश में भी है—यह निर्णय लिया गया था कि हम विधेयक के पुर:स्थापन का कार्य पूरा कर लेंगे । और उसके बाद हम 377 लेंगे और आज अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पूरी कर लेंगे । सवेरे यही निर्णय लिया गया था । अब श्री उन्नीकृष्णन ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप कहते हैं कि मध्याह्न भोजन से पहले । कभी कहते हैं सवेरे । हम सवेरे भोजन नहीं करते ।

उपाध्यक्ष महोदय : सवेरे का अर्थ है दोपहर से पहले । आप प्रोफेसर हैं । मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता । (व्यवधान) हम 377 लेंगे और माननीय सदस्य प्रतीक्षारत हैं । हम बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । उन्हें अनुपूरक मांगों पर चर्चा की प्रतीक्षा है आप समय नष्ट कर रहे हैं । अब श्री उन्नीकृष्णन ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन और उत्पादकता के लक्ष्यों को बढ़ाने के स्थान पर, जिसे आप सर्वांगीण राष्ट्रीय कल्याण और जनकल्याण कहते हैं के स्थान पर क्या आप फिर से श्रमिक वर्ग से संघर्ष की बात नहीं कर रहे हैं । इससे देश में ऐसी स्थिति आ जाएगी जो उत्पादन, राष्ट्रीय भलाई और जन-कल्याण पर विपरीत प्रभाव डालेगी । लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह इस विधान के परिणामों से नहीं बच सकती । इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे और उसके बोझ तले आप भी दब जायेंगे ।

मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की मुखालफत में खड़ा हुआ हूं और इसलिए इसकी मुखालफत कर रहा हूं कि यह कांस्टीच्युशन के आर्टिकल 13, 14, 10 और 43 इनकी खिलाफवर्जी में हैं । अगर आप कांस्टीच्युशन का प्रिएम्बल पढ़ें तो इसमें लिखा है—

"हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,···प्राप्त करने के लिए···दृढ़ संकल्प होकर···।"

यह हमारी डेमोक्रेसी, हमारी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का मकसद है कि हमें यहां इकोनोमिक और सोशल जस्टिश लाना है। उसकी वजह से वर्कर्स अगर स्ट्राइक करते हैं तो आप लोग उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप इस प्रिएम्बल के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक तो मैं इस प्वाएंट पर इसको अपोज करता हूं।

दूसरे जो अशेंशल सर्विसिज आपने बतायी हैं, उनकी आर्टिकल 14 के मुताबिक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। आपने अशेंशल और नान-अशेंशल को किस ग्राउण्ड्स पर अलग-अलग किया है, यह नहीं बताया। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप केवल विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन वह तो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैं तो पहले ही यहां हूं।

श्री रशीद मसूद : आपने अशेंशल और नान-अशेंशल सर्विसिज में डिस्क्रिमिनेशन इन्क्लुड किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जिन सर्विसिज को अशेंशल बताया है उनकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। आपने जिन सर्विसिज को अशेंशल में इन्क्लुड किया है, इसका मतलब यह है कि आप उनका हक छीनना चाहते हैं। उन सर्विसिज में जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका हक छीनना चाहते हैं कि उनके एम्प्लायर चाहे वह गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो अगर उनके साथ ज्यादती करने लगें तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहे। आप यह हक छीन रहे हैं इस बिल के तहत। इस बिल को हमारे साथियों ने काला बिल कहा है, यह बिल्कुल सही है, बल्कि यह तो ऐसा बिल है जो सारे हिन्दुस्तान को काला कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लाज 2. (1)-(ए) और क्लाज 2. (ए)-(1) में देखिए। इसमें कहा गया है कि "शासन को अधिकार होगा कि वह जिस सर्विस को भी आवश्यक समझे उसे एशेंशियल डिक्लेयर कर दे।" मैं समझता हूं कि इस प्रकार से बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। इतने पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं देने चाहिएं कि वे जिस सर्विस को चाहें एसेंशियल-सर्विसेज डिक्लेयर कर दें। बगैर पार्लियामेंट की स्वीकृति के। मेरे ख्याल से यह अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को ही होना चाहिए। इस प्रकार यह बिल पार्लियामेंट के पावर को भी एक्सीड करता है।

तीसरी बात जो अभी कही गई है कि जो हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड से लोन मिल रहा है, उसका प्रेशर हमारे ऊपर है, जिसको गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती है। 26 जुलाई को इस आर्डिनेंस को लाने की क्या जरूरत थी, जबकि 17 अगस्त को पार्लियामेंट शुरू होने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रेशर ज्यादा आ रहा था और हम दिखाना चाहते थे कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए यह आर्डिनेंस जारी कर दिया गया, ताकि लोगों पर जाहिर किया जा सके कि हमारे यहां कोई स्ट्राइक नहीं होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसलिए आप हमें ऋण दे दें।

इन सब बातों को देखते हुए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बताना चाहता हूं कि यह बिल गृह-युद्ध लाने वाला बिल है। आज हमारे घर में हर तरफ से गड़बड़ी है और शासन का दिवाला निकलने वाला है, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है।

जो आदमी काम करने वाले हैं, जिनके हाथों में देश की संपत्ति बनती है, देश का निर्माण होता है, उन लोगों को सजा देने के लिए, उन्हें जेलों में डालने के लिए यह बिल लाया जा रहा रहा है। इस बिल के लागू होने के बाद समूचे हिन्दुस्तान में गृह-युद्ध की संभावना को हम पैदा कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और मुझे विश्वास है कि इसका विरोध करने के लिए हमारे साथ, हमारे दल के साथ पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आप अकेली महिला सदस्य हैं जो विरोध कर रही हैं इसलिए मैंने आपको अनुमति दी है, किसी दल की दृष्टि से नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री तिरकी ने कहा है कि सारा देश विधेयक का विरोध करेगा। इसीलिए स्वाभाविक है कि जब मैं दिल और आत्मा से देश से जुड़ी हुई हैं तो मैं विधेयक के पुर:स्थापन्न का विरोध करती हूं। इस तथ्य को देखते हुए कि गृह मंत्री इधर-उधर भाग रहे हैं और अपने स्थान पर कभी एक कभी दूसरे को भेजते हैं. इस विधेयक को लाने और उसकी बाद की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि सरकार स्वयं ही विधेयक के बारे में निश्चित नहीं है। अन्यथा उन्होंने इसे बहुत पहले पुर:स्थापित कर दिया होता। पुर:स्थापित करने में उन्हें इतना समय लगा और उसके बाद भी वे निश्चित नहीं हैं कि वे क्या कर सकते हैं इसीलिए शायद वह भाग रहे हैं। मेरे विचार से इस अन्तिम क्षण में भी उन्हें यह स्पष्ट तथ्य जान लेना चाहिए और वे इस बारे में सोचें कि तालाबन्दी आदि संबंधी खंड उदार क्यों रखा गया है। और वह देखें कि देश में क्या हो रहा है। लोकतंत्र को जीवित रखने वाली सभी शक्तियां एक जुट हो रही हैं। और महिला शक्ति भी उनमें एक बड़ी शक्ति होगी।

इन सबके साथ मैं अनुभव करती हूं कि वह कुछ गरिमा दिखाएं और सभा का समय नष्ट न करते हुए विधेयक को पुर:स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव वापस ले लें। अन्यथा हमें लड़ना होगा और उन्हें इस विधेयक को पास कराने का अवमान सहना होगा लेकिन सत्ताधारी दल इसका काले नाग रूपी विधेयक को पास करके और राष्ट्र के सिर पर लादकर सत्ताधारी दल नहीं रह सकता।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : मजदूरों के हिमायती जो बनते थे
वे अब बेनकाब हो गए हैं
जिस हाथ को उनकी बात पर मजबूत उनाया था
उसी हाथ ने मेहनतकशों को बेबस बनाया है।

इस बिल को लाकर हमारे गृह मंत्री क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो यह कहा जाता

है कि बन्धुआ मजदूरी की प्रथा को हम खत्म करना चाहते हैं, उनको मुक्त करना चाहते हैं और दूसरी ओर इस बिल को लाकर क्या हमारे गृह मंत्री या श्रम मंत्री कह सकते हैं कि वे इस प्रथा को खत्म कर देंगे ? मैं तो समझता हूं कि आम कर्मचारी, आम मेहनतकश को बन्धुआ मजदूर बनाने की यह साजिश की गई है और आने वाले समय में इसके परिणाम देश के लिए अच्छे नहीं होंगे ।

इस बिल की धाराओं को, इसके उपबन्धों को आप देखें, उनको आप पढ़ें । धारा 2 में यह कहा गया है कि—अतिकालिक यानी ओवर टाइम करने वाले जो लोग हैं उनको आप बाध्य कर सकेंगे कि वे ओवर टाइम पर काम करें । अगर वे नहीं भी चाहेंगे तो भी उनको आप बाध्य कर सकेंगे ऐसा करने के लिए । क्या यह उनको स्वतंत्रता दी जा रही है । क्या यह प्रजातंत्र की हिमायत करने की बात हो सकती है ?

धारा 9 को आप देखें । इसमें बदली या आकस्मिक कर्मचार का जिक्र किया गया है । हड़ताल या तालाबन्दी का किसी को भी हक नहीं दिया जाएगा । लेकिन इन लोगों की छंटनी करने की सुविधा दे दी गई है बदली या आकस्मिक कर्मकारों की छंटनी की जा सकती है, इसकी छूट दी गई है । जहां अन्य कर्मचारियों के लिए सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है वहाँ यह सुरक्षा आकस्मिक या बदली कर्मकारों को नहीं दी गई है ।

धारा 10 को आप देखें । इसमें बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने के अधिकार दिए गए हैं । मैं पूछना चाहता हू कि क्यों आप हिन्दुस्तान में जंगल का कानून लागू कर रहे हैं ? बिना वारेंट के कोई भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकेगा । यह जंगल का कानून नहीं तो और क्या है ?

इसके बाद औद्योगिक अधिनियम 1947 धारा 12 के अन्तर्गत प्रभावहीन हो जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा । क्या मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं ? आपको चाहिए था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंज को अच्छा बनाने की खातिर आप कोई और अच्छी व्यवस्था करते । लेकिन ऐसा आपने नहीं किया है । आपने श्रम मंत्रालय को इसके अन्तर्गत छोटा दर्जा दिया है, नीचे का दर्जा दिया है । उसको आप दबा रहे हैं । मैं नहीं समझता हूं कि श्रम मन्त्री जी ने वास्तव में मन से इस बिल के लिए अपनी सहमति दी होगी । वह नहीं चाहते होंगे मन से कि इस तरह का कानून लाया जाए और मजदूरों के विरुद्ध काम किया जाए ।

"जुल्म जब-जब बढ़ता है
लहरों का दरिया में तूफान आता है,
लहरें मचल उठती हैं,
किनारे टूट जाते हैं ।"

इस बिल को लाकर आपने बहुत ही गलत काम किया है, अपने आपको आपने बेनकाब कर दिया है, आप बदनाम हो जाएंगे । मजदूरों को गुलाम बनाने वाला जो बिल पेश किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हम जानते हैं कि विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाले लाखों श्रमिक और कर्मचारी हड़ताल में भाग लेने के लिए ही हड़ताल नहीं करते । लेकिन जब वे अध्यादेश लाये हैं और आज यह विधेयक लाये हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार को देश के यह श्रमिक वर्ग में विश्वास नहीं । क्योंकि जैसाकि अन्य वक्ताओं ने कहा है आर्थिक क्षेत्रों में तथा अन्य सभी क्षेत्रों में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है । वे मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति को नहीं रोक पाये हैं और श्रमिक वर्ग, किसान तथा अन्य सभी लोग अशांत हैं । वे कुछ करना चाहते हैं इसी वजह से यह अलोकतांत्रिक, श्रमिक विरोधी तथा जनविरोधी काला विधेयक लाया गया है । इन दमनकारी उपायों से हमें अंग्रेजी शासन की याद हो आती है । उस समय उन्होंने अनेकों अधिनियमों में बिना वारन्ट और संक्षिप्त विचारण आदि के बिना गिरफ्तार किए जाने की व्यवस्था की थी । इसलिए उन्होंने यहां भी इस विधेयक के खण्ड 2 में आवश्यक उद्योगों को शामिल किया । यदि आप खण्ड 2, उपखण्ड (आठ) को देखें तो आप स्पष्टीकरण में देखेंगे कि :—

> "इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए "औद्योगिक उपक्रम" और "अनुसूचित उपायों" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 के खण्ड (घ) और खण्ड (झ) में है;"

इस प्रकार खण्ड (2) में उन्होंने विभिन्न उद्योगों और फर्मों का उल्लेख किया है । परन्तु यहां उन्होंने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के खण्ठ 3 का उल्लेख किया है । मेरे पास एक सूची है । क्या मैं उसे पढ़ूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । इसे पढ़ा माना जा सकता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यहां सभी उद्योगों को शामिल किया गया है । इस प्रकार वे श्रमजीवी वर्ग द्वारा हड़ताल किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि देश का श्रमिक वर्ग इस काले विधेयक को सहन नहीं करेगा । अनेकों सदस्य इस पर बोल चुके हैं । मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह एक दमनकारी विधेयक है ब्रिटिश सम्राज्यवादियों का तथा इससे श्रमिक वर्ग को कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी । यह एक जनविरोधी विधेयक है तथा श्रमिक वर्ग इसे सहन नहीं करेगा ।

यह अलोकतांत्रिक, श्रमिक विरोधी और काला विधेयक है और कठोर विधेयक है । यह हमें ब्रिटिश काल की याद दिलाता है । यह अघोषित आपातकाल ही है और एक ही घराने के राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है । देश का श्रमिक वर्ग इसे सहन नहीं करेगा तथा वे इसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे । लोग एक दिन प्रबल आन्दोलन करेंगे तथा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे । इसलिए मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का घोर विरोध करता हूं तथा गृह मंत्री से इसे तुरन्त वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का कड़ा विरोध करता हूं तथा इस पेश करने वाली सरकार पर क्रोध प्रकट करता हूं । सरकार बाहर लोगों

से उनका सक्रिय सहयोग मांगती है और यहां यह विधेयक पेश करती है, जो उन्हें गुलाम बना देगा । श्रीमन्, मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं । मैं इसका विरोध करने में, उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ हूं, जो खेती, कारखानों और दफ्तरों में काम करते हैं क्योंकि इससे भारत के श्रमिक वर्ग को गुलामी में जकड़ा जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि आप सहयोग कर रहे हैं । उनका कहना है कि सभा में उनका भारी बहुमत है और हमारी तर्क सगह बात को अपने कुतर्क से उड़ा देंगे ।

मैं यह मानता हूं कि विधेयक पास होगा । परन्तु मैं कहता हूं आपको लोगों का भारी जन मत प्राप्त नहीं है । आप अल्प मत में हैं । आपको केवल 44 प्रतिशत मत मिले हैं । और इसके बावजूद आप संविधान की मूल भावना को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं । सविधान एक व्यक्ति अथवा श्रमिक लोगों को संयुक्त सौदेबाजी करने के अधिकार देता है, अथवा दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो वह हड़ताल का अधिकार भी देता है । "सत्यमेव जयते" का नारा लगाने वाली इस सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि आप टाटा और बिड़ला जैसे लोगों को, जो मिल बन्द कर लाखों लोगों को भूखा मार सकते हैं, कुछ भी क्यों नहीं कह रहें हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : टाटा और बिड़ला सभा के सदस्य नहीं हैं । अतः आप उनके नाम का उल्लेख न करें ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जब आप बाद में लोगों के बहुमत का समर्थन प्राप्त करना चाहेंगे तो यह न सोचें कि इतिहास आपको क्षमा कर देगा । संविधान की विशेषताओं में नहीं जाना चाहता और जबकि आप संविधान को समाप्त करने ही जा रहे हैं । मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि यदि आप इस कर्मचारी विरोधी विधेयक को पास करते हैं तो भी आप इसे पुलिस के बड़े बल के बावजूद लागू नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप हमसे हमारी रोटी और स्वतंत्रता छीन रहे हैं जिसके लिए हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और बाद लड़ते रहे हैं । क्या आप यह बता सकते हैं कि नजरबन्द निरोधी और अन्य कठोर कानूनों के बिना आप देश का राज्य क्यों नहीं चला सकते ? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार और संस्था बनाने की स्वतंत्रता होगी और आप सत्ता में आने पर उसी स्वतंत्रता को समाप्त कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं गृह मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे चुनाव से पहले से लोगों से की गई प्रतिज्ञा को पढ़ें । प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने कहा था "मुझे आपातकाल के लिए खेद है मैं कान पकड़ती हूं ।" अब क्या हो रहा है । आपने यह सब केवल वोट लेने के लिए किया । अब सत्ता में आने के बाद आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको सत्ता दिलवाई । चुनाव के दौरान आप उनकी स्वतंत्रता को समाप्त करने की बात कहने की हिम्मत करते । परन्तु अब आप उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विश्वास है ..

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं 'कान पकड़ती हूं,' यह गलत बात है, इसको

प्रोसीडिंग्ज से हटाया जाये चूंकि यह असत्य, आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, अब वे लोग ये विधेयक लाये हैं क्योंकि वे अपने आकाओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मिल सके।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उन्हें ऐसा कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हम इस देश के सम्मानित लोग हैं और किसी भी अन्य देश से नहीं डरते, हम अपने देश के स्वयं मालिक हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, मेरा कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और रीगन प्रशासन यह बात पहले कह चुका है कि हम अविकसित और विकासशील देशों को सहायता तभी प्रदान करेंगे जब वे हमारे बताये हुए रास्ते पर चलें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस समय कोई बड़ा राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते। आपको अपने भाषण को विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने तक ही सीमित रखना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या : मैं माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान नहीं पैदा करना चाहता। लगता है वे भाषण की रौ में बहे चले जा रहे हैं। यह अवसर यह सब कहने का नहीं है। उन्हें केवल विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने के संबंध में ही बोलना चाहिए। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उन्हें और बहुत से अवसर मिलेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि उन्हें मेरे शब्द भले नहीं लग रहे हैं और इसी कारण जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका वह विरोध कर रहे हैं। क्या मैं उनसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछूं ? कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि पर रोक लगाने के लिए वे ऐसा बड़ा विधेयक क्यों नहीं लाते ? वे ऐसा इस कारण नहीं करना चाहते क्योंकि वे चोर-बाजारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। आप हमेशा उनके प्रति उदार रवैया अपनाते रहे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि टाटा और बिड़ला की ओर आंख उठाकर भी देखने का आप में साहस नहीं है। इस प्रकार का क्रूर विधेयक आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही ला रहे हैं। अतः अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। परन्तु श्रमिक वर्ग इसका प्रत्येक फर्म, फैक्टरी, कार्यालय, उद्योग तथा देश भर में विरोध करेगा। आपने चुनौती दी है और लोगों ने इसे स्वीकार किया है। कल पश्चिमी बंगाल में एक बड़ी हड़ताल होगी। उससे अगले दिन देश भारत भर में हड़तालें होंगी। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : अगर सत्तारूढ़ पार्टी हड़ताल करती है तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वेस्ट बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इस क्रूर विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। यह श्रमिक विरोधी विधेयक है। यह देश के लोगों के हितों के विरुद्ध है। इससे देश के

करोड़ों मेहनतकश लोग हमेशा के लिए गुलाम बनाए जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं, धन्यवाद।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के इन्ट्रोडक्शन का जोरदार विरोध करता हूं। महाभारत की एक कहानी है कि जिस समय द्रौपदी का चीर-हरण हो रहा था, तब वहां पर दुर्योधन के पक्ष का बहुमत था, और जो बड़े-बड़े पंडित वहां बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने उसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी के चीर-हरण का नतीजा यह हुआ कि दुर्योधन का सर्वनाश हुआ और पांडवों की जीत हुई।

• सरकार यह जो कानून बनाने जा रही है, वह पूरे मजदूर वर्ग और हिन्दुस्तान की जनता के लिए एक भयंकर कानून है। आज एक काला दिन है, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में, मजदूर वर्ग के आन्दोलन के इतिहास में घृणा से याद किया जाएगा। सरकार अपनी ब्रूट मैजारिटी के कारण यह भूल गई है कि विवेक से काम लेना चाहिए। मजदूर वर्ग ने सारी दुनिया में संघर्ष करके जो अधिकार पाया है, सरकार ने इस कानून के जरिये उस अधिकार को छीनने का काम किया है। इसलिए यह कानून न केवल मजदूर और किसान विरोधी है बल्कि यह कानून देशद्रोही है क्योंकि देश का मतलब यह नहीं होता कि इस हाउस में आपका बहुमत होता हो, देश का मतलब होता है कि मजदूरों और किसानों को उनका हक दिया जाए। आप किसानों को उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनको रेम्युनरेटिव प्राइस नहीं दे रहे हैं, मजदूरों का हड़ताल का हक छीन ले रहे हैं। उनके अन्दर आप एक घृणा की भावना पैदा कर रहे हैं। आपने देख लिया कि यहां पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया था, केरल में किया था और कल वेस्ट बंगाल में करने जा रहे हैं। यह लड़ाई खेतों और खलिहानों में होगी, तमाम देश में होगी। मजदूर और किसान दोनों मिलकर इसका मुकाबिला करेंगे। इस कानून को वह लोग फेंक देंगे और उसके साथ ही आपको भी। इसीलिए मैं इस कानून का विरोध करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को आप खत्म कीजिए, इसे लाइए मत, बिल को वापस ले लीजिए और विवेक से काम लीजिए। देश के लिए, समाज के लिए और आपके लिए यह लाभकारी नहीं है। सोचिए फिर से और सोचकर इस कानून को वापस लीजिए। इसका मैं जोरदार विरोध करता हूं और एलान करता हूं कि सारा मजदूर वर्ग इसका विरोध करने के लिए तैयार है, करेगा और करके कामयाबी हासिल करेगा।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं इस जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी और श्रमिक विरोधी विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। ऐसा करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन में यह कहा गया है कि देश में कुछ अशांति फैली हुई है। मैं नहीं समझता कि सरकार के मस्तिष्क में वह कौन सी बात है जिसके कारण उसे लगता है कि अशांति का वातावरण है। जहां तक हम समझते हैं औद्योगिक संबंधों में किसी प्रकार की अशांति नहीं है। परन्तु देश की अर्थ व्यवस्था में अवश्य अशांति है। और वे देश के समूचे श्रमिक वर्ग को आर्थिक क्षेत्र की अशांति के कारण पैदा हुई प्रतिकूल स्थिति में डालना चाहते हैं, जबकि वे लोग मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति समेत अनेकों कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। इन परिस्थितियों में यह समुचित होगा कि श्रमिक वर्ग अपने ऊपर किए गए इस बार के विरुद्ध खड़ा हो

जाये। अतः वे उनके आन्दोलन को दबाने वाले इस क्रूर कानून का विरोध करने के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं। इसके विरोध में देश का श्रमिक वर्ग कन्धे से कन्धा मिलाकर उठ खड़ा होगा। मैं एक बार फिर इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का कड़ा विरोध करता हूं।

श्री अमर राव प्रधान (कूच बिहार) : श्रीमन्, मैं अपनी पूरी शक्ति से इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं। यह एक क्रूर, काला श्रमिक विरोधी, अलोकतांत्रिक और जनविरोधी विधेयक है। जबकि हड़तालों और बेकार जाने वाली दिहाड़ियों में कमी हो रही है तब मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विधेयक को लाने का क्या औचित्य है। उपाध्यक्ष महोदय, एक कार्मिक संघ नेता होने के नाते इस विधेयक में कुछ औचित्य नजर आ सकता था, यदि इस विधेयक का नाम "इन्दिरा कांग्रेस सेवा विधेयक" होता न कि 'आवश्यक सेवा विधेयक।' मई, 1888 से समूचे विश्व ने इस बात को माना है कि श्रमिकों को अपने आपको संगठित करने का अधिकार है तथा उन्हें संयुक्त रूप से सौदेबाजी करने का भी अधिकार है। यह विधेयक उनके इस अधिकार को छीनता है। मैं गृह मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उनका यह विधेयक ब्रिटिश शासन काल में भारत में लागू किए गए रोलट एक्ट के समान है। और आप सब जानते हैं कि वे कैसे दिन थे। आपको उसे एक्ट के परिणामों को नहीं भूलना चाहिए।

आपने इस विधेयक में तालाबन्दी और जबरन छुट्टी को शामिल किया है परन्तु यह बाद में शामिल की गई बातें हैं। इस प्रकार मंत्री महोदय श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाकर मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, परन्तु श्रमिक वर्ग सब कुछ जानता है। समूचा देश इसको सहन नहीं करेगा। श्रमिक वर्ग आपकी इस बर्बरता को सहन कर सकता है परन्तु विधेयक में तालाबन्दी और जबरन छुट्टी को शामिल करने के आपके दिखावे को नहीं। मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं और मंत्री महोदय से इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि साम्यवादी मार्क्सवादी दल के सभी सदस्य केवल एक-एक मिनट लें तो मैं प्रत्येक को बुला सकता हूं। वे इसका कड़ा विरोध कर सकते हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 34 वर्षों में एक विशेष दल इस देश पर राज्य करता रहा है और वह राज्य वह समाज में फूट डालकर करता रहा है। इस समय समाज शोषित और शोषक दो वर्गों में बंटा हुआ है। और आपने 'इस समाज का निर्माण इस आधार पर किया है कि पूंजीपतियों को कर्मचारियों का शोषण करने का अधिकार है। इसी कारण आपने समाज को विभाजित किया।

श्रमिक वर्ग के पास अपने बचाव का एक ही साधन है और वह है अपने हितों की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित करना। उसके लिए उनके पास एकमात्र हथियार है हड़ताल का अधिकार। पूंजीपति राज्य पर सब प्रकार के हथियार हैं। आपके पास सेना है, पुलिस है, कानून हैं, अदालते हैं, जेलें हैं और सब कुछ है। श्रमिक वर्ग के पास अपने बचाव के लिए केवल एक ही हथियार 'हड़ताल' का है। और इस विधेयक के द्वारा आज आप श्रमिक वर्ग को उस एक मात्र अस्त्र से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

अन्त में मैं आपको एक चेतावनी देता हूं । आपने क्या किसी एक बिल्ली को एक ऐसे कमरे में बन्द देखा है जिसके सभी दरवाजे और खिड़कियां बन्द हों ? पहले तो बिल्ली उसमें से बचने का कोई रास्ता खोजने का प्रयत्न करती है और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय बिल्ली शेर बन जाती है । शेर पर सवारी करने की कोशिश न करें, यह खतरनाक है । एक ओर तो आप मूल्य बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी ओर इस आवश्यक सेवा विधेयक के द्वारा इन बढ़ते हुए मूल्यों का भार श्रमिक वर्ग पर डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। महंगाई भत्ते की तीन किस्तें देय हो गई हैं । आप उन्हें देने में आना-कानी कर रहे हैं । इस पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल करेंगे और आप इस क्रूर कानून को उनके विरुद्ध उपयोग में लायेंगे । बिल्ली को शेर बनने का अवसर मत दीजिए । हरेक कार्य की प्रतिक्रिया होती है । 1977 में क्या हुआ था यह याद कीजिए । 1981 में आपका सूरज चढ़ रहा है और आप उसका आनन्द ले रहे हैं । 1977 वाले दिन फिर लौटेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : साम्यवादी मार्क्सवादी सदस्यों की ओर से मैं श्री समर मुखर्जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण दें ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, हम सभी बोलना चाहते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे सभी बातें अपने भाषण में कहेंगे । (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : आप उन सबसे बोलने के लिए कह सकते हैं । मैं अंतिम वक्ता रहूंगा । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं है । इसके लिए समय नहीं है । मैं आप सबकी ओर से श्री समर मुखर्जी से कहता हूं । यदि यह सम्भव नहीं है तो मैं (व्यवधान) यह सम्भव नहीं है । मुझे खेद है (व्यवधान) मैं कितने आदमियों को बोलने की अनुमति दे सकता हूं ? (व्यवधान) श्री समर मुखर्जी आप अपना भाषण शुरू करें (व्यवधान)

मैंने सभी दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी है । (व्यवधान) यदि एक या दो सदस्य बोलना चाहें तो मैं अनुमति दे सकता हूं । यह गलत तरीका है ।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) यह मेरा अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है (व्यवधान) कृपया सुनें । सभी 20 व्यक्ति नहीं । मैं यह जानता हूं ।

श्री जनार्दन पुजारी : पीठासीन अधिकारी असहाय नहीं हैं । पीठासीन अधिकारी को नियम 72 के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हैं, जो बहुत ही स्पष्ट हैं । आप कृपया नियम को पढ़ें । इसमें कहा गया है :—

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

इसलिए आपकी अनुमति से केवल एक सदस्य बोल सकता है। आपकी अनुमति के बिना कोई नहीं बोल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियम का उपयोग नहीं कर रहा (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। आप सभी सभ्य सदस्य हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी का नेता, जो कर्मचारियों का नेता भी है, बोल सकता है। (व्यवधान)

क्योंकि वे लोग अपने नाम दे रहे हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं बुला सकता।

श्री समर मुखर्जी : आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह बड़ा ही गम्भीर विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : साम्यवादी मार्क्सवादी दल से 18 सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। मैं छः को बुला चुका हूं (व्यवधान) जी नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं देता। श्री समर मुखर्जी बोल सकते हैं। (व्यवधान)

प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है। वे विषय के संबंध में नहीं बोलते। वे इसका उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में करते हैं (व्यवधान) फिर समय की समस्या भी है और मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है। (व्यवधान)

समर मुखर्जी, क्या अब आप बोल रहे हैं? मैं आपको बोलने के लिए बुला रहा हूं। सभी लोगों को बुलाना संभव नहीं है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अभी अभी मैंने श्री भीष्म नारायण सिंह से बात की है। हम कतिपय उन लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बाहर बहुत ही उद्वेलित हैं। वे संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि सभी यह महसूस कर रहे हैं कि मुझे उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए जिनकी अभिव्यक्ति लोगों ने बाहर की है। अतः, उन भावनाओं को व्यक्त करने से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने नाम दिए हैं। वे कोई अनुचित पक्ष की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सूचनाएं भेजी हैं (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : कृपया हमें नीचा दिखाने की कोशिश न करें। (व्यवधान) ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश न करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। 10 लोग खड़े हैं। मंत्री को उत्तर देना है। मंत्री महोदय, आप उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। (व्यवधान) आप उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान) मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने मंत्री को बुलाया है। (व्यवधान) हां, आप उत्तर दे सकते

हैं। आप अपना उत्तर पढ़ सकते हैं। (व्यवधान) यह ठीक है। मैं उन्हें समय नहीं दे रहा हूं। यह तरीका नहीं है। कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) मैंने श्री समर मुखर्जी से चर्चा समाप्त करने के लिए कहा है। कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : जिस तरह के दृश्य माननीय सदस्यगण पैदा कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। वे दृश्य पैदा करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इस विषय पर तीखी भावना है। यदि उन्हें दो या तीन मिनटों में निवेदन करने दिया जाए तो ठीक होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) मैंने नेता से अनुरोध किया है कि चर्चा समाप्त कर दें। तब मंत्री उत्तर देंगे। (व्यवधान) मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) मैंने नेता से चर्चा समाप्त करने का अनुरोध किया था। यह ठीक है। आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। (व्यवधान) मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री महोदय, आप उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान) कृपया कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (व्यवधान)* मंत्री महोदय, आप उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)*

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहेब, मैंने अपोजिशन के मेम्बरान के तमाम प्वाइन्ट्स नोट किए थे और चाहता था कि जवाब देकर उनकी तसल्ली करता···(व्यवधान)···लेकिन अब ये उनका जवाब सुनना नहीं चाहते·· (व्यवधान)·· बहुत से मेम्बरों ने अपनी बातें कहीं और अब बहुत से मेम्बर इस पर बोलना चाहते हैं।··· (व्यवधान)·· इनका दूसरे पर ऐतबार नहीं है कि एक आदमी इनको रेप्रेजेन्ट करे और सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं और एक ही बात रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सूरत में पार्लियामेंट में कोई कार्यवाही चल नहीं सकती। आपकी कृपा से सब को मौका मिला और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। मैं तो यह चाहता था कि सब अपनी बातें कहें लेकिन जो बातें एक मेम्बर ने कह दी हैं, उनका रेपीटीशन न हो लेकिन यहां पर वही बातें कही जा रही हैं, सिर्फ लफ्जों की बदला-बदली की है। इससे कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। (व्यवधान)···

जहां तक लैजिसलेटिव कामपीटैंस की बात है, कांस्टीट्यूशनल वैलीडिटी की बात है, उसकी ज्यादा बहस में न पड़ कर, मेरे पास दो फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं और आखरी फैसला 4 अगस्त, 1981 का है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है :

> "हमने विद्वान वकीलों की बात डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुनी। याचिकादाता की तरफ से विद्वान वकील श्री राम मूर्ति द्वारा आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1981 की विधि-मान्यता की चुनौती संविधान के अनुच्छेद 19 (6), 21 और 123 के साथ पठित अनुच्छेद 14, 19 (1) (छ) के आधार पर तथा अधिक प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी। हमने

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

याचिकादाता की तरफ से दिए गए सभी तर्कों पर गंभीरता से विचार किया और उनमें कोई औचित्य नहीं पाया। दोनों याचिकाओं को खारिज किया जाता है।''

(व्यवधान)

(तब कतिपय माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।)

ये लोग बहुत ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि जूडीशियरी को सम्मान दिया जाए। जूडीशियरी का यह फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बहुत विचारने के साथ यह फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सीरियसली दोनों को सुना और उसके बाद उन्होंने दोनों पेटीशन्स पर अपना फैसला दिया है और उनको डिसमिस कर दिया। इसलिए कोई जरूरत नहीं रह जाती है कि कांस्टीट्यूशनल वेलीडिटी के सम्बन्ध में मैं कुछ यहां कहूं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे कह दिया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अभी कुछ दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की, जिस की मुझे आशा नहीं थी जैसे जार्ज फर्नान्डीस साहब ने कहा कि जुलाई में आर्डीनेन्स जारी हुआ और अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सरकार का स्टीट्यूड जालिकाना है और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। यह हमारे पक्ष की आर्गूमेंट थी कि सरकार की नीयत कितनी साफ है। जरूरत न पड़े, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम स्ट्राइक बन्द नहीं कर रहे हैं, सरकार स्ट्राइक बन्द नहीं कर रही है। अगर हालात बिगड़ते हैं, बदअमनी पैदा होती है और कोई नुक्स पैदा हो जाए, तो उससे निपटने के लिए हम अख्तयारात हासिल करना चाहते हैं। वह पावर लेने की बात है। क्योंकि अगर हालात बिगड़ जाएं और पावर न हो, तो कोई बात नहीं हो सकती।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने उस वक्त भी उनको कहा था जैसे :—

घर लागे आग जहां कुआं खोदे जाए।
कारज सिद्ध न होए तो पछताए।

घर को आग लगी हो, फिर आप कहें कि कुआ खोदेंगे, पानी निकालेंगे, फिर पानी से छिड़काव करेंगे और फिर आग बुझाएंगे। कैसे हो सकता है।

अब किसी आदमी को किसी हथियार का लाएसेंस दिया और चार महीने के बाद उससे हम कहें कि आपने किसी को जख्मी तो किया नहीं, आपके यहां कोई डकैती भी डालने नहीं आया तो फिर आप क्यों लाएसेंस रखते हो, इसे सरेण्डर क्यों नहीं कर देते। अब एक मण्डी में बैठ कर कोई कमेटी में कह दे कि फायर बिग्रेड जो है यह क्या काम कर रही है, इसे दो साल हो गए, इसने कोई काम नहीं किया, कहीं आग नहीं लगी तो फिर इसकी क्या जरूरत है। जब आग लगेगी तो फिर इसको ले आयेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, कहीं ऐसी बातों से काम चलने वाला है। यह है उनकी दलील।

मैंने जार्ज फर्नान्डीस, सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के जितने भाई यहां बोले हैं उनका एक-एक का नाम लिखा है और इसलिए लिखा है कि मैं एक-एक को प्यार से समझाऊंगा और बात करूंगा लेकिन वे यहां नहीं हैं।

दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आइन का प्वाएंट तो खत्म हुआ । अब मैं इखलाखी बात पर आता हूं । आप जरा सोचिए कि हिन्दुस्तान में ये लोग किस की हिमायत करते हैं ? जो मजदूरों को एक्सप्लाएट करते हैं । यह एन्टी मजदूर बिल नहीं है, यह एन्टी एक्सप्लाएटर बिल है । कुछ लोगों का धंधा होता है कि मजदूरों की कमाई से हर महीने पैसा इकट्ठा करो और चौधरी बनों, मजदूरों में जाकर तकरीर करो और मेनेजमेंट का खाना खाओ । आज यह यहां बात करते हैं ।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में बेरोजगार कितने हैं ? क्या कभी आपने उनकी आवाज़ उठायी ? हिन्दुस्तान में जिनको रोजाना पेट भर कर खाना नहीं मिलता, क्या उनकी आवाज उठायी ? क्या इन्होंने देखा है कि पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की क्या हालत है ? मैं मानता हूं कि मंहगाई है । हम इस पर भी जोर देते हैं । जैसे प्राइस इन्डेक्स बढ़ता है, उसके मुताविक तनख्वाहें बढ़ायी जाती हैं, उनमें मंहगाई जोड़ी जाती है । लेकिन आप जरा गौर फरमाइये, मैं मजदूरों का विरोधी नहीं हूं, उनका साथी हूं, लेकिन उनको नौकरी तो मिली है, उनके बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम तो है, मकान उनके पास है, मेडिकल एड उनको मिलती है लेकिन करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी आवाज इन्होंने नहीं सुनी । क्योंकि इनके कान नहीं हैं जो सुन सकें । मैं जानता हूं उनकी खामोश आवाज को । करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो दिन-रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी भूखे हैं । उनको कोई नौकरी नहीं मिलती । उनसे मालिक जितना चाहे काम करवा लेता है और जो चाहे उन्हें खाने को दे देता है । ये आरगेनाइज्ड सैक्टर के नुमाइदे बनते हैं, जो अनओरगेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं उसकी बात नहीं करते हैं ।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप मजदूरों की बात करते हैं तो आपने मजदूरों के बीच में अपनी-अपनी पार्टियों के सेल क्यों बना रखे हैं ? आप एक सेल बना कर मजदूरों की भलाई करो । आप अपनी-अपनी पार्टी का प्रचार कर मजदूरों में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं । यह मुल्क के लिए काम करने का तरीका नहीं है, यह मुल्क के साथ दुशमनी है । मैं कहता हूं कि इस तरह से मुल्क को बेचा नहीं जा सकता । क्या आप ऐसे मुल्क को बेचना चाहते हैं ।

इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड की बात की गयी । मैं उन मेम्बर से पूछना चाहता था, बदकिस्मती से वे चले गए, कि इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड के आदमी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं । हम को तो नहीं मालूम कि उनके साथ किस तरह का एग्रीमेंट हुआ, तुम जानते होगे ।

यह कहा गया कि यह लेवर डिपार्टमेंट क्यों नहीं लाया ? हमारी ज्वारंट रिस्पांसिब्लिटी है । दिन में कोई आदमी कमाता है, उसको जिस कीमती चीज की, बरतन की जरूरत हो तो वह अपने घर में रखता है । जो भी चीज हो वह गृह मंत्रालय के पास आ ही जाती है । घर में जो चीज पड़ी रहती है उसका नुकसान नहीं होता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, करीब 30 करोड़ लोग पावर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनकी बात मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, अगर वे बैठे होते तो बता देता । एक-एक आदमी उठता है और टाटा-बिड़ला की बात करता है । पता नहीं उनसे कब से इनकी दोस्ती हो गई । रेलवे कहां

टाटा की है, हवाई जहाज कहां टाटा या बिड़ला के हैं, बिजली कहां बिड़ला की है, क्या डाक-तार बिड़ला का है, क्या टेलीफोन बिड़ला का है। लेकिन हम टाटा या बिड़ला की बात नहीं करते, हम तो दरमियाने लोगों की बात करते हैं, जिनकी तन्ख्वाहों से पैसा लेकर ये उनकी वकालत करते हैं और गरीब आदमी की बात नहीं करते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि आज का दिन कैसा है। इन्होंने कहा कि आज का दिन हिन्दुस्तान के अंदर काला दिन समझा जायेगा, ये बात जो रामावतार शास्त्री जी ने कही, यह गलत है, बल्कि आज का दिन सुनहरी है और हिन्दुस्तान के अंदर एक इन्कलाबी दिन समझा जाएगा, जब गरीब की बात हमने की है। आपको मालूम ही है कि इनके समय में एक साल के अन्दर जितने मेन-डेज का नुकसान हुआ, उससे करीब 400 करोड़ का घाटा हिन्दुस्तान को उठाना पड़ा। कहां से बेरोजगारी दूर होगी, अगर हम इसी तरीके से बरबादी करते जाएंगे और पैदावार नहीं होने देंगे। हम तो डिसीप्लेन को कायम रखना चाहते हैं और मजदूरों की बात सहज-स्वभाव से मानना चाहते हैं और मैनेजमेंट को इस तरह से तम्बीह कर दी है कि वे लाक-आउट न कर सकें, क्योंकि मजदूर के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमने मजदूर की कोई रेली बंद नहीं की है, उनका जलसा बंद नहीं किया है, अगर मजदूर चाहता है तो सब कर सकता है। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि वे काम न छोड़ें और जो चाहते हैं करें। अपनी छाती पर चिल्ला भी लगा सकते हैं, पब्लिक को अपनी बात बताने के लिए सण्डे के दिन जलूस भी निकाल सकते हैं, परंतु पैदावार बंद नहीं कर सकते। पैदावार बंद करने की इजाजत मैनेजमेंट को भी नहीं दी गई है। हम चाहते हैं कि एसेंशियल सर्विसेस के अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं, उनकी पैदावार न रोकी जाए।

आपको मालूम है कि इस लिस्ट के तहत जो चीजें आती हैं, अगर उनका उत्पादन बंद हो जाए तो तकलीफ किसको होती है ? शासन को कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ जनता को होती है, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, आने जाने के साधन नहीं मिलते। इनका इरादा क्या है ? इनका इरादा है कि आजादी के नाम पर ये रेलें बंद करवा सकें, हवाई जहाज बंद करवा सकें, बिजली बंद करवा सकें, पानी बंद करवा सकें, आने-जाने के साधन बंद करवा सकें और डाक-तार वगैरा सब बंद हो जाएं और हिन्दुस्तान तबाह और बरबाद हो जाए।

बाहर के लोगों के साथ पता नहीं इनके संबंध कैसे रहते हैं। इनको कैसे पता चला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फण्ड के सिलसिले में हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है। आपको यह बात पता है, हमको पता नहीं है, इसलिए आपका संबंध होगा, इसलिए आप कहते हैं। हमको भी बता दीजिए ताकि पता चल जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक मेंबर ने कहा कि हम चाहे कितना जोर लगा लें, यह कोई अदालत नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट है, इसलिए हम इसको रोक नहीं सकते। जब रोक नहीं सकते तो इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं, इतनी तंगी क्यों उठाते हैं। पहले ही वोटिंग करवा लेते। उनकी दलीलों में कोई वजन नहीं है, वे चाहते ये थे कि किसी तरह से काम रोका जाए।

कई साथियों ने अपने भाषण में मेरे साथ मित्रता भी दिखलाई, कईयों ने कहा कि हम ये कर देंगे—हम वो कर देंगे। लेकिन हम को उनकी बात पर गुस्सा नहीं आता, जो कहना हो कह लीजिए। हम जानते हैं कि ये बाजू आजमाए हुए हैं, एक बार नहीं बार-बार आजमाए हुए हैं।

ये क्या कहते हैं ? कहते हैं कांग्रेस पार्टी को 44 परसेंट, 45 परसेंट वोट मिले हैं। लेकिन इनको कितने मिले हैं ? किसी को दो परसेंट, किसी को तीन परसेंट और किसी को चार परसेंट। फिर आलम यह है कि हर रोज हमको पार्लिमैंटरी एफेयर्ज के मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ता है कि अपोजिशन में कितनी पार्टियां बैठी हुई हैं और उनका कौन-कौन लीडर है। अजीब तमाशा दिखाई देता है। आपने बड़ी कृपा की जो सब को बोलने का मौका दे दिया। किसी भी एक पार्टी ने नहीं माना कि उसका नेता उस पार्टी के खयालात को हाउस के सामने रख देता। सभी हमारे इन मैम्बरों ने कहा कि हम अपने खयालात अलग से रखेंगे। परमात्मा बख्शे इनको और इनको इकट्ठा कर दे तो अच्छा है ताकि जो बात कहनी हो कह लिया करें। अब तो ये बीविल्डरनेस में घूम रहे हैं, फिर रह रहे हैं, बोल रहें हैं। बाई इलैकशंज ये जीतते नहीं हैं। मजदूर भी इनको समझ गए हैं। उनको पता चल गया है कि हमारे हमदर्द कौन हैं। वे जान गए हैं कि उनकी बगैर किसी एजीटेशन की बात सुनी जाएगी, उसका फैसला हो जाया करेगा। उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। मजदूर खुशहाल होंगे, उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उनको दंगा करना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट और मजदूरों के ताल्लुकात ठीक रहेंगे और पैदावार बढ़ती रहेगी। मजदूरों का हक मारा नहीं जाएगा। कारखानेदार या मैनेजमेंट मजदूरों को हैरान और परेशान नहीं कर सकेंगे, हम इसकी गारंटी देते हैं। मजदूर हमारे साथ हैं।

ज्यादा कुछ कहने को तो है नहीं। मोटी-मोटी बातों का जवाब उनको मिल गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे बिल इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय आवश्यक सेवाओं तथा समुदाय के प्रस्तमान्य जीवन बनाए रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 5 19.27 बजे

अब्बासी, श्री काजी जलील	अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अहमद, बेगम अबिदा	अराकल, श्री जेवियर
अहमद, श्री मोहम्मद असरार	आजाद, श्री भागवत झा
अहमद, श्री कमालुद्दीन	बालेश्वर राम, श्री
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद	बन्सी लाल, श्री

वारोत, श्री मगनभाई
भगत, श्री एच० के० एल०
भगवान देव, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्री के० बी०
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
ईरा मोहन, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गांधी, श्री राजीव
गुफरान आजम, श्री
गिरिराज सिंह, श्री
गौजागिन, श्री एन०
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जयनारायण रौत, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुर्रहमान, श्री
जैना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लकप्पा, श्री के०
महावीर प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री वृजमोहन
मोतीलाल सिंह, श्री
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नेहरू, श्री अरुण कुमार
नेताम, श्री अरविन्द
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी० डी०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पट्टाभि रामा राव, श्री एस० वी० पी०
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पुलय्या, श्री दारुर
कादरी, श्री एस० टी०
रहीम, श्री ए० ए०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रणवीर सिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राठौर, श्री उत्तम
रवाणी, श्री नवीन
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन, श्री टी० एम०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिव शंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सोलंकी, श्री बाबू लाल
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्टीफन श्री सी० एम०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
तपेश्वर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
त्रिपाठी, श्री कमलापति
वर्मा, श्री जय राम
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, श्री डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री राम सिंह
यूसुफ, श्री मोहम्मद
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
राय, श्री ए० के०
*नामग्याल श्री पी०
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम† इस प्रकार है—

पक्ष में 130

विपक्ष में 4

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(तब श्री ए०के० राय सभा से उठकर चले गए)

श्री जैलसिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आवश्यक सेवा अध्यादेश के बारे में विवरण

श्री जैल सिंह : महोदय, मैं आवश्यक सेवा अध्यादेश 1981 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी और अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2799/81]

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

†निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :—

पक्ष में—सर्वश्री जैल सिंह, एस० बी० चव्हाण, गुलशेर अहमद, हरिनाथ मिश्र, वसन्त राव पाटिल, उमापति मिश्र, सुभाष चन्द्र यादव, प्रो० के. के. तिवारी, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, श्रीमती मोहसिना किदई और श्री पी० नामग्याल ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कानपुर इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेक्नालाजी के सरकारीकरण की मांग

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान रूल 377 के तहत मुन्दरजा जैल मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान में पेपर टेक्नालाजी के दो, तीन इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कागज बनाने की टेक्नालाजी पढ़ायी जाती है और साथ ही साथ उस पर रिसर्च भी की जाती है। 1977 में हुकूमत ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके तहत हुकूमत हिन्द ने पेपर टेक्नालाजी का एक सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया था। इस सिलसिले में एक कमेटी बनायी गई थी जिसने तमाम मामलात पर गौर करने के बाद यह फैसला किया था कि सहारनपुर के पेपर टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट को सेन्ट्रल पेपर टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट करार दे दिया जाये। जिसको हुकूमत हिन्द ने भी तस्लीम कर लिया था। जिसके बाद सहारनपुर के लोगों और पेपर टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट,

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

सहारनपुर के मुलाजमीन और स्टूडेंट्स को भी खुशी हुई थी। मगर आज तक इस इंस्टीट्यूट को मुकम्मल तौर पर सेन्ट्रल सरकार ने अपने इन्तजाम में नहीं लिया जिसकी वजह से हिन्दुस्तान में कायम ऐसे दो इंस्टीट्यूट भी हैं—एक इंस्टीट्यूट सहारनपुर पेपर टेक्नालाजी इन्स्टीट्यूट, वह खिदमत नहीं कर पा रहा है जो उसको करनी चाहिये। मेरी सरकार से दर्खास्त है कि सहारनपुर पेपर इन्स्टीट्यूट को फौरन सरकार के इन्तजाम में लिया जाए ताकि मुल्क और पेपर इन्डस्ट्री की खिदमत हो सके और हम लोग कागज की कमी से छुटकारा पा सकें।

(दो) रूई का आयात बन्द करने की आवश्यकता

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। अच्छी मानसून के कारण वर्ष 1980-81 में उत्पादित कपास की 77 लाख गांठों की तुलना में इस वर्ष 83 लाख गाठों का उत्पादन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष की 15 लाख गांठों का भी बचा हुआ भंडार है। इसलिए इस वर्ष रूई का आयात करना उत्पादकों के हित के विरुद्ध होगा। अत: ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए बिना 1 लाख गांठ आयात करने के सौदे को रद्द किया जाए।

(तीन) दिल्ली में अस्पतालों की बिगड़ रही स्थिति

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

दिल्ली में अस्पतालों की स्थिति, विशेष रूप से श्री जयप्रकाश नारायण अस्पताल की स्थिति, दिनोंदिन बद्तर होती जा रही है। जैसा कि सबको मालूम है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से रोगी इलाज के लिए इन अस्पतालों

में आते हैं। दिल्ली के नागरिकों के लिए भी यही तीन बड़े अस्पताल है। उचित उपस्कर, वस्त्र तथा शैय्या नहीं होने के कारण गरीब रोगी अस्पतालों के बरामदों में शैया बिना लेटे रहते हैं। आगन्तुकों के आवागमन, जिससे इन अस्पतालों में रोगियों की स्थिति और असंतोषजनक हो जाती है, पर कोई रोक-टोक नहीं है। वस्त्र इत्यादि बहुत ही गंदे अथवा स्तरहीन हैं।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कैजुल्टी इमरजेन्सी वार्डों की है। रोगी कर्मचारियों तथा डाक्टरों के लिए चिल्लाते देखे गए हैं। इन विंगों का आपरेशन कक्ष पूर्ण सज्जित नहीं हैं। इन विंगों के आपरेशन कक्षों को पूर्णतः सज्जित होने चाहिए थे। लेकिन अक्सर यहां आक्सीजन गैस का एक ही सिलिन्डर पाया गया है और वह भी खराब स्थिति में होता है।

इन सभी बातों पर केन्द्रीय सरकार को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं अनुरोध करता हूं कि इन मामलों की छान-बीन की जाए तथा प्रभावशाली कदम उठाए जाएं ताकि स्थिति में अविलम्ब सुधार हो सके।

(चार) पुरानी दिल्ली में, विशेष रूप से नई सड़क क्षेत्र में, पीने के पानी की सप्लाई में वृद्धि की आवश्यकता

श्री भोखू राम जैन (चान्दनी चौक) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

पुरानी दिल्ली के नई सड़क मुहल्ले के लोग तीन दिनों से पानी के लिए त्राही-त्राही कर रहे हैं परन्तु एक बून्द पानी की सप्लाई नहीं की गई है। वहां के निवासियों की नगर निगम के अधिकारियों से मिलने की सारी कोशिशें असफल रहीं। उस क्षेत्र में सार्वजनिक नल भी नहीं हैं और नलकूप की भी व्यवस्था नहीं की गई है। पुरानी दिल्ली क्षेत्र जो शाहजहानाबाद कहलाता था, के प्रति सरकार सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है। यह महान नगर के प्रति निरादर है। उस क्षेत्र में सामान्य दिनों को भी पेयजल की सप्लाई दो घंटे सुबह और दो घंटे सांय की जाती है और वह भी कम दवाब पर जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए संबंधित प्राधिकारी से किए गए अनुरोध का कोई नतीजा नहीं निकला है। नई दिल्ली की पास कालोनियों तथा नई दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में दिन रात पानी की सप्लाई की जाती है पर पुरानी दिल्ली के इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। यही उचित समय है कि जलपूर्ति बढ़ाने के लिए कतिपय उपयुक्त उपाय किए जाएं और नई सड़क क्षेत्र के निवासियों को जो पानी के लिए तीन दिनों से त्राही-त्राही मचा रहे हैं, पानी की सप्लाई तुरन्त की जाए।

(पांच) तमिलनाडु में वेदारण्यम तट पर शवों के पाये जाने की जांच कराने की आवश्यकता नहीं

श्री ईरा मोहन : (कोयम्बटूर) सभापति महोदय, तमिलनाडु में वेदारण्य में कतिपय लाशें तैरती हुई मिली हैं। लाशें जब मिली थीं तब पुलिस और ग्राम प्रधान वहां मौजूद थे। 29 अगस्त और 1 सितम्बर, 1981 के बीच लगभग 10 लाशें बहती हुई तमिलनाडु में मंजापुर जिले में वेदारण्यम और पोर्ट कालीमेर्स के बीच पाई गई हैं। स्थानीय प्राधिकारियों ने शायद लाशों का अन्तिम

संस्कार कर दिया ताकि तथ्यों को छिपाया जा सके और सरकार के इस तर्क का समर्थन हो सके कि कोई लाश नहीं मिली थी ।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेताओं ने हाल ही में समुद्र के किनारे प्राप्त नरकंकालों के फोटोग्राफ संवाददाताओं को दिखाये । ऐसी आशंका की जा रही है कि जो लाशें प्राप्त हुई हैं वे हाल ही में श्रीलंका में हुए दंगे में मारे गए तमिल भाषियों की हैं ।

तमिल भाषियों के हजारों परिवार धल्लाईमन्नार, श्रीलंका में अनिश्चिन्तता की स्थिति के कारण भारत आने के इच्छुक हैं । लेकिन उन्हें लाने के लिए कोई स्टीमर नहीं है । यह मांग की जाती है कि इस बात की पुष्टि की जाए कि जो लाशें मिली हैं वे श्रीलंका के तमिल भाषियों की तो नहीं हैं । श्रीलंका में तमिल भाषियों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध तमिलनाडु में 12.9.81 को एक राज्य व्यापी सर्वदलीय हड़ताल होने जा रही है ।

जातीय विद्वेष में कमी होने के कोई आसार न होने के कारण यह आवश्यक है कि सरकार उन सभी व्यक्तियों को वापस लाने के लिए व्यवस्था करे जो भारत आने के इच्छुक हैं । यह किसी देश का आन्तरिक मामला नहीं है । यह श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के लाखों लोगों की मानवीय समस्या है ।

मैं मांग कर रहा हूं कि इस बात का तुरन्त पता लगाया जाए कि जो लाशें मिली हैं वे श्रीलंका के तमिल भाषियों की तो नहीं हैं ।

(छः) बम्बई में कैमिस्टों द्वारा कतिपय प्रमुख औषधि निर्माता कम्पनियों की दवाइयों की बिक्री का प्रस्तावित बहिष्कार

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : सभापति महोदय, बम्बई के खुदरा दवा विक्रेताओं ने अधिक मुनाफे की मांग मनवाने हेतु 57 बड़े औषध निर्माताओं, जिसमें सरकारी स्वात्वाधीन भारतीय औषध तथा भेषज लि० भी शामिल है, की दवाइयों का बहिष्कार करने की धमकी दी है । दवा विक्रेताओं की योजनानुसार बहिष्कार 15 सितम्बर, 1981 से प्रारम्भ होगा ।

कुछ दिन पहले जब दवा विक्रेताओं के एसोशिएशन के प्रतिनिधि केन्द्रीय पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री से मिले थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले पर जोर दिया जाएगा । लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है । यदि निर्धारित योजनानुसार दवा विक्रेताओं द्वारा वहिष्कार शुरू हो गया तो महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों के लाखों लोगों को दैनिक व्यवहार की दवाइयों को प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए और दवा विक्रेताओं के एसोसिएशन द्वारा भावी बहिष्कार से लोगों को बचाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं ।

(सात) गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़, के कार्यकरण की जांच

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : समापति महोदय, गान्धी आंख अस्पताल, अलीगढ़ एक अन्तर्राष्ट्रीय विख्यात संस्था है। इसकी स्थापना स्वर्गीय डा० मोहनलाल, पद्यम जी ने की थी। इस संस्था की स्थापना के 50 वर्ष हो गए हैं और समाज सेवा में सुन्दर कार्य कर रही है और सानअर्जन का यह एक सुप्रसिद्ध स्थान रहा है।

यह संस्था उत्तर प्रदेश सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों से दान के अतिरिक्त समाज कल्याण बोर्ड तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करती है।

यह भारत में सबसे बड़ा आंख का अस्पताल है और इसका प्रबन्ध गान्धी आंख अस्पताल न्यास नामक एक सार्वजनिक न्यास द्वारा किया जाता है। इस न्यास का सृजन स्वर्गीय डा० मोहनलाल ने किया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इसके मुख्य संरक्षक हैं। इसके संस्थापक डा० मोहनलाल की मृत्यु के बाद इस न्यास के प्रबंधकों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और इसकी संपत्ति तथा निधियों का अपने हित के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं।

इस न्यास के वर्तमान सचिव, जो एक बड़े उद्योगपति हैं, इस पद पर संस्थापक की मृत्यु के बाद से ही बने हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने पुत्र को संयुक्त सचिव के रूप मेंप्रबंध मंडल में ले लिया। पिता तथा पुत्र ने व्यावहारिक रूप से अपने परिवार के सभी सदस्यों को न्यास के प्रबंध मंडल में जीवन पर्यन्त सदस्य के रूप में शामिल करके इस संस्था पर एकाधिकार कायम कर लिया है।

इस न्यास के धन के दुर्विनियोग के मामले हुए हैं। भारत स्थित 'हेल्थ द एज्ट सोसाइटी, लन्दन' द्वारा दिसम्बर, 1978 तक इस संस्था के सचिव को 5,02,789/- रुपये की राशि दी गई थी। सचिव ने अस्पताल को किश्तों में केवल 3,81,690/- रुपये ही दिए। शेष राशि को सचिव ने अपने पास रख लिया और 1,20,815/- रुपये की अन्तिम किश्त मार्च, 1981 में अस्पताल को तब दी गई जब मग्मला सार्वजनिक हो गया और सचिव पर भुगतान करने का दवाब दिया गया। अस्पताल के अपील पर उसी एजेन्सी 'हेल्थ द एज्ड सोसाईटी', लन्दन ने अक्तूबर, 1976 में सचिव को 220 पौन्ड का ड्राफ्ट भेजा। यह राशि अस्पताल को नहीं दी गई। यह गबन का स्पष्ट मामला है। अन्य विदेशी एजेन्सियों अर्थात् आई साइट यूनिवर्सल एल्वर्टा कनाडा से भी 1974 से दान प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें न्यास की निधि में नहीं डाला गया है अथवा उनका उचित लेखा नहीं रखा गया है। अस्पताल के वित्तीय मामले सचिव तथा संयुक्त सचिव द्वारा मनमाने ढंग से निपटाए जाते हैं जिसके कारण अस्पताल को काफी वित्तीय नुक्सान हो रहा है।

लोक हित में मैं सरकार से एक उपयुक्त जांच करवाने की मांग करता हूं और जब तक जांच कार्य समाप्त न हो जाए तब तक वर्तमान प्रबंध मंडल को निलम्बित रखा जाए।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) जारी

सभापति महोदय : अब हम वर्ष 1981-82 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान करेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, कल मैंने बोलना शुरू ही किया था जब कि समय समाप्त हो गया था । आज जो मेरे सुझाव हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो गैप है उसको किस प्रकार से पूरा किया जायगा, इसके संबंध में चन्द सुझाव में आपकी सेवा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं । रामपुरा आंगूंचा में एशिया का सबसे बड़ा जिंक का भण्डार मिला है । हर साल 120 करोड़ रुपये जिंक, सीसा, जस्ता और चांदी वगैरह इम्पोर्ट करने पर हम खर्च करते हैं । 120 करोड़ रुपया यह बच सकता है और इसके अलावा 4.5 करोड़ टन जिंक का यहां पर बहुत बड़ा भण्डार है । 12 परसेंट जिंक उसमें से निकलता है । एक बहुत बड़ी संस्थान हमने यहां पर क्रियेट की है, अगर उसको हम डेवलप करें तो निश्चित तरीके से 120 करोड़ रुपया तो फारेन एक्सचेंज का बचा सकते हैं और इसके बाद और मैटीरियल एक्सपोर्ट करके 200 करोड़ रुपये इसके जरिए से हर साल हम पैदा कर सकते हैं। इस तरह से कम से कम 300 करोड़ रुपये फारेन एक्सचेंज का प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगना चाहिए । गुलाबपुरा में जहां पर रामपुरा आंगूचा में यह भण्डार निकला है उसके 21 किलोमीटर के अंदर वहां एक सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया जाए, इसके लिए मैं माननीय वित्त मत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मुझे आशा है कि वह जरूर इसके सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे।

सभापति महोदय : व्यास जी, 8 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, सबको खाना भी खाना है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने तो शुरू ही किया है । आप कहें तो बन्द कर दूं । मुझे तकलीफ नहीं होगी ।

सभापति महोदय : यह बिल आज पास होना है, यह याद रखें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे कुछ सुझाव हैं कहिए तो दे दूं ।

सभापति महोदय : मेरे पास बोलने वालों के 20 नाम हैं । 12 बज जायेंगे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सीमेंट का बहुत बड़ा भण्डार हमारे पांच जिलों के अन्दर है । कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर लाइम स्टोन के बहुत बड़े विशाल भण्डार हैं । आपने एक बड़ी लाइन भी यहां पर दे दी है । दो तीन साल में वह बड़ी लाइन यहां तैयार हो जाएगी । 10-12 सीमेंट फैक्ट्रियां इन पांच जिलों के अन्दर लगा दें तो निश्चित तरीके से सीमेंट की कमी भी निकल जायगी और फारेन एक्सचेंज जो सीमेंट को इम्पोर्ट

करने में हम खर्च कर रहे हैं वह भी बच सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर यहां सीमेंट पैदा कर सकते हैं।

तीसरा एक सुझाव माइका के सम्बन्ध में है। माइका भी एक हमारा एक्सपोर्ट का आइटम है।

सभापति महोदय : मंत्री जी को लिखकर भेज दीजिए व्यास जी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इससे अच्छा तो था आप बोलने ही नहीं देते।

सभापति महोदय : मेरे पास 20 नाम हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दो तीन सुझाव हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माइका के संबंध में एक सुझाव था। आपने बिहार में एक माइका के वेस्ट का कारखाना दिया है जिससे पेपर बनेगा। इसको भी एक्सपोर्ट करके हम फारेन एक्सचेंज कमाएंगे। राजस्थान के भीलवाड़े जिले में भी माइका बहुत बड़े पैमाने पर निकलती है। वहां की जो अच्छी माइका है वह तो एक्सपोर्ट होती है लेकिन जो वेस्ट है वह सौ साल से बराबर वहीं पड़ी हुई है। इसके लिए भी एक वहां पर माइका के वेस्ट का कारखाना लगाएं तो हमको करोड़ों रुपये साल का फारेन एक्सचेंज मिलेगा और हमारी सारी व्यवस्था ठीक तरीके से चलेगी।

वित्त मंत्री ने कल परसों कहा था कि ये जो रुग्ण इंडस्ट्रीज हैं उनको हम नहीं लेंगे। इसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन को इन्डस्ट्रियलिस्ट्स जानबूझ कर सिक कर देते हैं। उससे पैसा निकाल लेते हैं और उसे सिक करने के बाद उससे नाजायज फायदा उठाकर कई प्रकार के नये कारखाने खोल लेते हैं जिसमें कि उन्हें ब्लैक का पैसा मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस प्रकार का डैसीशन नहीं लेना चाहिए कि हम किसी रुग्ण संस्था को लेंगे। कई रुग्ण संस्थाएं ऐसी हैं जो जानबूझकर पूंजीपतियों द्वारा रुग्ण की जाती हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़े में है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1974 में आपने इसको हाथ में लिया था। एथोराइज्ड कंट्रोलर आपने मुकर्रर किया। उसमें 50 लाख रुपये साल की आमदनी हुई और करोड़ों रुपये का जो कर्जा था उसके ऊपर उस कर्जे को चुकाया। फिर पता नहीं किन कारणों से उसको वापस कर दिया। आज उसकी स्थिति फिर उसी हालत में आ गई है। पूंजीपति सारे असेट्स निकाल कर नयी इण्डस्ट्रीज कायम कर रहे हैं। इसलिए हमने सरकार से कहा कि उसे ऐसी संस्थाओं को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप यह कह दें कि रुग्ण संस्थाओं को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे। (व्यवधान) इससे अच्छा था मुझे बोलने ही न दिया जाता। मैंने जो सुझाव यहां पर दिए हैं उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे आशा है कि आज देश की जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको आप ठीक कर सकेंगे।

श्रीमती बेगम आबिदा अहमद (बरेली) : जनाब चेयरमैन साहब, मेरी छोटी सी तकरीर का मौजूअ तालीम और अमन है।

तालीम खुद कोई मंजिल नहीं है बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक जरिया है जो इन्सान को तहजीब बख्शता है, उसे बोलने की ताकत अता करता है, उसमें जो सलाहियतें हैं उनको पूरी तौर पर उभारता है। इसके साथ-साथ एक अच्छा शहरी बनने का सबक देता है। तालीम एक हकीकत है जो शख्सी तौर पर इन्सान के सोचने के ढंग को संवारती है और इस तरह मजमुई तौर पर समाज को निखारती है। दरअसल तालीम एक आपरेशन है, एक नश्तर है जो जहालत के गन्दे फोड़े को निकालकर काट कर फेंक देता है।

अमन और शांति एक्तिसादी और समाजी तरक्की के लिए लाजमी है। फिरकावारियत, मजहबी तास्सुब, सूबाई भाषाई झगड़े —ये हमारे मुल्क को कमजोर करते हैं। अगर इन अनासर को हमने रोका नहीं तो हमें डर है कि कहीं हमारी कौम की एकता खत्म न हो जाए। कुदरत ने इन्सान को दिमाग दिया है इसलिए कि वह उसका सही इस्तेमाल कर सके। यह उसके हाथ में है कि सही इस्तेमाल करे या गलत इस्तेमाल करे। अगर वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता तो वह गिर जाता है और वह सिर्फ मुट्ठी भर खाक होकर रह जाता है। लेकिन अगर वह अपने आपको बढ़ाए तो इतना बढ़ा सकता है कि यह दुनिया भी उसके लिए छोटी हो जाए।

घटे अगर तो फकत मुश्ते खाक है इन्सां
बढ़े तो वुसअते कौनेन में समा न सके।

हमें चाहिए कि आए दिन के झगड़े और फसादात की जो हवा फैली हुई है, एक बीमारी फैली हुई है, उसको हम रोकें ताकि आगे चलकर यह कैन्सर जैसी बीमारी की शक्ल अख्तियार न कर ले जोकि आज तक लाइलाज है।

मुल्क की तहजीबी, समाजी और एक्तिसादी तरक्की की राह पर हम सब को बिला इम्तियाज महजबो मिल्लत, एक साथ आगे बढ़ना है। यही वह मुकाम है जहां तालीम और अमन का एक संगम है, जहा एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। तालीम और अमन के इस मिलन पर ही हमारी कौम की फलाह और तरक्की का दारोमदार है। कागजी उसूलों को असली जामा पहनाकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाना हम सबका फर्ज है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लखनऊ में हुए हालिया शिया और सुन्नी फसाद जैसे जाहिलाना वाकयात से हमारा छुटकारा कभी नहीं हो सकता। तालीम के मायने सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्रियां ले लेना नहीं है, सच्ची तालीम वह है जो इन्सान को जिन्दगी की आला कदरों से वाकिफ कराए। इन्सान के दिल में अच्छी कदरें पैदा करता है जैसे सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे एखलाक, रवादारी वगैरह। एक आदमी जो किसी भी मजमून में डिग्री हासिल करता है, लेकिन चूंकि उसे जिन्दगी की कदरों से वाकफियत नहीं है, तो वह बदनियत हो सकता है, बदएखलक हो सकता है और मुल्क का गद्दार भी हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में एक दूसरा इन्सान जोकि डिग्रीयाफ्ता नहीं है, लेकिन जिन्दगी की कदरों को समझता है, जिसमें ईमानदारी, दयानतदारी, फर्जशनाशी है और देशभक्ति है—ये सारी खूबियां मौजूद हैं एक ज्यादा अच्छा इन्सान कहलाने का मुस्तहक है।

यह दुरुस्त है कि आजकल दुनियां में एक दूसरे के मुकाबले इस तरह मुकाबला है कि बगैर डिग्री के काम नहीं चल सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि डिग्री के साथ इल्म और अमल में हमआहंगी होना भी लाज्मी है। एक और भी बहुत जरूरी बात है, तालीम ऐसी हो जो कि फायदेमन्द हो। यानी ऐसी न हो कि इकानामिक्स की मास्टर डिग्री लेने के बाद वह काम करे एक क्लर्क का या कोई दिल के मर्ज की मुहारत हासिल करता है तो उसको काम दिया जाता है पेट की सरजरी का। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं एक वाक्या एक हकीकत बयान कर रही हूं, लेकिन बहुत पुरानी है, फिर भी चलती है। उस जगह चूंकि दिल का सरजरी डिपार्टमेंट नहीं था, उसको कहा गया कि पांच साल के बाद डिपार्टमेंट खुलेगा, इसलिए उसको दूसरी सरजरी का काम दे दिया जाता है। मैं कहना चाहती हू कि जिसने उन पांच सालों में इल्म हासिल किया है, वह रायंगा बन जाएगा। स्टैना-टाइपिस्ट ही बनता है, तो क्या जरूरी है कि यूनिवर्सिटी में जाकर एटम की साखत या उसकी बनावट पर लैक्चर सुने। देखा जाए तो इस तरह से पैसा और वक्त बर्बाद होता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है यहां मजमूई तौर पर इक्तसादी हालत खराब है, इसलिए ऐसी तालीम हो जो कि इन्सान को जल्दी से जल्दी एक्तासादी तौर पर मदद कर सके। वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर्स हमारे यहां बहुत खुले हैं और खोले जा रहे हैं, लेकिन जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी तादाद बढ़े, ताकि डिग्री-याफ्ता, बेकार लोगों की तादाद न बढ़े और यूनिवर्सिटीज पर भी दाखिला देने का भार न हो।

स्कूलों की तालीम का सवाल तो हर जगह मुफ्त और लाज्मी होना जरूरी है। चूंकि उसकी कोशिश जारी है, मुझे उम्मीद है कि वह हमेशा जारी रहेगी। बावजूद इस बात के कि स्कूलों की तादाद बढ़ गई है, फिर भी बच्चों को दाखिले नहीं मिलते है, क्योंकि आबादी का इजाफा स्कूलों की तादाद के इजाफे से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए हमारा यह फर्ज है कि छोटे कुनबे की अहमियत पर वजाहत लाज्मी होनी चाहिए।

एक निहायत और अहम चीज यह है कि तालीम और खेल हमारी जिन्दगी में बहुत जरूरी है। खेल न सिर्फ जिसमानी और दिमागी "नशोवनुमा" के लिए जरूरी है बल्कि अपनी हार को मुसकुराते हुए और जीत को इनकासारी के साथ तस्लीम करना सिखाता है। बच्चे के सही दिमाग के लिए बहुत जरूरी है कि स्कूल के निसाब के अलावा माहौल की तरफ भी तवज्जह दी जाए। उसके जहन में इस तरह की कोई बात नहीं डालनी चाहिये कि हिन्दू को मुसलमान पर, मुसलमान को हिन्दू पर, अमीर को गरीब पर, शहरी को देहाती पर बरतरी हासिल है। अगर इन ख्यालात को बच्चा लेकर बड़ा होगा तो बड़ा होकर ये बातें उसके दिमाग से कभी नहीं आ सकतीं। बराबरी के उसूलों का एहतराम उसके दिलोदिमाग में नहीं रहेगा। इन्हीं उसूलों पर हमारी सैकुलर-डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी गई है। अगर हम अपने घर में और स्कूल के तालीम देने के तरीके में इन बातों पर अमल करें तो इस तरह की बातें कभी पनपने नहीं पायेंगी, खुद-व-खुद खत्म हो जाएंगी।

हम कानूनसाजों और देश के नुमाइन्दो का यह फर्ज है कि यह देखें कि तालीम अपने-अपने हल्कों में सही दी जा रही है या नहीं। माहौल को साजगार बनाना हम सब हिन्दुस्तानियों का

फर्ज है। अमन-व-शान्ति को हर मुकाम पर, हर सतह पर कायम करना है चाहे वह घर हो, स्कूल हो, कालिज हो, इण्डस्ट्री हो, फैक्टरी हो या रेलवे हो। अगर इनमें हालात साजगार न हुए तो उससे हमारी तरक्की रुक जाती है, ठिठुर जाती है। अभी आपने देखा—इसी सवाल के मुताल्लिक बहस हो रही थी, कितना हंगामा हुआ। जब कोई गड़बड़ होती है तो चाहे रेलवे हो, इण्डस्ट्री हो, उसका असर गरीब इन्सान पर सबसे पहले पड़ता है। देश की तरक्की के लिये लाजमी है कि माहौल आये-दिन के मुखतलिफ तरीके के फिसादात से पाक हो। इसलिये हमने सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बिन-उलक्वामी सतह पर भी हर उस हथियार के बनाने का विरोध करते हैं जो अमन और अमनपसन्द मखलूक को खत्म कर दे। जैसे न्यूट्रान बम है। क्या फायदा है ऐसी मादी दौलत का जब कि किसी दूसरे मुल्क की सारी आबादी एक धमाके के साथ नेस्तो-नाबूद हो जाये। हमें ऐसे हथियार की सख्ती के साथ मजम्मत करनी चाहिये, नहीं तो इस तरह मुल्क-गीरी की हविस में और एक दूसरे की दुश्मनी में सारा निजामे-जिन्दगी दरहम-बरहम हो जायगा। दुनिया में बहुत से मुमालिक ऐसे हैं जहाँ गरीब लोगों के पेट भरने के लिये गिजा, तन ढकने के लिये कपड़ा और दिमागी नशो-नुमा के लिये तालीम की सहूलियतें चाहियें। इसलिये यह सब पैसा जो न्यूट्रान बम जैसे मुहलक हथियार बनाने में खर्च हो, वह क्यों न मखलूक की भलाई और बरतरी पर खर्च किया जाए।

हमें नई दुनिया में एक नया हिन्दुस्तान तामीर करना है। पुराने फरसूदा ख्यालात को छोड़कर नये जदीद तरीकों को अपनाना है और यह उस वक्त हो सकता है जब कि हमारे मुल्क में शान्ति हो। अपने देश की फिजा को पुर-अमन बनाने में सबको आगे बढ़ना चाहिए, अदीब हो या शायर, मुसव्विर हो या सायंसदां, मजदूर हो या किसान, कहीं का भी रहने वाला हो या कोई भी जुबान बोलता हो। आपस में गैरियत और दुई का अहसास जिसने हमारे देश की फिजा को मुकद्दर कर रखा है और जो आज कल के बैरूनी हालत को देखते हुए हमारे लिए खतरे का बाइस है, उसे खत्म करना है, मिटाना है।

मैं अपनी तकरीर को इकबाल के चन्द अशार के साथ खत्म करूंगी--

आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें,
बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे-दुई मिटा दें,

सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल्ली की बस्ती,
आ इक नया शिवाला इस देश में बना दें।

दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ,
दामाने-आसमान से इसका कलश मिला दें।

हर सुबह उठके गायें मन्तर वह मीठे-मीठे,
सारे पुजारियों को मय प्रीत की पिला दें।

शक्ति भी शान्ति भी भक्तों के गीत में है,
धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : सभापति महोदय, पिछले मार्च में इस वर्ष का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि उनकी नीति संकट की स्थिति को प्रगति में बदलने की होगी। लेकिन मुझे आशंका है कि उनकी नीति पुनः संकट की ओर जा रही है। औद्योगिक उत्पादन में पहले से गिरावट आ गई है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे प्रिय मित्र श्री पान्डेय जी भी यहां मौजूद हैं। उन्हें मालूम है कि पहली तिमाही में रेलवे में क्या हुआ है। जुलाई में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, विशेष करके महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे इस्पात, कोयला और सीमेंट की ढुलाई में वह भी पारम्परिक शीर्ष मौसम में।

महोदय, सभा को यह भी पता है कि खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंध किस प्रकार की गई है और रिकार्ड उत्पादन के वर्ष में भी हमें भारी मात्रा में आयात करना पड़ा। इसका कारण यह है कि न सिर्फ केन्द्रीय सरकार जो मार्गदर्शन और दिशा निर्देश आती है, बल्कि राज्य सरकारें भी वसूली करने में असफल रहीं।

इसी प्रकार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री मुझ से सहमत होंगे कि भुगतान संतुलन की स्थिति भी चिंताजनक है क्योंकि हमें अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रिकॉर्ड ऋण लेना पड़ रहा है। भुगतान संतुलन की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और इसे आर्थिक विकास को खतरा हो गया है और 1985 तक तेल की हमारी खपत 40 लाख टन हो जाने की उम्मीद है और यदि घरेलू उत्पादन वर्तमान 11.5 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन भी हो जाएगा तो भी 15 मिलियन टन की कमी रह जाएगी।

महोदय, पूरे वर्ष में आयात बिल 11,500 करोड़ रुपये के आस-पास होगा और निर्यात 7,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा और आप जानते हैं कि हम निर्यात के संबंध में एक दूसरे संकट में फंसने जा रहे हैं और हमारा व्यापार घाटा 4,500 करोड़ रुपये होने जा रहा है। महोदय, जबकि ऐसी विश्वव्यापी मुद्रास्फीति स्थिर अर्थव्यवस्था को भी खतरा पैदा कर रही है तो वैसी स्थिति में पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा पूंजी माल, खाद्य तेलों, उर्वरकों तथा धातुओं की हमारी आयात आवश्यता पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगी। वित्त मंत्री ने अपने स्वविवेक से तथा सरकार ने 5.8 बिलियन डालर की भारी राशि के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर शार्ट कट रास्ता अपनाया है जो आने वाली पीढ़ी पर भार होगा। इस संबंध में मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि विदेशी ऋण की इस समय हमारी स्थिति क्या है तथा अदायगी की क्या स्थिति है और वे किस स्तर तक आशा करते हैं कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्यात की कोशिश की जाएगी। इस समय सरकार को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए कि हमारी नीति क्या होगी और इस बारे में राष्ट्र तथा संसद को विश्वास में लेना चाहिए कि गैर जरूरी आयात को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या नीति होगी और बाहर से धन भेजे जाने को आकर्षक बनाने के लिए आप क्या नीति अपना रहे हैं। हाल के महीनों में देश में भेजे जाने वाले धन में गिरावट क्यों आई है ? चेट्टी फाउन्डेशन के चेट्टीआरस जैसे कतिपय धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को क्यों छोड़ा गया ? तस्कर विरोधी गतिविधियों में ढील किए जाने के क्या कारण हैं ? अन्तरराष्ट्रीय कुख्यात तस्कर गोलाधारी ब्रदर्स को भारत में पुनः प्रवेश क्यों करने दिया गया और भारत स्थित उनके संरक्षकों को बेदाग क्यों छोड़ा गया ?

महोदय, कुछ समय पहले इस सभा में 1973 में महाराष्ट्र में एक मंत्री के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था जो उस समय राज्य सरकार में विधि तथा न्याय मंत्री थे। कोंकण समुद्री किनारे पर एक छोटे से गांव में मैं जानना चाहूंगा कि 15 जून, 1973 को उन्हें क्या हुआ था और उक्त मंत्री के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में सीमाशुल्क विभाग ने क्या रिपोर्ट भेजी है ? क्या मंत्री महोदय केन्द्र और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री के बीच हुआ पत्रव्यवहार सभा पटल पर रखेंगे ? जब ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, तब उनके अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षक सक्रिय हो जाते हैं। वित्त मंत्री को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके मंत्रालय ने गलाधरी ब्रदर्ज अब्दुल रहमान, अब्दुलवाहब, जिन्होंने जमानत भंग की थी, को राजस्व आसूचना प्रशुल्क और तस्करी-विरोधी निदेशालय द्वारा कड़ा विरोध किये जाने के बावजूद भारत में क्यों दाखिल होने दिया ? अब्दुल लतीफ, जो अब भी भारत में है, यह प्रचार करता रहा है कि मुख्य मंत्री को बने रहने दिया जाये। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसका मुख्य मंत्री के साथ कोई सम्पर्क है ? या यह इसलिए है क्योंकि उसने 'भारत का समुद्र' प्रदर्शनी नामक एक प्रदर्शनी दुबायी में मई मास में आयोजित की ? जब आप ऐसे जालसाजों को रोकेंगे नहीं, तब आप तस्करी को कैसे रोक सकते हैं और धनराशि देश में आप इसे कैसे सहायता मिल सकती है ?

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि सेठीजी यहां हैं। यही स्थिति तेल के सम्बन्ध में हुए कुछ सौदों के बारे में है। समाचार है कि हमें निविदा संख्या 1/80 दिनांक 18.1.80 के मामले में लगभग 30 करोड़ रुपए की हानि हुई है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इससे पहले कि आप किसी किस्म का और आरोप लगाएं, मुझे आपको रोकना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं तो एक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आपने किसी संख्या और तारीख का हवाला दिया है। वह दस्तावेज आपने अध्यक्ष को नहीं दिया है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : जानकारी से इन्कार किया जा सकता है···

सभापति महोदय : आपने ऐसा आश्वासन देने वाला दस्तावेज अध्यक्ष को नहीं दिया है कि आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी लेते हैं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : मैं उससे पूछ रहा हूं···

सभापति महोदय : जी, नहीं, आप संख्या का हवाला मत दीजिये।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : सभापति महोदय, जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि हमें इस सौदे में 30 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह कैसे है कि एक ही पक्ष (व्यवधान)

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अब हम नियम 216 के अधीन अनुपूरक मांगों पर विचार कर रहे हैं। चर्चा को व्याप्ति नियमों

के अधीन अभिनिश्चित है। वहां पर कुछ मदें हैं। जो कोई भी बोलना चाहता है उसे यह बताना चाहिये कि वह किस मद के बारे में है। उसे यह अवश्य बताना चाहिये। मैं नियम 216 उद्धृत करता हूं :

> "216 अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों और जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर उससे सम्बन्धित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

सभापति महोदय : यह ठीक है।

श्री सी० एम० स्टीफन : जो मदें हैं वे स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं और जो भी बोलेगा वह यह बताएगा कि वह किस मद के बारे में बोल रहा है। मैं फलां मद के बारे में बोलना चाहता हूं। नीति विषयक कोई चर्चा नहीं हो सकती। किसी मूल योजना पर चर्चा नहीं हो सकती। इस प्रभाव के विनिर्णय भी हैं, जब किसी चीज विशेष के बारे में पहले आयव्ययक में सहमति हो चुकी हो, तब उस पर पुनः चर्चा नहीं की जा सकती।

इसीलिए मैं कह रहा था कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आम चर्चा या सामान्य वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। हम तो चर्चा केवल अनुपूरक मांगों पर कर रहे हैं। उसे अनुपूरक मांगों के अधीन केवल उन्हीं मदों पर ही बोलना चाहिये। जो कोई भी बोलना चाहता है उसे कहना होगा कि वह किस मद पर बोल रहा है। यह जो वह पूछ रहे हैं वह इस मद के अधीन नहीं आता है। आयात नीति इसके अधीन नहीं है। इनमें से कोई भी चीज इसके अधीन नहीं है। वित्त मंत्री की मांग भी केवल आयकर वसूल करने पर खर्च के बारे में है। इसके अतिरिक्त कोई मांग नहीं है। इसके अलावा कोई चर्चा नहीं की जा सकती। महोदय, मैं उस आधार पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं जिसका आपने हवाला दिया है। आपत्ति करने का मेरा आधार यह है कि यह मांग की व्याप्ति से बाहर है और इसलिए यह नियम 216 का उल्लंघन है। इसकी अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। जो कुछ कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं भाषण को पढ़ूंगा और यदि यह नियम 216 के अधीन नहीं आता होगा तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप तो सब कुछ कार्यवाही वृत्तांत से निकाल सकते हैं।

श्री ए० के० राय : खड़े हुए (व्यवधान)

सभापति महोदय : राय, आप क्यों खड़े हैं ?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया धीरज रखिये।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैं उसी नियम के अधीन उठा रहा हूं ।

सभापति महोदय : पहले आप यह बताइये कि नियम का क्या उल्लंघन किया गया है जिसकी ओर आप ध्यान दिलाना चाहते हैं। पहले आप मुझे बतायें कि नियम कौन-सा है।

श्री ए० के० राय : सभापति महोदय, यह नियम 376 है ।

सभापति महोदय : किस नियम का उल्लंघन किया गया है ? आप मुझे यह बताइये ।

श्री ए० के० राय : कृपया मुझे ध्यान से सुनिये । नियम सदस्य की अवशिष्ट शक्ति के बारे में है ।

सभापति महोदय : कृपया नियम उद्धृत कीजिये ।

श्री ए० के० राय : मेरी अवशिष्ट शक्ति है ।

सभापति महोदय : आप यह बताइये कि नियम का क्या उल्लंघन हुआ है।

श्री ए० के० राय : यह नियम सदस्य की अवशिष्ट शक्ति के बारे है ।

सभापति महोदय : नहीं, यह नहीं लिखा जायेगा, यदि आप नियम नहीं बताएंगे । आप बोलते चले जाइये, आप कृपया मुझे यह बताएं कि नियमों का क्या उल्लंघन हुआ है ।

श्री ए० के० राय : स्पष्टीकरण मांगने का मेरा अधिकार है ।

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री स्टीफन की बात केवल श्री उन्नीकृष्णन् पर या इस सभा के सभी सदस्यों पर लागू होगी। सभापति महोदय, क्या श्री उन्नीकृष्णन् से पूर्व जो माननीय महिला-सदस्य ने अपना पहला भाषण दिया है उसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जायेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सिद्धांत केवल श्री उन्नीकृष्णन् पर ही या सभी सदस्यों पर लागू होगा ।

सभापति महोदय : श्री स्टीफन ने जो सभा में कहा है वह यह है कि नियम इस सभा के सभी सदस्यों पर लागू होगा । इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है और मैं समझता हूं कि विधि के इस सिद्धांत को सभी जानते हैं ।

श्री ए० के० राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारा भाषण वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : यह सब ठीक है, अब श्री उन्नीकृष्णन् अपना भाषण जारी रखें ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, कोई सब्जी मार्केट है, राय साहब, बैठिए (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : श्रीमन्, आप यह पत्र हुड़ बदौलत कर रहे हैं। उन्हें पहले सीखना चाहिये कि कैसे बोलना चाहिये और कैसे व्यवहार करना चाहिये। इस अपमान की कोई सीमा भी होनी चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : सभापति महोदय, यदि माननीय संचार मंत्री जी ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों और गलाधरी ब्रदर्ज और उनके सहायकों की आवश्यकताओं के बारे में इतने अधिक चिन्तित हैं, तो मेरा कोई झगड़ा नहीं है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : श्रीमन्, यह आरोप है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कृपया यह मत समझिए कि मैं भाग जाऊंगा। अकेला होने पर भी मैं यहां बैठा रहूंगा और इसका खण्डन करूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप नाम मत लीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने इसका नोटिस आज ही दिया है।

सभापति महोदय : परन्तु क्या आपने कोई दस्तावेज दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं तो केवल संविधान के उपबन्धों और नियमों को ही मानूंगा, आपके अनौपचारिक प्रबन्ध को नहीं।

सभापति महोदय : मैं आपको पूर्व-दृष्टांत पढ़कर सुना हूं सकता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं नियमों और संविधान से परे कोई बात नहीं मानता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, आप एक बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं। आप जानते हैं··· (व्यवधान) नियमों और प्रक्रिया के अलावा कुछ ऐसी परिपाटियां हैं जिन पर सभा को चलना होता है और सभी दलों के बीच एक समझौता हुआ था और अध्यक्ष की उपस्थिति में एक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किया गया था और आपको उसका पालन करना होगा। आप तो केवल यह कहते हैं कि यह बात नियमों में नहीं है और इसलिये आप इसे नहीं मानेंगे। परन्तु यदि आप बोलेंगे तो मैं आपकी बात को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप जो मर्जी कीजिए। जब तक आप वहां बैठे हैं तब तक यह आपका विशेषाधिकार है। परन्तु मैं फिर कहूंगा कि इस सभा का सदस्य होने के नाते मैं नियम 118 के अधीन बनाये गये नियमों का ही पालन करूंगा। आप जो मर्जी कहें।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य नियम 216 के अधीन बोलें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने सूचना भेज दी है और मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप कुछ और कह रहे हैं और मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं नियम 353 के अधीन अपने अधिकार की बात कह रहा हूं। मैं नियम 216 के बारे में नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : जो आप इस सभा में कह रहे हैं क्या वह अनुपूरक अनुदान की मद के अन्तगत आता है ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यदि आप इसके लिए आग्रह करना चाहते हैं तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है । मैं कुछ और बात कह रहा हूं । मैं नियम 353 के अधीन आपको दिये गये अपने नोटिस की बात कह रहा हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु आपको सूचित कर दिया गया है । आपने नोटिस दिया है और लोक सभा सचिवालय अथवा अध्यक्ष महोदय ने आपको उत्तर दे दिया है कि कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धान्त हैं ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैं नियमों के अतिरिक्त किसी और बात को नहीं मानता। नियम एक समुचित प्रक्रिया के लिये निर्धारित किये जाते हैं ।

सभापति महोदय : कृपया उन्हीं मदों के बारे में बोलिये जो अनुपूरक अनुदान के अन्त-र्गत हैं ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : वित्त मंत्री कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों के साथ कोई शर्त नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भी कहा गया है कि ऐसी शर्त को हटाया जा सकता है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे भी नियमों के लिये आग्रह करने का अधिकार है । आपको नियमों के अधीन बोलना चाहिये ।

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है कि यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी बात कहेंगे जो अनुपूरक अनुदानों के अधीन मदों के अन्तर्गत नहीं आती तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने वाले देशों के साथ क्या बर्ताव हुआ है इसके कई उदाहरण हैं । इन ऋणों के साथ कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनसे देश की आन्त-रिक नीति में गड़बड़ी हो जाती है ।

सभापति महोदय : क्या यह मदों के अधीन है ? (व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आपका विनिर्णय है । ठीक है मैं बैठ जाता हूं । यदि आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं करना चाहते तो ठीक है । आप सभापति होते हुए बाधा डाल रहे हैं । मैं यह देख रहा हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

प्रो० मधु दंडवते : कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष के कार्य में लगातार बाधा डाल रहे हैं, यह एक नई बात है ।

सभापति महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि आप न बोलें। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। जब यह नियम आपको पढ़कर सुना दिया गया तो मैं यह जानना चाहता था कि क्या आप जो कह रहे हैं वह अनुपूरक अनुदानों की मदों के अन्तर्गत आता है। यदि आप कहते हैं कि वह आता है तो आप बोल सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस समय मैं आपके साथ तर्क नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदानों के अन्तर्गत दिये गये सभी भाषणों को अध्यक्ष अथवा एक समिति के समक्ष रखा जाये और उनके अलावा बाकी सभी बातें कार्यवाही से निकाल दी जायें। यदि आप तैयार हैं तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है। यदि आप सभा की कार्यवाही को इस तरीके से चलाना चाहते हैं तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है।

सभापति महोदय : मैं शुरू से ही सभा में उपस्थित नहीं हूं। यदि कोई बात मेरे आने से पहले हो गई है तो मैं क्या कह सकता हूं। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक बजट की चर्चा का सम्बन्ध है चाहे यह मांग की अवस्था में हो या किसी और अवस्था में हो यह प्राय: कहा जाता है कि उनके बारे में बोलने की कोई सीमा नहीं है।

सभापति महोदय : यह एक अनुपूरक बजट है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप मांगों के सम्बन्ध में पिछले 15 या 20 वर्षों में हुई चर्चा को देखें तो आप पायेंगे कि मांगों पर चर्चा करते समय किसी सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता और इस पर किसी ने कभी भी कोई आपत्ति नहीं की। जब हमने मांगों के अतिरिक्त किन्हीं और बातों को उठाया तो उन पर भी कभी आपत्ति नहीं की गई। परन्तु न जाने आज क्यों वे इतने सतर्क हैं ?

सभापति महोदय : यह एक अनुपूरक मांग है, सामान्य मांगें नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : अनुपूरक मांगों के बारे में भी आप रेलों के सम्बन्ध में अनुपूरक मांगों पर हुई चर्चा को देख सकते हैं। श्री पांडे ने अनुपूरक मांगों पर चर्चाओं का उत्तर दिया था। आप वाद-विवाद को देखें।

सभापति महोदय : श्री ए० के० राय।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : हमें सभी तरह की गलत बातों की आदत पड़ गई है* और सरकार को भी सभी प्रकार की आलोचना की आदत पड़ गई है। (व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभापीठ के विनिर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : हां, मैं मानता हूं। यह बात कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

श्री राम सिंह यादव : वह यह नहीं कह सकते हैं कि*

श्री ए० के० राय : मैंने कहा हमें आदत है···

श्री राम सिंह यादव : आप यह कह सकते हैं कि हमें आदत है। परन्तु आप सभापीठ के लिये कोई अपमानजनक बात नहीं कह सकते ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : विनिश्चय अच्छा भी हो सकता है,···*भी हो सकता है अथवा पक्ष में हो सकता है। वह दूसरी बात है। यह पीठासीन अधिकारी के प्रति अपमानजनक नहीं है। पीठासीन अधिकारी* नहीं हैं, विनिश्चय* है। (व्यवधान) आप भी·· उन आलोचनों को ध्यान से सुन रहे हैं।

सभापति महोदय : हां, मैं ध्यान देकर सुन रहा हूं।

श्री ए० के० राय : मैं मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि के बारे में उन आलोचनाओं को दुहराना नहीं चाहता। मैं जानता हूं सरकार सत्यान्याश का मार्ग अपनाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, ऐसे व्यक्ति को सलाह देने का कोई लाभ नहीं जो किसी सलाह की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है।

लेकिन एक नई बात है। (व्यवधान) यहां बैठने का और भाषण देने का और अपने साथियों से घबराहट भी पैदा करने का कोई आकर्षण नहीं है। किन्तु एक नई बात है जो हमें गहरी तथा सीधी चोट पहुंचा रही है और उसने मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया है। केवल 3 सितम्बर को, किसी चीज का जबाव देते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा—यह प्रसंग से थोड़ी भिन्न बात थी क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता नहीं थी—वित्त मंत्री ने रुग्ण एककों के बारे में अचानक कुछ नीति की घोषणा की। उन्होंने जो कहा वह मैं उद्धृत करता हूं :—

> "मेरी राय में सभी रुग्ण एककों को अपने हाथ में ले लेना गलती थी और इसीलिए हमें इस भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, मैं नहीं समझता कि यह कैसा समाजवाद है जहां यदि कोई गैर-सरकारी क्षेत्र मुनाफा कमाता है तो उसे वह अपनी जेब में डालेगा और जहां उसे घाटा होता है वहां सरकार के लिए उसे अपने हाथ में लेना जरूरी हो जाता है। रुग्ण एककों का जीवन-दर्शन ऐसा है। वास्तव में, रुग्ण एककों के सम्बन्ध में क्या नीति बरती जानी चाहिए इस प्रश्न पर सरकार गम्भीर रूप से विचार कर रही है और वह एक उचित निर्णय लेगी ताकि देश पर किसी अन्य व्यक्ति की गलतियों और अपकृत्यों का बोझ न पड़े।"

सभापति महोदय : क्या रुग्ण मिलों के लिए कोई मांग है ?

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री ए० के० राय : उद्योगों के सम्बन्ध और वित्तीय मामलों के सम्बन्ध मांग है। मैं कहना चाहूंगा कि उनका वक्तव्य बड़ा नेतृत्वपूर्ण लगता है। हम नहीं चाहते और बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि सरकार का कार्य मदर टेरिसा की तरह का हो कि मानो उन्हें रुग्ण बच्चों की देखभाल करनी हो और उनका लालन-पोषण आदि करना हो। मुख्य बात यह है कि रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में लेने का मुख्य उद्देश्य रुग्ण नियोजकों को कोई राहत देना नहीं था, लेकिन रुग्ण उद्योगों के साथ लोग भी रुग्ण हो जाते हैं, समूची पूंजी रुग्ण हो जाती है, समूची अर्थव्यवस्था रुग्ण हो जाती है। यदि सरकार रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेने से खुद भी रुग्ण हो जाती है, तो वह बात दूसरी है, तब हम इसका पता लगायेंगे कि वह रुग्ण क्यों हो रही है।

मुख्य प्रश्न यह है कि कर्मकारों का क्या होगा ? केवल कुछ ही दिन पूर्व, रिजर्व बैंक ने इस बात का विस्तृत विश्लेषण दिया था कि रुग्ण एककों की संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है। दो वर्ष पूर्व उनकी संख्या 17,000 थी, तब वह 19,000 हो गई। केवल एक वर्ष पूर्व उनकी संख्या 21,000 थी और आज लगभग 25,000 है। 2000 करोड़ रुपए की पूंजी अवरुद्ध हो गई है और दस लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं। क्या सरकार की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी है ?

मैं इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं कि आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुमार धूबी इन्जीनियरिंग वर्क्स नाम की एक फैक्टरी है। वह कारखाना इन्जीनियरिंग सामान का उत्पादन किया करता था और बहुत-सी चीजों की जरूरत प्रतिरक्षा उद्योग के लिए पड़ती थी। नियोजक के कुप्रबन्ध के कारण उत्पादन ठप हो गया है। पहले वह बार्ड हेल्जर्स ग्रुप का कारखाना था और चालबाजी के कारण इस ग्रुप को बर्ड कम्पनी से जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, पृथक कर दिया गया और वह हेल्जर्स ग्रुप की कम्पनी बनी रही ?

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला रहा हूं कि पिछले दो वर्ष से 2300 कर्मकार मेरे क्षेत्र में भूखे मर रहे हैं। आज बिहार के उद्योग मंत्री वहां से दिल्ली आये हैं। यह तय किया गया कि कम्पनी को अपने हाथ में लेने के बारे में आज महत्वपूर्ण निर्णय होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने 7 नवम्बर को रेडिओ से घोषणा की कि सरकार ने उस कारखाने को अपने हाथ में ले लिया है। बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक में यह लिखा गया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : तब क्या हुआ ?

श्री ए. के. राय : उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है।

सभापति महोदय : आज कुछ हुआ है या नहीं।

श्री ए. के. राय : अब आप गौर फरमाइये। आज उनसे यह कहा गया कि सरकार रुग्ण उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी नीति पर फिर से विचार कर रही है। उद्योग मंत्री जी ने मुझे कल ही उत्तर देकर बताया है कि पिछले दो वर्ष से 230 कर्मकार भूखे मर रहे हैं और उनके परिवारों की संख्या मिलाकर उनकी संख्या 20,000 है। उन्हें सरकार ने आश्वासन दिया था कि

उनकी कम्पनी को सरकार अपने हाथ में ले लेगी और अब उनसे कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नीति में संशोधन कर रही है और उसे अपने हाथ में नहीं लिया जायेगा।

सभापति महोदय : यह आपने कहा है।

श्री ए. के. राय : मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं। रुग्णता के दो कारण हो सकते हैं। एक टेक्नोलाजिकल हो सकता है। यहां मैं यह कह सकता हूं कि इस कारखाने को अपने हाथ में लेने का अर्थ घाटा उठाना हो सकता है। जब कि टेक्नोलाजी की दृष्टि से कारखाने की स्थिति मजबूत है और उसे अपने हाथ में लिया जा सकता है।

दूसरा कारण संगठन संबंधी है। केवल दो महीने पूर्व सरकार ने यह नीति घोषित की थी कि ऐसे किसी उद्योग को जिसकी पूजी या फिक्स्ड आस्तियां 2 करोड़ रुपये से अधिक हैं और जिसमें 1000 कर्मचारी से अधिक हैं, सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जायेगा। कुछ इन्जीनियरिंग वर्क्स में यद्यपि उनके पास सरकार के अनुसार 3 करोड़ रुपए से अधिक की फिक्स्ड आस्तियां हैं और 6 करोड़ रुपए से अधिक की चल पूंजी है और 2300 कर्मचारी हैं, फिर भी उन्हें सरकार द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया गया है। मैं कहना चाहता हूं बजट का उत्तर देते समय वित्त मंत्री इस बात को जरूर स्पष्ट करें कि सरकार की इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है क्योंकि उनके वक्तव्य ने एक ऐसी धारणा उत्पन्न कर दी है जिसने उन सभी भूखों मर रहे तथा उत्पीड़ित लोगों को सीधी चोट पहुंचायी है।

सभापति महोदय : हम पर रहम खाइये। साढ़े आठ बज चुके हैं, श्री भीम सिंह जी, क्या आप इस समय सचमुच अवश्य बोलना चाहते हैं ?

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : चेयरमैन महोदय, मैं डिमांड नम्बर 30 –डिपार्टमेंट आफ पावर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

आज के युग में पावर राष्ट्र की लाइफ-लाइन है। अगर वह लाइफ-लाइन चोक हो जाए तो लाइफ ही समाप्त हो जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। राजस्थान एटामिक पावर प्लांट, कोटा राजस्थान और मध्य प्रदेश की पावर नीड्ज को केटर करता है। जब से यह पावर प्लांट लगा है –पंद्रह बीस साल से – तब से हर महीने, दो महीने के बाद पेपर्ज में पढ़ने को मिलता है कि वह बन्द हो गया है। आज से नौ महीने पहले, 26 नवम्बर, 1980 को, इस बारे में श्री वृद्धीचन्द्र जैन और श्री डागा के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था —

> "यूनिट I सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है और उसके कार्य में और आगे सुधार करने के लिए इस समय निरन्तर प्रयत्न चल रहे हैं। समस्या फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए जो तथा जब भी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपचारात्मक कार्यवाहियां आवश्यक है, उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।"

नौ महीने हो गए हैं, मगर उस सरकारी एशोरेंस का कोई नतीजा नहीं निकला—बल्कि कानट्रेरी नतीजा ही निकला, और वह यह कि हर दो महीने बाद यह प्लांट फेल हो जाता है।

यहां तक कि 5 अगस्त की न्यूज में बताया गया कि दो तीन टन हैवी वाटर निकल गया और फिर प्लांट फेल हो गया ।

पिछले सत्र में एक प्रश्न के जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया था कि यह प्लांट 1978 में 227 दिन, 1979 में 302 दिन और 1980 में 89 दिन बन्द रहा । जवाब में यह भी कहा गया था कि स्ट्राइफ की वजह से प्लांट बन्द हो जाता है । 1980 में तो कोई स्ट्राइक नहीं हुई थी । इसके अलावा अभी कुछ मिनट पहले सरकार की तरफ से हड़तालों पर पाबन्दी लगाने के लिए एक बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है । इसलिए अब उसे यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हड़ताल के कारण यह प्लांट बन्द हो गया है । यह एक एसेंशल सर्विस है, इसलिए सरकार वहां पर हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाएगी और जब हड़ताल नहीं होगी, तो फिर यह प्लांट बन्द नहीं होना चाहिए । लेकिन इसके बावजूद मुझे भविष्य में भी यह प्लांट बन्द होता नजर आ रहा है । इसलिए मैं फिनांस मिनिस्टर से खास तौर से अर्ज करूंगा कि अगर वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हैं, तो वह हमारे यहां थर्मल पावर प्लांट्स की स्थापना करें ।

सभापति महोदय : वह बहुत अक्लमंद हैं, उनके लिए इशारा ही काफी है ।

श्री भीम सिंह : तो मैं उनसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि ऐटामिक पावर पर जो खर्चा कर रहे हैं वह थर्मल यूनिट बनाने पर खर्च कीजिए तो हम बच जाएंगे, नहीं तो राजस्थान की स्टेविलिटी इंडस्ट्री में और ऐग्रीकल्चरल में नहीं बचने वाली है ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, मैं वस्तुतः लोगों के धन पर तो कर लगाना चाहता हूं किन्तु लोगों के धैर्य पर कर लगाने में मुझे रुचि नहीं है । इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा और केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिन्हें उठाया गया है । वाद-विवाद ने सामान्य रूप धारण कर लिया है मानो हम समूची अर्थव्यवस्था का पुनरीक्षण कर रहे हैं । व्यक्तिगत रूप से मुझे समूची अर्थव्यवस्था के पुनरीक्षण पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते वह सामान्य प्रकार की हो जिसके लिए उत्तर देना जरूरी हो । इसलिए जिन प्रश्नों को उठाया गया है मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा चाहे वे नियम 216 के अन्तर्गत हों अथवा नहीं ।

प्रो० चक्रवर्ती बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं । वह यहां हैं नहीं, इसका मुझे खेद है । उन्होंने हमें उस जनरल की कहानी सुनायी जो किले के अन्दर बैठा था और बाहर युद्ध हार रहा था । एक दिन अचानक उसने देखा कि दुश्मन किले में प्रवेश कर गया है, हलांकि उसे यही सूचना मिलती रहती थी कि उसकी सेना हर मोर्चे पर विजयी हो रही है ।

सभापति महोदय : फिर वह जरूर अवध का नवाब ही होगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं समझा यह आने वाली स्थिति का एक संकेत था और यदि वह— दूसरी ओर जो दुश्मन हैं—मेरे दुर्ग में प्रवेश कर जाता है तो मुझे कोई आपत्ति

नहीं है। मुख्य बात उन्होंने यह कही है कि प्रधान मंत्री ने तो कहा है अर्थव्यवस्था की स्थिति निराशाजनक है किन्तु वित्त मंत्री कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति उत्साहजनक है। दोनों स्थितियां एक दूसरे की परस्पर विरोधी नहीं हैं। जब प्रधान मंत्री ने यह कहा कि आर्थिक स्थिति निराशाजनक है, तो उन्होंने उन सभी समस्याओं का उल्लेख किया जो देश के सामने हैं। जब मैंने यह कहा कि आशाजनक आसार हैं तो मैंने उस नई स्थिति का उल्लेख किया जो उत्पादन में, परिवहन में, बिजली उत्पादन आदि में व्याप्त है और मैंने यह कहा कि 1981-82 के पहले तीन महीनों में स्थिति में जो सुधार देखा गया है यदि उसे बरकरार रखा जाये तो मैं वर्ष के अन्त में जब अगला बजट प्रस्तुत करूंगा, आपके समक्ष अर्थव्यवस्था की काफी बेहतर तस्वीर पेश करूंगा। इस पर डा० सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा "यदि आप अगला बजट प्रस्तुत करें तो तब।"

सभापति महोदय : कम से कम, वह बजट पेश नहीं करेंगे। यह बात पक्की है।

श्री आर० वेंकटरामन : मनुष्य मरणशील है। सदैव ऐसा नहीं होता कि युवा आदमी बाद में ही मरे और बूढ़ा पहले मरे।

सभापति महोदय : उस स्थिति में, उन्हें आपके दल में शामिल होना पड़ेगा और वित्त मंत्री बनना पड़ेगा।

श्री आर० के० वेंकटरामन : दूसरा प्रश्न, जिसका उन्होंने उल्लेख किया वह यह कि देश में मुद्रा स्फीति बहुत अधिक बढ़ रही है। उन्होंने निराशा की तस्वीर प्रस्तुत की और कहा कि यह स्थिति तेजी से व्याप्त हो रही है। मेरे पास 1981 की विश्व विकास रिपोर्ट में प्रकाशित मुद्रा स्फीति के आंकड़े हैं। ये 1970 से 1979 के दौरान विभिन्न देशों में औसत मुद्रा स्फीति के आंकड़े हैं—बर्मा 12%, श्रीलंका 12.3%, पाकिस्तान 13.9%, बंगलादेश 15.8%, जापान 8.2%, ब्रिटेन 13.9% और भारत 7.8%। इसलिए, उनका तर्क जिसकी पुष्टि करने में उन्होंने इतना अधिक समय लिया निर्मूल तथा निराधार है।

प्रो मधु दंडवते : चिली और वियतनाम में इससे भी अधिक है।

श्री आर० वेंकटरामन : किन्तु क्या ब्रिटेन चिली और वियतनाम है? क्या जापान चिली और वियतनाम है? यदि आप यह कहें कि जापान और ब्रिटेन चिली और वियतनाम हैं, तो मैं आपके मत से सहमत नहीं हूं, जिसे आप इतनी अहमियत दे रहे हैं।

अगली बात उन्होंने यह कही कि व्यापार में घाटा बढ़ रहा है और आयात स्थानापन्न द्वारा उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। आयात-स्थानापन्न की एक सीमा होती है। असल में आयात करने का एक कारण यह भी है कि हमारी योजनाएं हमारी अधिष्ठापित क्षमता से कहीं अधिक आर्डर की हैं, इसे प्रमाण देने के लिए मैं केवल एक योजना का उल्लेख करूंगा। छठी पंच वर्षीय योजना में बिजली उत्पादन की हमारी योजना 19500 मैगावाट की है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 3500 मैगावाट प्रतिवर्ष क्षमता के हिसाब से उसकी अधिष्ठापित क्षमता 17000 मैगावाट होगी। यदि हमें अपनी योजना का लक्ष्य पूरा करना है तो हमें 2500 मैगावाट के विद्युत

उपकरणों का आयात करना पड़ेगा । यदि हम आयात नहीं करते, तो केवल 17000 मैगावाट बिजली की क्षमता प्राप्त होगी—जिसका मतलब होगा देश के काफी भाग को बिजली नहीं मिलेगी और कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में हमारे विकास-कार्य को हानि पहुंचेगी । आयात क्यों करते हैं, इसका स्पष्टीकरण यह है ।

उन्होंने यह भी कहा है कि हमें विश्व बैंक से ऋण नहीं लेना चाहिए । मुझे इस सम्बन्ध में उनसे केवल इतना कहना है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने विश्व बैंक सहायता के लिए कई परियोजना के प्रस्ताव सरकार के पास भेजे हैं । मैं नहीं जानता कि मुझे उनके इशारे पर चलकर इन प्रस्तावों को नामंजूर कर देना चाहिए अथवा नहीं । खैर, कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यहां वाद-विवाद में किसी प्रश्न को लेकर औचित्य स्वीकार करवाने के बजाय देश का विकास अधिक महत्वपूर्ण है ।

श्री नामग्याल विशेषत: लद्दाख क्षेत्र की कठिनाइयों के बारे में बोले हैं । सरकार इन कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत है । वास्तव में जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उपबन्ध और लद्दाख क्षेत्र में बिजली के लिये विशेष व्यवस्था किये जाने के कारण उनके द्वारा उठाई गई कुछ बातें तो पूरी हो जाती हैं ।

श्रीमती पटनायक ने शिकायत की कि गाडगिल सूत्र उड़ीसा के लिए पर्याप्त नहीं है । उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से कम है । उस कारण, गाडगिल सूत्र के अनुसार उड़ीसा 20 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा । गाडगिल सूत्र में आबादी के आधार पर 60 प्रतिशत सहायता, कर प्रयास के आधार पर 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आधार पर 10 प्रतिशत सहायता की व्यवस्था है ।

जनसंख्या और राष्ट्रीय औसत से प्रति व्यक्ति कम आय के आधार पर 20 प्रतिशत सहायता की व्यवस्था है । उस आधार पर उड़ीसा को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों की औसत सहायता के अपेक्षा अधिक मिलती है । असल में छठी पंच वर्षीय योजना मे प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 301 रुपए है जबकि अन्य सभी राज्यों के लिए औसतन 258 रुपए है । उड़ीसा के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सरकार ने वहां एक अल्यूमिनियम संयत्र लगाया है, परादीप पत्तन बनाया है और एक उर्वरक कारखाना भी स्थापित किया है । मुझे आशा है कि और लोग इस बात की शिकायत नहीं करेंगे कि उड़ीसा को इतना अधिक दिया गया है और लोगों को नहीं ।

श्री सूरज भान ने शिकायत की है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है । छठी पंच वर्षीय योजना में 20-30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें 470 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्रों के लिए हैं ओर 600 करोड़ रुपए अनुसूचित जातियों के लिए हैं । मैं समझता हूं उनकी जानकारी गलत है । उन्हें सही तौर पर तथ्य प्राप्त नहीं हुए ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा, जो स्वयं हरियाणा में एक मंत्री थे, चाहते हैं कि कर्नाल में एक

तेल शोधक कारखाना लगाया जाये। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि तेल शोधक कारखाना कहां स्थापित किया जाये, इस बात की विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है। मैं अपनी ओर से शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूं कि विशेषज्ञ समिति करनाल के पक्ष में ही अपनी सिफारिश दे।

उनका अगला प्रश्न रावी-व्यास जल के बारे में था जो विवादग्रस्त है। दोनों राज्य इस मामले को उच्चतम न्यायालय ले गये हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि विधि मंत्री से अब कहा गया है कि वह इसकी मध्यस्थता करें और इसका कोई हल निकालें। मुझे आशा है कि जहां दोनों पक्ष इस समस्या का हल नहीं निकाल सके हैं वहां विधि मंत्री इसका हल निकाल सकेंगे।

श्री महाजन की शिकायत थी कि धन वितरण में वृद्धि हुई है। मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रिजर्व बैंक बुलेटिन, जो एम-3 देता है, के अन्तर्गत सामयिक निक्षेप और सामयिक निक्षेपों के अन्तर्गत बचत भी आती है। अतः केवल यह कह देने से कि एम-3 में वृद्धि हुई है यह मतलब नहीं निकलता कि धन वितरण में वृद्धि हुई है। हम यह बता देना चाहते हैं कि सरकार धन विस्तार की समस्या के प्रति जागरूक है तथा उसने उसे कम करने के लिए अनेक उपाय भी किए हैं इसलिए माननीय सदस्य को एम-3 से चिन्तित नहीं हो जाना चाहिए। हमने नकद रिजर्व अनुपात को 6 से 7 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए उपाय भी किए हैं। हमने सांविधिक समापन अनुपात 34 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। हमने बैंक दर भी एक प्रतिशत बढ़ा दी है। इनसे धन वितरण सम्बन्धी कठिनाइयां दूर होंगी।

दूसरे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं श्री उन्नीकृष्णन के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। श्री उन्नीकृष्णन जानना चाहते थे कि हमारे विदेशी ऋण की कुल राशि कितनी है। 30 जून, 1981 को हमारा विदेशी ऋण 15,360 करोड़ रुपये का था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तीन वर्षों की अवधि में 5,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। पहले वर्ष हम 1,200 करोड़ रुपये, दूसरे वर्ष लगभग 1,600 करोड़ रुपये और शेष राशि तीसरे वर्ष लेंगे।

जहां तक ऋण सेवाभार का संबंध है यह राष्ट्र के लिए वास्तव में एक चिन्ता की बात है तथा श्री उन्नीकृष्णन ने इस प्रश्न को ठीक ही उठाया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऋण सेवाभार अनुपात की अनुज्ञेय सीमा देश की निर्यात आय का 20 प्रतिशत है। वर्ष 1980-81 में हमारे देश का ऋण सेवाभार अनुपात केवल 15 प्रतिशत था। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 1981-82 में ऋण सेवाभार अनुपात कम होकर 13 प्रतिशत हो जाएगा। यह बात तो सच है कि जब हम कोई बड़ी राशि उधार लेते हैं तो हम उसे एक लम्बी अवधि में लेते हैं। किन्तु हमने अब तक जो राशि उधार ली है वह बहुत कम ब्याज पर ली है। अधिकतर मामलों में तो हमने भारत सहायता कंसर्शियम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त की है जिस पर हमने कुछ भी ब्याज नहीं दिया है। उस पर हमने लगभग एक प्रतिशत सेवा-भार दिया है। अतः यदि आप भिन्न-भिन्न ब्याज की दरों पर कुल उधार राशि को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा अदायगी अधिभार बहुत कम था। मैं लोगों की इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ रुपये की इस ऋण राशि से हमारा ऋण अदायगी दायित्व बहुत बढ़ जाएगा जिसे वहन करना कठिन होगा।

श्री उन्नीकृष्णन ने यह भी कहा था कि इस भारी ऋण के कारण हमारी भावी पीढ़ी को कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह जो ऋण लिया जा रहा है यह अधिकांशतः परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि कई शताब्दियों तक आने वाली पीढ़ीयों को भी लाभ पहुंचेगा उदाहरण के तौर पर बान्ध, बिजली परियोजना या इनमें कुछ उद्योगों से न केवल वर्तमान पीढ़ी को ही लाभ पहुंचेगा बल्कि इनका लाभ सैकड़ों बर्षों तक होगा। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वर्तमान पीढ़ी ही क्यों सारी लागत का भार वहन करे जिसका लाभ भावी पीढ़ी को मिलना है ? अतः जो लागत हम इन चीजों पर खर्च करने जा रहे हैं उसके कुछ भाग का दायित्व आगामी पीढ़ी का भी तो है जो ऋण अदायगी के रूप मे होगा। अतः यदि हम ऋण लेते है तो उसके लिए हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं वशर्ते कि वह उचित सीमा में हो।

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषण के दौरान जो अन्य प्रश्न उठाए वे उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित थे।

सभापति महोदय : 9 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं। निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में विभिन्न बातें कही गई हैं जिनका वाद-विवाद के दौरान उत्तर देना संभव नहीं है। जो अन्य प्रश्न उठाये गये हैं, विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में, मैं उन्हें ध्यान में रखूंगा और बाद में किसी समय उनका उत्तर दूंगा।

सभा ने जो धैर्य दिखाया है मैं उसके लिए उसका बहुत आभारी हूं।

श्री मधु दंडवते : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि कुछ वक्ताओं ने ऐसे प्रश्न उठाये हैं जिनका अनुपूरक मांगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप कृपया उन्हें ध्यान में रखें। मैंने बस इतना ही निवेदन करना था।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री, श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा, श्री जी. एम. बनातवाला और श्री सुबोध सेन ने कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। वे इस समय उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं सब कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं अब वर्ष 1981-82 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयो निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के

स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये···"

पूरक मांगें (सामान्य) की सुची की कार्य सूची के अनुसार

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय :		
7	—खाद्य विभाग	..	10,00,00,000
	नागरिक पूर्ति मंत्रालय :		
10	—नागरिक पूर्ति मंत्रालय	69,000	2,53,000
	वाणिज्य मंत्रालय :		
13	—वस्त्रोद्योग, हस्तकरघा और हस्तशिल्प	36,70,37,00	20,04,46,000
	संचार मंत्रालय :		
14	—संचार मंत्रालय	5,50,000	..
18	—डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	..	1,000
	रक्षा मंत्रालय :		
24	—रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	..	1,000
	ऊर्जा मंत्रालय :		
30	—विद्युत विभाग	1,46,00,020	14,99,00,000
	वित्त मंत्रालय :		
42	—वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	..	105,00,00,000
	गृह मंत्रालय :		
48	—मंत्रीमंडल	35,76,000	..
55	—अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8,00,000	..

उद्योग मंत्रालय :		
59—उद्योग	1,000	3,10,01,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय :		
62—सूचना और प्रचार	6,00,00,000	..
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय :		
70—पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	..	21,56,00,000
71—रसायन और उर्वरक उद्योग	..	1,000
परमाणु ऊर्जा विभाग :		
96—परमाणु, ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजना	..	1,000
इलैक्ट्रानिकी विभाग :		
98—इलैक्ट्रानिकी विभाग	1, 05,48,000	28,54,000
महासागर विकास विभाग :		
108—महासागर विकास विभाग	4,46,000	..

— —

विनियोग (संख्या-५) विधेयक. 1981

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : हम विधेयक पर खंडशः विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र—(जारी)

कॉफी को संपूर्ण निर्यात शुल्क से छूट देने वाली अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट), मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 202-सीशु (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा कॉफी को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण निर्यात शुल्क से छूट दी गयी है सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 2800/81]

8·56 म० प०

इसके तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 11 सितम्बर, 1981/20 भाद्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।